चतुर्दश माला, खंड 7, अंक 4

मंगलवार, 1 मार्च, 2005
10 फाल्गुन, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 7 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र.ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 7, चौथा सत्र, 2005/1926 (शक)]

अंक 4, मंगलवार, 1 मार्च, 2005/10 फाल्गुन, 1926 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय	
स्थगन प्रस्ताव के बारे में सूचना	12-13
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 20	13-63
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 212	63-542
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका	543
अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका	544-550
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका	551-552
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका	551-552

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

मंगलवार, 1 मार्च, 2005/10 फाल्गुन, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे रिकवेस्ट की थी कि प्रश्न-काल सस्पेंड कर दिया जाए और जो एडजर्नमेंट मोशन श्री आडवाणी जी ने मूव किया है, उसके बारे में चर्चा की जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे विपक्ष के माननीय नेता से स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है। मैं प्रश्न-काल के पश्चात् उनकी बात सुनूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: प्रश्न-काल का सवाल ही नहीं है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, मैं पहले ही प्रश्न-काल के स्थगन की सूचना दे चुका हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। मैं स्थगन प्रस्ताव के स्वीकृत होने पर उनकी बात सुनने को तैयार हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री आडवाणी जी, आप बोलिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): अध्यक्ष जी, आपने मुझे एडजर्नमेंट मोशन की एडमिसिबिल्टी के बारे में बोलने के लिए कहा है, लेकिन मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि गोवा में आज जो स्थिति है, वह न केवल गोवा की जनता के लिए दुखदाई है, बल्कि देश में कुल मिला कर जो भी लोग संविधान के बारे में चिन्तित हैं और संविधान की मर्यादा को बनाए रखना चाहते हैं, उन सब को लगता है कि एक मजाक सा हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, एक महीने से अधिक हो गया है, एक डेमोक्रेटीकली इलैक्टिड सरकार को मनमाने ढंग से बर्खास्त किया गया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया, हमें थोड़ी व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। जब मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दे दी है तो आपको व्यवधान नहीं डालना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हमें कार्य करने हेतु कोई प्रक्रिया अपनानी चाहिए। मैंने उन्हें अनुमति दे दी है। कृपया व्यवधान न डालें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): आपने जो नागालैंड में किया। *...(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मेरी समझ में नहीं आया कि इसमें नागालैंड का कहां उल्लेख है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इसे छोड़िए।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: जब हमारी, श्री वाजपेयी जी की सरकार थी तो उन्होंने किसी सरकार को भंग नहीं किया। *...(व्यवधान)* अब आप नागालैंड की बात कर रहे हैं। *...(व्यवधान)* वह सरकार ऐसी थी, *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक महत्वपूर्ण मामला है। इस मामले पर इस प्रकार चर्चा करें जो कि इस सभा की मर्यादा के अनुकूल हो।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष महोदय, इस सदन में 1967 से लेकर दल-बदल के बारे में चिन्ता होती रही है। हमने कई कानून सोचे हैं, कई कमेटियां बनी हैं, जिसमें मैं भी रहा हूं और शायद आप भी कहीं रहे होंगे। हमने एक कानून बनाया और उस कानून में हमने एक स्पीलिट की व्यवस्था कर दी, जिसके कारण रिटेल में तो डिफेक्शन अपराध हो गया, लेकिन होल-सेल में जो डिफेक्शन है, वह क्षम्य है, यह मान लिया गया। हमारी सरकार ने *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, वे एक वक्तव्य दे रहे हैं। उन्हें इसके स्वीकृत किए जाने पर बोलना चाहिए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मिस्त्री जी, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: एनडीए की सरकार के समय सब लोगों ने मिल करके *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): इसका जवाब दोनों तरफ से दिया जा सकता है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम सुन रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री आडवाणी जी, गुणावगुण पर न बोलें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह व्यग्रता क्यों है? मैं आपको बता दूं कि मैं आपको पूरा अवसर दूंगा। श्री आडवाणी जी कृपया इसे स्वीकृत किए जाने के बारे में बोलिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, मैं उसके गुणावगुण पर नहीं जा रहा हूं। इस परिस्थिति के तीन पहलू हैं। मैं स्वयं को गोवा की परिस्थितियों तक ही सीमित रख रहा हूं जिनके बारे में मैं यह कहूंगा कि...* लोकतान्त्रिक तरीके से चुनी गई एक सरकार को सभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा गया, लेकिन उसके बहुमत सिद्ध करते ही *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: अध्यक्ष महोदय, वहां क्या करते? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बंसल, क्या आप इसे स्वीकृति प्रदान किए जाने के बारे में कुछ कहना चाहते हैं?

श्री पवन कुमार बंसल: जी हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: आडवाणी जी, कृपया स्वीकृति प्रदान किए जाने के बारे में बोलिए, गुणावगुण के बारे में नहीं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, दूसरी परिस्थिति यह है कि संसद द्वारा स्वीकृत किए गए दल-बदल विरोधी कानून को एक गलत उपकरण के माध्यम से सदस्यों को विधान सभा से त्याग-पत्र दिलाकर 40 सदस्यीय सभा को 34 सदस्यीय बनाकर दोषपूर्ण बना दिया गया *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे केवल स्वीकृति दिए जाने के मामले पर ही बोलने का अनुरोध करता हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: आज सरकार में गतिरोध की स्थिति है। पूरा सरकारी प्रशासन पंगु हो गया है। इसलिए मैं यहां सरकार से यह कहना चाहता हूं—व्यक्तिगत रूप से हम गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी तथा प्रधान मंत्री जी से मिल चुके हैं—कि गोवा जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर उसका सर्वोत्तम हल यही है कि हमें सीधे लोगों के पास जाना चाहिए। लोगों के पास जाइए तथा उन्हें निर्णय लेने दीजिए। मैं नहीं जानता कि गोवा में क्या होने जा रहा है। प्रतिदिन ऐसा कुछ नया हो रहा है जो मुझे दुखी करता है, संविधान के इन सब प्रावधानों के साथ जिस प्रकार *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आडवाणी जी, इस समय मैं केवल स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने के बारे में चिंतित हूं। मैं इसके महत्व पर कोई टिप्पणी नहीं करने जा रहा हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: यदि एक राज्यपाल असंवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर देता है तो यह मूल प्रस्ताव के लिए पर्याप्त है। केन्द्र सरकार इस संबंध में अपने

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रही है और यह बात स्वयं में पर्याप्त है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे यहां बैठने के कारण निर्णय तो लेना ही पड़ेगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मूल बात यह है कि लोग इसे लेकर बहुत आंदोलित हैं। यह सभा भी यह महसूस करती है कि सबसे पहले लिया जाने वाला तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा यही है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, जब आपने शुरू कर दिया है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मैं इस मामले को विनियमित करने का प्रयास करूंगा। आप स्वयं चुने हुए समय पर नहीं बोल सकते हैं। कृपया बैठ जाइए। मैं सभा के नेता से बोलने के लिए कह रहा हूं। यदि आप बोलना चाहते हैं तो मैं आपको सुनूंगा। मैं आपसे केवल इसे स्वीकृति दिए जाने के संबंध में बोलने के लिए ही कह रहा हूं।

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): अध्यक्ष महोदय, सभा के सामने अभी यह विषय है कि स्थगन प्रस्ताव की सूचना स्वीकार्य है या नहीं। आपको यह निर्णय लेना है कि कुछ माननीय सदस्यों द्वारा दी गई स्थगन प्रस्ताव की सूचना स्वीकार्य है या नहीं। मैं स्थगन प्रस्ताव की स्वीकार्यता पर टिप्पणी नहीं करने जा रहा हूं। मुझे केवल दो बातें कहनी हैं। विपक्ष के नेता ने मेरा उल्लेख किया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने स्वीकार्यता के अलावा बहुत सी अन्य बातें कही हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी: विपक्ष के नेता ने कहा है कि उन्होंने मुझसे बात की थी, उन्होंने गृह मंत्री जी से बात की थी और उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात की थी। यदि उन्होंने मेरा उल्लेख नहीं किया होता तो मैं स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर कोई टिप्पणी करने के लिए खड़ा नहीं होता। लेकिन मेरा बहुत आदरपूर्वक यह कहना है कि शुरूआत की भी शुरूआत होती है। गोवा में जो कुछ हुआ वह निश्चित रूप से खेदजनक है और हमें इस बात का दुख है कि उस राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हुई है। लेकिन, राज्यपाल के निर्णय पर चर्चा करने से पूर्व हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि स्वयं विधान सभा में क्या हुआ था।

जब विश्वास मत प्राप्त करने की मांग की गई और जब राज्यपाल अध्यक्ष महोदय के सचिवालय से विधान सभा की सदस्य संख्या के बारे में जानना चाहते थे तब अध्यक्ष महोदय ने राज्यपाल को सदस्यों की एक सूची भेजी। जब उन्हें विश्वास मत प्रस्ताव के बारे में निर्णय लेने के लिए कहा गया था तो अचानक यह पाया गया कि एक सदस्य को बर्खास्त कर दिया गया है और अंततः उसे सभा से बाहर भी निकाल दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: इस बात में नहीं जाना चाहिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या स्वीकार्यता के लिए यह प्रासंगिक है?

श्री प्रणब मुखर्जी: कृत्रिम बहुमत साबित करने का प्रयास किया गया था। इसलिए राज्यपाल के कार्य पर चर्चा करने से पूर्व हमें इस पहलू को भी देखना चाहिए।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल): आडवाणी जी को बोलने का अवसर नहीं दिया गया था, उनकी बात में लगातार व्यवधान उत्पन्न किया जाता रहा।

अध्यक्ष महोदय: वे जो कुछ बोलना चाहते थे मैंने उन्हें वह सब बोलने की अनुमति दी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे अपील करता हूं। सभा में थोड़ा शिष्टाचार बनाए रखें और आप एक-एक करके बोलें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप हमेशा अध्यक्षपीठ को निदेश देते रहते हैं। कृपया ऐसा न करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने राज्यपाल का उल्लेख किया है। मुझे यह देखना पड़ेगा कि यह कहां तक स्वीकार्य है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: जब आडवाणी जी बोल रहे थे तो आप उन्हें याद दिला रहे थे कि उन्हें केवल स्वीकार्यता पर बोलना चाहिए। आप सभा के नेता को यह बात याद क्यों नहीं दिला रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): अध्यक्ष महोदय, आपने उनकी पूरी बात सुन ली, लेकिन जब आडवाणी जी बोल रहे थे, उस समय ये चार बार खड़े हुए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने जो कुछ कहा है वह रिकार्ड में है। कृपया हमेशा अध्यक्षपीठ को निदेश न देते रहें।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: वे अध्यक्षपीठ को निदेश दे रहे हैं, हमें नहीं।

अध्यक्ष महोदय: चाहे कोई भी ऐसा करे मुझे बुरा लगता है। आप निश्चित रूप से कार्य करने के किसी तरीके का सुझाव दे सकते हैं। अभी तक में स्वीकार्यता के बारे में सुनना चाहता था। मेरा विचार, मेरी राय, मेरा निर्णय यह है कि स्थगन प्रस्ताव की यह सूचना स्वीकार्य नहीं है। यदि आप सुनने को तैयार हैं तो मैं अपना निर्णय दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अगर इनको ऐडजर्नमैंट मोशन पर बहस करने में कोई ऐतराज नहीं है तो क्या दिक्कत है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

जब कांग्रेस पार्टी यह करती है कि उसे चर्चा पर कोई आपत्ति नहीं है तो समस्या क्या है?

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): गोवा में जनतंत्र की बर्बादी कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: गोवा में जनतंत्र की हत्या हुई है। हम मूक दर्शक नहीं बने रह सकते। *...(व्यवधान)* हम यहां पर कोई तमाशायी नहीं हैं।

जनतंत्र की हत्या हो जाये, जनतंत्र का खून हो जाये और क्या हम यहां केवल तमाशायी बनेंगे? *...(व्यवधान)* हम सिर्फ देखते नहीं रह सकते। *...(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का सवाल है।

*...(व्यवधान)**

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, क्या मैं एक अनुरोध कर सकता हूं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा): अध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक सरकार को भंग कर दिया जाये, बर्खास्त कर दिया जाये, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। *...(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, गोवा के बाद उत्तर प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड होगा। *...(व्यवधान)* आप सारे हिन्दुस्तान में जनतंत्र की हत्या करेंगे *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मैं आपकी इच्छाओं का सम्मान करता हूं। कृपया मेरी बात सुनिए। मुझे थोड़ा सा अवसर दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदय, वहां लोकतंत्र की हत्या की गयी है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप तभी बोलिए जब मैं आपसे बोलने का अनुरोध करूं या इसकी अनुमति दूं। क्या इस समय आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिये। मुझे बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप सब थोड़ा शांत रहिये।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, आप दूसरे माननीय सदस्यों की बात भी सुनिये। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, आप हमें भी सुनिये। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, यह संविधान की मर्यादाओं के खिलाफ है। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, आप एडजर्नमैंट मोशन स्वीकार न करें, लेकिन आप गवर्नर के आसन के दुरूपयोग पर चर्चा तो कराइये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आपने किसी स्थगन प्रस्ताव की सूचना नहीं दी है। आप किसी अन्य के प्रस्ताव पर नहीं बोल सकते।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: हमने नहीं दिया लेकिन आप इस पर चर्चा तो कराइये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण मैं उठाए गए मुद्दे का महत्व कम नहीं कर रहा हूं। यदि इस पर सभा में चर्चा होती है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: आप दूसरे माननीय सदस्यों को बोलने का समय दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)* हमें बोलने का समय नहीं देते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया सुनिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिये।

...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा मामला है जिससे सभी राज्य सरकारें प्रभावित होंगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत दुख की बात है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मोहन सिंह, मैं आपसे ऐसी आशा नहीं करता। कृपया सुनिए। मैंने स्वयं यह कहा है कि एक महत्वपूर्ण मामला है जिस पर सभा में चर्चा की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, जिस तरह गवर्नर के आसन का दुरूपयोग हो रहा है, उस पर चर्चा कराई जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इस समय इस आसन पर बैठा हुआ केवल इस स्थगन प्रस्ताव की स्वीकार्यता के बारे में चिंतित हो रहा हूं। मैं विनिर्णय दे रहा हूं। इसकी अनुमति नहीं है। यह स्वीकार्य क्यों नहीं है। यहां अन्य नियम लागू है। आप चर्चा के उद्देश्य से उन नियमों का आश्रय ले सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, आप दूसरे माननीय सदस्यों को भी सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह कोई रूल नहीं है।

[अनुवाद]

मुझे मत सिखाइए।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: इसे केवल स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से ही किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं सभी पक्षों के वरिष्ठ नेताओं से अपील कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रत्येक माननीय सदस्य से अपील कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न है—सुनामी आपदा पर प्रश्न संख्या एक।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, सुनामी आपदा पर प्रश्न कराइए। *...(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.15 बजे

(इस समय श्रीमती किरण माहेश्वरी और अन्य सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.15$^{1}/_{2}$ बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पूर्वाह्न 11.30 बजे

लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय

स्थगन प्रस्ताव के बारे में सूचना

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण मैं विभिन्न दलों के माननीय नेताओं का आभारी हूं। वे आए और मुझसे मेरे कक्ष में मिले। सभी पक्षों की ओर से यह अनुरोध था और सभी इस बात पर सहमत थे कि सभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया जाए। लेकिन सभा के स्थगन की घोषणा करने से पूर्व मैं स्थगन प्रस्ताव के संबंध में एक विनिर्णय देना चाहता हूं।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके निर्णय से बंधा हूं। लेकिन मैंने भी एक विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी और यदि आप अनुमति दें तो मैं यहां उसका उल्लेख करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: आप यह कल कर सकते हैं क्योंकि अब यह सभा स्थगित होने जा रही है।

श्री किन्जरपु येरननायडु: ठीक है, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मुझे श्री लाल कृष्ण आडवाणी से गोवा के मुख्य मंत्री श्री मनोहर पारीकर की समुचित रूप से चुनी गई सरकार को गोवा के राज्यपाल द्वारा बर्खास्त कर दिए जाने के संबंध में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की इच्छा के बारे में सूचना प्राप्त हुई है।

मैंने इस सूचना की स्वीकार्यता के मुद्दे पर माननीय श्री आडवाणी व कुछ अन्य माननीय सदस्यों को सुना। लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 56 के अनुसार स्थगन प्रस्ताव एक असाधारण उपकरण है, जो यदि स्वीकार्य हो जाए तो अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी निश्चित विषय पर चर्चा करने हेतु सभा के सामान्य कार्यों को स्थगित कर दिया जाता है।

नियम 56 को नियम 58 के उप-नियमों (सात) और (आठ) के साथ पढ़ा जाना चाहिए और इस प्रकार पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी निश्चित विषय हेतु सभा में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के संबंध में निम्नलिखित पाबंदियां लागू होती हैं:

> "प्रस्ताव किसी ऐसे विषय के संबंध में नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णयन के अंतर्गत हो, और प्रस्ताव में कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठाया जायेगा जो संविधान या इन नियमों के अंतर्गत महासचिव को लिखित सूचना देकर अलग प्रस्ताव द्वारा ही उठाया जा सकता हो।"

मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि मुझे सरकार से यह सूचना मिली है इस संबंध में 2005 की रिट याचिका (सी) संख्या 78, मनोहर पारीकर बनाम गोवा राज्य व अन्य, माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है। यह मामला न्यायाधीन है।

मैं सभा को यह भी बता दूं कि पूर्व में 27 नवम्बर, 1996 को विपक्ष के तत्कालीन नेता, श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा चार अन्य माननीय सदस्यों ने अन्य बातों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा की गई असंवैधानिक कार्यवाही और राज्य में राष्ट्रपति शासन को जारी रखे जाने के मुद्दे उठाए जाने हेतु स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसे अध्यक्षपीठ ने अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया था कि यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।

कौल एण्ड शकधर, पृष्ठ 512 के अनुसार समय-समय पर अध्यक्षों द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल के कार्य से संबंधित मुद्दों को स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से नहीं उठाया जा सकता।

इन तथ्यों को देखते हुए, मैं स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अपनी सहमति नहीं देता हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

सुनामी आपदा

*1. **श्री अवतार सिंह भडाना:***
श्री ब्रजेश पाठक:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सुनामी के कारण हुई जान-माल की हानि का किसी केन्द्रीय दल ने मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अब तक दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) राहत एवं बचाव कार्यों के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए यदि कोई वित्तीय पैकेज है तो उसका ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सुनामी प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई सहायता के दुरूपयोग के काफी मामले सामने आए हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ज) क्या सरकार ने सुनामी राहत कार्यों के लिए एक राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा एक एकीकृत कमान की स्थापना की है अथवा करने का विचार है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) ऐसे प्राधिकरण के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ञ) सुनामी प्रभावित राज्यों आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु तथा पांडिचेरी और अंडमान तथा निकोबार संघ शासित प्रदेशों में स्थिति की समीक्षा करने तथा निधियों की आवश्यकता हेतु केन्द्रीय दल प्रतिनियुक्त किए गए थे। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा यथा सूचित जान हानि और सम्पत्ति को हुए नुकसान के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए हैं।

2. भारतीय तट पर सुनामी लहरों के कहर के बारे में प्रथम सूचना प्राप्त होने के तत्काल पश्चात् राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों तथा केन्द्र सरकार की सम्पूर्ण मशीनरी को तुरन्त कार्रवाई हेतु सक्रिय कर दिया गया था। गृह मंत्रालय, नोडल मंत्रालय होने के कारण प्रभावित क्षेत्रों के साथ राहत, कार्रवाई तथा पुनर्वास उपायों का समन्वय करने के साथ-साथ रक्षा मंत्रालय/सशस्त्र सेना तथा अन्य राज्यों और गैर-सरकारी संगठनों सहित आपातकालीन सहायता उपलब्ध करवाने वाले केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ भी समन्वय स्थापित करता रहा है। इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों का तुरन्त सर्वेक्षण किया गया। उप राज्यपाल के अधीन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हेतु सेना तथा सिविल प्राधिकरणों से प्रतिनिधियों को शामिल करके एक समेकित राहत कमान गठित की गई। सशस्त्र सेना की सहायता से तलाशी तथा बचाव आपरेशन शुरू किए गए। बचाव और राहत आपरेशन सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक तथा केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के लगभग 20,900 कार्मिकों की सहायता से चलाया गया। मुख्य भूमि में 1000 से अधिक चिकित्सा कार्मिकों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग 200 डाक्टरों/पैरा मेडिकोस को तैनात किया गया। इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय के दो चिकित्सा फर्स्ट रिसपोन्डर

टीमों को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भेजा गया था। देश के विभिन्न भागों में राहत केन्द्रों का पता लगाया गया तथा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक राहत सामग्री की शीघ्र आपूर्ति हेतु उनको नामित किया गया। राहत और बचाव आपरेशनों के प्रभावशाली समन्वय के लिए प्रभावित क्षेत्रों में गृह मंत्रालय के अधिकारियों को तैनात किया गया।

3. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक ग्रुप ने सतत आधार पर राहत और पुनर्वास प्रयासों की समीक्षा की। मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति ने भी स्थिति का जायजा लेने के लिए रोजाना बैठक की तथा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सहायता भिजवाई। स्थिति को दिन-रात मानिटर करने तथा तलाशी और बचाव हेतु आवश्यक संसाधन जुटाने तथा तदुपरान्त राहत और पुन: स्थापन कार्य के लिए गृह मंत्रालय में नियंत्रण कक्ष को सुदृढ़ किया गया। सशस्त्र बलों की संभारिकी सहायता हेतु रक्षा मंत्रालय के समेकित रक्षा स्टाफ (आई डी एस) आपरेशन कक्ष रात-दिन कार्य किया।

4. प्राकृतिक आपदाओं की घटना के समय आपातकालीन कार्रवाई हेतु राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर संस्थागत तंत्र मौजूद है। हालांकि, बचाव और राहत आपरेशन चलाना राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है, परन्तु स्थिति का कारगरता से मुकाबला करने के उनके प्रयासों में मदद करने के लिए भारत सरकार को हरसम्भव सहायता उपलब्ध करवाती है। सुनामी आपदा में बचाव और राहत के लिए प्रभावित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है।

5. आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी के लिए भारत सरकार द्वारा राहत और पुनर्वास उपायों हेतु 2822.17 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज अनुमोदित किया गया है। इसमें मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए 1184.84 करोड़ रुपए, फिशिंग हार्बर और लेन्डिंग स्थानों के लिए 23.21 करोड़ रुपए, स्थायी मकानों के निर्माण के लिए 752.30 करोड़ रुपए तथा तुरन्त राहत और कार्रवाई के लिए 861.82 करोड़ रुपए शामिल हैं। अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में सुनामी प्रभावित क्षेत्रों के लिए 821.88 करोड़ रुपए का राहत पैकेज भी अनुमोदित किया गया है। इन पैकेजों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II पर दिए गए हैं। दीर्घकालीन पुनर्वास, आधारभूत संरचना पुनर्निर्माण सहित जिनके घर तबाह हो गए हैं उनके लिए बहु जोखिम रहित स्थायी मकान उपलब्ध करवाने की योजना बनाने तथा उसके लिए प्रावधान करने हेतु योजना आयोग के अंतर्गत एक कोर ग्रुप गठित किया गया है।

6. इस मंत्रालय में सुनामी प्रभावित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को प्रदान की गई सहायता के दुरूपयोग के बारे में कोई मामला सूचित नहीं किया गया है।

7. आपदाओं का मुकाबला करने के लिए तैयारी और क्षमता निर्माण सुनिश्चित करने हेतु तंत्र के अलावा न्यूनीकरण उपाय करने के लिए अपेक्षित संस्थागत तथा समन्वय तंत्र और शक्तियां उपलब्ध करवाने की दृष्टि से अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की स्थापना हेतु संसद में आपदा प्रबंधन विधेयक, 2005 पेश करने का प्रस्ताव है। उस अंतरिम अवधि, जब तक यह विधेयक पास नहीं हो जाता, के लिए प्रशासनिक आदेश से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित किया जा रहा है।

विवरण I

ब्यौरे	आंध्र प्रदेश	केरल	तमिलनाडु	पांडिचेरी	अंडमान और निकोबार	कुल
मारे गए व्यक्ति	105	171	8009	593	1395	10273
गुमशुदा व्यक्ति	11	शून्य	शून्य	48	5764	5823
प्रभावित रिहाईशी इकाईयां	481	17382	190000	10062	21100	239024
पशु हानि	89	शून्य	5500	2685	27331	35605
तबाह फसल क्षेत्र (हैक्टेयर)	596	7763	2589	792	11010	22750
तबाह नावें (सं.)	12189	10882	52638	6678	1401	83788

विवरण II

सुनामी प्रभावित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों हेतु राहत पैकेज को दर्शाने वाला विवरण

(रु. करोड़ में)

राज्य	सी आर एफ/एनसी सीएफ	अन्य मंत्रालय	मत्स्य क्षेत्र		फिशिंग हार्बर अनुदान	आवास	कुल
			इमदाद	ऋण			
आंध्र प्रदेश	19.53	13.00	27.66	7.51	–	2.30	70.00
केरल	8410	23.21	44.85	13.07	50.00	249.36	
तमिलनाडु	617.20	62.50	441.08	566.47	9.94	650.00	2347.19
उप जोड़	720.83	98.71	513.59	608.11	23.01	702.30	2666.55
पांडिचेरी	39.78	2.5	32.01	31.13	0.20	50.00	155.62
कुल जोड़	760.61	101.21	545.60	639.24	23.21	752.30	2822.17

टिप्पणी: मत्स्य क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए गए अतिरिक्त 91.13 करोड़ रुपए शामिल हैं (तमिलनाडु 84.54 करोड़ रुपए, केरल 3.42 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश 1.01 करोड़ रुपए और पांडिचेरी 2.16 करोड़ रुपए)।

सी आर एफ: आपदा राहत निधि एन सी सी एफ: राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

(रु. करोड़ में)

कवर की गई सहायता	धनराशि	टिप्पणी
(क) सी आर एफ/एन सी सी एफ मानदंडों के अनुसार	313.19	पेय जल आपूर्ति विभाग के बजट में से ए आर डब्ल्यू एस पी से 15.37 करोड़ रुपए इसमें शामिल हैं।
(ख) मात्रा की छूट के साथ मानदंडों के अंतर्गत कवर की गई सहायता	215.65	एस जी आर वाई के अंतर्गत 7.50 करोड़ के 7,500 मीट्रिक टन खाद्यान्न (चावल) इसमें शामिल हैं।
1. विशेष पैकेज के साथ मानदंडों के अंतर्गत कवर की गई सहायता		
(1) आर्थिक गतिविधि का पुनरुद्धार		
(क) मछुवारे	15.01	
(ख) कृषि	239.54	
(2) अनाथ, विधवा, अपंग, अविवाहित लड़कियों का पुनर्वास	8.60	
(3) प्रशासनिक और आधारभूत संरचना गतिविधि का तत्काल पुन: स्थापन	29.89	
कुल योग	821.88	

ए आर डब्ल्यू एस पी: संवर्द्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम।

एस जी आर वाई: संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना।

[अनुवाद]

विस्थापित आदिवासियों का पुनर्वास

*2. **श्री सुनिल कुमार महतो:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जनजातीय समुदायों को बड़े पैमाने पर अपने मूल निवास से विभिन्न कारणों से विस्थापित किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस प्रवृत्ति को रोकने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(घ) सरकार द्वारा विस्थापित जनजातियों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इस संबंध में राज्य-वार अब तक कितनी प्रगति हुई?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) जी, हां। जनजातीय समुदायों को अन्य बातों के साथ-साथ विकासात्मक परियोजना सहित विभिन्न कारणों से उनके पारंपरिक आवासों से विस्थापित और अपवर्तित किया गया है। "भूमि" और उसका प्रबंधन पूर्णतया संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासनिक और संवैधानिक कार्यक्षेत्र में आता है, अत: सूचना विशिष्ट राज्य से संबंधित है। ग्रामीण विकास मंत्रालय से (मार्च, 2004 की स्थिति) जनजातीय भूमि के अपवर्तन संबंधी एकत्रित सूचना नीचे दी गई है:

क्र.सं.	राज्य	कोर्ट में लंबित मामले	क्षेत्र (एकड़ में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	7663	31324
2.	असम	1992	4192
3.	बिहार*	9773	9742
4.	गुजरात	7526	19633
5.	कर्नाटक	4061	15352
6.	मध्य प्रदेश@	24210	61275
7.	महाराष्ट्र	1010	लागू नहीं
8.	उड़ीसा	837	896
9.	राजस्थान	411	1526
10.	त्रिपुरा	38	21

*झारखंड सहित
@छत्तीसगढ़ सहित

(ग) और (घ) "भूमि" राज्य का विषय होने से अधिकांश राज्यों, यथा आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने जनजातीय भूमि का अपवर्तन रोकने के लिए कानून लागू कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई है और सभी राज्यों को भेजी गई है। इस नीति में अनुसूचित जनजातियों सहित सभी विस्थापित लोगों को न्यूनतम लाभ सुनिश्चित करने का प्रावधान है। इस नीति में अनुसूचित जनजातियों के लिए और अधिक उदार पुनर्वास पैकेज का प्रावधान है।

पाठ्य पुस्तकों में आपदा प्रबंधन विषय को शामिल करना

*3. **श्री प्रबोध पाण्डा:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम में विशेष रूप से कक्षा दस और विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में भी आपदा प्रबंधन संबंधी विषय में सुनामी की जानकारी को शामिल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से इस विषय संबंधी पाठ्यक्रम तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पाठ्यक्रम को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2003-04 के दौरान कक्षा-8 में और तदुपरांत, वर्ष 2004-05 के दौरान कक्षा-9 में सामाजिक विज्ञान में मुख्य पाठ्यचर्या के एक भाग के रूप में आपदा-प्रबंधन विषय को शामिल किया था। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शैक्षिक वर्ष 2005-06 से कक्षा-10 में आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने जा रहा है। आपदा-प्रबंधन पाठ्यक्रम में सुनामी पर ''सुनामी-घातक लहरें'' नामक एक अध्याय को शामिल किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय स्तर पर आपदा प्रबंधन पर एक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया है।

(ग) और (घ) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) के सहयोग से एक पाठ्यचर्या तैयार की गई है। इस पाठ्यक्रम में निम्नलिखित जानकारियां शामिल हैं:-

(1) प्राकृतिक तथा मानवजनित आपदाओं के संबंध में बुनियादी जानकारी

(2) आपदा संबंधी जानकारी

(3) आपदा निवारण

(4) आपदा राहत

(5) विद्यालय तथा समुदाय हेतु आपदा प्रबंधन योजनाएं।

(ङ) इस पाठ्यक्रम को कक्षा-10 में अप्रैल, 2005 से प्रारंभ किया जाएगा।

[हिन्दी]

शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश और शुल्क ढांचे को विनियमित करने हेतु विधान

***4. श्री प्रभुनाथ सिंह:**
श्री बाडिगा रामकृष्णा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से उच्च शिक्षा और गैर-सरकारी स्व-वित्त पोषित संस्थाओं में प्रवेश और शुल्क ढांचे को विनियमित करने हेतु एक केन्द्रीय विधान बनाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मुद्दे पर विचार करने के लिए हाल ही में राज्यों के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्रियों की एक बैठक हुई थी;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में मनमानी और कदाचार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार को कर्नाटक, केरल और राजस्थान राज्य सरकारों से निजी स्व-वित्तपोषित व्यावसायिक शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश और शुल्क ढांचे को विनियमित करने हेतु केन्द्रीय विधान बनाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ग) से (ङ) जी, हां। बंगलौर में 10-11 जनवरी, 2005 को आयोजित सम्मेलन में राज्यों के उच्चतर और तकनीकी शिक्षा मंत्रियों में अन्य बातों के साथ-साथ इस संबंध में केन्द्रीय विधान बनाने के लिए व्यापक सहमति बनी थी। संबंधित विभागों द्वारा संवीक्षा के लिए विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया है और इसे स्टेकहोल्डरों तथा सभी राज्य सरकारों को व्यावसायिक शैक्षिक संस्थानों की मनमानी और कदाचार को रोकने के लिए अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु परिचालित कर दिया गया है।

व्यापार घाटा

***5. श्री रामजीलाल सुमन:**
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में बढ़ते हुए आयात के कारण व्यापार घाटे में निरंतर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा अब तक कितना/कितने मूल्य का निर्यात/आयात हुआ है;

(ग) क्या व्यापार सन्तुलन बनाए रखने के लिए उपाय किए गए हैं तथा सरकार का इस व्यापार घाटे की पूर्ति किन स्रोतों से करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का आयात क्षेत्रों में स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) चालू वित्त वर्ष 2004-05 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान पण्यवस्तु व्यापार घाटा, पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए 13.5 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 22.7 बिलियन अमरीकी डालर रहा था।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान पण्यवस्तु व्यापार घाटे में वृद्धि का प्रमुख कारण, तेल आयातों में दर्ज की गई 40% की वृद्धि के साथ तेल की कीमत में वृद्ध होना रहा था। इसका एक सहवर्ती कारण अर्थव्यवस्था, विशेषकर निर्माण तथा निर्यात क्षेत्र में प्रभावी विकास होना रहा है। सी एस ओ के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2004-05 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.9% का विकास होने की संभावना है। विनिर्माण क्षेत्र में 8.9% (अप्रैल-नवम्बर, 2004-05) तथा निर्यात क्षेत्र में 25.6% की वृद्धि (अप्रैल-जनवरी, 2004-05) दर्ज की गई है। परिणामत: वित्त वर्ष के प्रथम 10 महीनों के दौरान निर्यात 60 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर से अधिक हो गए हैं। आर्थिक विकास में विनिर्माण क्षेत्र हेतु कच्ची सामग्री एवं मध्यवर्ती उत्पादों के लिए बढ़ती मांग शामिल होती है।

(ग) और (घ) आयातों को प्रतिबंधित करने अथवा व्यापार में कृत्रिम रूप से संतुलन लाने के लिए कोई उपाय नहीं है जिससे अर्थव्यवस्था के विकास में रुकावट आ सकती है अथवा स्फीतिकारी दबावों में वृद्धि हो सकती है। एक महत्वपूर्ण कार्यनीति, निर्यातों का अधिकतम सीमा तक संवर्धन करना है। अगस्त, 2004 में घोषित विदेश व्यापार नीति का उद्देश्य वर्ष 2009 तक वैश्विक व्यापार में भारत के प्रतिशत हिस्से को दोगुना करना है। हमारे प्रयासों के परिणामस्वरूप, चालू वित्त वर्ष में अब तक हमारे निर्यातों में 25.6% की वृद्धि हुई है।

(ङ) और (च) विदेश व्यापार नीति का उद्देश्य व्यापार को आर्थिक विकास तथा रोजगार के सृजन हेतु एक प्रभावशाली साधन भी बनाना है। इस उद्देश्य को संकेंद्रित कार्यनीतियों द्वारा प्राप्त करने का प्रस्ताव है जिनमें अन्य बातों के साथ नियंत्रणों को समाप्त करना तथा व्यावसायिकों, उद्योगपतियों और व्यापारियों की स्वाभाविक उद्यमिता को उभारने के लिए विश्वास एवं पारदर्शिता का वातावरण तैयार करना शामिल है। आशा है कि ऐसे उपायों एवं कार्यनीतियों से आयातक क्षेत्रों सहित प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रमंडल खेल-2010

*6. **श्रीमती सुमित्रा महाजन:**
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 के आयोजन हेतु भारतीय ओलंपिक संघ को अपने उत्तरदायित्वों के संबंध में निदेश/अनुदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रमंडल खेलों के लिए समिति के गठन के बारे में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ कोई विवाद है जैसा कि 20 जनवरी, 2005 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने राष्ट्रमंडल खेल-2010 के आयोजन से संबंधित कार्य के समन्वयन के लिए मंत्रियों का एक कोर समूह (जी.ओ.एम.) गठित किया है। इस संबंध में मंत्रियों के कोर समूह ने निम्नलिखित रूप से संगठनात्मक ढांचा तैयार करने का निर्णय लिया है:-

1. खेलों के निरीक्षण और समन्वयन के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के केन्द्रीय मंत्री की अध्यक्षता में शीर्ष समिति का गठन।

2. खेलों के आयोजन के लिए अध्यक्ष, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षता में आयोजन समिति।

3. सभी वित्तीय मामलों के निरीक्षण और निपटान के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के कोर समूह की एक तीन सदस्यीय उप समिति।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित व्यवस्थाओं का अनुमोदन किया गया है:

(क) खेलों के संबंध में सुरक्षा, कानून और व्यवस्था के विशिष्ट संदर्भ तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में सभी तरह की जिम्मेदारी दिल्ली के उप राज्यपाल की होगी।

(ख) गठन के अनुसार दिल्ली के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उप समिति होगी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले अन्य सभी मुद्दों की देखरेख करेगी।

(ग) राष्ट्रमंडल खेलों के संबंध में मंत्रियों के समूह के निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति (सी.ओ.एस.) जिम्मेदार होगी। खेल विभाग अपने सचिव के माध्यम से इस समिति के कार्य करेगा।

(ग) विभिन्न संबंधित मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं लेकिन ऐसा कोई विवाद नहीं है।

(घ) 29 जनवरी, 2005 को मंत्रियों के समूह द्वारा पहले ही निर्णय ले लिए गए हैं।

समुद्री वस्तुओं के निर्यात पर राजसहायता

*7. **डा. के.एस. मनोज:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्री वस्तुओं के निर्यात के लिए एम.पी.ई.डी.ए. के माध्यम से राजसहायता देने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राजसहायता प्राप्त करने के लिए पात्रता के मानदंड क्या हैं;

(घ) क्या निर्धारित प्रावधानों के अपवाद स्वरूप राजसहायता देने की घटनाएं हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन निर्यातकों का ब्यौरा क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी राजसहायता प्रदान की गयी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 में एम्पीडा के जरिए समुद्री उत्पाद निर्यातकों को वित्तीय अथवा अन्य सहायता देने का प्रावधान है।

(ग) वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्रता का मानदंड यह है कि लाभ प्राप्तकर्त्ता अर्थात् निर्यातक/समुद्री खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र/प्रसंस्करण केन्द्र को एम्पीडा के पास वैध रूप से पंजीकृत होना चाहिए और किसी विशेष स्कीम जिसके लिए सहायता मांगी गई हो, से संबंधित विशिष्ट शर्तों को पूरा करता हो। इनके अतिरिक्त जीवित समुद्री उत्पादों और अलंकारिक मछलियों के पंजीकृत निर्यातक भी विशिष्ट निर्यात संवर्द्धन स्कीमों के लिए पात्र हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दूसरा दिल्ली वित्त आयोग

*8. **श्री पवन कुमार बंसल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अनुदान सहायता निर्धारित करने के लिए क्या प्रणाली अपनायी गयी है;

(ख) क्या दूसरे वित्त आयोग ने यह सिफारिश की थी कि संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के कर राजस्व का 17 प्रतिशत भाग नगर निगम और एक प्रतिशत भाग पंचायती राज संस्थानों को दिया जाए;

(ग) यदि हां, तो चंडीगढ़ में नगर निगम और पंचायती राज संस्थाओं को गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी धनराशि दी जानी थी और वास्तव में कितनी धनराशि दी गई;

(घ) वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अनुदान जारी न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि नगर निगम और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किये गये कार्य चंडीगढ़ में प्रदान की गयी कुल नगरीय सेवाओं का प्रमुख हिस्सा है; और

(च) यदि हां, तो प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान भारत की संचित निधि में प्रत्येक वर्ष कुल कितना राजस्व प्रदान किया गया तथा उन्हें कितनी अनुदान राजसहायता प्रदान की गयी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) गैर-योजना (नान-प्लान) के अधीन संघ राज्य क्षेत्रों की निधियों की जरूरत का आकलन, बजट-पूर्व चर्चाओं में वित्त मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय के साथ परामर्श करके किया जाता है। योजना के अधीन निधियों की जरूरत पर योजना आयोग में चर्चा की जाती है और योजना आयोग द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना में क्षेत्र-

वार आवंटन का अनुमोदन किया जाता है तथा उसकी सूचना दी जाती है।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) यदि दूसरे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया जाता जो गत तीन वर्षों के दौरान नगर निगम और पंचायती राज संस्थाओं को जो राशि देय होती तथा जो राशि भुगतान की गई है वह निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ष	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वसूल किया गया कर राजस्व	चंडीगढ़ नगर निगम और पी आर आई को देय अनुमेय राशि	चंडीगढ़ नगर निगम और पी आर आई को वास्तव में भुगतान की गई राशि
1.	2002-03	409.89	नगर निगम- 69.68 पं.रा.सं.- 4.10	नगर निगम- 52.90 पं.रा.सं.- 6.03
2.	2003-04	458.47	नगर निगम- 77.94 पं.रा.सं.- 4.58	नगर निगम- 72.29 पं.रा.सं.- 8.55
3.	2004-05	500.00 (आर ई)	नगर निगम- 85.00 पं.रा.सं.- 5.00	नगर निगम- 79.76 (बीई) पं.रा.सं.- 6.92

(घ) दूसरे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशें अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं।

(ङ) जी हां, श्रीमान।

(च) गत तीन वर्षों के दौरान भारत की संचित निधि में बिना विधानमण्डल वाले प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अभिदान किया गया कुल राजस्व और उन्हें मंजूर की गई राशि नीचे दर्शाई गई है:-

(करोड़ रुपए में)

संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संचित की गई भारत की संचित निधि में अभिदान किया गया कुल कर और करेतर राजस्व		भारत की संचित निधि से पूरा किया गया व्यय का प्रावधान	
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2002-03	89.66	2002-03	872.15
	2003-04	100.95	2003-04	974.64
	2004-05	106.83 (आरई)	2004-05	1005.00 (आरई)
चंडीगढ़	2002-03	730.64	2002-03	798.65
	2003-04	821.59	2003-04	858.92
	2004-05	917.63 (आरई)	2004-05	969.52 (आरई)
दादरा और नगर हवेली	2002-03	144.83	2002-03	96.89
	2003-04	180.78	2003-04	100.69
	2004-05	191.30 (आरई)	2004-05	106.37 (आरई)

दमन और दीव	2002-03	116.16	2002-03	87.97
	2003-04	145.19	2003-04	94.44
	2004-05	170.68 (आरई)	2004-05	107.80 (आरई)
लक्षद्वीप	2002-03	21.01	2002-03	240.06
	2003-04	22.30	2003-04	209.18
	2004-05	18.97 (आरई)	2004-05	228.31 (आरई)

[हिन्दी]

जनजातियों के कल्याण हेतु योजनाएं

*9. **श्री कैलाश मेघवाल:**
श्री सर्वानन्द सोनोवाल:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश की अनुसूचित जनजातियां अभी भी कथित रूप से काफी पिछड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्तमान में देश में जनजातियों के कल्याण, विशेषकर सामाजिक-आर्थिक, चिकित्सा और उनके हितार्थ अन्य क्षेत्रों में शुरू की गई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित/जारी की गई निधियां/राजसहायता का राज्यवार व योजनावार ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्रीय निधियों के समुचित उपयोग की निगरानी करने और उसका आकलन करने हेतु क्या तरीका अपनाया जा रहा है;

(ङ) सरकार द्वारा जनजातियों के बीच जागरूकता पैदा करने तथा उनको राष्ट्रीय मुख्य-धारा में लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या जनजातियों, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातियों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है ताकि उनके समुदाय की पहचान और संस्कृति की सुरक्षा और संरक्षण किया जा सके और असम राज्य की गैर-जनजातियों को जनजातियों का दर्जा दिया जा सके; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) जी, हां। देश की अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या का मानव विकास सूचकांक सामान्यत: निम्नतम है। उनके पिछड़ेपन के विभिन्न कारण हैं भौगोलिक अलगाव, जनजातीय क्षेत्रों में संपर्क का अभाव एवं मौलिक सुविधाओं की अनुपलब्धता इत्यादि।

(ग) मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं पिछले तीन वर्षों और 31.01.2005 तक वर्ष 2004-05 में प्रत्येक योजना के लिए जारी की गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I से IV में दिए गए हैं।

(घ) कार्यक्रमों की निगरानी, राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकों एवं मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत निरीक्षण के माध्यम से की जाती है। चयनित कार्यक्रमों की निगरानी के लिए स्वतंत्र अभिकरणों के माध्यम से यह मंत्रालय मूल्यांकन अध्ययन भी प्रायोजित करता है।

(ङ) अन्य के अलावा, राज्य सरकारों से वर्ष के प्रारंभ में विशिष्ट रूप से अनुरोध किया जाता है कि वे इस मंत्रालय की योजनाओं और कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार करें। यह मंत्रालय समय-समय पर आयोजित बैठकों एवं सम्मेलनों में वार्षिक रिपोर्टों एवं ब्रोशरों के माध्यम से अलग-अलग योजनाओं की सूचना उपलब्ध कराता है। जनजातियों सहित लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मंत्रालय ''जनजातीय जागरण'' नामक त्रैमासिक सूचना-पत्र भी प्रकाशित करता है।

(च) और (छ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जनजातीय विकास का मार्गदर्शक सिद्धांत है जनजातियों को ऐसी सुविधाएं देना, जिससे वे अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करते हुए अपनी प्रतिभा के बल पर विकास करें। विभिन्न समुदायों को जनजातीय हैसियत प्रदान करने के लिए असम राज्य से मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिस पर अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की गई है।

विवरण I

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2001-02 के दौरान कार्यान्वित योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार निर्मुक्त निधियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम		आंध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	असम	बिहार	छत्तीसगढ़	गुजरात	हिमाचल प्रदेश	जम्मू व कश्मीर	झारखंड	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	मणिपुर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता		2732.80	-	3058.99	556.56	4626.18	3930.91	643.53	971.94	5870.24	771.33	273.70	7833.22	3723.83	761.96
2.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सहायता-अनुदान		2715.35	200.00	845.56	209.35	2086.77	3050.00	78.00	502.94	2208.15	1314.37	117.50	4346.06	2672.50	230.00
3.	अनु. जनजातियों के लिए	गै.स.सं.	315.59	-	87.05	-	12.71	91.98	60.70	36.89	362.15	195.35	111.45	64.68	58.75	70.13
	कोचिंग एवं सम्बद्ध तथा	कोचिंग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.15	-	9.93	-	-
	अनुकरणीय सेवा के लिए	अवार्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	पुरस्कार सहित गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान															
4.	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक	राज्य सरकार	145.16	-	-	-	-	86.27	-	10.07	-	40.50	-	-	-	-
	प्रशिक्षण केन्द्र	गै.स.सं.	52.60	-	21.37	-	7.22	-	-	-	-	-	-	0.82	-	-
5.	कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर		245.29	-	-	-	9.95	19.31	-	-	-	8.16	-	8.50	10.77	-
6.	लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता-अनुदान		520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-
7.	ग्राम अन्न बैंक		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.78	83.18	-
8.	आदिम जनजातीय समूहों का विकास	राज्य सरकार गै.स.सं.	268.45	-	-	-	54.02	325.00	-	-	147.09	122.68	-	4.27	66.48	-
9.	अनु. जनजातीय छात्रों	गै.छात्रवृत्ति	1915.10	-	-	-	-	-	20.27	39.03	-	239.75	92.00	323.18	368.61	737.49
	के लिए पोस्ट्मैट्रिकोत्तर	पुस्तक बैंक	30.29	-	1.995	-	-	4.88	-	-	-	23.94	-	-	-	-
	छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक,	प्रशिक्षण उन्नयन	-	-	8.85	-	-	-	0.15	-	-	-	0.75	-	-	-
	और प्रशिक्षण उन्नयन की योजना															
10.	अनुसूचित जनजातीय लड़कियों तथा लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	लड़कियां लड़के	232.52	10.00	-	-	10.00	31.87	240.05	-	394.80	175.00	22.64	-	285.60	-
11.	जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल		262.50	-	-	-	400.00	157.25	-	-	-	128.00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12.	अनुसंधान, सूचना एवं मास शिक्षा, जनजातीय त्यौहार तथा अन्य	अनुसंधान	2.27	0.44	36.69	-	-	20.00	0.92	-	40.31	0.76	14.90	13.14	16.50	0.44
		बाह्यओं का आदान-प्रदान	-	-	-	-	-	1.86	-	-	-	6.25	-	-	-	-

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2001-02 के दौरान कार्यान्वित योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार निर्मुक्त निधियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम		मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	उड़ीसा	राजस्थान	सिक्किम	तमिलनाडु	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	उत्तरांचल	पश्चिम बंगाल	अंडमान व निकोबार	दमन व दीव	दिल्ली	दादरा व नगर हवेली
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता		-	-	-	6495.30	3649.56	108.02	323.32	1041.03	32.10	92.91	2202.57	230.85	99.15	-	-
2.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सहायता-अनुदान		-	-	-	4104.91	2550.00	239.38	405.00	462.50	176.95	78.05	1406.67	-	-	-	-
3.	अनु. जनजातियों के लिए कोचिंग एवं	गै.स.सं.	359.35	36.82	2.43	235.08	28.23	5.35	34.82	19.94	15.63	27.08	246.41	-	-	121.51	-
	सम्बद्ध तथा अनुकरणीय	कोचिंग	-	-	-	2.49	-	-	-	-	-	-	-	2.79	-	7.14	-
	सेवा के लिए	अवार्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	पुरस्कार सहित गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान																
4.	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक	राज्य सरकार	-	18.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	प्रशिक्षण केन्द्र	गै.स.सं.	-	-	14.46	3.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर		-	-	-	32.52	30.58	-	-	-	6.97	-	10.84	-	-	7.05	-
6.	लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता-अनुदान		47.00	-	-	200.00	251.61	-	-	62.06	-	-	-	-	-	-	-
7.	ग्राम अन्न बैंक		-	-	-	100.00	-	-	-	18.03	-	-	-	-	-	-	-
8.	आदिम जनजातीय समूहों का विकास	राज्य सरकार गै.स.सं.	-	-	-	121.36	-	-	49.54	86.31	23.48	100.00	50.00	-	-	-	-
9.	अनु. जनजातीय छात्रों के	मै.छात्रवृत्ति	732.71	249.00	509.82	-	1110.05	-	3.31	90.79	6.40	166.54	73.63	0.55	-	-	-
	लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति,	पुस्तक बैंक	-	-	-	-	6.00	-	2.06	2.828	-	-	-	-	-	-	-
	पुस्तक बैंक और प्रतिभा	प्रतिभा उन्नयन	-	-	-	10.20	7.05	-	-	2.40	-	-	4.50	-	-	-	-
	उन्नयन की योजना																
10.	अनुसूचित जनजातीय लड़कियों तथा लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	लड़कियां लड़के	-	-	-	55.00	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	50.00	50.00

1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
11.	जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल		-	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-
12.	अनुसंधान, सूचना एवं मास शिक्षा, जनजातीय त्यौहार तथा अन्य	अनुसंधान	-	-	-	62.09	4.53	-	-	25.36	0.44	-	31.21	-	-	-	-
		बालकों का आदान-प्रदान	-	1.63	-	-	-	-	-	1.29	-	-	-	-	-	-	-

विवरण II

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2002-03 के दौरान कार्यान्वित योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार निर्मुक्त निधियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम		आंध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	असम	बिहार	छत्तीसगढ़	गुजरात	हिमाचल प्रदेश	जम्मू व कश्मीर	झारखंड	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	मणिपुर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता		2732.80	-	3058.99	556.56	4626.18	3930.91	643.53	971.94	5870.24	771.33	273.70	7833.22	3723.83	761.96
2.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सहायता-अनुदान		2160.30	300.00	1023.40	209.00	2689.50	2250.00	80.00	318.00	2808.00	904.35	588.00	4052.32	2925.00	424.55
3.	अनु. जनजातियों के लिए	गै.स.सं.	169.33	230.52	122.81	-	13.62	71.45	57.72	74.38	352.70	245.19	58.09	78.77	70.61	124.35
	कोचिंग एवं सम्बद्ध तथा	कोचिंग	8.04	-	1.69	-	-	8.64	2.90	-	-	1.76	-	-	-	-
	अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	अवार्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	5.00	10.00	-	-
4.	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक	राज्य सरकार	-	-	44.26	-	118.95	29.79	-	46.71	-	-	-	-	-	-
	प्रशिक्षण केन्द्र	गै.स.सं.	59.40	4.80	18.99	-	1.40	4.80	-	-	-	27.23	-	44.16	4.80	4.80
5.	कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर		211.83	9.04	-	0.30	9.73	49.30	-	-	-	-	-	92.47	11.13	-
6.	लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता-अनुदान		480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.00	-	-	-
7.	ग्राम अन्न बैंक		117.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	712.16	-	-
8.	आदिम जनजातीय	राज्य सरकार	120.00	-	-	-	188.05	20.00	-	-	-	80.00	3.45	123.87	100.00	5.16
	समूहों का विकास	गै.स.सं.	24.61	-	-	-	10.24	-	-	-	345.00	1.75	-	61.15	27.00	6.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.	अनु. जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक और प्रतिभा उन्नयन की योजना	मै.छात्रवृत्ति	774.88	-	1275.94	-	32.07	-	-	6.50	-	75.38	-	-	165.02	820.11
		पुस्तक बैंक	47.20	-	-	-	8.21	10.25	-	7.00	-	20.00	-	30.13	-	-
		प्रतिभा उन्नयन	12.60	6.45	-	-	21.00	-	-	2.10	-	-	-	25.80	-	-
10.	अनुसूचित जनजातीय लड़कियों तथा लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	लड़कियां	332.50	58.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	862.00	-	-
		लड़के														
11.	जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल		-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.00	-	820.00	-	-
12.	अनुसंधान, सूचना एवं मास शिक्षा, जनजातीय त्यौहार तथा अन्य	अनुसंधान	5.48	0.44	5.31	-	-	6.00	-	0.44	6.00	-	2.50	101.04	6.00	-
		यात्राओं का आदान-प्रदान	2.21	-	-	-	-	1.95	-	-	-	-	1.94	42.50	-	2.08

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2002-03 के दौरान कार्यान्वित योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार निर्मुक्त निधियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम		मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	उड़ीसा	राजस्थान	सिक्किम	तमिलनाडु	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	उत्तरांचल	पश्चिम बंगाल	अंडमान व निकोबार	दमन व दीव	दिल्ली	दादरा व नगर हवेली
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता		-	-	-	6495.30	3649.56	108.02	323.32	1041.03	32.10	92.91	2202.57	230.85	99.15	-	-
2.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सहायता-अनुदान		555.00	24.00	-	3641.60	2224.48	83.00	210.00	665.50	27.00	78.00	1543.00	-	-	-	-
3.	अनु. जनजातियों के लिए	गै.स.सं.	279.39	84.47	40.44	309.90	51.53	15.27	72.46	15.72	46.73	51.03	263.69	-	-	126.58	-
	कोचिंग एवं सम्बद्ध तथा	कोचिंग	-	-	-	4.82	-	-	0.20	-	0.63	2.67	-	-	-	8.79	-
	अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	अवार्ड	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-
4.	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक	राज्य सरकार	-	36.00	-	64.15	-	-	-	54.00	-	-	6.13	-	-	-	-
	प्रशिक्षण केन्द्र	गै.स.सं.	2.40	-	29.56	23.29	-	-	2.40	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर		-	-	-	124.49	34.62	-	0.30	-	11.00	-	42.11	-	-	3.78	-
6.	लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता-अनुदान		100.00	-	-	400.00	119.37	-	-	122.00	-	-	53.63	-	-	-	-

1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
7.	ग्राम अन्न बैंक		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.93	-	-	-	-
8.	आदिम जनजातीय समूहों का विकास	राज्य सरकार	-	-	-	58.5	90.23	-	45.00	15.74	-	10.00	15.00	-	-	-	-
		गै.स.सं.	-	-	-	-	24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	अनु. जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति.	मै.छात्रवृत्ति	805.98	370.98	697.19	-	131.95	-	-	-	-	-	-	1.59	1.05	-	-
		पुस्तक बैंक	-	-	-	5.02	5.20	-	2.64	1.49	-	-	2.8457	-	-	-	-
	पुस्तक बैंक और प्रतिभा उन्नयन की योजना	प्रतिभा उन्नयन	-	-	-	10.20	4.45	7.05	-	2.40	-	-	6.30	-	-	-	-
10.	अनुसूचित जनजातीय लड़कियों तथा लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	लड़कियां	27.50	-	65.00	-	-	-	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-
		लड़के															
11.	जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम	स्कूल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	अनुसंधान, सूचना एवं मास शिक्षा, जनजातीय त्यौहार तथा अन्य	अनुसंधान	-	-	-	3.64	10.78	-	6.97	5.00	-	-	40.40	29.5	-	-	-
		व्यक्तियों का आदान-प्रदान	-	-	-	-	18.73	-	-	1.95	-	-	-	-	-	-	-

विवरण III

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2003-04 के दौरान कार्यान्वित योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार निर्मुक्त निधियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम		आंध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	असम	बिहार	छत्तीसगढ़	गुजरात	हिमाचल प्रदेश	जम्मू व कश्मीर	झारखंड	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	मणिपुर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता		2459.52	-	2753.09	500.90	4405.13	3743.09	612.79	925.50	5283.22	694.19	260.62	7458.93	3351.45	725.55
2.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सहायता-अनुदान		1785.00	200.0	668.87	209.00	2089.00	2280.00	80.00	367.00	2208.00	797.00	158.00	3821.58	2672.00	230.00
3.	अनु. जनजातियों के लिए कोचिंग एवं सम्बद्ध तथा अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	गै.स.सं.	138.21	277.04	70.33	-	19.85	120.59	48.26	20.72	464.72	142.50	40.12	45.54	90.01	145.68
		कोचिंग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		अवार्ड	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	-	-
4	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	राज्य सरकार	107.60	-	-	-	-	141.76	-	-	-	-	-	-	73.52	-
		गै.स.सं.	-	-	21.09	-	-	-	-	-	-	-	-	28.60	6.99	-
5.	कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर		272.35	-	-	-	9.20	28.91	-	-	-	-	-	74.92	3.18	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता-अनुदान		30.00	30.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-
7.	ग्राम अन्न बैंक		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.73	-
8.	आदिम जनजातीय समूहों का विकास	राज्य सरकार	192.85	-	-	-	30.01	40.00	-	-	-	36.90	-	284.19	288.00	-
		गै.स.सं.	53.57	-	-	-	91.45	-	-	-	197.67	25.57	-	73.51	13.12	0.51
9.	अनु. जनजातीय छात्रों के लिए	मै.छात्रवृत्ति	2435.70	65.19	-	-	-	185.27	-	-	-	-	-	81.62	391.92	928.93
	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक	पुस्तक बैंक	-	-	3.00	-	7.29	-	1.41	-	-	20.00	-	18.09	-	-
	और प्रतिभा उन्नयन की योजना	प्रतिभा उन्नयन	-	-	-	-	21.00	3.45	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	अनुसूचित जनजातीय लड़कियों तथा	लड़कियां	76.50	-	-	-	-	-	-	-	408.93	50.00	-	-	-	24.92
	लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	लड़के	200.50	-	-	-	-	-	-	-	408.93	100.00	-	-	-	24.92
11.	जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल		380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	अनुसंधान, सूचना एवं मास शिक्षा,	अनुसंधान	4.92	-	36.00	-	-	36.21	0.43	-	44.00	-	17.50	21.16	27.75	-
	जनजातीय त्यौहार तथा अन्य	यात्राओं का आदान-प्रदान	1.78	-	2.05	-	-	-2.16	0.94	-	-	-	-	11.73	-	-

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2003-04 के दौरान कार्यान्वित योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार निर्मुक्त निधियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम		मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	उड़ीसा	राजस्थान	सिक्किम	तमिलनाडु	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	उत्तरांचल	पश्चिम बंगाल	अंडमान व निकोबार	दमन व दीव	दिल्ली	दादरा व नगर हवेली
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता		-	-	-	6184.94	3284.60	102.86	290.99	991.29	30.57	88.47	1982.31	-	-	-	-
2.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सहायता-अनुदान		50.55	2540.00	-	2830.00	2070.00	33.00	250.00	313.00	27.00	128.00	1763.00	-	-	-	-
3.	अनु. जनजातियों के लिए	गै.स.सं.	298.70	6.16	0.88	255.78	22.58	29.35	20.79	9.34	5.20	20.74	295.62	-	-	40.69	-
	कोचिंग एवं सम्बद्ध तथा	कोचिंग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	अवार्ड	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-
4.	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक	राज्य सरकार	-	61.08	-	-	-	16.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	प्रशिक्षण केन्द्र	गै.स.सं.	6.78	-	-	33.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर		-	-	-	91.55	52.74	-	6.99	-	-	-	25.88	-	-	13.85	-

1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
6.	लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता-अनुदान		30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	ग्राम अन्न बैंक		-	-	-	-	-	-	-	10.79	-	-	68.72	-	-	-	-
8.	आदिम जनजातीय समूहों का विकास	राज्य सरकार	-	-	-	150.00	10.00	-	10.00	85.00	-	-	11.05	-	-	-	-
		गै.स.सं.	-	-	-	19.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	अनु. जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक और प्रतिभा उन्नयन की योजना	गै.छात्रवृत्ति	339.99	369.00	1028.61	-	484.00	12.69	-	161.09	-	2.42	94.56	0.89	-	-	-
		पुस्तक बैंक	-	-	-	-	5.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		प्रतिभा उन्नयन	-	-	-	40.80	7.73	1.50	-	2.40	-	-	-	-	-	-	-
10.	अनुसूचित जनजातीय लड़कियों तथा लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	लड़कियां	-	-	75.00	41.46	-	-	-	-	-	-	26.16	-	-	-	-
		लड़के	-	-	75.00	-	-	-	-	50.00	-	-	21.16	-	-	115.31	-
11.	जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल		-	-	-	-	-	-	-	50.00	-	217.00	-	-	-	115.31	-
12.	अनुसंधान, सूचना एवं मास शिक्षा, जनजातीय त्यौहार तथा अन्य	अनुसंधान	-	-	-	44.30	5.40	-	-	15.72	-	-	-	-	-	-	-
		राज्यों का अनुदान-प्रदान	0.647	4.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.80	-	-	2.385

विवरण IV

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2004-05 (31.1.2005 तक) के दौरान कार्यान्वित योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार निर्मुक्त निधियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम		आंध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	असम	बिहार	छत्तीसगढ़	गुजरात	हिमाचल प्रदेश	जम्मू व कश्मीर	झारखंड	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	मणिपुर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता		2442.69	-	1376.54	250.45	3665.93	2542.02	579.18	508.44	2641.61	625.55	123.17	7049.90	1675.72	342.88
2.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सहायता-अनुदान		2300.46	220.00	574.54	114.95	2297.90	2515.00	88.00	54.00	1555.27	770.00	129.80	4522.35	1470.35	-
3.	अनु. जनजातियों के लिए	गै.स.सं.	148.89	143.28	28.74	-	11.27	56.17	25.34	35.02	395.71	51.70	58.58	44.94	24.08	49.07
	कोचिंग एवं सम्बद्ध तथा	कोचिंग	11.48	-	2.84	-	3.05	11.31	-	-	-	-	-	11.00	-	-
	अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	अवार्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसायिक	राज्य सरकार	-	-	62.54	-	134.55	48.21	-	-	-	-	-	-	-	-
	प्रशिक्षण केन्द्र	गै.स.सं.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.99	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर		19.47	-	-	-	11.73	18.29	-	-	-	-	-	48.86	-	-
6.	लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता-अनुदान		300.00	-	-	-	144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	ग्राम अन्न बैंक		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	आदिम जनजातीय समूहों का विकास	राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		गै.स.सं.	252.35	-	-	5.00	264.37	125.00	-	-	323.26	34.97	15.00	320.00	119.00	-
9.	अनु. जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति,	मै.छात्रवृत्ति	1084.23	-	-	-	106.45	119.00	4.81	196.07	-	400.00	-	898.84	1042.86	489.00
	पुस्तक बैंक	पुस्तक बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	और प्रतिभा उन्नयन की योजना	प्रतिभा उन्नयन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	अनुसूचित जजातीय लड़कियों	लड़कियां	-	20.50	-	-	-	67.60	-	-	-	-	-	300.00	-	-
	तथा लड़कों के लिए छात्रावास	लड़के	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	की योजना															
11.	जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	-
12.	अनुसंधान, सूचना एवं मास शिक्षा,	अनुसंधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जनजातीय त्यौहार तथा अन्य	यात्राओं का आदान-प्रदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2004-05 (31.1.2005 तक) के दौरान कार्यान्वित योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार निर्मुक्त निधियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम		मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	उड़ीसा	राजस्थान	सिक्किम	तमिलनाडु	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	उत्तरांचल	पश्चिम बंगाल	अंडमान व निकोबार	दमन व दीव	दिल्ली	दादरा व नगर हवेली
1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता		-	-	-	5845.77	2834.69	97.22	145.49	883.16	14.44	41.81	991.15	-	-	-	-
2.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सहायता-अनुदान		305.25	424.00	425.70	830.21	2200.00	36.30	117.24	309.3	29.70	107.61	1987.30	-	-	-	-
3.	अनु. जनजातियों के लिए कोचिंग	गै.स.सं.	1504.1	27.48	-	96.80	31.75	-	17.10	8.96	3.91	11.26	150.05	-	-	86.00	-
	एवं सम्बद्ध तथा अनुकरणीय सेवा के	कोचिंग	-	1.77	-	-	-	-	-	-	-	2.67	-	-	-	9.48	-
	लिए पुरस्कार सहित गैर-सरकारी	अवार्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	संगठनों को सहायता अनुदान																
4.	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक	राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	प्रशिक्षण केन्द्र	गै.स.सं.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
5.	कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर		-	-	-	50.48	19.22	-	-	-	25.80	-	14.74	-	-	16.94	-
6.	लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता-अनुदान		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	ग्राम अन्न बैंक		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	आदिम जनजातीय समूहों	राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	176.50	-	-	-	-	-	-	-	-
	का विकास	पै.स.सं.	-	-	-	55.00	76.00	-	-	30.00	2.50	33.63	53.17	-	-	-	-
9.	अनु. जनजातीय छात्रों के लिए	मै.छात्रवृत्ति	926.28	900.99	507.00	-	1792.57	15.01	49.05	121.35	107.62	137.50	345.31	200.00	-	-	-
	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक	पुस्तक बैंक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	और प्रतिभा उन्नयन की योजना	प्रतिभा उन्नयन	-	-	-	-	-	2.25	-	2.40	-	-	-	-	-	-	-
10.	अनुसूचित जनजातीय लड़कियों	लड़कियां	-	-	151.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.12
	तथा लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	लड़के	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में अक्षम स्कूल		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	अनुसंधान, सूचना एवं मास शिक्षा, जनजातीय त्यौहार तथा अन्य	अनुसंधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		कार्यों का आदान-प्रदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

आंगनवाड़ी केन्द्र

***10. प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
श्रीमती अनुराधा चौधरी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार अपनी आंगनवाड़ी योजना को संशोधित करने पर विचार कर रही है जैसा कि दिनांक 23 जनवरी, 2005 के 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं और वे स्थान कौन से हैं जहां ये केन्द्र स्थापित किये जाने हैं;

(ग) ये केन्द्र कब तक स्थापित किये जायेंगे;

(घ) सरकार द्वारा इस योजना हेतु अब तक कितनी धनराशि निर्धारित की गई और उसमें से कितनी खर्च की गई है;

(ङ) उपरोक्त योजना के विस्तार पर सरकार द्वारा कितना अतिरिक्त व्यय किए जाने की संभावना है और इससे कितने व्यक्तियों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(च) देश में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र चल रहे हैं और वर्तमान में इन केन्द्रों में कितने बच्चों का नामांकन है;

(छ) क्या बच्चों के लिए मौजूदा आंगनवाड़ी योजना सुचारू रूप से चल रही है; और

(ज) यदि नहीं, तो इन केन्द्रों का समुचित प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ग) अपने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार, भारत सरकार समेकित बाल विकास सेवा स्कीम का विस्तार करने हेतु प्रतिबद्ध है। प्रथम चरण में 467 अतिरिक्त परियोजनाओं तथा 1,88,168 आंगनवाड़ी केन्द्रों को स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इन आंगनवाड़ी केन्द्रों का स्थल निर्धारण

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा भारत सरकार के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(घ) इस स्कीम के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त राशि इस प्रकार है:

वर्ष	निर्मुक्त राशि (रुपये करोड़ों में)
2002-03	1942.87
2003-04	1921.44
2004-05	1980.84 (24.2.2005 तक)

(ङ) अनुमान है कि 467 अतिरिक्त परियोजनाओं तथा 1,88,168 आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्कीम के विस्तार पर लगभग 467.00 करोड़ रुपये प्रति वर्ष अतिरिक्त व्यय होगा।

(च) कुल स्वीकृत 754703 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से, 698167 केन्द्र 31.12.2004 तक परिचालित हो चुके हैं। 30.11.2004 तक की स्थिति के अनुसार, 75.65 लाख गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं के अलावा, 3 वर्ष तक की आयु के 1.88 करोड़ बच्चे तथा 3-6 वर्ष तक के 1.90 करोड़ बच्चे आई.सी.डी.एस. स्कीम के लाभार्थी हैं।

(छ) और (ज) जी, हां। तथापि, सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। स्कीम के अंतर्गत सेवाओं को अधिक कारगर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयत्नशील है। इस दिशा में हाल ही में किए गए उपायों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकाओं को देय मानदेय को दुगुना करना, आंगनावड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना शुरू करना; आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा किये गए अनुकरणीय कार्यों के लिए पुरस्कार स्कीम; आई.सी.डी.एस., स्वास्थ्य तथा प्राथमिक शिक्षा के कार्यकर्त्ताओं के बीच राज्य, जिला, ब्लाक तथा ग्राम स्तर पर बेहतर समन्वय; आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण की नियमित आपूर्ति पर बल, आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

उच्च शिक्षा में विदेशी निवेश

*11. **श्री गुरूदास दासगुप्त:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी संभावित निवेशकों के साथ विस्तृत परामर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश सं. 7(4)/2000-आई.पी. दिनांक 11 फरवरी 2000 द्वारा फरवरी 2000 से किसी वस्तु क्षेत्र संबंधी उच्चतम सीमा (सेक्ट्रल-कैप) के बिना स्वत: प्रणाली से शिक्षा में विदेशी निवेश, जिसमें उच्च शिक्षा भी शामिल है, की अनुमति पहले ही प्रदान की जा रही है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मांढर देवी मन्दिर में भगदड़

*12. **श्री एस.के. खारवेनथन:**
श्री सुरेश कलमाडी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में सतारा, महाराष्ट्र स्थित मांढर देवी मन्दिर में हुई भगदड़ में मरने वाले और घायल हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) इस घटना के लिए उत्तरदायी कारण क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा की है तथा भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण मन्दिरों में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोई अनुदेश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि मांढर देवी में 25.1.2005 को हुई भगदड़ के दौरान 291 व्यक्तियों की जानें गईं तथा 98 घायल हुए।

(ख) "शाकाम्बरी पूर्णिमा" के अवसर पर 25.1.2005 को पूजा करने के लिए मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। एक महिला श्रद्धालू जोकि एक टोकरी लिए हुई थी फिसल गई तथा उसकी टोकरी में रखा तेल मंदिर के रास्ते में बिखर गया जोकि नारियल पानी के कारण पहले से चिकना हो चुका था। इसके कारण अन्य श्रद्धालू भी फिसल गए और महिला पर गिर पड़े जिसके परिणामस्वरूप भगदड़ मच गई।

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 और 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन जांच आयोग नियुक्त करने का निर्णय लिया है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय गृह मंत्री ने 29.1.2005 को भगदड़ स्थल का दौरा किया और स्थिति की समीक्षा की। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने सभी राज्य/संघ शासित प्रदेशों को ऐसे धार्मिक उत्सवों/मेलों के दौरान भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए प्रभावपूर्ण कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, उचित तथा पर्याप्त नागरिक सुविधाएं तथा अन्य संभारिकी व्यवस्था, ऐसे उत्सवों के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखना तथा सुरक्षा प्रबंध शामिल हैं।

सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर फिदायीन हमले

*13. **श्री मोहन रावले: क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आजकल सुरक्षा प्रतिष्ठानों तथा रक्षा दलों पर फिदायीनी हमले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004 के दौरान किए गए ऐसे हमलों का ब्यौरा क्या है तथा उनमें हताहतों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विनाशक गतिविधियों को अंजमान देने के लिए पाकिस्तान और बंगलादेश के कट्टर आतंकवादियों ने हाल ही में भारत में घुसपैठ की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन कट्टर आतंकवादियों की सार्वजनिक स्थानों तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों पर 'फिदायीनी हमले' करने की योजनाएं हैं; और

(च) यदि हां, तो आतंकवादियों की इन गतिविधियों का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। उग्रवादियों द्वारा सुरक्षा प्रतिष्ठानों और कानवाय पर फिदायीन हमले मुख्यत: जम्मू और कश्मीर राज्य में ही देखे गए हैं। नीचे दिए गए ब्यौरे से यह पता चलता है कि राज्य में ऐसी घटनाओं में कमी हो रही है।

क्र.सं.	ब्यौरा	2004	20005
1.	हमलों की संख्या	13	15
2.	मारे गए लोगों की कुल संख्या	56	84
3.	मारे गए सुरक्षा बलों के कार्मिकों की संख्या	29	53
4.	मारे गए सिविलियनों की संख्या	4	7
5.	मारे गए आतंवादियों की संख्या	23	24

(ग) से (ङ) सुरक्षा बल के शिविरों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, अतविशिष्ट व्यक्तियों आदि पर फिदायीन हमले करने की योजना के साथ पाकिस्तान और बंग्लादेश से उग्रवादियों की घुसपैठ से संबंधित आसूचना रिपोर्टें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं।

(च) बदली हुई खतरे की आशंका के मद्देनजर सुभेद्य स्थानों और लक्षित अतविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा बढ़ाई जाती है। सतर्कता और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा संबंधित संगठनों को सलाह भी जारी की जाती है।

हुर्रियत कांफ्रेंस के साथ बातचीत

*14. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री के.एस. राव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा हुर्रियत कांफ्रेंस को बातचीत के लिए राजी करने के लिए कोई नया प्रयास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर हुर्रियत कांफ्रेंस की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) यदि कोई बातचीत की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) सरकार, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य सरकार के परामर्श से सतत् आधार पर जम्मू और कश्मीर में सभी ग्रुपों तथा अलग-अलग विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ बातचीत जारी रखने के प्रति कटिबद्ध है। नवम्बर, 2004 में, जम्मू और

कश्मीर के अपने दौरे के दौरान प्रधान मंत्री और गृह मंत्री ने राज्य के किसी भी तथा हरेक ऐसे व्यक्ति के साथ बिना शर्त बातचीत करने की सरकार की वचनबद्धता को दोहराया, जो हिंसा का मार्ग त्याग देते हैं।

(ग) अभी तक हुर्रियत कांफ्रेंस ने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया है।

(घ) उक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

नागा नेताओं से वार्ता

***15. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:**
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में, विशेषकर नागालैण्ड में, विभिन्न संगठनों से हाल में वार्ता की है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार के प्रतिनिधियों ने नागा मुद्दे के समाधान के लिए ऐसे किन-किन संगठनों से वार्ता की है;

(ग) क्या सभी विद्रोही समूहों के नेता अब भारत में रह रहे हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार विद्रोही समूहों से बातचीत के माध्यम से मुद्दे के समाधान के लिए कतिपय देशों से सहायता ले रही है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) एन एस सी एन (आई/एम) के नेताओं के साथ वार्तायें की जा रही हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

(ङ) उपर्युक्त ''घ'' के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

कम लागत की आवास योजनाएं

***16. श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार कम लागत की आवास योजनाओं के लिए राज्यों की सहायता करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों के लिए सभी के लिए आवास योजनाओं हेतु धनराशि देने और उस पर निगरानी रखने का है;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का यह अनुमान है कि 35 महानगरों हेतु प्रधानमंत्री के ''शंघाई दृष्टिकोण'' के अनुरूप लगभग 22.4 मिलियन आवासों की आवश्यकता होगी; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना (वाम्बे) नामक एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के शहरी क्षेत्रों में 2.12.2001 से कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले स्लम वासियों के लिए रिहायशी मकानों के निर्माण और उनके उन्नयन को सुकर बनाना तथा समुदाय शौचालयों का निर्माण करके स्वस्थ और अनुकूल शहरी पर्यावरण मुहैया कराना है। यूनिट लागत सीमा (मेगा शहरों के लिए 60,000/- रु; मैट्रोपोलिटन शहरों के लिए 50,000/- रुपए और अन्य शहरों के लिए 40,000/- रुपए) के अध्यधीन परियोजना लागत की 50% राशि केन्द्रीय सब्सिडी के रूप में जारी की जाती है और शेष राशि की व्यवस्था संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने बजट प्रावधानों अथवा हडको से ऋण, लाभार्थियों से अंशदान आदि लेकर की जाती है। वाम्बे के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय समन्वयन समिति (एसएलसीसी) के गठन का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 1998-1999 से दो मिलियन आवास कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें प्रमुखत: आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और अल्प आय वर्ग (एलआईजी) के लिए प्रत्येक वर्ष 20 लाख अतिरिक्त मकानों के निर्माण की

व्यवस्था की गई है। इसमें से 7 लाख मकान शहरी क्षेत्रों में और 13 लाख मकान ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाने हैं। शहरी क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिए ऋण आवास एवं नगर विकास निगम लि. (हडको), आवास वित्त संस्थानों/बैंकों तथा सरकारी क्षेत्र द्वारा दिया जाता है।

(घ) और (ङ) 10वीं योजना 2002-2007 के लिए शहरी आवास पर गठित योजना आयोग के कार्यदल ने अनुमान लगाया है कि 10वीं योजना के अंत तक अतिरिक्त/उन्नयन के तौर पर 22.44 मिलियन रिहायशी मकानों की जरूरत होगी। पर्याप्त आवास सुविधाओं, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और अल्प आय वर्ग (एलआईजी) के लिए, के निर्माण को आसान बनाने के लिए सरकार ने 1998-1999 में दो मिलियन आवास निर्माण कार्यक्रम शुरू किया। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली आबादी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मकान मुहैया करने के लिए 2001 से वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना भी कार्यान्वित की जा रही है।

भारत-पाक सीमा पर बंकरों का निर्माण

***17. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने युद्धविराम समझौते के दौरान सीमा पर नए बंकरों का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्होंने धमाला नाला स्थित विवादित खम्भे सं. 62 के निकट एक बांध का निर्माण किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले को पाकिस्तान के साथ उठाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है; और

(छ) सीमा पर चौकियों के आधुनिकीकरण और नई चौकियों की स्थापना हेतु प्रस्तावित कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार पाकिस्तान ने युद्धविराम के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ कुल 40 (चालीस) बंकरों का निर्माण किया है।

(ग) से (ङ) पाकिस्तान ने धमाला नाले से आगे सीमा स्तम्भ सं. 61 से 64 तक के क्षेत्र में एक बांध का निर्माण किया है। सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) द्वारा इस मामले को अलग-अलग स्तरों पर पाकिस्तान रेंजर्स के साथ उठाया गया है। सीमा सुरक्षा बल ने बांध का संयुक्त सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव किया था लेकिन पाकिस्तान इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुआ।

(च) और (छ) सीमा के साथ-साथ नई चौकियों का निर्माण करने सहित मोर्चों का निर्माण करना तथा उनमें सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है। पाकिस्तानी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और उन्हें किसी भी प्रकार का लाभ न उठाने देने के लिए उचित उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

मलिन बस्तियों का विकास

***18. श्री बी. विनोद कुमार:**
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई:

क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम" शुरू किए जाने के बाद इसके अंतर्गत राज्यवार कुल कितनी शहरी मलिन बस्तियों का विकास किया गया है;

(ख) मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम के शुरू होने के पश्चात् इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार कुल कितनी राशि जारी की गयी और कितनी खर्च की गयी है;

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2004-2005 के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए इसका कोई मूल्यांकन/अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) स्लम-विकास राज्यों का विषय है। तथापि, स्लमवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अगस्त, 1996 में शहरी स्लमों के विकास के लिए

राष्ट्रीय स्तर पर "राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.)" शुरू किया गया। राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम के तहत विकसित शहरी स्लमों/समूहों (क्लस्टर्स) के वर्ष-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, इस स्कीम के आरंभ से एन.एस.डी.पी. के तहत शामिल किये गये स्लम पाकेटों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न *विवरण-I* में दिया गया है।

(ख) एन.एस.डी.पी. के आरम्भ से इसके तहत जारी धनराशि तथा राज्यों द्वारा सूचित व्यय का राज्यवार ब्यौरा संलग्न *विवरण-II* में दिया गया है।

(ग) स्लम-विकास राज्यों का विषय होने के कारण राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न शहरों में स्लमों के विकास के लिए विशेष योजनाएं, कार्यक्रम तथा स्कीमें बनाती हैं और अपनी-अपनी राज्य-योजनाओं में आवश्यक प्रावधान करती हैं। इसलिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम के आरंभ से अब तक इसके तहत शामिल किये गये स्लम पाकेटों के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	शामिल किये गये स्लम पाकेट
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3597
2.	अरुणाचल प्रदेश	15
3.	असम	194
4.	बिहार	10500
5.	छत्तीसगढ़	327
6.	गोवा	0*
7.	गुजरात	910
8.	हरियाणा	408
9.	हिमाचल प्रदेश	255
10.	जम्मू व कश्मीर	130
11.	झारखंड	0*
12.	कर्नाटक	755
13.	केरल	682
14.	मध्य प्रदेश	5800
15.	महाराष्ट्र	3140
16.	मणिपुर	28
17.	मेघालय	26
18.	मिजोरम	118
19.	नागालैंड	7
20.	उड़ीसा	1873
21.	पंजाब	278
22.	राजस्थान	1730
23.	सिक्किम	33
24.	तमिलनाडु	1855
25.	त्रिपुरा	94
26.	उत्तर प्रदेश	3247
27.	उत्तरांचल	333
28.	पश्चिम बंगाल	31627

*राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया।

विवरण II

राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम के आरंभ से अब तक इसके तहत जारी धनराशि तथा राज्यों द्वारा सूचित व्यय के राज्यवार ब्यौरे

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल जारी धनराशि	सूचित व्यय
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	22160.89	19439.08
2.	अरुणाचल प्रदेश	597.73	462.52

1	2	3	4
3.	असम	1262.41	1038.01
4.	बिहार	14505.17	10312.80
5.	छत्तीसगढ़	1690.01	1412.51
6.	गोवा	281.99	0.00
7.	गुजरात	14894.89	11199.91
8.	हरियाणा	4756.25	3828.46
9.	हिमाचल प्रदेश	660.18	552.18
10.	जम्मू व कश्मीर	4289.49	3969.46
11.	झारखंड	2806.38	0.00
12.	कर्नाटक	15505.82	15505.32
13.	केरल	8320.93	5799.03
14.	मध्य प्रदेश	15913.75	12140.55
15.	महाराष्ट्र	39214.83	27045.18
16.	मणिपुर	371.78	366.06
17.	मेघालय	473.98	265.98
18.	मिजोरम	835.00	760.00
19.	नागालैंड	633.55	528.55
20.	उड़ीसा	2604.00	2490.48
21.	पंजाब	3679.39	1413.71
22.	राजस्थान	12022.37	8513.99
23.	सिक्किम	483.40	360.39
24.	तमिलनाडु	19608.57	19145.89
25.	त्रिपुरा	765.00	725.00
26.	उत्तर प्रदेश	37239.45	30530.44
27.	उत्तरांचल	710.00	575.87
28.	पश्चिम बंगाल	32542.25	24333.93

पेटेंट कानून में संशोधन

*19. **श्री एन.एन. कृष्णदास:**
श्री अर्जुन सेठी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेटेंट अधिनियम में संशोधन करने हेतु पेटेंट संबंधी अध्यादेश प्रख्यापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय भेषज उद्योग और अन्य उद्योगों के हितों के संरक्षण हेतु कोई उपाय किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसी ने सरकार से पेटेंट अध्यादेश की समीक्षा करने हेतु कोई मांग की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) अन्य बातों के साथ-साथ बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं (ट्रिप्स) पर समझौते में निहित भारत के अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों जो 1 जनवरी, 2005 से लागू होने थे, को पूरा करने के लिए 26 दिसंबर, 2004 को पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 2004 प्रख्यापित किया गया, जो 1 जनवरी, 2005 से प्रभावी है।

(ख) उक्त अध्यादेश में निहित संशोधनों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(1) ट्रिप्स समझौते के अनुच्छेद 27 के अनुसार, प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में उत्पाद पेटेंट संरक्षण को लागू करना (अर्थात् औषध खाद्यों और रसायनों में, क्योंकि बाकी सभी क्षेत्रों के लिए पहले ही उत्पाद पेटेंट संरक्षण मौजूद है।);

(2) अनन्य विपणन अधिकारों (ईएमआर) से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करना क्योंकि ये संक्रमण व्यवस्थाओं का भाग थे;

(3) साफ्टवेयर संबंधी आविष्कारों से संबंधित पेटेंट के उपबंधों को संशोधित व स्पष्ट करना, जब उद्योग की दृष्टि से

अथवा हार्डवेयर के संयोजन में उनके तकनीकी उपयोग हों;

(4) पेटेंट कार्यालय में, प्रदानगी-पूर्व और प्रदानगी-पश्चात् विरोध, दोनों की ही व्यवस्था द्वारा प्रणाली को दुरूस्त करने की दृष्टि से, विरोध की प्रक्रिया संबंधी उपबंधों में संशोधन करना;

(5) आपातकालीन जन स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों से निपटने के लिए, अपर्याप्त अथवा शून्य विनिर्माण क्षमता वाले देशों को निर्यात के लिए अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करने की व्यवस्था हेतु एक उपबंध का समावेश करना (ट्रिप्स और जन स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा-पत्र के पैराग्राफ-6 के तहत इसकी अनुमति है);

(6) दोहरे प्रयोग वाली प्रौद्योगिकियों को विदेशों में पेटेंट होने से बचाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी उपबंधों में संशोधन करना व उन्हें सुदृढ़ करना;

(7) बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड से संबंधित उपबंधों में संशोधन करना ताकि पेटेंटों के निरसन हेतु इसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सके;

(8) कुछ विशेष उपबंधों को पेटेंट सहयोग संधि, जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्त्ता देश है, के साथ सामंजस्य में लाने की दृष्टि से उनमें संशोधन करना;

(9) पेटेंट आवेदनों पर कार्यवाही समय में कमी लाने एवं प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दृष्टि से, समय-सीमाओं से संबंधित उपबंधों को तर्कसंगत बनाना।

इन सभी संशोधनों को पूरा करने के लिए समय-सीमा का पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि 1 जनवरी 2005 जो कि एक निर्धारित समय-सीमा थी, को किसी कारण से पूरा नहीं किये जाने की स्थिति में डब्ल्यू.टी.ओ. के विवाद तंत्र के अंतर्गत बदले की कार्रवाई का सामना किये जाने की संभावना थी, विशेषकर इसलिए कि ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत प्रदत्त पूरे 10 वर्षों के संक्रमण काल का फायदा भारत ले चुका था। इस चूक से "मेल बाक्स" आवेदनों के लिए एक भी एक कानूनी शून्य पैदा हो जाता है (मेलबाक्स और अनन्य विपणन अधिकारों की सुविधाएं, मार्च, 1999 से अधिसूचित पेटेंट कानूनों के प्रथम संशोधन द्वारा लागू की गई थीं, जिन्हें 31 दिसम्बर, 2004 तकको अवधि के लिए 1 जनवरी, 1995 से प्रभावी बनाया गया था), क्योंकि 1 जनवरी, 2005 से उनका निपटान करने के लिए कोई प्रणाली मौजूद नहीं होती। यह इन मामलों की जांच और निपटान करने के प्रति हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की दृष्टि से विशेष चूक मानी जाती। इससे 1 जनवरी, 2005 के बाद प्राप्त होने वाले नए आवेदनों के संबंध में भी एक कानूनी रिक्तता की स्थिति उत्पन्न हो जाती, क्योंकि कानून इस बारे में मौन था कि "मेल बाक्स" का प्रावधान बना रहता या समाप्त हो जाता। अंततः अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की साख में भी कमी आती।

(ग) और (घ) भेषज उद्योग सहित भारतीय उद्योगों के हितों को बचाने की दृष्टि से, ट्रिप्स समझौते के तहत उपलब्ध दस वर्षों के पूरे संक्रमण काल का लाभ उठाया जा चुका है। संशोधन में, एक उपबंध शामिल किया गया है कि 1.1.2005 से पहले औषधों एवं दवाओं के आवेदनों के संबंध में, पेटेंटधारक के अधिकार पेटेंट प्रदान किए जाने की तारीख से आरंभ होंगे न कि पूर्वप्रभावी रूप से। अधिनियम में सरकार द्वारा अनिवार्य लाइसेंसीकरण हेतु तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में दूसरे देशों को निर्यात के लिए, भी विस्तृत और पर्याप्त उपबंध मौजूद हैं।

इसके अलावा, इन मुद्दों के महत्व को देखते हुए, सरकार ने कानूनी पहलुओं के बारे में, विभिन्न संबद्ध वर्गों को शामिल करते हुए व्यापक एवं विस्तृत परामर्शों का कार्य हाथ में लिया। इनमें, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, विभिन्न उद्योग क्षेत्रों (जैसे कि भेषज, जैव-प्रौद्योगिकी और साफ्टवेयर) वाणिज्य मंडलों, निजी और सरकारी क्षेत्र की इकाइयों, पत्रकारों, गैर-सरकारी संगटनों के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, अधिवक्ता और न्यायविद शामिल थे। विस्तृत परामर्शों के दौरान यह तथ्य उभर कर सामने आया कि ये संशोधन न केवल भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को ही पूरा करने की दृष्टि से ही आवश्यक थे, बल्कि भारतीय उद्योगों ने समूचे तौर पर पिछले चंद वर्षों में आश्चर्यजनक रूप से अपना कायाकल्प किया है और पेटेंट व्यवस्था को सुदृढ़ तथा संतुलित बनाने से उन्हें लाभ पहुंचेगा।

(ङ) और (च) पेटेंट कानूनों के उपबंधों पर विभिन्न संगठनों से सुझाव प्राप्त हुए हैं। ये सुझाव पेटेंटनीयता के मानदंडों, विरोध की प्रक्रियाओं, अनिवार्य लाइसेंस और दूसरे देशों को निर्यात के संबंध में हैं। सभी विचारों और चिंताओं को ध्यान में रखा गया है और इस अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने वाले विधेयक पर संसद में चर्चा के दौरान भी उन पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

स्काईबस परियोजना

*20. **श्री सज्जन कुमार:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार अभी भी स्काईबस परियोजना पर विचार कर रही है यद्यपि तीन वर्ष पहले उसे आर्थिक और तकनीकी आधार पर उपयुक्त माना गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या तीन वर्ष पहले इस परियोजना को कोंकण रेलवे को दिये जाने का विचार किया गया था किंतु कुछ विभागों में इसका विरोध किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या 25 जनवरी, 2005 को इस परियोजना पर पुनर्विचार किया गया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (च) स्काई बस प्रणाली की अवधारणा कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) द्वारा विकसित की गई है। स्काई बस प्रणाली इस समय विकास के दौर में है। कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा गोवा में 1.6 किमी. का परीक्षण-ट्रैक बनाया गया है। शहरी विकास मंत्रालय ने इस प्रणाली के मूल्यांकन और व्यवहार्यता और तकनीकी आर्थिक पहलुओं की जांच के लिए दिसंबर, 2003 में डा. पी.वी. इंदिरेसन, सेवानिवृत्त निदेशक, आईआईटी, चेन्नई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जिसमें ट्रैक, सिग्नलिंग आदि जैसी विभिन प्रणालियों के विशेषज्ञ हैं। इस समिति ने कई बैठकें की हैं और इसकी अद्यतन बैठक गोवा में 25 जनवरी, 2005 को हुई। इसके दौरान इस प्रणाली का परीक्षण चालन किया गया। शहरी परिवहन के लिए इस प्रणाली के उपयोग के बारे में अंतिम रूप में मत बनाने से पहले इस प्रणाली को विकसित करने की क्रमिक प्रक्रिया को कुछ और समय तक जारी रखना होगा।

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश कोटा

1. **श्री राजनरायन बुधौलिया:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान संसद सदस्यों की सिफारिशों पर केन्द्रीय विद्यालयों में राज्य-वार कितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): पिछले तीन वर्षों (2002-03, 2003-04 और 2004-05) के दौरान संसद सदस्यों की सिफारिश पर केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिल किए गए विद्यार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

शैक्षिक सत्र 2002-2003

	लोक सभा	राज्य सभा	कुल
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	13	08	21
अरुणाचल प्रदेश	02	02	04
असम	12	09	21
बिहार	25	38	73
छत्तीसगढ़	10	10	20
दिल्ली	13	17	30
गोवा	01	–	01
गुजरात	11	16	27
हरियाणा	12	11	23
हिमाचल प्रदेश	06	06	12
जम्मू कश्मीर	02	–	02
झारखण्ड	06	10	16
कर्नाटक	22	30	52
केरल	27	18	45
मध्य प्रदेश	49	18	67
महाराष्ट्र	07	07	14
मणिपुर	02	04	06
मिजोरम	02	02	04
नागालैण्ड	02	02	04
उड़ीसा	16	21	37
पंजाब	06	08	14
राजस्थान	28	17	45

1	2	3	4
सिक्किम	–	02	02
तमिलनाडु	13	42	55
उत्तरांचल	05	06	11
उत्तर प्रदेश	62	53	115
पश्चिम बंगाल	26	14	40
पांडिचेरी	02	02	04
चण्डीगढ़	02	–	02
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	02	–	02
कुल	396	373	769

शैक्षिक सत्र 2003-2004

आंध्र प्रदेश	06	07	13
अरुणाचल प्रदेश	02	02	04
असम	10	11	21
बिहार	28	32	60
छत्तीसगढ़	05	03	08
दिल्ली	13	18	31
गोवा	01	–	01
गुजरात	14	11	25
हरियाणा	11	03	14
हिमाचल प्रदेश	04	06	10
जम्मू कश्मीर	06	02	08
झारखण्ड	06	02	08
कर्नाटक	22	26	48
केरल	27	21	48
मध्य प्रदेश	36	16	52
महाराष्ट्र	09	08	17
मणिपुर	04	02	06
मिजोरम	02	02	04
नागालैण्ड	–	–	0
उड़ीसा	21	15	36
पंजाब	06	07	13
राजस्थान	26	16	42
सिक्किम	02	02	04
तमिलनाडु	09	30	39
उत्तरांचल	10	06	16
उत्तर प्रदेश	65	53	118
पश्चिम बंगाल	23	22	45
पांडिचेरी	02	02	04
चण्डीगढ़	02	–	02
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	02	–	02
कुल	374	325	699

शैक्षिक सत्र 2004-2005

आंध्र प्रदेश	08	09	17
अरुणाचल प्रदेश	–	02	02
असम	12	10	22
बिहार	34	39	73
छत्तीसगढ़	14	08	22
दिल्ली	06	19	25
गोवा	02	–	02
गुजरात	20	17	37
हरियाणा	10	06	16
हिमाचल प्रदेश	02	08	10
जम्मू कश्मीर	02	02	04
झारखण्ड	04	03	07

1	2	3	4
कर्नाटक	19	22	41
केरल	22	20	42
मध्य प्रदेश	39	19	58
महाराष्ट्र	–	10	10
मणिपुर	02	02	04
मिजोरम	01	01	02
नागालैण्ड	–	02	02
उड़ीसा	22	26	48
पंजाब	06	08	14
राजस्थान	30	11	41
सिक्किम	–	–	0
तमिलनाडु	14	38	52
उत्तरांचल	09	8	17
उत्तर प्रदेश	63	66	129
पश्चिम बंगाल	23	25	48
पांडिचेरी	02	02	04
चण्डीगढ़	–	–	0
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	0
कुल	366	383	749

सीमेंट का निर्यात

2. **श्रीमती किरण माहेश्वरी:**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सीमेंट का निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान सीमेंट निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) सीमेंट के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) सीमेंट पूर्णत: लाइसेंसमुक्त तथा नियंत्रणमुक्त वस्तु है और इसका निर्यात सरकार के माध्यम से नहीं किया जाता है। इसका निर्धारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की मांग और आपूर्ति की शक्तियों द्वारा किया जाता है। सीमेंट जैसी भारी मद को संभालने के लिए पत्तनों पर पर्याप्त अवसंरचना की उपलब्धता और पत्तनों से इनकी निकटता भी निर्यात के स्तर में योगदान करती है। सीमेंट विनिर्माता संघ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर वर्ष 2003-04 में खंगड/सीमेंट का वास्तविक निर्यात 9.00 मिलियन टन हुआ था और आशा है कि वर्ष 2004-05 में यह 10 मिलियन टन तक पहुंच जायेगा।

शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयां

3. **श्री काशीराम राणा:**
श्री वी.के. दुम्मर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में केन्द्र सरकार के स्तर पर शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उद्योगों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्थापित किए गए अथवा स्थापित किए जाने हेतु अनुमोदित उद्योगों/फर्मों के नाम क्या हैं; और

(घ) शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उद्योगों को दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) जी, हां। अप्रैल, 2002 में स्थापित/अनुमोदित निर्यातोन्मुखी इकाइयों के नामों को दर्शाने वाली एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) निर्यातोन्मुखी इकाइयों के लिए उपलब्ध सुविधाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) मशीनों, कच्ची सामग्री, हिस्से पुर्जों और अभोज्य वस्तुओं का शुल्कमुक्त आयात/स्थानीय खरीद;

(2) केन्द्रीय बिक्री कर की वापसी;

(3) दिनांक 1.4.2010 तक 10 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए नैगम कर अवकाश;

(4) घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निर्यातों के मूल्य के 50% तक वस्तुओं की स्वीकृति;

(5) घरेलू क्षेत्र से निर्यातोन्मुखी इकाइयों को की गई आपूर्तियों के लिए माने गए निर्यात लाभ की अनुमति है आदि।

विवरण

निर्यातोन्मुखी इकाइयों की सूची

क्र.सं..	इकाई का नाम
1	2
	इंजीनियरिंग उद्योग
1.	संगरिला एक्सपोर्ट्स प्रा.लि.
2.	सिग्मा कार्पोरेशन
3.	अम्बिका रिसाइक्लिंग
4.	एप्पल इंटरनेशनल इंजीनियरिंग
5.	बालाजी इंटरनेशनल
6.	कन्वेक्स मेटल्स इंटरनेशनल
7.	डी एंड जी मेटल इंक
8.	दीप रिसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज
9.	एवरेस्ट ओवरसीज
10.	गोल्डस्टार इंटरनेशनल
11.	हर्ष इंटरनेशनल
12.	इलेश एक्सपोर्ट्स
13.	इंदु ओवरसीज प्रा.लि.
14.	जैकप इंटरनेशनल
15.	माहेश्वरी ओवरसीज
16.	पूजा मेटल इंडस्ट्रीज
17.	राजहंस इम्पेक्स प्रा.लि.
18.	श्री सुपर इंडस्ट्रीज
19.	सूरज रिसाइक्लिंग प्रा.लि.
20.	बी.सी. इंस्ट्रुमेंट्स इंडिया प्रा.लि.
21.	मारजेन इम्पेक्स लि.
22.	भुखनवाला टूल्स लि.
23.	बिलपावर लि.
24.	स्टेरलिंग इंटरप्राईजिज
25.	सोनाम एक्सपोर्ट्स
26.	श्री जी कुर्पा एक्सपोर्ट्स
27.	श्री साईं बाबा कापर प्रा.लि.
28.	केमराक इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोटर्स लि.
	रसायन, प्लास्टिक एवं संबद्ध उद्योग
29.	आल्पस कैमिकल्स
30.	अनार कैमिकल्स इंडस्ट्रीज
31.	असेंट फाइनकेम प्रा.लि.
32.	आशीष कैमिकल्स
33.	कैडिला हैल्थकेयर लि. (इकाई-2)
34.	डिस्मैन फार्मास्यूटिकल्स एण्ड केमिकल्स लि.
35.	किरी डाइज कैमिकल्स प्रा.लि.
36.	मेघामनी इंडस्ट्रीज लि. (इकाई-1)
37.	मेघामनी इंडस्ट्रीज लि. (इकाई-2)
38.	हाइकाई लि., मुम्बई
39.	यूनिवर्सल एस्पोर्ट
40.	मेघमनी आर्गेनिक्स लि. (इकाई-1)
41.	मेघमनी आर्गेनिक्स लि. (इकाई-2)
42.	त्रिवेदी टेक्टोनिक्स
43.	आशापुरा माइनकैम लि.
44.	बिलाग इंडस्ट्रीज प्रा.लि.

1	2
	इलैक्ट्रानिक और साफ्टवेयर उद्योग
45.	हिडन ब्रेन इन्फोटैक प्रा.लि.
46.	सोनिक टैक्नोलाजी (भारत)
47.	कम्प्यूटर स्किल लि.
48.	समार ई-क्लिप्स (उत्पाद) प्रा.लि.
	खाद्य कृषि एवं वन उत्पाद
49.	श्री करूपा फुड एवं इंडस्ट्री
50.	दीप किरण फुड्स प्रा.लि.
51.	गुजरात अम्बुजा एक्सपोर्ट लि.
52.	एडीएफ फुड्स लि.
53.	बेस्ट रोजेज बायोटैक प्रा.लि.
54.	सूरत स्वीट्स एण्ड स्नैक्स प्रा.लि.
	वस्त्र एवं परिधान
55.	जिगना इम्पैक्स
56.	प्राइम फर्निशिंग्ज प्रा.लि.
	सेवा इकाई
57.	बायोआर्क रिसर्च सोल्यूशन्स
58.	कार्प मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी

ध्यानचंद स्टेडियम, झांसी

4. श्री अतीक अहमद: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने झांसी स्थित ध्यानचंद स्टेडियम में हाकी पैवेलियन और डारमेट्री स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) भारत सरकार ने ध्यानचंद स्टेडियम, झांसी में सिंथेटिक हाकी परत बिछाने के लिए और खेल छात्रावास के लिए केन्द्रीय सहायता अनुमोदित कर दी है।

(ख) सिंथेटिक हाकी परत बिछाने के लिए 1.00 करोड़ रु. की अनुमोदित केन्द्रीय सहायता दिनांक 26.5.2003 को स्वीकृत की गई थी। पुन: दिनांक 14.5.2004 को एक खेल छात्रावास के निर्माण के लिए 28.65 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई है। राज्य सरकार द्वारा राज्य के हिस्से के न्यूनतम 50% खर्च किये जाने तथा प्रगति रिपोर्ट, परीक्षित लेखे आदि इस मंत्रालय को भेजे जाने के बाद ही अनुमोदित सहायता जारी करने पर विचार किया जाता है।

(ग) योजना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार खेल अवस्थापना के सृजन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना 1.4.2005 से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गई है।

(घ) निर्माण कार्य पूरा होना राज्य सरकार के पास धन की उपलब्धता पर तथा निर्माणकर्त्ता एजेंसी द्वारा की गई प्रगति पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

उत्तर पूर्व काफी

5. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर पूर्व (एन.ई.) काफी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी जैविक पदार्थ के लिए मान्यता मिली है; और

(ख) यदि हां, तो काफी बोर्ड और सरकार द्वारा उत्तर पूर्व में काफी की फसलों के जैवीय स्वरूप की गारंटी का प्रमाण-पत्र जारी करने और विश्व बाजार में इसके द्वारा पेश की गई बाजार क्षमता की संभावनाओं का पता लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नालों में गाद जमना एवं उनका अतिक्रमण किया जाना

6. श्री रघुनाथ झा: क्या **शहरी विकास मंत्री** 24 अगस्त, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3992 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) सूचना कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां।

(ख) उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम) तथा उपायुक्त (दक्षिण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली दिल्ली सरकार ने यह सूचित किया है कि असोला, फतेहपुर बेरी, सतबारी, नेब सराय, रजोकरी, रंगपुरी, समालखा, नई दिल्ली के गांवों में ऐसे प्राकृतिक नाले हैं। ये नाले संबंधित ग्राम सभा के क्षेत्राधिकार में आते हैं। यह भी सूचित किया गया है कि कुछेक मामलों में इन नालों में अतिक्रमण/गाद है। तथापि, बरसात के मौसम के दौरान किसी प्रकार की बाढ़ की स्थिति होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पुरानी जूट मशीनों का आयात

7. **श्री अधीर चौधरी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले छ: महीनों के दौरान जूट मिलों के लिए कितनी पुरानी जूट मशीनों का आयात किया गया है;

(ख) इनमें से चीन से कितनी मशीनों का आयात किया गया है;

(ग) क्या वर्तमान निर्यात-आयात नीति में पुरानी मशीनों के आयात को रोकने का प्रावधान है;

(घ) पुरानी मशीनों की आयु का मूल्यांकन करने हेतु कौन-सा तंत्र अपनाया गया है; और

(ङ) देश में स्वदेशी जूट मशीन निर्माण इकाइयों का ब्यौरा क्या है और उनकी औसत क्षमता कितनी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) डीजीसीआईएंडएस द्वारा पुरानी जूट मशीनों के आयात के संबंध में अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, जूट आयुक्त, कोलकाता ने यह पता लगाया है कि पिछले छह महीनों के दौरान पुरानी जूट मशीनों के 24 परेषणों का आयात किया गया है और ऊपर उल्लिखित पुरानी मशीनों में से कोई भी चीन में निर्मित नहीं है।

(ग) और (घ) विदेश व्यापार नीति 2004-09 के अनुसार आयु संबंधी किसी प्रतिबंध के बिना पुन: नवीकृत किए गए/पुन: तैयार किए गए अतिरिक्त पुर्जों सहित पुरानी पूंजीगत वस्तुओं के मुक्त रूप से आयात की अनुमति दी जाएगी।

(ङ) यह अनुमान लगाया गया है कि देश में 32 देशी जूट मशीन विनिर्माण इकाइयां हैं। तथापि उनकी क्षमता के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

नारंगी का निर्यात

8. **श्री हंसराज जी. अहीर:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नारंगी का निर्यात बढ़ाने हेतु कोई विशेष योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेष रूप से महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से वार्षिक रूप से कितने टन नारंगी का निर्यात किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान नारंगी के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने, बाजार विकास करने और केन्द्र, राज्य सरकार और निजी एजेंसियों के प्रयासों को निर्यातों के लिए केन्द्रित करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में संतरों के लिए कृषि निर्यात जोनों की स्थापना की गयी है।

(ग) और (घ) राज्यवार अथवा क्षेत्रवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से निर्यातित संतरों की मात्रा एवं मूल्य निम्नानुसार है:-

वर्ष	मात्रा (मीट्रिक टनों में)	मूल्य करोड़ रु. में (मिलियन अम. डा.)
2001-02	28588	31.87 (7.08)
2002-03	27484	28.46 (6.32)
2003-04	57247	52.27 (11.62)

(स्रोत: डीजीसीआईएंडएस) 1 अमरीकी डालर = 45/- रुपए

आंध्र प्रदेश में नगरों का विकास

9. **श्री एम. अंजनकुमार यादव:**
श्री ए. साई प्रताप:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश के विभिन्न नगरों के विकास के लिए प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय लिए जा रहे हैं;

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ विश्व बैंक कोई वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) (1) छोटे एवं मझोले कस्बों का समेकित विकास (आईडीएसएमटी) स्कीम के तहत वर्ष 2004-05 में आंध्र प्रदेश के कस्बों के विकास हेतु अनंतिम रूप से 1717.00 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता का नियतन किया गया है। दिनांक 21.2.2005 तक आंध्र प्रदेश सरकार ने दस कस्बों में चल रही परियोजनाओं तथा सत्रह कस्बों में नयी परियोजनाओं के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया है तथा तीन कस्बों में चल रही परियोजनाओं और छह कस्बों में नयी परियोजनाओं के लिए 456.11 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है। प्राप्त प्रस्तावों तथा जारी की गयी केन्द्रीय सहायता का कस्बावार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। सात चल रही परियोजनाओं वाले कस्बों (विवरण का क्रम सं. 10 से 16 तक) से संबंधित प्रस्ताव विचाराधीन है। राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदित नौ नयी परियोजनाओं वाले कस्बों (संलग्न विवरण क्रम सं. 17 से 25) के लिए केन्द्रीय सहायता जारी करने हेतु प्रस्ताव भी दिनांक 11.2.2005 तक।

(2) मेगा सिटी स्कीम के तहत परियोजनाओं को स्वीकृति राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार दी जाती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार अभी तक राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा हैदराबाद में 2067.05 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की 224 परियोजनाएं मंजूर की गयी हैं जिनमें से 104 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, 62 परियोजनाएं चल रही हैं तथा 58 परियोजनाओं का कार्य अभी शुरू होना है। इस स्कीम की शुरूआत से वर्ष 2003-04 तक हैदराबाद मेगा शहर को 198.31 करोड़ रु. का केंद्रीय अंश जारी किया गया है। वर्ष 2004-05 में हैदराबाद मेगा शहर के लिए निर्धारित कुल 43,10,20,000 रु. की सम्पूर्ण राशि जारी की जा चुकी है।

(3) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) के तहत वर्ष 2004-05 के लिए आंध्र प्रदेश के लिए 470.10 लाख रुपये का नियतन किया गया है। वर्ष 2004-05 में 20 कस्बों की विकसित परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इन 20 कस्बों में परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है। इन 20 कस्बों के नाम, परियोजना लागत इत्यादि संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(4) आंध्र प्रदेश में डुंडीगल सहित 10 चुनिंदा आईएएफ एअर फील्ड कस्बों में 99.34 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत ठोस कचरा प्रबंधन और जल निकास की एक नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम को सरकार द्वारा अक्टूबर, 2003 में कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। इस स्कीम के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना परियोजना में धनराशि के लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अभी भी डुंडीगल में इस स्कीम के लिए समुचित भूमि की पहचान करने के साथ-साथ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा आईएएफ अधिकारियों का अनुमोदन लेने का कार्य बाकी है।

(घ) और (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार विश्व बैंक प्रस्तावित आंध्र प्रदेश शहरी सुधार एवं म्युनिसिपल सेवा परियोजना की अग्रिम तैयारी में लगा हुआ है। यह परियोजना चरणबद्ध तरीके से स्लमों को शहरी नेटवर्क से जोड़ने के लिए अविकसित क्षेत्रों

एवं अवस्थापना तथा नगरों की स्थापना का उन्नयन करते हुए शहरी सुधार करेगी।

दिसम्बर, 2004 में आंध्र प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की संभावना तलाश करने के अनुरोध के साथ 2000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की प्रस्तावित हैदराबाद मैट्रोपोलिटन जलापूर्ति और सीवरेज परियोजना संबंधी एक संक्षिप्त नोट भेजा है। इसकी जांच की गई तथा मंत्रालय की टिप्पणियां जनवरी, 2005 में राज्य सरकार को अनुपालनार्थ भेजी गई। राज्य सरकार का प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है।

विवरण I

आईडीएसएमटी स्कीम के तहत आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 (21.2.2005 तक) चल रही परियोजनाओं वाले कस्बों तथा नये कस्बों के संबंध में प्रस्ताव तथा जारी की गई केन्द्रीय सहायता

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जारी केन्द्रीय सहायता (लाख रुपये)
1	2	3
1.	नालगोंडा*	74.28
2.	नांदयाल*	94.98
3.	सिरसिला*	41.85
4.	निरमल	45.50
5.	मंगलगिरी	30.50
6.	पलासा-काशीबुग्गा	45.00
7.	नरासरावपेट	61.25
8.	फारूक नगर	28.25
9.	जंगगांव	34.50
10.	बपताला*	
11.	पेडाना*	
12.	सदाशिवपेट*	
13.	अनाकापल्ले*	
14.	रामागुंडम*	
15.	तेनाली*	
16.	पालाकोले*	
17.	सिद्धपेट	
18.	तडीपल्लीगुडेम	
19.	बिनूकोडा	
20.	जग्गईयापेट	
21.	भीमावरम	
22.	पोन्नूर	
23.	ओंगोल	
24.	पार्वतीपुरम	
25.	श्रीकाकुलम	
26.	नरासन्नापेटा	
27.	इच्छापुरम	
	कुल	456.11

*चल रही परियोजनाओं वाले कस्बे

विवरण II

वर्ष 2004-05 में एयूडब्ल्यूएसपी के तहत स्वीकृत परियोजनाएं

राज्य : आंध्र प्रदेश
स्वीकृत परियोजना

18.2.2005 की स्थिति के अनुसार
(लाख रु.)

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जिला	जनसंख्या (1991 की जनगणना)	स्वीकृति की तिथि/महीना/वर्ष	परियोजना लागत
1	2	3	4	5	6
1.	बंडारूलंका	पूर्व गोदावरी	11106	जनवरी, 2005	286.07

1	2	3	4	5	6
2.	राजोल	पूर्व गोदावरी	11973	जनवरी, 2005	130.53
3.	मचावरम	पूर्व गोदावरी	16149	जनवरी, 2005	269.77
4.	सोमपेटा**	श्रीकाकुलम	15783	जनवरी, 2005	59.53
5.	पेंडूरथी**	विशाखापट्टनम	9742	जनवरी, 2005	270.27
6.	रामपचोदावरम**	पूर्व गोदावरी	7844	जनवरी, 2005	67.83
7.	बापूलपाडू**	कृष्णा	10782	जनवरी, 2005	304.83
8.	कमलापुरम**	कडापा	12356	जनवरी, 2005	72.70
9.	डोरनाकल**	वारांगल	15974	जनवरी, 2005	376.77
10.	बाडमभेल**	कडापा	13670	जनवरी, 2005	71.73
11.	वेपराला**	कडापा	6811	जनवरी, 2005	57.70
12.	नागीरेडडीपल्ली**	कडापा	9783	जनवरी, 2005	54.60
13.	बुग्गानीपल्ली**	कुरूनूल	12694	जनवरी, 2005	112.52
14.	कोंडापटेम-श्रीरामगर**	विजीनगरम	18604	फरवरी, 2005	334.22
15.	रजम**	श्रीकाकुलम	14274	फरवरी, 2005	566.37
16.	मधुगुला**	विशाखापट्टनम	12000	फरवरी, 2005	194.02
17.	गन्नावरम**	कृष्णा	16339	फरवरी, 2005	356.64
18.	शंकरपेट**	मेडक	6505	फरवरी, 2005	348.24
19.	निल्लीमरला**	विजीनगरम	18057	फरवरी, 2005	113.28
20.	श्रीसाईलाम**	महबूबनगर	3636	फरवरी, 2005	169.87
			204854		3531.12

**वित्तीय स्वीकृति प्रतीक्षित।

समेकित बाल विकास सेवा योजना

10. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत पूरे देश में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र खोले गए हैं;

(ख) क्या उन केन्द्रों में अभी तक कार्यक्रम अधिकारी के पदों का सृजन नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) कुल स्वीकृत 7,54,703 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 31.12.2004 तक 6,98,167 केन्द्र परिचालित हो चुके हैं।

(ख) से (घ) कार्यक्रम अधिकारी का पद जिला स्तर पर स्वीकृत किया जाता है। कार्यक्रम अधिकारियों के अब तक 450

पद स्वीकृत किये जा चुके हैं। शेष जिलों में, जिनमें पांच या इससे अधिक आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं हैं, इन पदों की स्वीकृति को संसाधनों की कमी के कारण दसवीं योजना में अनुमोदित नहीं किया गया है।

अनुसूचित जनजाति समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना

11. श्री बापू हरी चौरे: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति समुदाय को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्त और विकास निगम द्वारा स्वीकृत ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ग) जनजातीय दुकानों (शाप्स) की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं; और

(घ) अब तक हासिल उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु अनेक केन्द्रीय क्षेत्र की/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। इन योजनाओं का ब्यौरा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2003-04 में उपलब्ध है। ये योजनाएं जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय लोगों के जीवन स्तर की गुणवत्ता में वृद्धि, अवस्थापना विकास आदि में मदद करती है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) द्वारा स्वीकृत ऋण का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(लाख रुपए में)

वर्ष	स्वीकृत ऋण धनराशि (एनएसटीएफडीसी के अंश के रूप में)
2001-02	6324.58
2002-03	9898.21
2003-04	7914.90

(ग) और (घ) इस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रही एक उच्च स्तरीय सहकारी समिति, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि. (ट्राइफेड) ने जनजातीय लोगों को उनके हस्तशिल्प के खुदरा विपणन के जरिए लाभकारी मूल्य दिलाने और उनके विकास के लिए 9, महादेव रोड, नई दिल्ली में एक ट्राइब्स शाप की स्थापना की है। अक्तूबर, 2004 तक ट्राइब्स शाप ने 175.58 लाख रुपए की बिक्री दर्ज की है।

दिल्ली में देह व्यापार

12. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ समय से दिल्ली और भारत के अन्य शहरों में देह व्यापार नई शक्ल अख्तियार करता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेष रूप से दिल्ली में कई संगठित गिरोहों, मसाज सैंटर्स, इंटरनेट बैंकिंग, फोन-इन-फ्रेंडशिप और यहां तक कि भूसम्पत्ति व्यापार में शामिल प्रापर्टी डीलरों और फार्म हाउसों एवं ब्यूटी पार्लरों आदि के माध्यम से भी देह व्यापार चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों और उसके बाद से अब तक इस संबंध में कितने मामले सामने आए और कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संकट से निपटने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) मसाज पार्लरों, फोन-इन-फ्रेंडशिप, फार्म हाउसों और ब्यूटी पार्लरों के माध्यम से चलाए जा रहे देह व्यापार के अनेक मामले दिल्ली पुलिस द्वारा पता लगाए गए हैं। वर्ष 2003, 2004 तथा 2005 के दौरान पता लगाए गए मामलों तथा गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) देह व्यापार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं:- ऐसे असामाजिक तत्वों, जिन पर देह व्यापार में संलिप्त होने का संदेह है, पर निगरानी रखने के लिए पुलिस कार्मिकों को नियमित रूप से ब्रीफ करना; ऐसी अनैतिक गतिविधियों में शामिल अथवा संदिग्ध रूप से शामिल होस्टलों, गेस्ट हाउसों, फार्म हाउसों, ब्यूटी पार्लरों, मसाज पार्लरों आदि की नियमित रूप से जांच करना, स्थानीय स्तर पर आसूचना एकत्र करना; ऐसी गतिविधियों के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक तथा सामाजिक संगठनों से सहयोग लेना; तथा उन अपराधियों जो विगत में ऐसे अपराधों में शामिल थे, पर नजर रखना।

विवरण

	2003		2004		2005 (31 जनवरी तक)	
	पता लगाए गए मामले	गिरफ्तार व्यक्ति	पता लगाए गए मामले	गिरफ्तार व्यक्ति	पता लगाए गए मामले	गिरफ्तार व्यक्ति
मसाज पार्लर	1	7	3	18	–	–
इन्टरनेट बैंकिंग	–	–	–	–	–	–
फोन-इन-फ्रेंडशिप	–	–	1	5	–	–
प्रोपर्टी डीलर	–	–	–	–	–	–
फार्म हाउस	–	–	2	14	–	–
ब्यूटी पार्लर	3	15	9	49	1	4
कुल	4	22	15	86	1	4

[अनुवाद]

खेल प्रशिक्षण सहित खिलाड़ियों को उच्च शिक्षा

13. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा विभिन्न केन्द्रों पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन किया जाता है और उन्हें विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण दिया जाता है;

(ख) क्या इन खिलाड़ियों को खेल प्रशिक्षण सहित उच्च शिक्षा के लिए भी सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा राज्य-वार कितनी राशि व्यय की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो भारतीय खेल प्राधिकरण में प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ियों को उच्च शिक्षा देने हेतु राज्य-वार विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में शिमला, मंडी, सोलन जिलों में क्या कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी, हां। भारत सरकार देश में भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) के माध्यम से खेलों के विकास के लिए निम्नलिखित खेल संवर्धनकारी योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:-

1. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन.एस.टी.सी.)

2. सेना बाल खेल कंपनी (ए.बी.एस.सी.)

3. भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र (एस.टी.सी.)

4. विशेष क्षेत्र खेल (एस.ए.जी.)

5. उत्कृष्टता केन्द्र (सी.ओ.एक्स.)

उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत रिहायशी और गैर-रिहायशी शाखाओं के अंतर्गत योजना के मानदण्ड पर आधारित प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन किया जाता है।

(ख) उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत रिहायशी आधार पर चयनित खिलाड़ियों को प्रवेश दिया जाता है तथा नियमित खेल प्रशिक्षण के चलते हुए उनकी शिक्षा पर भी बल दिया जाता है तथा उनके शैक्षिक खर्चों को पूरा करने के लिए इन प्रशिक्षणार्थियों को प्रति वर्ष 1000 रु. प्रदान किये जाते हैं।

(ग) निधियों का राज्य-वार आवंटन नहीं है।

(घ) शैक्षिक व्यय को पूरा करने के लिए बंगलौर, गांधीनगर, भोपाल, इम्फाल, कोलकाता और चंडीगढ़ पर स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केन्द्रों को निधियां आवंटित की जाती है। वर्ष 2003-04 के दौरान शैक्षिक व्यय को पूरा करने के लिए 55.08 लाख रु. तक के फंडस जारी किये गये थे। वर्तमान में भारतीय खेल प्राधिकरण धर्मशाला और बिलासपुर में दो भा.खे.प्रा. के प्रशिक्षण केन्द्र चला रहा है जहां राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों

को एथलेटिक्स, बास्केट बाल, वालीबाल, कबड्डी, मुक्केबाजी और हाकी की खेल विधाओं में नियमित रिहायशी प्रशिक्षण के लिए प्रवेश दिया जाता है। इन रिहायशी प्रशिक्षणार्थियों को अपने शैक्षिक खर्चों को पूरा करने के लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति वर्ष 1000 रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

विश्व व्यापार संगठन समझौते का प्रभाव

14. श्री बालेश्वर यादव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक दशक पूर्व विश्व व्यापार संगठन के समझौतों के कार्यान्वयन के बाद देश को हुई लाभ-हानि का मूल्यांकन किया है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान अत्यधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा के संग्रहण के परिप्रेक्ष्य में देश में बढ़े हुए आयात का ब्यौरा क्या है और इसी अवधि के दौरान निर्यात में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) डब्ल्यू टी ओ की सदस्यता से भारत सहित इसके सदस्यों के लिए अधिकार और दायित्व प्राप्त होते हैं। डब्ल्यू टी ओ के किसी सदस्य को प्राप्त होने वाले ऐसे अधिकारों और दायित्वों में डब्ल्यू टी ओ के अन्य सदस्य देशों में किसी सदस्य की वस्तुओं और सेवाओं के लिए राष्ट्रीय व्यवहार और परम मित्र राष्ट्र व्यवहार शामिल हैं। प्रत्येक सदस्य से डब्ल्यू टी ओ के विभिन्न करारों के अंतर्गत विशिष्ट वचनबद्धताएं करने की उम्मीद भी की जाती है। डब्ल्यू टी ओ के विभिन्न करारों से भारत और अन्य विकासशील देशों को नियम आधारित पारदर्शी, पूर्व अनुमानित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से व्यापार की सुविधा से प्राप्त होने वाले लाभ प्राप्त हुए हैं। डब्ल्यू टी ओ द्वारा प्रदान की गई नियम आधारित प्रणाली से सदस्यों को अधिक शक्तिशाली व्यापार भागीदारों द्वारा की गई एकपक्षीय कार्यवाही से संरक्षण भी मिलता है।

भारत द्वारा चरणबद्ध ढंग से विशिष्ट वचनबद्धताएं कार्यान्वित की जानी थी। कृषि उत्पादों के बारे में 2004 में समाप्त होने वाले चरणबद्ध रूप से सहमत स्तर तक टैरिफों में कमी की जानी थी। गैर-कृषि उत्पादों के लिए (वस्त्र और परिधान उत्पादों के अतिरिक्त) टैरिफ कटौती वचनबद्धताएं वर्ष 2000 तक समाप्त होने वाली छह वर्ष की अवधि के दौरान पूरी की जानी थी। वस्त्र और परिधान उत्पादों के संबंध में 31 दिसम्बर, 2004 को समाप्त होने वाली 10 वर्ष की अवधि में कार्यान्वयन किया जाना था। डब्ल्यू टी ओ में वचनबद्धताओं के चरणबद्ध कार्यान्वयन और इस तथ्य की दृष्टि से कि भारत में व्यापार सुधार काफी सीमा तक स्वायत्तता तथा महसूस की गई आवश्यकता के आधार पर अन्य आर्थिक सुधार किए गए थे इसलिए डब्ल्यू टी ओ में भारत की सदस्यता के आधार पर उदारीकरण के कारण विशिष्ट लाभों एवं हानियों को अलग-अलग करना संभव नहीं है। भारत के निर्यात 1994-95 में 26.3 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2003-04 में 63.8 बिलियन अमरीकी डालर हो गए थे जबकि आयात इसी अवधि में 28.7 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 78.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गए थे।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय महिला आयोग का पुनर्गठन

15. श्री ए. साई प्रताप: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) आयोग का पुनर्गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विद्यालयों में प्रवेश से इन्कार

16. श्री पी. करूणाकरन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एच.आई.वी. पाजीटिव रोग से प्रभावित छोटे बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश देने से इन्कार करने के बारे में संगठनों/राज्य सरकार/व्यक्तियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में व्यापक विधान बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

खेलों का स्तर

17. श्री फ्रान्सिस फैन्थम: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी सहायता द्वारा समर्थित खेलकूद स्तर में अभी तक वांछित स्तर तक सुधार नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि सरकारी सहायता प्राप्त खेल विद्यालय, अकादमियों एवं अन्य विभिन्न संस्थान राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन के लिए जवाबदेह हों?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) और (ख) खेल राज्य सूची का विषय है और राज्य स्तर पर उसका संवर्धन संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एन.एस.एफ.) भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के संवर्धन के लिए जिम्मेदार हैं। अवस्थापना, उपस्कर, प्रशिक्षण (देश में और विदेश में), अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में सहभागिता, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों का आयोजन, विदेशी प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, प्रतिभाओं का अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन आदि के प्रति इन विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार और राष्ट्रीय खेल परिसंघों को खेलों के संवर्धन के लिए सरकारी सहायता प्रदान की जाती है। भारतीय खेल प्राधिकरण देश में खेलों के संवर्धन के लिए निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है:-

1. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन.एस.टी.सी.)
2. सेना बाल खेल कंपनी (ए.बी.एस.सी.)
3. विशेष क्षेत्र खेल (एस.ए.जी.)
4. भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्र (एस.टी.सी.)
5. उत्कृष्टता केन्द्र (सी.ओ.एक्स.)।

राष्ट्रमंडल खेल, 2002 से अब तक भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन यह संकेत करता है कि खेलकूद के स्तर में भारतीय खेल प्राधिकरण सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा किये गये संयुक्त प्रयासों के कारण पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ है। भारत ने राष्ट्रमंडल खेल, 2002 में 69 रिकार्ड पदक (पिछले खेलों में 25 के विरुद्ध) और चौथा स्थान प्राप्त किया। बुसान एशियाई खेलों में प्रदर्शन को कायम रखा गया था जिसमें भारत ने 36 पदक प्राप्त किये। तब से, भारतीय खिलाड़ियों ने हैदराबाद में प्रथम एफ्रो-एशियाई खेल और 2004 में इस्लामाबाद में सैफ खेलों सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं की संख्या में अच्छा प्रदर्शन किया है। एथेंस ओलम्पिक, 2004 में, भारत ने स्वतंत्रता से व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम रजत पदक जीता जबकि कुछ खिलाड़ियों ने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। एथेंस में पैरालंपिक खेल, 2004 में भारत ने एथलेटिक्स में एक स्वर्ण पदक जीता तथा पावरलिफ्टिंग में एक कांस्य पदक जीता।

(ग) खेल राज्य का विषय होने के नाते, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और संस्थान प्राथमिक रूप से राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन हैं। तथापि, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना (एन.एस.टी.सी.) के अंतर्गत, स्कूलों के प्रदर्शन की मानिटरिंग की जाती है।

फार्मेक्सिल का गठन

18. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "फार्मा मेम्बर एक्सपोर्टर केमेक्सील" से प्राप्त किसी अनुरोध के अभाव में निर्यात संवर्द्धन परिषद के पुनर्गठन के संबंध में दिनांक 11 अक्तूबर, 2000 को वाणिज्य विभाग के निर्धारित नियम तथा प्रक्रिया संबंधी मार्गनिर्देशों में ढील देने के क्या कारण हैं;

(ख) नई सरकार के गठन से पूर्व मई, 2004 में जल्दबाजी में फार्मेक्सिल का गठन अधिसूचित करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बहुसंख्य फार्मा निर्यातकों से कोई समर्थन न रहते हुए भी उद्योग के एक प्रभावशाली वर्ग द्वारा नियंत्रित फार्मेक्सिल द्वारा धनराशि के विपथन को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) विश्व बाजार में उभरते हुए भेषज क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के लिए फार्मेक्सिल का गठन करते समय दिनांक 11 अक्तूबर, 2000 के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्यात संवर्द्धन फोरम (ई पी एफ) गठित न करने बल्कि एक निर्यात संवर्द्धन परिषद (ईपीसी) गठित करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था।

(ख) अधिसूचना इससे पूर्व जारी की जा सकती थी किन्तु चूंकि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गयी थी इसलिए चुनाव आयोग के परामर्श से उक्त अधिसूचना 10 मई, 2004 को मतदान पूरा होने के बाद ही जारी की गयी थी।

(ग) सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम

19. श्री बीर सिंह महतो: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में राज्य-वार कितने स्टेडियम हैं;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य-वार विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में कितने स्टेडियमों का निर्माण किया गया;

(ग) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कोई स्टेडियम का निर्माण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) 'खेल' राज्य सूची का विषय है। यह मुख्यत: राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राज्य में स्टेडियमों सहित खेल सुविधाओं का सृजन करे। अत:, राज्य में उपलब्ध स्टेडियमों की संख्या के बारे में पूर्ण सूचना का रखरखाव मंत्रालय में नहीं किया जाता। तथापि, केन्द्र सरकार 'खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों' की योजना के अंतर्गत अनुमोदित पैटर्न के अनुसार केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराकर स्टेडियमों सहित विभिन्न खेल सुविधाओं के सृजन के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करती है बशर्ते कि राज्यों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त हों।

(ख) उपर्युक्त योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता से 2002-03 से 2004-05 तक (22.2.2005 तक की स्थिति के अनुसार) पूरे किए गए स्टेडियमों का राज्य-वार ब्यौरा, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) पिछले दो वर्षों अर्थात् 2002-03 से 2003-04 के दौरान, बोलपुर में इंडोर स्टेडियम की एक परियोजना अनुमोदित की गई है। एक परियोजना जो पहले 2001-02 में अनुमोदित की गई थी तथा जो शहरी क्षेत्र में है, 2003-04 में पूरी की गई है।

(घ) जलपाईगुड़ी में इंडोर स्टेडियम (श्रेणी-3) को 20.00 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता से पूरा किया गया है।

विवरण

खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत 2002-2003 से 2003-2004 तक (22.2.2005 तक की स्थिति के अनुसार) पूरे किए गए स्टेडियमों की संख्या

राज्य का नाम	2002-2003	2003-2004	2004-2005
आंध्र प्रदेश	0	7	00
अरुणाचल प्रदेश	0	1	00
हरियाणा	1	00	1
हिमाचल प्रदेश	1	00	1
गुजरात	0	00	1
कर्नाटक	11	3	3
केरल	0	2	00
मध्य प्रदेश	0	1	00
महाराष्ट्र	0	1	1
मणिपुर	0	00	1
मिजोरम	0	10	00
नागालैंड	1	00	3
पंजाब	1	00	00
राजस्थान	0	00	1
तमिलनाडु	0	1	2
पश्चिम बंगाल	0	1	00
कुल	15	27	14

[अनुवाद]

तमिलनाडु में जनजातीय आबादी

20. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु में रह रही कुल जनजातीय आबादी का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद राज्य में जनजातीय आबादी की सहायता करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों सहित विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से राज्य को कितनी वित्तीय सहायता जारी की गई?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) मंत्रालय ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है, फिर भी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु में रह रही जनजातीय जनसंख्या 6,51,321 है।

(ख) यह मंत्रालय तमिलनाडु समेत पूरे देश में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चला रहा है। तमिलनाडु राज्य को जिन योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता दी गई है तथा उस राज्य को पिछले तीन वर्षों के दौरान एवं उसके पश्चात् कितनी वित्तीय सहायता दी गई है, इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 2001-02, 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान तमिलनाडु राज्य को निर्मुक्त वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	योजना का नाम	जारी की गई वित्तीय सहायता			
		2001-02	2002-03	2003-04	2004-05 (20.2.2005 के अनुसार)
1.	अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग एवं सम्बद्ध तथा अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	34.81	72.44	20.78	44.72
2.	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	–	2.40	6.99	–
3.	कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर	–	0.30	–	–
4.	आदिम जनजातीय समूहों का विकास	49.54	–	10.00	136.50
5	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	323.32	323.32	290.99	145.99
6.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सहायता अनुदान	405.00	210.00	250.00	117.24
7.	अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक तथा प्रतिभा उन्नयन की योजना	3.31 (मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति), 2.64 पुस्तक बैंक)	– 2.64 (पुस्तक बैंक)	–	49.05 (मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति)
8.	जनजातीय अनुसंधान संस्थान	–	6.97	–	–

आपदा राहत कोष का दुरूपयोग

21. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आपदा राहत कोष के अंतर्गत असम के लिए आवंटित धनराशि के बड़े पैमाने पर हुये दुरूपयोग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) वर्ष 2004 के दौरान कितनी राशि का आवंटन और कितनी राशि का उपयोग किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) असम के लिए आपदा राहत निधि के दुरूपयोग की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) वर्ष 2004-2005 के लिए आपदा राहत निधि में 123.36 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है जिसमें से 92.52 करोड़ रुपए केन्द्रीय हिस्से के रूप में और 30.84 करोड़ रुपए राज्य हिस्से के रूप में है। केन्द्र का पूरा हिस्सा राज्य सरकार को जारी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 2004 की बाढ़ के प्रबंधन के लिए वर्ष 2004-05 के दौरान राष्ट्रीय आपदा आकिस्मकता निधि से 211.55 करोड़ की राशि भी जारी की गई थी। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इसके मुकाबले उनके द्वारा पहले ही 278.00 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है।

जनजाति संबंधी आयोग

22. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्री दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्र संबंधी द्वितीय संवैधानिक आयोग गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने आयोग के प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व जनजातियों के विषय में एक मसौदा राष्ट्रीय नीति परिचालित किया था;

(घ) यदि हां, तो भूरिया आयोग की स्थिति क्या है; और

(ङ) जनजाति संबंधी मसौदा राष्ट्रीय नीति की स्थिति क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) जी, हां। अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का उद्देश्य देश में सामाजिक-राजनैतिक एवं प्रशासनिक ढांचे, विकास की कार्य नीतियों, संवैधानिक प्रावधानों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और/अथवा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित मामलों की जांच करना तथा एक सक्षम समग्र जनजातीय नीति की रूपरेखा तैयार करना था।

(ग) से (ङ) अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति आयोग से रिपोर्ट प्राप्त होने से पूर्व प्रारूप जनजातीय राष्ट्रीय नीति को परिचालित किया गया था। मंत्रालय विशेषज्ञों की टिप्पणियों/विचारों तथा आंचलिक संगोष्ठियों की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए प्रारूप जनजातीय राष्ट्रीय नीति पर कार्य कर रहा है।

[हिन्दी]

वाल्मीकि-अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण

23. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वाल्मीकि-अम्बेडकर आवास योजना के शुरू होने के पश्चात् झुग्गी वासियों के लाभ हेतु कितने आवासों को निर्माणार्थ स्वीकृति दी गयी है और इनमें से राज्यवार, श्रेणी-वार और वर्षवार कितने आवास बनाए गए हैं; और

(ख) आज की तिथि के अनुसार इस परियोजना की प्रगति रिपोर्ट क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) वाल्मीकि अम्बेडकर आवास (वाम्बे) स्कीम शुरू किए जाने से 31.12.2004 तक, भारत सरकार ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 3,49,223 रिहायशी इकाइयों और 49,312 टायलेट सीटों के निर्माण/उन्नयन के लिए 749.87 करोड़ रु. की केन्द्रीय सब्सिडी जारी की है। राज्यवार, वर्षवार ब्यौरे *विवरण* के रूप में संलग्न हैं। मंत्रालय रिहायशी इकाइयों और टायलेय सीटों के संबंध में राज्यवार आंकड़ों की निगरानी रखता है तथा श्रेणीवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 31.12.2004 तक 1,60,613 रिहायशी इकाइयों का निर्माण पूरा किया जा चुका है और 33,254 निर्माणाधीन हैं जबकि 28,320 टायलेट सीटों का निर्माण पूरा हो गया है और 3327 टायलेट सीटें निर्माणाधीन हैं।

विवरण

वाम्बे के तहत वर्ष 2001-02 के लिए राज्यवार आवंटित और जारी की गई धनराशि (31.12.2004 की स्थिति के अनुसार वास्तविक प्रगति)

31.12.2004 के अनुसार वास्तविक प्रगति

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	6900.00 लाख रु. में से राज्यवार आवंटन (2001-02)	2001-02 के दौरान जारी धनराशि	शामिल रिहायशी इकाइयों की संख्या	शामिल टायलेट सीटों की संख्या	31.12.2004 के अनुसार वास्तविक प्रगति	
						पूर्णत: निर्मित/निर्माणाधीन रिहायशी इकाइयों की संख्या	पूर्णत: निर्मित/निर्माणाधीन टायलेट सीटों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	671.48	1200.00	4000	0	3284	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.19	–	–	–	–	–
3.	असम	65.02	–	–	–	–	–
4.	बिहार	296.68	–	–	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	84.24	65.00	325	0	325	0
6.	गोवा	12.73	–	–	–	–	–
7.	गुजरात	383.78	384.00	1536	0	1536	0
8.	हरियाणा	112.35	–	–	–	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	18.01	–	–	–	–	–
10.	जम्मू और कश्मीर	86.86	87.00	387	0	252	0
11.	झारखण्ड	98.89	–	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	198.22	915.00	3333	575	3333	575
13.	केरल	183.61	182.00	910	0	910	0
14.	मध्य प्रदेश	227.74	200.75	803	0	593	0
15.	महाराष्ट्र	1198.26	1198.00	4661	597	4661	597
16.	मणिपुर	12.63	–	–	–	–	–
17.	मेघालय	12.96	–	–	–	–	–
18.	मिजोरम	12.90	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	नागालैंड	6.80	–	–	–	–	–
20.	उड़ीसा	125.07	–	–	–	–	–
21.	पंजाब	211.33	–	–	–	–	–
22.	राजस्थान	364.40	300.00	1500	0	1500	0
23.	सिक्किम	1.37	–	–	–	–	–
24.	तमिलनाडु	486.43	1172.00	2610	3000	2610	3000
25.	त्रिपुरा	9.97	10.05	45	0	45	0
26.	उत्तरांचल	43.02	36.00	180	0	17	0
27.	उत्तर प्रदेश	817.42	443.45	2217	0	2217	0
28.	पश्चिम बंगाल	734.13	690.60	2529	393	1108	0
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	5.71	–	–	–	–	–
30.	चंडीगढ़	23.81	–	–	–	–	–
31.	दादरा व नगर हवेली	0.44	–	–	–	–	–
32.	दमन और दीव	1.55	–	–	–	–	–
33.	दिल्ली	363.45	50.00	167	0	167	–
34.	पांडिचेरी	23.75	33.50	170	40	170	40
35.	लक्षद्वीप	0.80	–	–	–	–	–
	कुल	6900.00	6967.35	25373	4605	22724	4212

वर्ष 2002-03 के लिए राज्यवार आवंटित और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा
(31.12.2004 की स्थिति के अनुसार वास्तविक प्रगति)

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वर्ष 2002-03 के लिए अंतरिम आवंटन	वर्ष 2002-03 के दौरान जारी धनराशि	शामिल रिहायशी इकाइयों की संख्या	शामिल टायलेट सीटों की संख्या	31.12.2004 के अनुसार वास्तविक प्रगति	
						पूर्णत: निर्मित/निर्माणाधीन रिहायशी इकाइयों की संख्या	पूर्णत: निर्मित/निर्माणाधीन टायलेट सीटों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2499.55	5535.437	22268	392	18898	148

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.58	–	–	–	–	–
3.	असम	242.04	–	–	–	–	–
4.	बिहार	1104.37	–	–	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	313.58	529.410	2185	462	2185	0
6.	गोवा	47.40	–	–	–	–	–
7.	गुजरात	1428.62	3089.000	18776	1460	18758	1460
8.	हरियाणा	418.22	–	–	–	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	67.05	–	–	–	–	–
10.	जम्मू और कश्मीर	323.34	38.320	170	0	97	0
11.	झारखण्ड	368.12	–	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	737.87	1967.600	6979	2215	6979	2215
13.	केरल	683.48	2389.650	11948	0	9405	0
14.	मध्य प्रदेश	847.75	934.780	4054	170	1311	0
15.	महाराष्ट्र	4460.47	845.600	328	3900	328	3737
16.	मणिपुर	47.03	7.875	35	0	35	0
17.	मेघालय	48.23	–	–	–	–	–
18.	मिजोरम	48.03	–	–	–	–	–
19.	नागालैंड	25.30	9.000	40	0	40	0
20.	उड़ीसा	465.59	61.200	306	0	306	0
21.	पंजाब	786.68	–	–	–	–	–
22.	राजस्थान	1356.46	900.000	4000	0	2978	0
23.	सिक्किम	5.11	–	–	–	–	–
24.	तमिलनाडु	1810.70	2846.500	27226	11880	27209	11880
25.	त्रिपुरा	37.10	144.978	644	0	644	0
26.	उत्तरांचल	160.15	160.150	701	100	184	10
27.	उत्तर प्रदेश	3042.82	1104.055	5412	0	5412	0
28.	पश्चिम बंगाल	2732.77	1160.850	5002	819	3910	850
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	21.27	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	चंडीगढ़	88.61	–	–	–	–	–
31.	दादरा व नगर हवेली	1.62	–	–	–	–	–
32.	दमन और दीव	5.77	–	–	–	–	–
33.	दिल्ली	1352.93	–	–	–	–	–
34.	पांडिचेरी	88.41	–	–	–	–	–
35.	लक्षद्वीप	2.99	–	–	–	–	–
	कुल	25685.00	21724.405	110074	21398		
	कर्नाटक के लिए निदर्शी परियोजना		75.000	125	0		
	कुल योग		21799.405	110199	21398	98679	20300

वर्ष 2003-04 के लिए राज्यवार आवंटित और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा
(31.12.2004 की स्थिति के अनुसार वास्तविक प्रगति)

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वर्ष 2003-04 के लिए अंतरिम आवंटन	वर्ष 2003-04 के दौरान जारी धनराशि	शामिल रिहायशी इकाइयों की संख्या	शामिल टायलेट सीटों की संख्या	31.12.2004 के अनुसार वास्तविक प्रगति	
						पूर्णत: निर्मित/निर्माणाधीन रिहायशी इकाइयों की संख्या	पूर्णत: निर्मित/निर्माणाधीन टायलेट सीटों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2320.97	5973.893	27627	0	14644	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	14.47	–	–	–	–	–
3.	असम	224.74	–	–	–	–	–
4.	बिहार	1025.47	10.00	50	0	–	–
5.	छत्तीसगढ़	291.17	369.99	1850	0	1750	0
6.	गोवा	44.02	–	–	–	–	–
7.	गुजरात	1326.56	–	–	–	–	–
8.	हरियाणा	388.35	652.60	3263	0	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	62.26	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	जम्मू और कश्मीर	300.24	–	–	–	–	–
11.	झारखण्ड	341.82	–	–	–	–	–
12.	कर्नाटक	685.15	3944.10	14978	3090	14977	1620
13.	केरल	634.64	1385.20	6926	0	1824	0
14.	मध्य प्रदेश	787.18	255.22	1024	0	1013	0
15.	महाराष्ट्र	4141.82	5286.467	22700	0	15753	0
16.	मणिपुर	43.67	191.92	853	0	853	0
17.	मेघालय	44.79	–	–	–	–	–
18.	मिजोरम	44.59	–	–	–	–	–
19.	नागालैंड	23.49	172.35	766	0	766	0
20.	उड़ीसा	432.32	46.40	232	0	192	0
21.	पंजाब	730.48	–	–	–	–	–
22.	राजस्थान	1259.55	40.00	200	0	–	–
23.	सिक्किम	4.74	–	–	–	–	–
24.	तमिलनाडु	1681.34	2073.00	14684	0	11871	0
25.	त्रिपुरा	34.45	219.60	976	0	976	0
26.	उत्तरांचल	148.71	205.20	1098	0	–	–
27.	उत्तर प्रदेश	2825.43	1899.00	8642	0	3565	0
28.	पश्चिम बंगाल	2537.54	159.41	797	0	680	0
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	19.75	–	–	–	–	–
30.	चंडीगढ़	82.28	–	–	–	–	–
31.	दादरा व नगर हवेली	1.50	–	–	–	–	–
32.	दमन और दीव	5.36	–	–	–	–	–
33.	दिल्ली	1256.27	–	–	–	–	–
34.	पांडिचेरी	82.09	77.20	408	80	–	–
	कुल	23850.00	23061.00	107336	3170	69013	1620
	विभिन्न उप-घटकों अर्थात् निदर्शी परियोजनाओं, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), सूचना प्रसारण, स्टाफ प्रशिक्षण आदि के तहत जारी धनराशि		793.600	1040	0	0	0
	कुल योग		23854.60	108376	3170	69013	1620

वर्ष 2004-05 के लिए राज्यवार आवंटित और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा
(31.12.2004 की स्थिति के अनुसार वास्तविक प्रगति)

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वर्ष 2004-05 के लिए अंतरिम आवंटन	वर्ष 2004-05 के दौरान 30.11.04 की स्थिति अनुसार जारी धनराशि	शामिल रिहायशी इकाइयों की संख्या	शामिल टायलेट सीटों की संख्या	31.12.2004 के अनुसार वास्तविक प्रगति	
						पूर्णत: निर्मित/निर्माणाधीन रिहायशी इकाइयों की संख्या	पूर्णत: निर्मित/निर्माणाधीन टायलेट सीटों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2731.00	3360.900	15582	–	–	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	17.00	–	–	–	–	–
3.	असम	264.00	–	–	–	–	–
4.	बिहार	1207.00	–	–	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	343.00	–	–	–	–	–
6.	गोवा	52.00	–	–	–	–	–
7.	गुजरात	1561.00	–	–	–	–	–
8.	हरियाणा	457.00	–	–	–	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	73.00	–	–	–	–	–
10.	जम्मू और कश्मीर	353.00	–	–	–	–	–
11.	झारखण्ड	402.00	718.800	3504	90	–	–
12.	कर्नाटक	806.00	–	–	–	–	–
13.	केरल	747.00	–	–	–	–	–
14.	मध्य प्रदेश	926.00	–	–	–	–	–
15.	महाराष्ट्र	4873.00	11090.868	40695	10844	1261	4495
16.	मणिपुर	51.00	–	–	–	–	–
17.	मेघालय	53.00	–	–	–	–	–
18.	मिजोरम	52.00	–	–	–	–	–
19.	नागालैंड	28.00					
20.	उड़ीसा	509.00	4.400	22	–	–	–
21.	पंजाब	859.00	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	राजस्थान	1482.00	600.000	2500	–	–	–
23.	सिक्किम	6.00	–	–	–	–	–
24.	तमिलनाडु	1978.00	4515.630	33719	9050	–	–
25.	त्रिपुरा	41.00	–	–	–	–	–
26.	उत्तरांचल	175.00	–	–	–	–	–
27.	उत्तर प्रदेश	3324.00	1991.950	8835	155	–	–
28.	पश्चिम बंगाल	2986.00	–	–	–	–	–
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	23.00	–	–	–	–	–
30.	चंडीगढ़	97.00	–	–	–	–	–
31.	दादरा व नगर हवेली	2.00	–	–	–	–	–
32.	दमन और दीव	6.00	–	–	–	–	–
33.	दिल्ली	1478.00	–	–	–	–	–
34.	पांडिचेरी	97.00	83.600	418	–	–	–
35.	लक्षद्वीप	0.00	–	–	–	–	–
	कुल	28058.00	22366.148	105275	20139	1261	4495

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में नए छात्रावासों का निर्माण

24. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को जानकारी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय सहित विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए विदेश के साथ-साथ देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले विद्यार्थियों को आवासीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में नए छात्रावासों का निर्माण करने हेतु कोई उपाय कर रही है;

(ग) यदि हां, तो नए छात्रावासों के निर्माण कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

25. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा राज्यों के कल्याण बोर्डों द्वारा गत तीन वर्षों और उसके बाद राज्यवार कितनी सीमा क्षेत्र परियोजनाएं संचालित की गयी हैं;

(ख) क्या गत कई महीनों से त्रिपुरा में सीमा क्षेत्र परियोजनाओं के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनका वेतन तथा पेंशन नहीं दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन सीमा क्षेत्र परियोजनाओं को बंद करने का है; और

(ङ) राज्य में इन कर्मचारियों को वेतन तथा पेंशन के समय से भुगतान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा राज्यों में समाज कल्याण बोर्डों द्वारा आयोजित सीमा क्षेत्र परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा *विवरण* के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) मौजूदा नीति के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र परियोजना लागत का कुल एक-तिहाई हिस्सा प्रदान करते हैं और दो-तिहाई हिस्सा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा वहन किया जाता है। राज्य बोर्डों द्वारा सभी परियोजनाओं के लिए बजट प्राक्कलन पहले ही भेजे जाते हैं और केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा उनका अनुमोदन किया जाता है। वेतन तथा पेंशन सहित तमाम राशि संबंधित राज्य बोर्डों को निर्मुक्त की जाती है, जो आगे यह राशि सीमा क्षेत्र परियोजनाओं को निर्मुक्त करते हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमा क्षेत्र परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सीमा क्षेत्र परियोजनाओं की संख्या वर्ष		
		2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	10	10	10
2.	गुजरात	8	8	8
3.	हिमाचल प्रदेश	3	3	3
4.	जम्मू व कश्मीर	11	11	11
5.	मणिपुर	3	3	3
6.	मिजोरम	2	2	2
7.	नागालैण्ड	6	6	6
8.	पंजाब	12	9	9
9.	राजस्थान	6	6	6
10.	सिक्किम	2	2	2
11.	त्रिपुरा	5	5	5
12.	पश्चिम बंगाल	12	12	12
13.	अण्डमान व निकोबार	5	5	5
14.	लक्षद्वीप	2	2	2

नेशनल मैनुफैक्चरिंग कंपिटीटिवनेस काउंसिल

26. प्रो. एम. रामदास: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेशनल मैनुफैक्चरिंग कंपिटीटीवनेस काउंसिल के सदस्य कौन-कौन हैं और इसके क्या कार्य हैं;

(ख) भारत में उत्पादक उद्यमों के विकास को बढ़ाने और इसे और प्रबल बनाने में इस काउंसिल के क्या प्रभाव रहे;

(ग) क्या सरकार का विचार समय के रहते राज्य सरकारों को स्टेट मैनुफैक्चरिंग कंपिटीटिवनेस काउंसिल स्थापित करने के लिए राजी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) परिषद के गठन और कार्यों की ओर संकेत करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) सरकार विनिर्माणकारी क्षेत्र के विकास पर अत्यधिक बल दे रही है। इसी संदर्भ में सरकार द्वारा राष्ट्रीय विनिर्माणकारी प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद की स्थापना की गई है। परिषद ने उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के साथ कई बार विचार-विमर्श किया है और सरकार के समक्ष सिफारिशें प्रस्तुत करने से पहले यह अन्य लोगों के साथ विचार-विमर्श करना जारी रखेगी।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गठन

राष्ट्रीय विनिर्माणकारी प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद के गठन में कैबिनेट मंत्री के स्तर का एक अध्यक्ष शामिल है। भारत सरकार के सचिव स्तर के एक सदस्य-सचिव के अतिरिक्त दिनांक 25 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना द्वारा परिषद में 24 सदस्य विभिन्न क्षेत्रों से नियुक्त किये गये हैं, जिनमें वरिष्ठ सरकारी प्राधिकारी, व्यावसायिक, शीर्ष औद्योगिक संगठनों और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

कार्य

राष्ट्रीय विनिर्माणकारी प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद (एनएमसीसी) सरकार को औद्योगिक और-क्षेत्र विशिष्ट पहलों पर सलाह देगी, जो उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए अपेक्षित हो सकती है जिसमें क्षेत्रीय और उद्यम-स्तर को पहले, नवीकरण और प्रौद्योगिकी विकास (आर एण्ड डी), उद्यमिता संवर्धन, अवसंरचना एवं सामर्थ्यकारी सुविधाएं, व्यापार और राजकोषीय नीतियां और रोजगार सृजन शामिल हैं।

जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु समिति

27. डा. बाबू राव मिडियम: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में विद्यमान विकास योजनाओं की जांच करके उनमें आवश्यक फेरबदल करते हुए एक उच्चस्तरीय स्थायी समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को समिति की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने किन सिफारिशों को स्वीकार किया है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (घ) सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु वर्तमान योजनाओं में आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए किसी उच्च स्तरीय स्थाई समिति का गठन नहीं किया है। तथापि, सरकार ने श्री भालचन्द्र मुंगेकर, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में जनजातीय विकास से संबंधित अंत:क्षेत्रीय मुद्दों पर उच्च स्तरीय स्थाई समिति का गठन किया है। स्थाई समिति होने के नाते इसे जनजातीय विकास के विभिन्न पहलुओं पर सतत रूप से कार्य करने का अधिदेश दिया गया है।

[हिन्दी]

विद्यालयों की कमी

28. श्रीमती जयाप्रदा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में विद्यालयों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 2004 तक प्रत्येक राज्य में अनुमानत: कितनी कमी रही;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इस कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को कोई राशि आवंटित की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितना वार्षिक औसतन आवंटन किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित 7वां अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण (संदर्भ दिनांक 30.9.2002) के अस्थायी आंकड़े के अनुसार भारत में लगभग 87 प्रतिशत ग्रामीण बस्तियों में 1 कि.मी. की दूरी के भीतर प्राथमिक स्तर की स्कूली सुविधाएं हैं। देश में ग्रामीण बस्तियों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार प्राथमिक स्कूली सुविधाओं का ब्यौरा संलग्न *विवरण-I* में दिया गया है। वर्ष 2002-03 से 2004-05 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान जिसमें नए विद्यालयों को खोलना शामिल है, के तहत जारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार वार्षिक अनुदान संलग्न *विवरण-II* में दिया गया है।

विवरण I

30 सितम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक स्तर पर स्कूली सुविधाओं की उपलब्धता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	
		कुल बस्तियां	1 कि.मी. तक प्राथमिक स्तर की स्कूली सुविधाएं रखने वाली बस्तियों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	66528	62475
2.	अरुणाचल प्रदेश	4200	2168

1	2	3	4
3.	असम	67138	56622
4.	बिहार	73030	64935
5.	छत्तीसगढ़	37933	34346
6.	गोवा	711	646
7.	गुजरात	33258	31136
8.	हरियाणा	8839	8123
9.	हिमाचल प्रदेश	35844	26877
10.	जम्मू और कश्मीर	20877	16409
11.	झारखण्ड	48465	37399
12.	कर्नाटक	51853	45845
13.	केरल	6664	5295
14.	मध्य प्रदेश	85149	75949
15.	महाराष्ट्र	77800	70929
16.	मणिपुर	3819	3034
17.	मेघालय	7277	6129
18.	मिजोरम	746	674
19.	नागालैण्ड	1478	1398
20.	उड़ीसा	89682	74370
21.	पंजाब	14726	13763
22.	राजस्थान	81014	64678
23.	सिक्किम	1390	1083
24.	तमिलनाडु	53980	47763
25.	त्रिपुरा	7556	5732
26.	उत्तर प्रदेश	208932	183772
27.	उत्तरांचल	25206	21193
28.	पश्चिम बंगाल	115685	106757
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	673	430
30.	चंडीगढ़	23	20
31.	दादरा और नगर हवेली	460	394
32.	दमन और दीव	82	71
33.	दिल्ली	179	179
34.	लक्षद्वीप	7	7
35.	पांडिचेरी	187	172
	भारत	1231391	1070863

स्रोत: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, 7वां अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अस्थायी आंकड़े

विवरण II

वर्ष 2002-03 से 2004-05 (19.2.2005 की स्थिति के अनुसार) सर्व शिक्षा अभियान के तहत जारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार अनुदान

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सर्व शिक्षा अभियान के तहत जारी अनुदान		
		2002-03	2003-04	2004-05 (19.2.05 तक)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	8226.10	9884.41	28000.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1412.00	675.35	1504.50
3.	असम	10175.92	12190.43	16654.00
4.	बिहार	7914.97	19515.75	31970.56
5.	छत्तीसगढ़	3639.73	6589.02	20786.76
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	14004.30	11660.13	14072.00
8.	हरियाणा	1717.62	5462.17	6144.00
9.	हिमाचल प्रदेश	2735.32	6895.55	12696.55
10.	जम्मू और कश्मीर	3244.32	11474.31	16568.50
11.	झारखण्ड	1948.85	5326.62	6848.28

1	2	3	4	5
12.	कर्नाटक	8270.46	10426.67	26280.70
13.	केरल	2250.78	4966.00	5939.00
14.	मध्य प्रदेश	11017.10	35237.91	44608.92
15.	महाराष्ट्र	11000.00	20526.67	35489.79
16.	मणिपुर	0.00	500.00	1225.00
17.	मेघालय	711.37	825.77	1926.00
18.	मिजोरम	903.29	1182.37	1650.12
19.	नागालैण्ड	973.28	0.00	2088.49
20.	उड़ीसा	2214.15	13453.27	21807.27
21.	पंजाब	4868.00	6492.49	3040.00
22.	राजस्थान	9995.58	15627.00	23500.00
23.	सिक्किम	425.14	269.73	600.25
24.	तमिलनाडु	13526.90	10805.84	26517.00
25.	त्रिपुरा	1162.18	2752.39	2334.65
26.	उत्तर प्रदेश	2067.69	3522.02	9144.71
27.	उत्तरांचल	20245.40	34043.30	87761.00
28.	पश्चिम बंगाल	10867.61	16748.23	46024.36
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	283.96	172.58
30.	चंडीगढ़	0.00	224.54	447.95
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	447.42	1119.1
32.	दमन और दीव	12.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	161.27	1959.62	0.00
34.	लक्षद्वीप	19.98	28.31	12.03
35.	पांडिचेरी	116.46	141.06	225.53
	भारत	155828.32	270138.31	496152.40

[अनुवाद]

दिल्ली में कानून-व्यवस्था की स्थिति

29. **श्री किन्जरपु येरननायडु:**
श्री सुरेश चन्देल:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री निखिल कुमार चौधरी:
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2004 और उसके पश्चात् के दौरान दिल्ली के अपराध ग्राफ में बढ़ोत्तरी दर्ज हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान दिल्ली में दर्ज और प्रकाश में आए विभिन अपराधों में तुलनात्मक आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली में अपराध के बढ़ने के जिम्मेदार कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दिल्ली को अपराध मुक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) वर्ष 2003 की तुलना में 2004 में दिल्ली में आई पी सी अपराध में 13.7% की वृद्धि हुई तथा जनवरी, 2004 की तुलना में जनवरी, 2005 में 16.45% की वृद्धि हुई। यद्यपि कुछ अपराधों में वृद्धि हुई है, लेकिन कुछ अन्यों में कमी आई है। वर्ष 2003 तथा 2004 के दौरान और जनवरी, 2004 तथा जनवरी, 2005 के दौरान अपराध के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दर्शाये गए हैं:

अपराध शीर्ष	2003	2004	2004 (31 जनवरी तक)	2005 (31 जनवरी तक)
1	2	3	4	5
जघन्य अपराध				
डकैती	28	30	–	02
हत्या	485	481	41	29
हत्या का प्रयास	407	519	29	29

1	2	3	4	5
लूटपाट	441	461	53	41
दंगे	80	67	03	05
फिरौती के लिए अपहरण	29	28	01	02
बलात्कार	490	551	35	38
गैर-जघन्य अपराध				
छीना-झपटी	532	775	18	40
घायल करना	1708	1780	106	110
सेंधमारी	1898	1875	189	164
कुल चोरी	15544	18994	1426	1401
अन्य आई पी सी	24019	26127	1842	2173
स्थानीय/विशेष कानून	21910	25136	1842	2478
कुल	67571	76827	5592	6512

(ग) और (घ) अपराधों का विश्लेषण समय-समय पर किया जाता है। इसके कुछ कारक हैं जैसे शहरीकरण में तेजी; बेरोजगारी; लोगों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करना जिससे वे आगे आएं और अपराधों को पंजीकृत कराएं।

(ङ) दिल्ली में अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए उठाए गए कदमों में गश्त की बीट प्रणाली में सुधार करना; अपराध की उच्च दर वाले पुलिस स्टेशनों की पहचान करना और ऐसे पुलिस स्टेशनों को अतिरिक्त मानव शक्ति और मोटर साईकिल पर गश्त लगाने का प्रावधान करना; इसकी कारगरता को इष्टतम बनाने के लिए गश्त लगाने की समय-सारणी को युक्तियुक्त बनाना; दुर्दान्त अपराधियों की गतिविधियों के बारे में आसूचना का विकास करना; पुलिस नियंत्रण कक्ष के वाहनों को बहु-आयामी कार्य सौंपना; महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठ की स्थापना करना; सभी नौ पुलिस जिलों में रेप क्राइसेस इंटरवेंशन सेन्टरों की स्थापना करना; बलात्कार के मामलों की जांच-पड़ताल में महिला पुलिस अधिकारियों को सहयोजित करना; महिला न्यायाधीशों की अध्यक्षता में तीन विशेष अदालतों का गठना करना, गैर-सरकारी संगठनों का नेटवर्क बनाना; संवेदनशील स्थानों पर सादे कपड़ों में कार्मिकों को तैनात करना; पुलिस नियंत्रण कक्ष में समर्पित "महिला हेल्पलाइन" टेलीफोन शुरू करना; संकट में पड़ी महिलाओं की गुहार पर कार्रवाई करने के लिए चौबीसों घंटे के आधार पर "महिला मोबाइल टीम" का गठन करना, पुलिस मुख्यालयों में "वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा कक्ष" का गठन करना; घरेलू नौकरों के पूर्ववृत्तों का नए सिरे से सत्यापन करने पर जोर देना; और रिहायशी कल्याण संघों के साथ गहन बातचीत करना शामिल है।

उत्तर बंगाल विकास बोर्ड

30. **श्री जोवाकिम बखला:**
श्री हितेन बर्मन:
श्री सुव्रत बोस:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर बंगाल के छः सार्वजनिक पिछड़े जिलों के विकास के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक उत्तर बंगाल विकास बोर्ड गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर बंगाल में छः जिलों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किसी विशेष पैकेज का आवंटन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछड़ेपन का मुकाबला करने तथा उत्तरी बंगाल के छः जिलों नामतः मालदा, जलपाईगुड़ी, डार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर तथा कूच बिहार के व्यापक और समेकित विकास हेतु मई, 2000 में उत्तरबंगा उन्नयन परिषद (उत्तर बंगाल विकास बोर्ड/परिषद) नामक बोर्ड का गठन किया था। मुख्य मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष हैं, उत्तरी बंगाल से निर्वाचित एक मंत्री इसका उपाध्यक्ष है तथा सभी संसद सदस्य, विधायक, सभाधिपति, इन जिलों के जिला मजिस्ट्रेट परिषद के सदस्य हैं। इस परिषद के कार्य स्थानीय निजी सरकारी संस्थानों, अन्य सरकारी प्राधिकरणों तथा उत्तरी बंगाल में अवस्थित गैर-सरकारी संगठनों के जरिए इन जिलों के क्षेत्रों के विकास के लिए स्कीमें तैयार करना तथा उनको कार्यान्वित करना है। परिषद स्कीमों की योजना और कार्यान्वयन का प्रबोधन भी करती है।

(ग) और (घ) संघ सरकार ने विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के अंतर्गत उत्तर बंगा उन्नयन परिषद को एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 2003-04 के दौरान 5 करोड़ रुपए तथा 2004-05 के दौरान 10 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। राष्ट्रीय सम योजना के अंतर्गत उत्तरी बंगाल के तीन जिलों नामतः जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर तथा दक्षिण दिनाजपुर, जिन्हें राष्ट्रीय समयोजना के पिछड़ा जिला प्रोत्साहन घटक में शामिल किया गया है, के लिए प्रति जिला प्रतिवर्ष 15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

[हिन्दी]

नियंत्रण-रेखा का उल्लंघन

31. **श्री हरिभाऊ राठौड़:**
श्रीमती अनुराधा चौधरी:
श्री मो. ताहिर:
श्री मुन्शी राम:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को चीनी सेना के कतिपय सीमावर्ती राज्यों में बढ़ी हुई सैन्य गतिविधियों के बारे में आसूचना रिपोर्ट प्राप्त हुई है जैसा कि 29 जनवरी, 2005 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो विस्फोट/तोड़-फोड़ की घटनाओं सहित राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान चीनी सेना द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा के उल्लंघन की घटनाओं की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले पर चीन सरकार से चर्चा की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल ए सी) के उस पार विभिन्न सेक्टरों में चीनी सड़क निर्माण की गतिविधियों के बारे में समय-समय पर रिपोर्टें प्राप्त होती रहती हैं।

(ग) से (च) भारत और चीन के बीच सीमा के प्रश्न का समाधान अभी नहीं हुआ है। भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल ए सी) के बारे में दोनों पक्षों में मतभेद भी हैं। दोनों ही पक्ष भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त लगाते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ-साथ चीनी गतिविधियों को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। फिर भी, वास्तविक नियंत्रण रेखा के किसी भी प्रत्यक्ष उल्लंघन को राजनयिक चैनलों और सीमा कार्मिकों की बैठकों/ध्वज बैठकों के माध्यम से उठाया जाता है।

[अनुवाद]

सर्व शिक्षा अभियान

32. **श्री हरिन पाठक:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्यवार कुल कितने केंद्र/परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) इन केंद्रों पर शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है और इन केंद्रों पर राज्यवार कुल कितने विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं;

(ग) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्यवार कुल कितने भवन बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नियमित प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त करने के स्थान पर अप्रशिक्षित नैमित्तिक शिक्षक और तदर्थ नियुक्तियां कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) गोवा को छोड़कर सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में सर्व शिक्षा अभियान कार्यान्वित किया जा रहा है। सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल/अनुभाग सर्व शिक्षा अभियान के तहत शामिल हैं। इसके अलावा, शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं जिनके तहत 82 लाख से अधिक बच्चों को शामिल किया गया है। वर्ष 2001-04 के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत 80,010 स्कूल भवनों का प्रस्ताव है। राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा *विवरण-I* के रूप में संलग्न है। शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा के तहत राज्यवार शामिल बच्चों की संख्या संलग्न *विवरण-II* में दी गई है।

दिसम्बर 2004 तक सर्व शिक्षा अभियान के तहत 310506 शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। नियुक्त किए गए शिक्षकों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न *विवरण-III* के रूप में दिया गया है। शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा के तहत प्रत्येक केंद्र के लिए एक अनुदेशक का प्रावधान है तथा बच्चों की संख्या 40 से अधिक होने पर एक और अनुदेशक उपलब्ध कराया जाता है।

शिक्षकों की नियुक्ति की शर्तें निर्धारित करना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने प्रारंभिक स्कूल शिक्षकों के लिए अर्हता निर्धारित की है।

विवरण I

सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2001-02, 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान अनुमोदित स्कूल भवन

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-02 और 2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	218	1122	1800
2.	अरुणाचल प्रदेश	142	172	140
3.	असम	1167	2260	20
4.	बिहार	31	1501	641
5.	छत्तीसगढ़	1066	1471	1291
6.	गोवा	0	–	–
7.	गुजरात	575	686	97
8.	हरियाणा	385	271	322
9.	हिमाचल प्रदेश	0	–	0
10.	जम्मू और कश्मीर	642	544	480
11.	झारखंड	0	254	0
12.	कर्नाटक	0	608	352
13.	केरल	15	194	112
14.	मध्य प्रदेश	415	13148	5873
15.	महाराष्ट्र	150	2396	2864
16.	मणिपुर	0	472	170
17.	मेघालय	270	0	0
18.	मिजोरम	44	119	297
19.	नागालैंड	32	45	0
20.	उड़ीसा	1000	1290	1929
21.	पंजाब	92	–	97
22.	राजस्थान	0	2160	3004
23.	सिक्किम	13	23	5
24.	तमिलनाडु	110	1768	1031
25.	त्रिपुरा	43	111	288
26.	उत्तर प्रदेश	1869	9489	7678
27.	उत्तरांचल	76	432	370
28.	पश्चिम बंगाल	1547	344	120
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	–	–
30.	चंडीगढ़	0	2	10
31.	दादरा और नगर हवेली	0	78	–
32.	दमन और दीव	0	–	12
33.	दिल्ली	0	–	–
34.	लक्षद्वीप	0	–	–
35.	पांडिचेरी	130	–	15
	कुल	10032	40960	29018

विवरण II

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	14.2.2005 की स्थिति के अनुसार ई.जी.एस./ए.आई.ई. के तहत शामिल किए गए बच्चों की कुल संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
2.	आंध्र प्रदेश	213088
3.	अरुणाचल प्रदेश	0
4.	असम	971982
5.	बिहार	876222
6.	चंडीगढ़	19763
7.	छत्तीसगढ़	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0

1	2	3
9.	दमन और दीव	0
10.	दिल्ली	197862
11.	गोवा	0
12.	गुजरात	144726
13.	हरियाणा	35750
14.	हिमाचल प्रदेश	2558
15.	जम्मू और कश्मीर	76272
16.	झारखंड	300492
17.	कर्नाटक	14308
18.	केरल	13801
19.	लक्षद्वीप	0
20.	मध्य प्रदेश	1343883
21.	महाराष्ट्र	62198
22.	मणिपुर	0
23.	मेघालय	55297
24.	मिजोरम	11872
25.	नागालैंड	19428
26.	उड़ीसा	654093
27.	पांडिचेरी	0
28.	पंजाब	129223
29.	राजस्थान	1261394
30.	सिक्किम	0
31.	तमिलनाडु	157998
32.	त्रिपुरा	57929
33.	उत्तर प्रदेश	419964
34.	उत्तरांचल	21006
35.	पश्चिम बंगाल	1226908
	कुल	8288017

विवरण III

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-04 की अवधि के दौरान नियुक्त किए गए शिक्षकों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	25181
2.	अरुणाचल प्रदेश	1206
3.	असम	4637
4.	बिहार	0
5.	छत्तीसगढ़	9664
6.	गोवा	0
7.	गुजरात	1662
8.	हरियाणा	980
9.	हिमाचल प्रदेश	664
10.	जम्मू और कश्मीर	5665
11.	झारखंड	23408
12.	कर्नाटक	2580
13.	केरल	0
14.	मध्य प्रदेश	49723
15.	महाराष्ट्र	1236
16.	मणिपुर	उपलब्ध नहीं
17.	मेघालय	1334
18.	मिजोरम	20
19.	नागालैंड	0
20.	उड़ीसा	35283
21.	पंजाब	0
22.	राजस्थान	24816
23.	सिक्किम	191
24.	तमिलनाडु	6059

1	2	3
25.	त्रिपुरा	1350
26.	उत्तर प्रदेश	99586
27.	उत्तरांचल	673
28.	पश्चिम बंगाल	14685
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
30.	चंडीगढ़	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0
32.	दमन और दीव	0
33.	दिल्ली	0
34.	लक्षद्वीप	3
35.	पांडिचेरी	0
	कुल	310506

दिल्ली में झुग्गियां

33. **डा. एम. जगन्नाथ:**
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में दिल्ली की कुल आबादी कितनी है;

(ख) उनमें झुग्गियों में रहने वालों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या दिल्ली में झुग्गियां उसी स्थान पर पुन: खड़ी हो रही हैं जहां उन्हें पहले गिराया जा चुका है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने स्वयं या ऐसे स्थानों की भूस्वामित्व वाली एजेंसियों के माध्यम से कोई सर्वेक्षण किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) भूमि को अतिक्रमण से मुक्त रखने हेतु इन परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार की भविष्य की क्या नीति है; और

(छ) दिल्ली में भविष्य में झुग्गियां खड़ी होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह सूचित किया है कि आबादी संबंधी पूर्वानुमानों के अनुसार 1.3.2005 की स्थिति के अनुसार दिल्ली की अनुमानित आबादी लगभग 1.56 करोड़ होगी। स्लम और झुग्गी-झोपड़ी विभाग (दिल्ली नगर निगम) ने झुग्गीवासियों की संख्या लगभग 30 लाख होने का अनुमान लगाया है।

(ग) स्लम और झुग्गी-झोपड़ी विभाग (दिल्ली नगर निगम) ने यह सूचित किया है कि ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि पुन: अतिक्रमण किए जाने के मामले का जैसे ही पता चलता है उन्हें हटा दिया जाता है।

(घ) और (ङ) इस संबंध में कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(च) और (छ) सरकार समय-समय पर भू-स्वामी एजेंसियों से अपनी भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए कड़े उपाय करने का आग्रह करती आई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि को सुरक्षित रखने के लिए उसने अपनी वाली भूमि की विडियोग्राफी का कार्य शुरू किया है और नियमित तथा आवधिक स्थल निरीक्षण की प्रणाली स्थापित की गई है।

[हिन्दी]

प्रेस नोट 18

34. **श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**
डा. चिन्ता मोहन:
श्री पी.के. वासुदेवन नायर:
श्री गुरूदास दासगुप्त:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1998 के प्रेस नोट 18 को वापस ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रेस नोट 18 को वापस लेकर विदेशी पूंजी निवेश पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने का है;

(घ) यदि हां, तो हटाए जाने वाले प्रतिबंधों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 1998 के प्रेस नोट 18 द्वारा ऐसे प्रतिबंध लगाए जाने तथा इन्हें वापस लिए जाने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ङ) सरकार ने प्रेस नोट संख्या 18 (1998 श्रृंखला) द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों की हाल ही में समीक्षा की है जिनमें विदेशी निवेश/तकनीकी सहयोग हेतु नए प्रस्ताव के लिए सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है जहां विदेशी निवेशक भारत में उसी क्षेत्र में अथवा संबद्ध क्षेत्र में कोई पूर्व संयुक्त उद्यम अथवा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण/ट्रेडमार्क समझौता है अथवा था। ध्यानपूर्वक विचार-विमर्श करने के बाद सरकार ने प्रेस नोट संख्या 1 (2005 श्रृंखला) के तहत नये दिशा-निर्देश अधिसूचित किये। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ व्यवस्था है कि नये प्रस्तावों के लिए सरकार का पूर्व अनुमोदन केवल मामले में अपेक्षित होगा जहां विदेशी निवेशक का 'उसी' क्षेत्र में मौजूदा संयुक्त उद्यम अथवा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण/ट्रेडमार्क समझौता है। ऐसे मामलों में भी निम्नलिखित मामलों में सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा-

(1) निवेश भारत के सुरक्षा तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत उद्यम पूंजी निधियों द्वारा किया जाना है; अथवा

(2) मौजूदा संयुक्त उद्यम में जहां पार्टियों में से किसी के द्वारा निवेश 3 प्रतिशत से कम है; अथवा

(3) जहां मौजूदा उद्यम/सहयोग निष्क्रिय है अथवा रुग्ण है।

दिशानिर्देशों में आगे और व्यवस्था है कि प्रेस नोट 1 (2005 श्रृंखला) के जारी होने के बाद अस्तित्व में आने वाले संयुक्त उद्यम एक भागीदार द्वारा आर्थिक कार्यकलाप के उसी क्षेत्र में कोई अन्य संयुक्त उद्यम अथवा एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने की इच्छा करने की स्थिति में संयुक्त उद्यम भागीदारों के हितों की रक्षा करने के लिए अपने संयुक्त उद्यम करार में ''हितों का टकराव'' संबंधी एक खण्ड शामिल कर सकते हैं।

क्षेत्रीय नीतियों तथा इक्विटी सीमाओं सहित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति की समीक्षा देश के प्रक्रिया संबंधी अड़चनों को दूर करने, निवेश अनुकूल बनाने के लिए अधिक आकृष्ट करने तथा एफ.डी.आई. अन्तर्वाह में वृद्धि करने के लिए निरन्तर आधार पर की जाती है।

[अनुवाद]

भारत-पाक क्रिकेट श्रृंखला

35. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी:**
श्री मोहन सिंह:
श्रीमती अनुराधा चौधरी:
श्री मो. ताहिर:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली प्रस्तावित क्रिकेट श्रृंखला के आयोजन स्थलों को लेकर हाल ही में कोई विवाद हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्राधिकारियों द्वारा क्या आपत्तियां उठाई गयी हैं; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक/सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा स्थल के विवाद के बारे में कोई भी विवरण सरकार को नहीं दिया गया है।

(ख) तथापि, जैसा कि मीडिया द्वारा बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान बोर्ड के बीच स्थानों को लेकर कुछ मतभेद थे। सरकार को स्थानों की अंतिम सूची भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से प्राप्त हुई है और मामले को दोनों बोर्डों द्वारा सुलझा लिया गया है।

(ग) चूंकि मामले को दोनों देशों के क्रिकेट बोर्डों द्वारा सुलझा लिया गया है और फिलहाल कोई आपत्ति नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मंडल आयोग सिफारिशों का कार्यान्वयन

36. **श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्री गिरिधारी यादव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के उपक्रमों में मंडल आयोग की सिफारिशें विशेषत: आरक्षण संबंधी सिफारिशें लागू की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने स्थिति की समीक्षा की है और इसके अनुलग्नकों पर कोई कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हां, तो तसंबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जब भी भर्ती की जाती है, तो नौकरी में आरक्षण से संबंधित मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाता है।

[अनुवाद]

भू-संपदा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

37. **श्री मधु गौड यास्खी:**
श्री कीर्तिवर्धन सिंह:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री के.एस. राव:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री विजय कृष्ण:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भू-संपदा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका भू-संपदा बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) आवास, वाणिज्यिक परिसरों, होटलों, रिसोर्टों, शहरी व क्षेत्रीय स्तर की अवसंरचनात्मक सुविधा आदि सहित एकीकृत नगरों के विकास के लिए सरकार के पूर्व अनुमोदन से 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति पहले ही से है। अवसंरचना क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार ने नगरों, आवास, निर्मित अवसंरचना और निर्माण विकास परियोजनाओं के विकास के लिए स्वत: मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य निर्माण क्षेत्र के विकास को तेज करना है जो निर्माण कार्यकलापों को प्रोत्साहित करके, अवसंरचना में सुधार करके, सीमेंट, इस्पात तथा ईंट-निर्माण जैसे भवन-निर्माण सामग्री उद्योगों को अन्य लाभ प्रदान करके तथा रोजगार सृजन करके अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव डालेगा।

अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के अध्यधीन इन कार्यकलापों में एफडीआई की अनुमति होगी:

क. प्रत्येक परियोजना के अधीन विकसित किया जाने वाला न्यूनतम क्षेत्र इस प्रकार होगा:

1. सेवा-प्रदत्त आवास भूखंडों के विकास के मामले में न्यूनतम 10 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र;

2. निर्माण-विकास परियोजनाओं के मामले में न्यूनतम 50,000 वर्ग मी., निर्मित क्षेत्र;

3. मिश्रित परियोजना के मामले में उपर्युक्त दो शर्तों में से कोई एक पर्याप्त होगी।

ख. पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के लिए न्यूनतम 10 मिलियन अमेरिकी डालर का पूंजीकरण तथा भारतीय भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यमों के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डालर का पूंजीकरण/कंपनी का व्यवसाय आरंभ होने के छ: माह के भीतर निधियां लानी होंगी।

दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना संबंधी रिपोर्ट

38. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री वी.के. दुम्मर:
श्री हरिभाऊ राठौर:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने केन्द्र सरकार को दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना संबंधी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि तक कुल कितनी राशि स्वीकृत और खर्च की गई है और पूरी परियोजना पर कुल कितना खर्च आने की संभावना है;

(घ) दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना के कितने चरणों का कार्य पूर्ण होने की संभावना है और प्रत्येक चरण के पूरा होने की समय-सीमा क्या है;

(ङ) इस परियोजना के द्वितीय चरण के कब तक शुरू होने की संभावना है;

(च) वर्तमान में किन स्थानों पर निर्माण कार्य चल रहा है और कार्य पूरा हो जाने के बाद कितनी संख्या में यात्रियों द्वारा नियमित यात्रा किए जाने की संभावना है;

(छ) जनवरी, 2004 से अक्तूबर, 2004 के दौरान कितना राजस्व अर्जित किया गया और कितना व्यय किया गया और लाभ अर्जित नहीं होने के क्या कारण हैं; और

(ज) घाटा पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसके क्या परिणाम निकले?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) दिल्ली मेट्रो रेल परिवहन प्रणाली (एमआरटीएस) परियोजना का चरण-1, जिसे सरकार द्वारा सितंबर, 1996 में स्वीकृति दी गई थी, वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम लि. (डीएमआरसी) ने दिल्ली एमआरटीएस परियोजना के चरण-2 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) दिल्ली एमआरटीएस परियोजना के चरण-2 में चरण-1 के नेटवर्क को करों एवं शुल्कों को छोड़कर 6984 करोड़ रु. (जून, 2004 की कीमत स्तर) की लागत से औसतन 53.02 किलोमीटर की लम्बाई तक विस्तार देने का प्रावधान है। परियोजना के चरण-2 में निम्नलिखित कारीडोर होंगे:

कारीडोर	लम्बाई (कि.मी.)
* विश्वविद्यालयों से जहांगीरपुरी	6.36
* केन्द्रीय सचिवालय से कुतुबमीनार	10.87
* इन्द्रप्रस्थ से न्यू अशोक नगर	8.07
* शाहदरा से दिलशाद गार्डन	3.09
* कीर्तिनगर से मुन्डका	18.47
* यमुना किनारे से आनंद विहार आई.एस.बी.टी.	6.16
कुल	53.02

(ग) (1) परियोजना के चरण-1 के लिए स्वीकृत कुल राशि: 10571 करोड़ रु.

इसके अतिरिक्त डीएमआरसी 320 करोड़ रु. की लागत से दिल्ली विकास प्राधिकरण के निक्षेप कार्य के रूप में एक सेक्शन को द्वारका-6 तक बड़ा रहा है।

(2) परियोजना के चरण-1 पर 31.1.2005 तक किया गया कुल व्यय 7024.86 करोड़ रु.

(3) संपूर्ण दिल्ली मेट्रो परियोजना (सभी चार चरणों) पर होने वाले कुल संभावित व्यय का पता शेष चरणों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए जाने पर ही चल पाएगा।

(घ) दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना के ड्राफ्ट मास्टर प्लान में इसे चार चरणों में पूरा करने का प्रावधान है:-

चरण	पूरा होने की संभावित तिथि
चरण-1 (वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन)	मार्च, 2006
चरण-2	दिसंबर, 2009
चरण-3	2016
चरण-4	2021

(ङ) दिल्ली एम आर टी एस परियोजना के चरण-2 को अनुमोदन मिलने के बाद शुरू किया जाएगा।

(च) वर्तमान में निम्नलिखित स्थानों पर दिल्ली मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है:-

कश्मीरी गेट, दिल्ली मेन, चावड़ी बाजार, नई दिल्ली, कनाट प्लेस, पटेल चौक, केन्द्रीय सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ, प्रगति मैदान, मंडी हाउस, बाराखंभा रोड, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, झंडेवालान, करोलबाग, राजेन्द्रा प्लेस, पटेल नगर, शादीपुर, कीर्तिनगर, मोतीनगर, रमेशनगर, राजौरी गार्डन, टैगोर गार्डन, सुभाष नगर, तिलक नगर, गणेश नगर, जनकपुरी, उत्तर नगर, प्रेम नगर, नवादा, द्वारका मोड़, द्वारका तथा द्वारका उप-नगर

* विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार परियोजना के चरण-1 के पूरे होने पर दैनिक यात्रियों की संभावित संख्या : 21.82 लाख

(छ) और (ज) अभी तक चालू सेक्शनों के प्रचालन से प्राप्त राजस्व: 31.80 करोड़ रु. (जनवरी से अक्तूबर, 2004 तक)

अभी तक चालू सेक्शनों के प्रचालन पर हुआ व्यय: 12.34 करोड़ रु. (जनवरी से अक्तूबर, 2004)

अभी लाभ/हानि का आकलन करना असामायिक होगा।

शहरी नवीकरण मिशन के अतंर्गत वित्तीय सहायता

39. **श्री बसुदेव आचार्य:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने चुनिंदा शहरों के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन हेतु व्यवहार्यत: अन्तर वित्तपोषण के रूप में वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में बनाए गए और अंतिम रूप दिए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मिशन में शहरों की अवसंरचना और परिवहन सेवाओं के उन्नयन के साथ-साथ झुग्गियों का पुनर्विकास करने का भी प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो चयनित शहरों के नाम क्या हैं;

(ङ) प्रत्येक शहर को कितनी राशि का आबंटन किया जाएगा और इन राज्यों के विस्तार कार्यक्रम की निगरानी के प्रभारी एजेंसी/विभाग का नाम क्या है; और

(च) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने/क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (च) केन्द्र सरकार देश में शहरी अवस्थापना के सृजन और प्रचालन एवं रखरखाव के लिए सुधार आधारित केन्द्रीय सहायता मुहैया करने के बारे में विचार कर रही है। प्रस्ताव की विस्तृत रूपरेखा अभी तैयार की जानी है।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा में विदेशी छात्रों का प्रवेश

40. **श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:**
श्री गिरधारी लाल भार्गव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में उच्च शिक्षा हेतु कितने विदेशी छात्रों ने आवेदन किया है;

(ख) देश में उच्च शिक्षा हेतु प्रत्येक वर्ष कितने विदेशी छात्रों को प्रवेश दिया जाता है और उनकी देश-वार संख्या कितनी है; और

(ग) उच्च शिक्षा हेतु भारत में किन देशों से छात्र आते हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) भारत सरकार भारत में उच्चतर शिक्षा के लिए आवेदन करने वाले विदेशी विद्यार्थियों के आंकड़े नहीं रखती।

(ख) और (ग) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों में भारतीय विश्वविद्यालयों में नामांकित विदेशी विद्यार्थियों का (देशवार और क्षेत्रवार) नामांकन दर्शाने वाला *विवरण* संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों (देश-वार और क्षेत्र-वार) के प्रवेश

देश	2001-02	2002-03*	2003-04
1	2	3	4
एशिया			
पूर्वी एशिया			
चीन (हांककांग सहित)	16	19	31
जापान	65	51	45
उत्तरी कोरिया	94	108	84
दक्षिण कोरिया	38	14	29
मंगोलिया	29	25	20
ताइवान	6	6	9
पश्चिमी एशिया			
बहरीन	108	59	160
इराक	24	15	12
इस्राइल	0	6	7
जार्डन	92	40	51
कुवैत	30	23	85
लेबनान	2	1	0
ओमान	216	94	183

1	2	3	4
कतर	9	13	21
सऊदी अरेबिया	31	36	108
सीरिया	25	32	26
तुर्की	4	6	8
संयुक्त अरब अमीरात	58	68	233
यमन	349	242	222
दक्षिण और मध्य एशिया			
अफगानिस्तान	33	24	25
बंगलादेश	545	372	320
भूटान	254	227	174
ईरान	245	336	472
कजाकिस्तान	8	9	5
किर्गीस्तान	14	12	7
मालदीव	14	34	20
नेपाल	873	801	690
पाकिस्तान	3	3	1
श्रीलंका	504	391	355
तजाकिस्तान	16	14	5
तुर्कमेनिस्तान	1	1	4
अजबेकिस्तान	9	7	24
दक्षिण पूर्व एशिया			
ब्रुनेइ	0	1	3
कम्बोडिया	11	20	23
इन्डोनेशिया	62	58	54
लाओस	5	3	2
मलेशिया	92	788	806
म्यानमार	27	47	32
फिलीपिन्स	0	1	0
सिंगापुर	5	10	20
थाईलैंड	307	293	244
वियतनाम	88	142	202
आस्ट्रेलिया (ओसियाना)			
आस्ट्रेलिया	21	11	17
फिजी	13	23	19
न्यूजीलैंड	9	4	1
पापुआ न्यू गिनी	0	1	0
समोआ	0	0	3
टोंगा	2	1	2
अफ्रीका			
उत्तर अफ्रीका			
अल्जीरिया	1	1	1
मिस्र	3	2	3
लीबिया	4	8	4
मोरक्को	0	3	2
सूडान	301	186	188
पश्चिम अफ्रीका			
कोट डी आइवेरी (आईवोरी कोस्ट)	1	1	2
घाना	6	9	55
गिनी	1	1	0
लाइबेरिया	18	6	6
माली	0	1	0
नाइजीरिया	23	16	17
सिएरा लिओन	2	1	0
पूर्वी अफ्रीका			
दजीबोती	9	28	27
इरीट्रिया	73	74	49
इथियोपिया	281	225	351

1	2	3	4
केन्या	548	521	454
मालावी	0	5	4
मारीशस	550	366	370
मोजाम्बिक	0	2	1
री-यूनियन	1	1	1
रवांडा	128	45	2
सैशल्स	1	11	26
सोमालिया	143	146	54
तंजानिया	78	68	56
उगांडा	132	93	53
जाम्बिया	7	7	8
जिम्बाब्वे	10	10	9
मध्य अफ्रीका			
अंगोला	0	6	2
कैमरून	0	0	1
कांगो	3	1	5
जायरे	4	2	2
दक्षिण अफ्रीका			
बोत्सवाना	1	4	3
लेसोथो	1	13	10
नामिबिया	1	11	22
दक्षिण अफ्रीका	31	25	25
स्वाजीलैंड	1	5	5
यूरोप			
उत्तरी यूरोप			
डेनमार्क	3	0	2
फिनलैंड	0	2	0
आयरलैंड	1	0	1
लीथूवानिया	1	0	2
नार्वे	1	0	0
स्वीडन	1	1	2
युनाइटेड किंगडम	96	54	55
पश्चिम यूरोप			
आस्ट्रिया	1	4	3
बेल्जियम	4	5	2
फ्रांस	49	15	12
जर्मनी	19	12	10
नीदरलैंड (हालेंड)	7	1	1
स्वीटजरलैंड	13	0	3
पूर्वी यूरोप			
अर्मेनिया	2	2	0
बुलगारिया	10	1	1
चेक (चेक गणतंत्र)	1	2	1
हंगरी	2	0	1
पौलेंड	7	13	7
रोमानिया	1	2	3
रूस	10	7	5
स्लोवाकिया	2	1	1
उक्रेन	2	5	2
दक्षिण यूरोप			
बोसनिया-हर्जेगोविना	0	1	0
क्रोएशिया	0	0	1
यूनान	6	5	3
इटली	4	4	8
पुर्तगाल	1	1	0
स्लोवेनिया	0	2	1

1	2	3	4
स्पेन	6	5	2
युगोस्लाविया	1	0	0
उत्तर अमेरिका			
कनाडा	80	81	99
संयुक्त राज्य अमरीका	331	244	354
मध्य अमरीका और कैरिबियन			
जमैका	0	12	10
मैक्सिको	4	2	3
सेंट लुसिया	1	0	0
त्रिनिदाद व टोबेगो	2	4	2
दक्षिण अमरीका			
ब्राजील	5	6	4
कोलम्बिया	1	0	0
गुयाना	5	2	1
सूरीनाम	0	1	1
वेनेजुएला	3	1	1
विविध*	734	862	544
कुल	8145	7738	7830

विविध* - फिलिस्तान, गाजा स्ट्रिप पीएलओ और तिब्बत

स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रकोष्ठ, छात्र सूचना सेवा प्रभाग, भारतीय विश्वविद्यालय संघ।

वर्ष 2002-03 और 2003-04* में केवल उन विश्वविद्यालयों से प्राप्त आंकड़े शामिल हैं जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ के सदस्य हैं।

पुलिस हिरासत में मौत

41. श्री रामदास आठवले: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पुलिस हिरासत में मौत के मामलों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान और आज की तारीख तक राज्यवार पुलिस हिरासत में कुल कितनी मौतें हुई हैं;

(ग) क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी) द्वारा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान पुलिस हिरासत में हुई मौतों की संख्या में कमी आई है। तथापि, इसी अवधि के दौरान न्यायिक हिरासत में मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ख) वर्ष 2004-2005 (18.2.2005 तक) के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को हिरासत में हुई मौतों की सूचित राज्यवार संख्या दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हिरासत में हुई मौतों के मामले में जांच-पड़ताल करता है। आयोग ने वर्ष 2004-05 के दौरान पुलिस हिरासत में हुई मौतों के पांच मामलों में मुआवजे की अदायगी के रूप में 4.00 लाख रु. और न्यायिक हिरासत में हुई मौतों के तीन मामलों में 2.50 लाख रु. की सिफारिश की है।

विवरण

वर्ष 2004-2005 (18.2.2005 तक) के दौरान राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सूचित हिरासत में हुई मौतों को दर्शाते हुए विवरण

राज्य	2004-2005 (18.2.2005 तक)		
	पुलिस हिरासत	न्यायिक हिरासत	कुल
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	12	105	117
अरुणाचल प्रदेश	–	2	2
असम	3	9	12
बिहार	3	141	144
गोवा	–	3	3
गुजरात	13	48	61
हरियाणा	2	46	48
हिमाचल प्रदेश	–	5	5

1	2	3	4
जम्मू और कश्मीर	–	–	0
कर्नाटक	8	42	50
केरल	4	43	47
मध्य प्रदेश	2	43	45
महाराष्ट्र	22	128	150
मणिपुर	–	–	0
मेघालय	2	6	8
मिजोरम	–	–	0
नागालैंड	–	–	0
उड़ीसा	1	35	36
पंजाब	5	57	62
राजस्थान	–	45	45
सिक्किम	–	–	0
तमिलनाडु	8	86	94
त्रिपुरा	1	2	3
उत्तर प्रदेश	5	189	194
पश्चिम बंगाल	11	60	71
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	1	1
चंडीगढ़	1	3	4
दादरा और नगर हवेली	–	–	0
दमण और दीव	–	–	–
दिल्ली	3	25	28
लक्षद्वीप	–	–	0
पांडिचेरी	–	–	0
छत्तीसगढ़	5	22	27
झारखंड	5	60	65
उत्तरांचल	3	9	12
कुल मामले	119	1215	1334

[अनुवाद]

महाजन आयोग

42. श्री एम. शिवन्ना: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा-विवाद को सुलझाने हेतु गठित महाजन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार महाराष्ट्र पर महाजन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों का पालन करने हेतु दबाव डालेगी;

(ग) क्या कर्नाटक विधान सभा में सर्वसम्मति से रिपोर्ट को स्वीकार करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) इस मामले में केन्द्र सरकार का लगातार यह दृष्टिकोण रहा है कि यह विवाद संबंधित राज्य सरकारों के आपसी सहयोग से ही सुलझाया जा सकता है और केन्द्र सरकार आपसी समझौते और समझ-बूझ की भावना से विवाद के सौहार्दपूर्ण हल को सुविधाजनक बनाने के लिए ही कार्य करती है।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान। कर्नाटक विधान सभा ने केन्द्र सरकार से महाजन आयोग की रिपोर्ट कार्यान्वित करने का आग्रह करते हुए 20 दिसम्बर, 1967, 28 फरवरी, 1970, 26 दिसम्बर, 1970 और 22 मार्च, 1998 को प्रस्ताव पास किए हैं।

पाटनरोधी कानूनों में संशोधन

43. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों ने पाटनरोधी कानूनों को कम भेद-भाव पूर्ण बनाने हेतु उसे संशोधित करने की कोई मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भेद-भाव करने वाले देशों के विरुद्ध कितने मामलों में वर्ष 1995 से पाटनरोधी उपाय किए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा गत एक वर्ष के दौरान किन-किन देसों में कितने मामलों में ऐसी जांच की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) 14 नवंबर, 2001 की दोहा मंत्रिस्तरीय घोषणा के अनुसरण में पाटनरोधी करार के संबंध में नियमों को सुधारने और स्पष्ट करने की दृष्टि से विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) में वार्ताएं चल रही हैं। ये वार्ताएं नियम संबंधी वार्ताकारी दल में की जा रही हैं।

(ग) डब्ल्यू टी ओ के आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी, 1995 से 30 जून, 2004 तक की अवधि के दौरान 1567 मामलों में डब्ल्यू टी ओ के सदस्य देशों द्वारा पाटनरोधी उपाय किए गए थे।

(घ) वर्ष 2004 में पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय ने 10 पाटनरोधी जांच शुरू की थीं। इन जांचों में शामिल देश चीन जनवादी गणराज्य, चीनी ताईपेई, इंडोनेशिया, थाइलैंड, मलेशिया, यूरोपीय संघ, ब्राजील, मैक्सिको, अमरीका और यूक्रेन हैं।

प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षाएं

44. डा. एम. जगन्नाथ: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एक वर्ष पुरानी आल इंडिया मास्टर आफ कम्प्यूटर एपलीकेशन सामान्य प्रवेश परीक्षा (ए.आई.एम.सी.ई.टी.) को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे कोई दिशानिर्देश/नियम बनाए हैं जिससे कि राज्य अपने कार्यक्षेत्र के भीतर संस्थानों में एम.सी.ए. कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षाएं करा सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) जी, हां। इंजीनियरी पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय इंजीनियरी प्रवेश परीक्षा तथा एम.बी.ए./पी.जी.डी.एम. (या समकक्ष) कार्यक्रमों के लिए 5 साझी प्रवेश परीक्षाओं के पैटर्न पर आई.आई.टी., रूड़की द्वारा एम.सी.ए. कार्यक्रम में उन सीटों पर दाखिले के लिए अखिल भारतीय एम.सी.ए. प्रवेश परीक्षा (ए.आई.एम.सी.ई.टी.) आयोजित की गई जिन्हें वर्ष 2004-05 के लिए देश की सभी संस्थाओं द्वारा अखिल भारतीय आधार पर भरा जाना था। तथापि इस परीक्षा को जो प्रत्युत्तर मिला वह काफी उत्साहवर्धक नहीं था। शैक्षिक संस्थाओं की स्वायत्तता का आदर करते हुए तथा अनावश्यक व्यय से बचने के लिए भी वर्ष 2005-06 से ए.आई.एम.सी.ई.टी. का आयोजन बंद कर दिया गया है।

जहां तक एम.सी.ए. कार्यक्रमों में दाखिले के लिए साझी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाले राज्यों द्वारा अपनाये जाने वाले मानदंडों/दिशा-निर्देशों का संबंध है, भारत सरकार ने इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किया है। अपने-अपने क्षेत्राधिकार के भीतर आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए दिशा-निर्देश/मानदंड निर्धारित करने हेतु राज्य सक्षम है।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान करना

45. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:
श्री एम. अप्पादुरई:
श्री सुरेश कलमाड़ी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता देने के मुद्दे पर पुनर्विचार करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) जम्मू और कश्मीर विधान सभा ने 26.6.2000 को यह मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि केन्द्र/राज्य सरकार, राज्य स्वायत्तता समिति (एम ए सी) की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु कदम उठाए। केन्द्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव को स्वीकार न करने का निर्णय लिया।

केन्द्रीय गृह मंत्री के हाल ही के जम्मू और कश्मीर दौरे के दौरान यह सुझाव दिया गया कि केन्द्र सरकार और अधिक स्वायत्तता देने संबंधी राज्य विधान सभा के प्रस्ताव पर विचार करे।

[अनुवाद]

धारावी मलिन बस्ती की विकास

46. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:

क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी, 2004 में प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र सरकार को मुंबई स्थित एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती, धारावी के विकास हेतु 500 करोड़ रुपये की सहायता देने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने मलिन बस्ती को हटाने और उनके विकास से संबंधित किसी परियोजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और लागत क्या है और इसे कब प्रस्तुत किया गया था;

(घ) क्या मामला कुछ तकनीकी विवादों में उलझ गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे सुलझाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या महाराष्ट्र सरकार को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 500 करोड़ रुपये की सहायता अथवा उसका एक भाग जारी कर दिया गया है;

(छ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ अभी तक कितनी राशि जारी की गई है; और

(ज) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी हां।

(ख) से (ज) महाराष्ट्र सरकार ने करीब 5000 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर धारावी में स्लम वासियों के पुनर्वास के लिए अवस्थापना सहित करीब 71,000 मकानों के निर्माण हेतु दिसंबर, 2003 में परियोजना प्रस्ताव भेजा था। योजना आयोग के परामर्श से इसकी जांच की गई थी तथा राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए थे। इस परियोजना के लिए राज्य सरकार को कोई धनराशि जारी नहीं की गई थी। इसी बीच योजना आयोग ने योजना स्कीमों के यौक्तिकरण/समीक्षा के लिए एक प्रयोग किया है, जिसमें "धारावी में स्लमों के पुनर्वास" की स्कीम बंद कर दी गई है और वर्ष 2005-06 के लिए स्कीम हेतु कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। तथापि "धारावी में स्लमों के पुनर्वास" पर राज्य सरकार के प्रस्ताव पर प्रस्तावित राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में विचार किया जा सकता है।

गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र को विशेष दर्जा देना

47. **श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का गुजरात में सौराष्ट्र जिले को "विशेष दर्जा" देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र को "विशेष दर्जा" कब तक दिया जाएगा; और

(घ) किसी क्षेत्र "विशेष दर्जा" देने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) विशेष दर्जा उन राज्यों को दिया जाता है जिनकी पड़ोसी देशों के साथ सीमा पर सामरिक स्थिति होती है, पहाड़ी भूभाग, अपर्याप्त आर्थिक और सामाजिक आधारभूत ढांचा होता है। आदिवासियों की अधिक जनसंख्या होती है और विकास आवश्यकताओं की तुलना में सीमित और अपर्याप्त संसाधन होते हैं।

[हिन्दी]

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संस्थाओं को सहायता

48. **श्री मोहन सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अतंर्गत कुल कितने स्वैच्छिक संगठनों की सहायता मांगी गई और उन्हें कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) ऐसे किन-किन मुख्य संगठनों को 10 करोड़ रु. से अधिक की राशि प्रदान की गई है;

(ग) क्या उनके कार्यकलापों और विश्वसनीयता की जांच की गई थी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इन संगठनों द्वारा खर्च की गई राशि की जांच की गई है; और

(च) यदि हां, तो ऐसी कितनी संस्थाओं को धनराशि का दुरूप्योग करने के आरोप में काली सूची में डाला गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) विगत तीन वर्षों अर्थात् 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के तहत नवाचारी एवं प्रायोगिक शिक्षा परियोजनाओं के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 48 स्वयंसेवी संगठनों ने वित्तीय सहायता प्राप्त की। इस अवधि में उन्हें कुल 11.69 करोड़ रु. की राशि जारी की गई।

(ख) किसी भी स्वयंसेवी संगठन को 10 करोड़ रु. अथवा इससे अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

महिलाओं के प्रति अत्याचार

49. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय महिला आयोग को गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य से वर्षवार महिलाओं के प्रति अत्याचार के मामलों में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) उन मामलों में अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार/राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) *विवरण-I* संलग्न है।

(ख) *विवरण-II* संलग्न है।

(ग)(1) आयोग द्वारा शिकायतों को संबंधित विभागों तथा संगठनों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेजा जाता है और उनसे की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी जाती है।

(2) कुछ मामलों में आयोग द्वारा जांच की जाती है और अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट को कार्यान्वयन हेतु संबंधित प्राधिकारियों को भेजा जाता है।

(3) वैवाहिक विवादों के मामलों में आयोग द्वारा नियमित रूप से सुनवाइयां/परामर्श बैठकें आयोजित की जाती हैं।

विवरण I

जनवरी से दिसम्बर, 2003 तक प्राप्त शिकायतों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	जनवरी 2003	फरवरी 2003	मार्च 2003	अप्रैल 2003	मई 2003	जून 2003	जुलाई 2003	अगस्त 2003	सितम्बर 2003	अक्तूबर 2003	नवम्बर 2003	दिसम्बर 2003	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	अण्डमान व निकोबार	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
2.	आंध्र प्रदेश	2	8	1	2	–	3	–	3	2	3	–	6	30
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
4.	असम	–	–	2	–	–	1	3	–	3	–	1	2	12
5.	बिहार	43	41	23	39	33	18	97	19	30	46	11	43	443
6.	चण्डीगढ़	–	1	–	–	–	2	–	2	1	–	–	2	8
7.	छत्तीसगढ़	3	4	2	2	3	7	8	–	3	3	–	2	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.	दादरा व नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
9.	दमन व दीव	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
10.	दिल्ली	54	60	57	63	56	71	85	40	65	31	59	72	713
11.	गोवा	–	–	1	–	–	–	1	2	–	–	–	–	4
12.	गुजरात	1	2	1	2	3	1	2	1	1	1	1	4	20
13.	हरियाणा	19	15	21	16	19	21	58	19	20	19	14	33	274
14.	हिमाचल प्रदेश	1	–	–	2	1	–	6	1	2	1	–	2	16
15.	जम्मू व कश्मीर	–	2	–	1	–	1	1	1	2	1	1	2	12
16.	झारखण्ड	7	7	5	7	3	5	18	2	3	4	8	12	81
17.	कर्नाटक	1	2	2	5	1	1	5	1	–	–	–	2	20
18.	केरल	–	2	–	3	2	4	3	–	1	1	1	6	23
19.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20.	मध्य प्रदेश	28	32	18	19	25	35	67	11	28	30	20	27	340
21.	महाराष्ट्र	19	11	12	12	6	13	81	3	14	7	1	22	138
22.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
24.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	नागालैंड	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
26.	उड़ीसा	5	1	3	5	4	8	5	2	1	1	2	9	46
27.	पाण्डिचेरी	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
28.	पंजाब	4	3	5	3	3	5	6	4	8	1	1	9	52
29.	राजस्थान	19	25	16	21	12	29	50	14	34	29	13	26	288
30.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
31.	तमिलनाडु	2	5	2	7	4	6	3	–	5	1	1	6	42
32.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33.	उत्तर प्रदेश	210	248	225	237	210	407	278	211	202	246	106	221	2801
34.	उत्तरांचल	22	22	20	13	15	24	31	19	21	24	8	24	243
35.	पश्चिम बंगाल	5	8	3	5	5	3	4	1	7	1	2	8	52
	कुल	445	499	420	466	405	665	750	356	454	450	250	540	5700

जनवरी से दिसम्बर, 2004 तक प्राप्त शिकायतों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	जनवरी 2004	फरवरी 2004	मार्च 2004	अप्रैल 2004	मई 2004	जून 2004	जुलाई 2004	अगस्त 2004	सितम्बर 2004	अक्तूबर 2004	नवम्बर 2004	दिसम्बर 2004	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	अण्डमान व निकोबार	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2
2.	आंध्र प्रदेश	4	2	3	2	–	2	1	4	9	1	3	1	32
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
4.	असम	–	–	2	–	–	–	–	2	1	–	–	–	5
5.	बिहार	29	6	8	52	27	37	11	28	40	22	19	90	369
6.	चण्डीगढ़	1	2	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	6
7.	छत्तीसगढ़	3	3	–	1	2	2	3	–	2	5	6	7	34
8.	दादरा व नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2
9.	दमन व दीव	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
10.	दिल्ली	49	44	53	55	35	65	55	64	67	50	68	68	673
11.	गोवा	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
12.	गुजरात	3	1	2	–	2	1	–	4	2	3	1	1	20
13.	हरियाणा	13	8	15	12	11	15	10	26	26	17	19	26	198
14.	हिमाचल प्रदेश	3	–	–	–	1	1	1	3	5	3	–	–	17
15.	जम्मू व कश्मीर	1	–	2	–	1	–	1	–	–	–	2	–	7
16.	झारखण्ड	15	–	4	6	3	2	2	2	12	4	4	10	64
17.	कर्नाटक	1	1	1	–	–	–	–	–	1	1	–	1	6
18.	केरल	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
19.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
20.	मध्य प्रदेश	17	13	23	47	26	22	31	23	60	22	31	31	346
21.	महाराष्ट्र	12	5	5	3	27	5	4	8	7	1	13	12	102
22.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25.	नागालैंड	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26.	उड़ीसा	4	–	–	–	–	–	–	1	8	–	–	–	13
27.	पाण्डिचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
28.	पंजाब	6	2	2	1	1	2	1	6	5	4	1	1	32
29.	राजस्थान	22	16	15	48	31	25	11	38	30	19	15	57	327
30.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
31.	तमिलनाडु	6	2	5	4	2	4	3	3	5	–	1	–	35
32.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
33.	उत्तर प्रदेश	305	248	69	196	126	290	358	244	248	356	238	522	3236
34.	उत्तरांचल	11	6	2	22	33	4	9	26	33	10	22	18	196
35.	पश्चिम बंगाल	3	2	2	3	–	–	–	1	8	1	3	1	24
	कुल	510	397	215	453	328	477	502	483	570	522	448	848	5753

विवरण II

वर्ष	प्राप्त मामलों की कुल संख्या	निपटाये गये मामलों की संख्या	राज्य आयोगों तथा अन्यों को अग्रेषित मामलों की कुल संख्या	विचाराधीन मामलों की कुल संख्या
2003	5700	1166	3316	1218
2004	5760	656	1261	3843

[हिन्दी]

एशियाई राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी

50. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत द्वारा एशियाई राष्ट्रमंडल खेलों में कितने जूडो खिलाड़ी भेजे गए;

(ख) इन खिलाड़ियों ने किन-किन राज्यों का प्रतिनिधित्व किया;

(ग) क्या किसी खिलाड़ी ने जूडो में कोई पादक जीता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उन्हें कोई पुरस्कार आदि दिया है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन खिलाड़ियों को ओलम्पिक में भेजने का है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) एशियाई और राष्ट्रमंडल खेल, 2002 में सहभागिता के लिए ग्यारह जूडो खिलाड़ी भेजे गए थे।

(ख) ये खिलाड़ी विभिन्न सेवाओं जैसे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (5); सीमा सुरक्षा बल (1); भारत तिब्बत सीमा पुलिस

(1); पंजाब पुलिस (3) तथा मध्य प्रदेश पुलिस (1) से संबंधित है।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय जूडो खिलाड़ियों में राष्ट्रमंडल खेल, 2002 में एक रजत पदक और एक कांस्य पदक जीता।

(ङ) जी, हां। सरकार ने राष्ट्रमंडल खेल, 2002 के रजत पदक विजेताओं को 15 लाख रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपये दिये थे।

(च) ओलंपिक खेलों में सहभागिता के लिए, प्रत्येक खिलाड़ी/टीम के लिए संबंधित अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ द्वारा तय अर्हता मानक को प्राप्त करना अपेक्षित है। परिणाम, ऐसे मानकों के तय होने पर निर्भर करेगा।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

माध्यमिक शिक्षा

51. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने गणित, भौतिकी, रसायन, जीवविज्ञान और खगोलशास्त्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रवृत्ति-ओलम्पियाड शुरू करके एस.सी.सी. बोर्डों के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने की एक योजना सुझायी है;

(ख) यदि हां, तो प्रोत्साहन योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कामकाजी महिला हास्टल हेतु अनुदान

52. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान कामकाजी महिला हास्टल के निर्माण हेतु स्वीकृत प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यवार लंबित प्रस्तावों को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) राज्यवार, विशेष रूप से तमिलनाडु में इन हास्टलों के निर्माण हेतु अनुदान सहायता के कितने प्रस्ताव लंबित हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) वर्ष 2003-04 के दौरान कामकाजी महिला होस्टलों के निर्माणार्थ स्वीकृत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न *विवरण-I* में दिया गया है। वर्ष 2004-05 के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

(ख) केवल वे ही प्रस्ताव लंबित हैं, जो कि स्कीम के मानकों के अनुरूप नहीं हैं।

(ग) *विवरण-II* सलंग्न है।

(घ) प्रस्तावों में पाई गई कमियों के विषय में संबंधित राज्य सरकारों तथा प्रार्थी संगठनों को इस अनुरोध के साथ अवगत कराया गया/कराया जा रहा है कि इन कमियों को शीघ्र पूरा किया जाए।

विवरण I

कामकाजी महिला होस्टल स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2003-04 के दौरान स्वीकृत की गई नई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	अभिकरण का नाम	स्वीकृत क्षमता (कामकाजी महिलाओं की संख्या)
1	2	3
	चण्डीगढ़	
1.	चण्डीगढ़ बाल एवं महिला विकास विभाग	156
	हरियाणा	
2.	गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार	60
	कर्नाटक	
3.	रीजनल इन्स्टीट्यूट आफ इंग्लिश, बैंगलौर	100
4.	वाई.डब्ल्यू.सी.ए., बैंगलौर	74
	केरल	
5.	नायर सर्विस सोसायटी, चंगनचेरी	99

1	2	3
6.	माता अमृतानन्दयमयी मठ, कोल्लम	100
7.	मुस्लिम एज्यूकेशनल सोसायटी, कालीकट	64
	महाराष्ट्र	
8.	भारती विद्यापीठ, पुणे	100
	मिजोरम	
9.	मिजो हमेइचे तांगरूल, आइजोल	45
	तमिलनाडु	
10.	नियो फाउंडेशन एण्ड सोसाइटल ट्रांसफोरमेशन ट्रस्ट, त्रिची	100
11.	राजपालम म्यूनिसिपैलिटी, विरूदुनगर	106
12.	गांधीग्राम रूरल इन्स्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी,, डिंडिगुल	84
	उत्तरांचल	
13.	कुमायूं सेवा संस्थान, बागेश्वर	100

विवरण II

कामकाजी महिला होस्टल स्कीम के अंतर्गत लम्बित प्रस्तावों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	लम्बित प्रस्तावों की संख्या
1.	असम	10
2.	कर्नाटक	3
3.	केरल	9
4.	मध्य प्रदेश	1
5.	मणिपुर	11
6.	नागालैंड	29
7.	उड़ीसा	1
8.	तमिलनाडु	2
9.	उत्तर प्रदेश	3
	कुल	69

[हिन्दी]

अस्पतालों और न्यासों की बिक्री

53. **श्री संतोष गंगवार:**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेष रूप से दिल्ली में सामाजिक सेवा वाले न्यासों और अस्पतालों को बेचने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज की तारीख के अनुसार किन-किन अस्पतालों को कितनी कीमत पर बेचा गया है और उन्हें खरीदने वाले औद्योगिक घरानों के क्या नाम हैं;

(घ) क्या इन औद्योगिक घरानों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इन अस्पतालों को कौड़ी के मोल खरीदा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इन्हें बेचने से पहले किसी समिति ने इनका मूल्यांकन किया था और क्या इस संबंध में कोई निविदा आमंत्रित की गई थी तथा समाचार-पत्रों में इस आशय का कोई प्रचार किया गया था;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी नहीं।

(ख) से (छ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

54. **श्री धनसिंह रावत:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष और उसके बाद राजस्थान में अनुसूचित जातियों के विकास हेतु केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के अंतर्गत जिन सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों तथा एजेंसियों को वित्तीय सहायता दी गई, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में संगठनों/एजेंसियों द्वारा केन्द्रीय धनराशि का दुरूपयोग, दुर्विनियोग संबंधी अनियमितताएं आई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उन संगठनों/एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) वर्ष 2003-04 के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राजस्थान राज्य सहित देश में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता मंत्रालय की वर्ष 2003-04 की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध है। चालू वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई सहायता विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2004-05 (24.2.2005 तक) के दौरान राजस्थान राज्य सरकार तथा राज्य में कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	निर्मुक्त धनराशि
1.	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	2834.69
2.	275(1) के अंतर्गत अनुदान	2200.00
3.	अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान:	
	गैर-सरकारी संगठन	31.65
	कोचिंग	–
	अवार्ड	–
4.	शैक्षिक परिसर	19.22
5.	आदिम जनजातीय समूहों का विकास:	
	राज्य सरकार	–
	गैर-सरकारी संगठन	76.00
6.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना	1792.57

[हिन्दी]

नई औद्योगिक नीति

55. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत कौन-कौन से कार्यक्रम शुरू किए गए हैं;

(ख) ये कार्यक्रम राजस्थान के किन क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं;

(ग) क्या इन कार्यक्रमों से राजस्थान के ग्रामीण और जनजातीय लोग लाभान्वित हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) उदारीकृत औद्योगिक नीति के तहत,

उद्योगों को स्थापित करने का निर्णय उद्यमियों की व्यावसायिक समझ पर निर्भर करता है, जो कि राज्य सरकार द्वारा आधारभूत सुविधाएं तथा दूसरे प्रोत्साहनों के तौर पर की गई पहलों पर निर्भर करता है। औद्योगिक विकास मुख्य रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। केन्द्र सरकार उनके प्रयासों में सहायता प्रदान करती है जो इसकी विभिन्न स्कीमों के तहत सहायता/प्रोत्साहनों के रूप में होती है, विशेषकर औद्योगिक रूप से अलाभप्रद क्षेत्रों के विकास के लिए।

केन्द्र सरकार ने राजस्थान में निम्नलिखित विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए 31.12.2004 तक 40.20 करोड़ रुपए सहायता के रूप में जारी किए हैं:

क्र.सं.	विकास केन्द्र का नाम	केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई राशि (लाख रुपये)
1.	आबू रोड (सिरोही)	1000.00
2.	भीलवाड़ा (भीलवाड़ा)	600.00
3.	खारा (बीमानेर)	820.00
4.	धौलपुर (धौलपुर)	1000.00
5.	झालवाड़ (झालवाड़)	600.00
	योग	4020.00

भारत सरकार ने औद्योगिक अवसंरचनात्मक उन्नयन योजना (आईआईयूएस) के तहत मार्बल क्लस्टर किशनगढ़ में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के उन्नयन को 36.80 करोड़ रुपये की अनंतिम लागत से मंजूरी दी है। इस राशि में, केन्द्र सरकार का हिस्सा 27.60 करोड़ रुपए है।

[अनुवाद]

प्राकृतिक आपदाएं

56. श्री पंकज चौधरी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक विधेयक पुर:स्थापित करने तथा आचार संहिता बनाने का है ताकि आवश्यकता के समय तत्काल कार्रवाई की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित और आचार संहिता बनाने के कार्य को कब तक किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) संसद में आपदा प्रबंधन विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) प्रस्तावित विधेयक में, अन्य बातों के साथ-साथ आपदा प्रबंधन योजनायें तैयार करना और उनके कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए अपेक्षित संस्थागत तंत्र की व्यवस्था करना, आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार के विभिन्न विंगों द्वारा किए जाने वाले उपायों को सुनिश्चित करना तथा किसी भी संभावित या वास्तविक आपदा स्थिति में समग्रता से, समन्वित ढंग से और तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करना शामिल है। केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली अपेक्षित कार्रवाईयों को भी विधेयक, जिसे संसद में यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा, में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार का दबाव

57. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक परिषद (एन.एम.सी.सी.) ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विश्व बाजार प्रमुखों की आक्रामक प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने का उपाय सुझाने वाला एक नीतिपत्र प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) सरकार द्वारा विनिर्माण क्षेत्र के विकास पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद की स्थापना की गई है। परिषद ने उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के साथ अनेक बार विचार-विमर्श किया है, ताकि नीतिगत पहलों के लिए उपायों के बारे में सुझाव दिए जा सकें और निविष्टियां (इनपुट) उपलब्ध कराई जा सकें।

कम्पोजिट पार्किंग पालिसी

58. श्री सी. कुप्पुसामी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी की पार्किंग समस्या से निपटने के लिए बहुस्तरीय पार्किंग स्थल हेतु एक व्यापक "कम्पोजिट पार्किंग पालिसी" बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने शहर के विभिन्न भागों में भीड़भाड़ वाले वाणिज्यिक परिसरों में बहुस्तरीय पार्किंग स्थल हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार द्वारा वाहनों की पार्किंग हेतु विचारित वैकल्पिक योजना का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) दिल्ली में पार्किंग के मुद्दे से निपटने के लिए विशिष्ट, विकास नियंत्रण मानदण्डों वाली बहुस्तरीय पार्किंग हेतु दिल्ली ड्राफ्ट मास्टर प्लान, 2001 में प्रावधान किए गए हैं।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि उसने 29 स्थलों की पहचान की है, जो दिल्ली में 29,000 कारों के लिए पार्किंग के समान स्थान मुहैया कराएंगे। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन डी एम सी) और दिल्ली नगर निगम (एम सी डी) ने भी यह सूचित किया है कि उनमें से प्रत्येक ने तीन-तीन स्थलों की पहचान की है। दिल्ली नगर निगम ने यह भी सूचित किया है कि उसने 5 और स्थलों पर बहु-स्तरीय पार्किंग के निर्माण की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ईसाई जनजातीय समुदाय का कल्याण और आरक्षण

59. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ईसाई समुदाय में अनेक जनजातीय समूहों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास इन जनजातीय समुदायों के लिए कोई अलग सूची है;

(ग) क्या ईसाई समुदाय के अंतर्गत इन जनजातीय समूहों को भारत में अन्य जनजातीय समुदायों की तरह छूट और आरक्षण का लाभ नहीं मिला है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा ईसाई समुदाय की जनजातियों के कल्याण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (ङ) जी, हां। अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचना के लिए धर्म कोई बंधन नहीं है। अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचना के लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 342 में दी गई है। अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य/क्षेत्र विशिष्ट है धर्म विशिष्ट नहीं है। ईसाई समुदाय का अनुसूचित जनजातियों सहित सभी अनुसूचित जनजातियां सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन समान लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

टेलीफोन टेप करना

60. श्रीमती मेनका गांधी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कुछ लोगों के टेलीफोन टेप कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ऐसे व्यक्तियों के टेलीफोन किस आधार पर टेप करती है; और

(ग) टेलीफोन टेप करने की शक्ति वाले सक्षम प्राधिकारी का क्या नाम है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) भारतीय तार अधिनियम, 1885 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन भारत सरकार में केन्द्रीय गृह सचिव और राज्य सरकारों के मामले में सचिव, प्रभारी गृह विभाग, भारत की प्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था के हित में और अपराध करने को प्रेरित करने से रोकने के लिए संदेशों को बीच में रोकने की अनुमति दे सकता है। इसके लिए एक कड़ी कानूनी और प्रशासनिक प्रणाली है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस शक्ति का प्रयोग केवल उक्त उपबंध के अनुसार ही हो।

राष्ट्रीय खेलों के लिए बोर्ड की स्थापना

61. श्री एम. अप्पादुरई: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने तथा खेलों में सुधार के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तर्ज पर हाकी, टेनिस, तैराकी जैसे प्रत्येक श्रेणी के खेलों के लिए बोर्ड स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हमारे राष्ट्रीय खेलों के स्तर में सुधार के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी, नहीं। भारत सरकार ऐसे बोर्डों का गठन नहीं करती है। हाकी, टेनिस और तैराकी खेलों के अपने राष्ट्रीय परिसंघ हैं जो कि स्वायत्तशासी संगठन हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार, राष्ट्रीय खेल परिसंघों को देश भर में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और खेल विधाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु मान्यता प्रदान करती है। लम्बी अवधि की विकास योजना के अंतर्गत भारत सरकार राष्ट्रीय खेल परिसंघों के भारतीय और विदेशी कोचों के अधीन प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए अपेक्षित वैज्ञानिक निवेश और उपस्कर समर्थन सहित, सहायता प्रदान करती है। इन्हें राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप और प्रतियोगिता आयोजित करने/विदेश में प्रशिक्षण के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय चैम्पियन और अन्य प्रमुख खिलाड़ियों को पुरस्कार छात्रवृत्ति और विदेश में प्रदर्शन/प्रशिक्षण के रूप में प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

उसके अलावा भारतीय खेल प्राधिकरण अपने क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय केन्द्रों में खेल अवस्थापना प्रदान करने के अलावा ये योजनाएं कार्यान्वित करता है। (1) राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (2) सेना बाल खेल कंपनी (3) भा.खे.प्रा. प्रशिक्षण केन्द्र (4) विशेष क्षेत्र खेल और विभिन्न विधाओं उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए उत्कृष्टता केन्द्र।

कुछ भाषाओं को प्राचीन भाषा का दर्जा देना

62. श्री पी. मोहन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कुछ भाषाओं को प्राचीन भाषा का दर्जा दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा दर्जा कौन-सी भाषाओं को दिया गया है;

(ग) ऐसी मान्यता किस मानदंड के अंतर्गत दी गई है;

(घ) ऐसा दर्जा प्रदान करने के लिए निर्णय लेने वाली प्राधिकारी का नाम क्या है; और

(ङ) ऐसी भाषाओं के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) जी हां, श्रीमान। भारत सरकार ने तमिल को प्राचीन क्लैसिकल भाषा का दर्जा दिया है; किसी भाषा को दर्जा देने के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए हैं:-

(1) इसके आदि साहित्य की अत्याधिक प्रचीनता/हजार वर्षों से अधिक पुराना लिपिबद्ध इतिहास।

(2) प्राचीन साहित्य/पाठों का मुख्य भाग जिसे पीढ़ी-दर पीढ़ी बोलने वालों द्वारा एक बहुमूल्य सम्पत्ति माना गया है।

(3) इसकी साहित्य परम्परा मूल होना चाहिए न कि दूसरे समुदाय द्वारा बोले जाने वाली भाषा से ली हुई हो।

(4) प्राचीन भाषा और साहित्य, आधुनिक भाषा से पृथक होने के कारण, प्राचीन भाषा और इसके बाद के रूपों के या इसकी प्रशाखाओं के बीच असंगति हो सकती है।

(ङ) सरकार ऐसी भाषाओं के विकास हेतु निम्नलिखित कदम उठा रही है:-

(1) प्राचीन भारतीय भाषाओं में प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार।

(2) प्राचीन भाषाओं के अध्ययन हेतु एक उत्कृष्ट केन्द्र की स्थापना।

(3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया जा रहा है कि वह केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से शुरू करके, प्रतिष्ठित विद्वानों हेतु प्राचीन भाषाओं के लिए कतिपय व्यावसायिक पीठों (प्रोफेशनल चेयर्स) का सृजन करे।

आदिवासियों को रोजगार

63. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में बेरोजगार आदिवासियों को भूमि तथा रोजगार प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में आदिवासियों के कल्याण के लिए वर्तमान में कौन-सी योजनाएं चल रही हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल की बेरोजगार जनजातियों को भूमि और काम उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय की ऐसी कोई विशिष्ट योजना नहीं है। फिर भी, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की जनजातियों के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय केन्द्रीय क्षेत्र की/केन्द्र द्वारा प्रायोजित कई योजनाएं/कार्यक्रम चलाता है। इन योजनाओं के ब्यौरे मंत्रालय की वर्ष 2003-04 की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध है। ये योजनाएं जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास सहित जनजातीय लोगों के मानव विकास सूचकांक की वृद्धि में सहायता करती हैं।

[हिन्दी]

यूरोपीय संघ से प्रस्ताव

64. श्री मुन्शी राम: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ ने सरकार से सेवा क्षेत्र में प्रस्ताव मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार व्यापार नीति को उदार बनाने के लिए योजना तैयार करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या यूरोपीय संघ ने भारत के लिए चीनी का आयात बढ़ाने का सरकार को आश्वासन दिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) सेवा संबंधी वार्ताओं के दोहा दौर के अंतर्गत यूरोपीय संघ सहित सदस्यों द्वारा अपने व्यापारिक भागीदारों के बाजारों में और अधिक पहुंच प्राप्त करने हेतु अनुरोधों का आदान-प्रदान किया जा रहा है। वार्ताओं में इन अनुरोधों को एकल वचनबद्धता का एक भाग माना जाता है।

(ग) और (घ) विदेश व्यापार नीति का उद्देश्य वैश्विक व्यापार में भारत के हिस्से को बढ़ाना है तथा वह मूल रूप से भारत के विदेश व्यापार के विकास की रूपरेखा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अपरिहार्य परिवर्तनशील परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए इसे निरंतर अद्यतन किया जाता है।

(ङ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

खेलों के लिए पुरस्कार

65. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा उसके बाद आज तक राज्यवार राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खेलों के विकास के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत तथा जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नीतियां एवं कार्यक्रम क्या हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार/सम्मान समान रूप से दिए जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपने स्तर में सुधार लाने में सहायता तथा प्रोत्साहन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) भारत सरकार, खेल अवस्थापना के लिए सहायता उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। धनराशि का कोई राज्यवार आबंटन नहीं है। पिछले दो वर्षों के दौरान तथा

18.1.2005 तक राष्ट्रीय खेल परिसंघों को दी जाने वाली सहायता निम्नलिखित है:-

वर्ष	धनराशि
2002-03	3301.99 लाख
2003-04	3076.00 लाख
2004-05 (18.1.2005 तक)	4074.36 लाख

(ख) भारत सरकार ने अपनी नई राष्ट्रीय खेल नीति, 2001 शुरू की है। नीति में मुख्य बल दो उद्देश्यों, खेलों को "विस्तृत आधार प्रदान करना" तथा "राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर खेलों में उत्कृष्टता हासिल करना", पर दिया गया है। भारत सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के जरिए जो प्रतिभा खोज, प्रशिक्षण, विदेशों में प्रदर्शन के अवसर, उपस्कर और वैज्ञानिक सहायता तथा अवस्थापना से संबंधित है, देश में खेल-कूद के संवर्धन का समर्थन करती है।

(ग) जी, हां। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं को पुरस्कार देने के लिए एक पृथक योजना है।

(घ) राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर के विजेता पुरस्कारों के पात्र हैं जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार तथा ध्यान चंद पुरस्कार। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को विशेष पुरस्कारों की योजना के अंतर्गत, विशेष पुरस्कार केवल उनके लिए उपलब्ध हैं जो प्रतिष्ठित मान्यता-प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतते हैं।

(ङ) भारत सरकार, खेल अवस्थापना उपलब्ध कराने के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक स्तरों को सुधारने के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही है:-

1. संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों, खेल वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के परामर्श से विभिन्न खेल विधाओं के लिए दीर्घावधिक विकास योजनाओं (एल.टी.डी.पी.) को अंतिम रूप दिया जाना।

2. खिलाड़ियों के लिए उपस्कर और वैज्ञानिक सहायता का प्रावधान।

3. पोषक आहार, खेल उपस्कर एवं खेल अनुसंधान के लिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति ताकि उन्हें खेलों को कैरियर के रूप में लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

4. प्रशिक्षण शिविरों में भारतीय व विदेशी प्रशिक्षकों द्वारा खिलाड़ियों को गहन प्रशिक्षण दिया जाना।

5. टीमों को विदेश में गहन प्रशिक्षण।

6. अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में खिलाड़ियों के भाग लेने के लिए संबंधित परिसंघों को वित्तीय सहायता।

7. "प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण संबंधी योजना" और "राष्ट्रीय खेल विकास निधि" के अंतर्गत उपस्करों की खरीद, वैज्ञानिक समर्थन और प्रशिक्षण तथा देश और विदेश में सहभागिता के लिए सहायता।

8. खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करने तथा युवा वर्ग में प्रतिभा का पता लगाने के उद्देश्यों से, सरकार "सेना बाल खेल कंपनी योजना (ए.बी.एस.सी.)" के अंतर्गत सेना की सहायता कर रही है। आठ विद्यमान ए.बी.एस.सी. के अतिरिक्त, चालू वर्ष के दौरान दस और ए.बी.एस.सी. स्वीकृत की गई हैं। इसी प्रकार, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता (एन.टी.एस.सी.) योजना के अंतर्गत अपनाने के लिए 25 नवोदय विद्यालय अनुमोदित किए गए हैं।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा

66. **श्री भंवर सिंह डांगावास:**
श्री अजीत जोगी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में स्नातक महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा समकक्ष शैक्षिक संस्थानों की स्थापना के संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या सरकार उच्च शिक्षा के विकास तथा प्रसार के लिए कोई अलग नीति की घोषणा करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या किसी शिक्षा नीति के अभाव में उच्च शिक्षा का विकास रुका हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) किसी विश्वविद्यालय की स्थापना संसदीय अधिनियम अथवा राज्य विधानमण्डल अधिनियम द्वारा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर किसी संस्था को सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर सकती है।

(ख) से (च) जी नहीं। 1992 में यथासंशोधित 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986' पहले ही कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। उच्चतर शिक्षा सहित शिक्षा के सभी पहलुओं में उभरते मुद्दे पर विचार करने के लिए 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड' का पुनर्गठन किया गया है।

सामुदायिक भोजन तथा पोषाहार काउंटर

67. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए त्वरित विकास कार्यक्रम के तहत स्थापित सामुदायिक भोजन तथा पोषाहार विस्तार एककों की संख्या बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्यक्रम के तहत लाभान्वितों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वर्ष 2003-04 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभान्वितों की संख्या अपर्याप्त थी; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा भविष्य में इन योजनाओं के तहत लाभान्वितों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्य योजना बनाई है तथा इसके तहत कितनी धनराशि खर्च किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) सरकार ने 1964 से 1989 तक की अवधि के दौरान चरणबद्ध तरीके से 43 सामुदायिक खाद्य एवं पोषण विस्तार एकक स्थापित किए तथा इसके बाद अन्य कोई एकक स्थापित नहीं किया गया। ये एकक विशेषकर पिछड़े ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं एवं किशोरियों के लिए पोषण शिक्षा व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इन एककों की 50 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों की महिलाएं हैं। भोपाल, रांची, उदयपुर तथा विशाखापट्टनम स्थित एकक अपने 25% प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की किशोरियों/गृहणियों के लिए चलाते हैं तथा इन कार्यक्रमों में प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए 100 रुपए के वजीफे का प्रावधान भी है।

(ग) और (घ) सामुदायिक खाद्य एवं पोषण विस्तार एककों द्वारा चलाए जाने वाले पोषण कार्यक्रमों के लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से समय-समय पर इन कार्यक्रमों में परिवर्तन किए गए हैं। ये एकक ग्रामीण क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों एवं शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के अतिरिक्त जन-सामान्य के लाभार्थ विभिन्न पोषण शिक्षा व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं।

(ङ) जी, नहीं। विभाग ने इन एककों द्वारा चलाए जाने वाले फल एवं सब्जी परिरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्ष्य को बढ़ाकर दोगुना किया तथा वर्ष 2003-04 के दौरान समुदाय हेतु फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण संबंधी सुविधाओं को भी पुनर्जीवित किया। इससे स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की संख्या अपर्याप्त नहीं थी।

(च) विभाग पिछले दो वर्षों से ऐसे कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित करता रहा है। योजनान्तर्गत संशोधित प्राक्कलन वर्ष 2003-04 हेतु 197 लाख रुपये था और वर्ष 2004-05 हेतु 270 लाख रुपये था। वर्ष 2005-06 हेतु बजट प्राक्कलन 559 लाख रुपये है।

जिला सलाहकार समितियों का गठन

68. श्री पंकज चौधरी: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में विशेषकर महाराजगंज जिले में नेहरू युवक संगठन द्वारा जिला सलाहकार समितियों का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं तथा गठित की गई समितियों की संख्या कितनी है; और

(ग) अब तक इन समितियों ने क्या गतिविधियां शुरू की हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) उत्तर प्रदेश में महाराजगंज जिला सहित युवा कार्यक्रमों संबंधी 55 जिला सलाहकार समितियों (डी.ए.सी.वाई.पी.) गठित की गई हैं।

(ख) डी.ए.सी.वाई.पी. की एक सूची तथा महाराजगंज जिले सहित उत्तर प्रदेश में प्रत्येक डी.ए.सी.वाई.पी. के सदस्यों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) डी.ए.सी.वाई.पी. की भूमिका सलाहकार की है तथा यह युवाओं से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में नेहरू युवा केन्द्र संगठन (एन.वाई.के.एस.) से संबद्ध युवा क्लबों की सहायता करता है।

विवरण

क्र.सं.	जिला	सरकारी सदस्य
1	2	3
1.	अमेठी	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य अतिरिक्त उपायुक्त - सदस्य मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी - सदस्य जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य लीड बैंक अधिकारी - सदस्य परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य
2.	रायबरेली	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य मुख्य विकास अधकारी - सदस्य मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी - सदस्य जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य लीड बैंक अधिकारी - सदस्य परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य
3.	मिर्जापुर	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य मुख्य विकास अधकारी - सदस्य मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य

1	2	3	
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
4.	सुलतानपुर	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
5.	मथुरा	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्री विष्णु सिंह सिसोदिया
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्री वीर पाल यादव
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्री भरत सिंह
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री सतीश चन्द्र शर्मा
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्रीमती सरोजनी कुलश्रेष्ठ
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	श्री दीपक गोस्वामी
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
6.	बस्ती	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्री गंगादीन
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	डा. अख्तर हबीब
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	डा. रमेश चद्र श्रीवास्तव
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री एम.पी. विश्वकर्मा
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्रीमती सुनीता सिंह
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	श्री अरूण कुमार

1	2	3	
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
7.	गोरखपुर	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	डा. जमाल खान
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्री सीता राम प्रसाद
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री दिलिप कुमार
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री धर्मेन्द्र कुमार
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	कुमारी किरण सिंह
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
8.	बलिया	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्री वीरेन्द्र शुक्ला
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	डा. बी.के. वैद्य
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्री गोपाल जी अग्रवाल
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री चन्द्र प्रताप सिंह
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री चन्द्र जीत प्रसाद
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	कुमारी सोनमती
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
9.	गौण्डा	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्रीमती रीता देवी
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्री अशोक सिंह
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्री उमा शंकर दूबे
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	कुमारी रीना श्रीवास्तव
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री मनोज चतुर्वेदी
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	कुमारी नीलम श्रीवास्तव

1	2	3	
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	कुमारी सुधा श्रीवास्तव
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
10.	गाजीपुर	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्री सूर्या कुमार सिंह
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	डा. रमा शंकर लाल
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	मौ. कमरूद्दीन
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री अंगद सिंह यादव
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	कुमारी सीमा पाठक
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	श्री भिखारी गिरी
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
11.	देवरिया	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्री नवल किशोर सिंह
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्री हरिनाथ प्रसाद
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्री सदा नन्द दूबे
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री अरविन्द तिवारी
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री लियाकत अहमद
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	श्री मनोज कुमार
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
12.	आजमगढ़	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्रीमती रंजना राय
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्रीमती माधुरी सिंह
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्री विजय शंकर यादव
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री नागेश्वर यादव
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री प्रेम कुमार
		महा प्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	कुमारी प्रतीमा शर्मा

1	2	3	
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
13.	सिद्धार्थ नगर	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्री राम प्रताप सिंह
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्री अनिरुद्ध पांडे
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्रीमती सुशीला मिश्रा
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री कैलाश नाथ द्विवेदी
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री जितेन्द्र कुमार मिश्रा
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	कुमारी तनवीर खान
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
14.	फैजाबाद	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्री वेद गोस्वामी
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्री सूर्या नारायण सिंह
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्री जमाल अहमद
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री जीत बहादुर सिंह
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री मनीष जैन
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	श्री सुरेन्द्र कुमार
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
15.	इटावा	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्री राजीव चौहान
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्री हरि शंकर दूबे
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्री संजय सिंह चौहान
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	डा. सुशील सम्राट
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	कुमारी मंडवी दूबे
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	श्री विवेक कुमार

1	2	3	
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
16.	शाहजहांपुर	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्री अवधेश मिश्रा
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्री बलवीर सिंह
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्री ओमकार मनीषी
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री विपिन मिश्रा
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री सर्वेश कुमार वर्मा
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	श्री विश्व कीर्ति मिश्रा
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
17.	पीलीभीत	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्रीमती ज्योति सक्सेना
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्री करण सिंह
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्री जसविन्दर सिंह
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री अभिषेक अवस्थी
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	कुमारी सुरभि सक्सेना
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	कुमारी कविता गंगवार
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
18.	कानपुर नगर	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्री कमल कान्त तिवारी
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्री अतुल प्रकाश त्रिवेदी
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्री प्रदीप श्रीवास्तव
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री सम्मन सिंह
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री वीरेन्द्र शुक्ला
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	कुमारी उमा शुक्ला

1	2	3	
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
19.	मऊ	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्री सतीश कुमार पाण्डे
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्री अहमद असलान
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्री राम आश्रय दास
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री उमेश चन्द्र यादव
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	कुमारी सरिता शर्मा
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
20.	बिजनौर	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	डा. सुबोध चन्द्र शर्मा
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्री जोगेन्द्र कुमार
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्री अर्जुन सिंह
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री नवनीत त्यागी
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
21.	मेरठ	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्री विष्णु शरण भार्गव
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	डा. नन्द कुमार
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्री हरीश चन्द्र
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री अखिलेश सिंह
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री अश्वनी त्यागी
		महा प्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	श्री गुलजार त्यागी

1	2	3	
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
22.	अलीगढ़	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्री मनोज गौड़
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	डा. नरेन्द्र तिवारी
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्रीमती अंजना मित्तल
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री संजय चौधरी
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री विकास शर्मा
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	कुमारी हेमलता
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
23.	हमीरपुर	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्री जय प्रकाश त्रिपाठी
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्री जे.पी. यादव
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्री अंबिका प्रसाद
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री राजेन्द्र कुमार
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री तौसफ खान
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	श्रीमती मांडवी शर्मा
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	श्री प्रवीन मेहरोत्रा
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
24.	वाराणसी	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	डा. नन्द किशोर
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्री हरीश चन्द्र वर्मा
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	डा. ऋषि नारायण
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री अजय कुमार सिंह
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री बाबू लाल
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	श्रीमती कुसुम सिंह

1	2	3	
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
25.	कानपुर देहात	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्री मनोज कटियार
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्री संत कुमार मिश्रा
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्री रामजी तौमर
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री राज कुमार
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्रीमती सरला शर्मा
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	कुमारी श्रुति रंजना मिश्रा
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
26.	फिरोजाबाद	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्री राजेश कुमार
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्रीमती गीता शर्मा
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्री भगवान दास शंखवार
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री वेद प्रकाश बघेल
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री भीष्म पाल सिंह
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	एन.एस.वी.
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
27.	गाजियाबाद	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्रीमती आशा त्यागी
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्रीमती मंजीत बम्बरा
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्री रूप सिंह नागर
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री नरेन्द्र पाल भाटी
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री ब्रिज पाल सिंह
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	श्रीमती बबीता रानी

1	2	3	
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
28.	जालौन	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्री संजय सिंह
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	कुमारी वंदना सिंह
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्री प्रवीन सिंह जादौन
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री प्रमोद रिचारिया
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	कुमारी प्रीति मिश्रा
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
29.	झांसी	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्री दिनेश परासर
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	प्रो. कान्ति चन्द्र सक्सेना
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	डा. नीती शास्त्री
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री गिरिवर सिंह गौड़
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री अरविन्द कुमार वशिष्ठ
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	कुमारी लाजवंती
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
30.	बेहराइच	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	कुमारी बीना गुप्ता
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	कुमारी नाजिया सलीम
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्रीमती बसंती देवी
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्रीमती सजदा बेगम
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री नन्द किशोर वर्मा
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	श्री राजेन्द्र कुमार सोनासर

1	2	3	
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	कुमारी जीनत खान
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा सेवा और खेल अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
31.	महाराजगंज	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्रीमती विद्यावती त्रिपाठी
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्री साधुराम शर्मा
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्री सुनील कुमार त्रिपाठी
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री दिग्विजय सिंह
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री राम कुमार
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	श्री संदीप कुमार पाण्डे
		जिला युवा कयाण अधिकारी - सदस्य	
		जिला खेल अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
32.	उन्नाव	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	मो. इलियास
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्री सलीन्द्र
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	कुमारी गोसिया खान
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री कमलेश सिंह
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	कुमारी अनीता सिंह
		महा प्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	श्री सत्या बोध शुक्ला
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	श्री शबनम अंसारी
		जिला युवा कल्याण एवं खेल अधिकारी - सदस्य	श्री प्रदीप शर्मा
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
33.	मुजफ्फरनगर	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्री सुधीर शर्मा
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्री सूबेदार रणधीर सिंह
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्रीमती मीरा शर्मा
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री संजीव मलिक
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री ब्रजपाल सिंह
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	कुमारी अंजलि शर्मा

1	2	3	
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा कल्याण एवं खेल अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
34.	रामपुर	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्री योगेन्द्र पाल
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्री नेत्र पाल
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	कुमारी फूल बेबी
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्रीमती इसरत जहान
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री रफीक अहमद
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा कल्याण एवं खेल अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
35.	बुलंदशहर	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्री शांति स्वरूप
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	डा. पी.एस. तोमर
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्रीमती विजय लक्ष्मी चौधरी
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री धर्म वीर सिंह
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री दिनेश कुमार
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा कल्याण एवं खेल अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
36.	बरेली	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्री तुषार चन्द्र
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्री महावीर सिंह
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्रीमती रजनी अग्रवाल
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री कृष्ण पाल सिंह
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री भूप राम श्रीवास्तव
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	कुमारी सीमा पांडेरा
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	

1	2	3	
		जिला युवा कल्याण एवं खेल अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
37.	आगरा	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्रीमती वंदना जैन
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	कुमारी उमा शर्मा
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	कर्नल जे.सी.एस. रावत
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री दिनेश बाबू यादव
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री महावीर सिंह
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	कुमारी आरती दत्ता
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा कल्याण एवं खेल अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
38.	हरदोई	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्री अलोक श्रीवास्तव
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्री अरूण बाजपेई
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्रीमती रंजना सिंह
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री राजकुमार सिंह
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री रमाकान्त
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा कल्याण एवं खेल अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
39.	बाराबंकी	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्री राम नरेश रावत
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्रीमती कृष्णा चौधरी
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	कुमारी ममता जोशी
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री मनोज शर्मा
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री रामदेव वर्मा
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	कुमारी रेणू वर्मा
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	

1	2	3	
		जिला युवा कल्याण एवं खेल अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
40.	एटा	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्री अभिलाष सिंह चौहान
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्री बाबू सिंह चौहान
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्री प्रशांत पाठक
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री अर्पण कुमार दूबे
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री अजय कुमार शर्मा
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	श्रीमती अरूणा चादौन
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा कल्याण एवं खेल अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
41.	प्रतापगढ़	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्री अनारूल हसन खान
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्रीमती सरिता ओझा
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्री कुमारी प्रदीप सिंह
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री शिखिर खरे
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री शेर बहादुर सरोज
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	कुमारी साधना सिंह
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा कल्याण एवं खेल अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
42.	बदाऊं	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्री नईम खान
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्री गुलकम सिंह
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री सुभाष चन्द्र
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री मुजाहिद नफिस
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	कुमारी रचना सिंह
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	

1	2	3	
		जिला युवा कल्याण एवं खेल अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
43.	इलाहाबाद	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्री धर्म राज यादव
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	कुमारी मुनव्वर सुल्तान
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्री राज बहादुर श्रीवास्तव
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री सलिक राम पटेल
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री राकेश चन्द्र सरोज
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	श्रीमती अभिलाषा त्रिपाठी
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा कल्याण एवं खेल अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
44.	सोनभद्र	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	डा. अरविन्द मिश्रा
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	डा. एम.एल. शर्मा
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	डा. अर्जुन दास केशरी
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	डा. अश्वनी
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	श्री श्याम सुन्दर पाण्डे
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा कल्याण एवं खेल अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
45.	बान्दा	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्रीमती रूकसाना हासमी
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्रीमती विमला
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्रीमती हेमलता
		मुख्य विकास अधिकारी - सदस्य	श्री मुन्ना लाल
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री इन्द्रजीत माझी
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	श्री राम सजीवन वर्मा
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	श्री राजेश पाल

1	2	3	
		जिला युवा कल्याण एवं खेल अधिकारी - सदस्य	श्री जगदीश चन्द्र अहिरवार
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
46.	मुरादाबाद	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्री शरीफ हुसैन
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्रीमती सतीश बाला यादव
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्री विश्व अवतार जैमिनी
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री जसराम सिंह
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री रईस आलम
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	कुमारी मेहनाज खान
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा कल्याण एवं खेल अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - स्दस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
47.	ललितपुर	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्री महेन्द्र सिंह बुंदेला
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्रीमती अनामिका सिलौनिया
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्री मुरारी लाल जैन
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री आशा राम तिवारी
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री अखिलेश कुमार लिटौरिया
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	कुमारी श्रद्धा जैन
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा कल्याण एवं खेल अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
48.	सीतापुर	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्री लल्लू राम
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्री जमुना प्रसाद
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्री अजय विक्रम सिंह
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	कुमारी सरला कुमारी
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री लक्ष्मन सिंह
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	श्री अरविन्द प्रताप सिंह
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	

1	2	3	
		जिला युवा कल्याण एवं खेल अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
49.	लखीमपुर खीरी	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्रीमती संदीप वालिया
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्री अशोक सक्सेना
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्री राकेश कुमार वर्मा
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री देवेश त्रिवेदी
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	कुमारी नीतू निषाद
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा कल्याण एवं खेल अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
50.	फर्रूखाबाद	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्री जोग राज सिंह
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्री अरविन्द सिंह गंगवार
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्री मुरलीधार गौड़
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	कुमारी प्रीति मिश्रा
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा कल्याण एवं खेल अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
51.	फतेहपुर	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्री गुफरान अहमद
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्रीमती ममता गुप्ता
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्रीमती नाज
		मुख्य विकास अधिकारी - सदस्य	श्री कुलदीप सिंह भदौरिया

1	2	3	
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	कुमारी दक्ष प्रवीन
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	कुमारी इजरायल
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा कल्याण एवं खेल अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
52.	लखनऊ	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्रीमती ममता दूबे
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्री अखिलेश सिंह
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्रीमती सुनीता सिंह
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री तेज प्रताप सिंह
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री अशोक कुमार रावत
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	श्री विक्रम बहादुर मौर्या
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा कल्याण एवं खेल अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
53.	मणिपुर	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्री उमा शंकर तिवारी
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्री क्रान्ति कुमार दीक्षित
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	डा. मनोज दीक्षित
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री प्रवीन प्रताप सिंह
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	कुमारी वंदना सक्सेना
		महाप्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	श्री नीरत कुमार
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा कल्याण एवं खेल अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
54.	जौनपुर	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	डा. कमर अब्बास
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	डा. पी.सी. विश्वकर्मा

1	2	3	
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	श्रीमती शिव कुमारी गुप्ता
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री राज कुमार मौर्या
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	कुमारी नीला मिश्रा
		महा प्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	श्री राम जनक यादव
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	कुमारी शिप्रा बर्तारिया
		जिला युवा कल्याण एवं खेल अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	
55.	सहारनपुर	जिला कलेक्टर - अध्यक्ष	श्रीमती तरन्नुम
		जिला युवा समन्वयक - सदस्य-सचिव	श्री राजेन्द्र अटल
		क्षेत्रीय समन्वयक - सदस्य	डा. एस.के. उपाध्याय
		मुख्य विकास अधकारी - सदस्य	श्री सुशील शर्मा
		मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य	श्री अनिल चौधरी
		महा प्रबंधक - डी.आई.सी. - सदस्य	श्री अनुज शर्मा
		जिला जन संपर्क अधिकारी - सदस्य	
		जिला युवा कल्याण एवं खेल अधिकारी - सदस्य	
		क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी - सदस्य	
		जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी - सदस्य	
		लीड बैंक अधिकारी - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. - सदस्य	
		परियोजना अधिकारी, एन.एस.एस. - सदस्य	

[अनुवाद]

एशिया के लिए कामन करेंसी

69. प्रो. चन्द्र कुमार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार यूरोपीय संघ की तर्ज पर तथा एशिया सम्पूर्ण विश्व का वस्तुओं एवं सेवाओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा उत्पादक होने के नाते दक्षिणी-पूर्वी तथा सुदूर-पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार के लिए समान मुद्रा अपनाने के उद्देश्य से इन देशों से बातचीत करने का है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): इस समय यूरोपी संघ की तर्ज पर दक्षिण-पूर्व और सुदूर-पूर्व एशियाई देशों के बीच व्यापार के प्रयोजनार्थ समान मुद्रा अपनाने के बारे में इन देशों के साथ बातचीत शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

हीरा तथा आभूषणों का निर्यात

70. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री दुष्यंत सिंह:
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा उसके बाद आज तक हीरा तथा आभूषणों के निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) हीरा तथा आभूषणों के निर्यात में प्रत्येक राज्य विशेषकर महाराष्ट्र का हिस्सा कितना है तथा क्या इनके निर्यात को बढ़ाने की कोई संभावना है; और

(घ) वर्ष 2005-06 के लिए हीरे तथा आभूषणों का निर्यात लक्ष्य कितना है तथा इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान और तत्पश्चात् जून, 2005 तक देश से हीरों और आभूषणों के निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है:

मूल्य: मिलियन अम. डालर

मदें	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05 (अप्रैल-जून) (अनन्तिम)
तराशे और पालिश किए हुए हीरे	5892.18	7384.92	8239.86	2041.45
हीरों से जड़ित आभूषण	553.09	718.54	934.43	247.56

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस (www.commerce.nic.in)

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जनवरी, 2005 तक सकल निर्यातों से भारत द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा का मूल्य इस प्रकार है:

मूल्य: मिलियन अम. डालर

मदें	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05 (अप्रैल-जून) (अनन्तिम)
भारत से सकल निर्यात	43827	52719	63843	60754.46

स्रोत: डी.जी.सी.आई. एंड एस.

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित अधिसूचित पत्तनों के जरिए रत्न और आभूषण के निर्यातों का हिस्सा इस प्रकार है:-

पिछले 3 वर्षों में रत्न और आभूषण के निर्यातों का पत्तनवार % हिस्सा

पत्तन	तराशे हुए और पालिश किए हुए हीरे			स्वर्ण आभूषण (सादे और स्टेंडर्ड)		
	2003-04 %	2002-03 %	2001-02 %	2003-04 %	2002-03 %	2001-02 %
मुम्बई	97.31	98.30	97.91	56.74	70.19	66.16
दिल्ली	0.00	0.01	0.01	15.13	14.71	17.53
जयपुर	0.06	0.05	0.05	1.66	2.22	1.93
चेन्नई	0.03	0.03	0.05	1.34	1.71	1.59
कोचिन	0.00	0.00	0.00	0.23	0.43	0.43
कोयम्बटूर	0.00	0.00	0.00	0.28	0.48	0.88
बंगलौर	0.00	0.00	0.00	20.60	4.22	5.08
हैदराबाद	0.00	0.00	0.00	0.36	0.98	1.06
कलकत्ता	0.00	0.00	0.00	3.33	4.98	5.26
सूरत	2.60	1.62	1.98	0.34	0.06	0.08
योग	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

स्रोत: रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, (जीजेईपीसी), मुम्बई

वर्ष 2005-06 के लिए रत्न एवं आभूषण निर्यातों के लिए 15434 मिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दिनांक 1 सितम्बर, 2004 से लागू विदेश व्यापार नीति में रत्न एवं आभूषण के निर्यात को एक जोर दिये जाने वाले क्षेत्र के रूप में

अभिज्ञात किया गया है और इसके लिए निम्नलिखित सुविधाएं दी गई हैं:

(1) 18 कैरट और अधिक के सोने के आयात की पुन: पूर्ति स्कीम के अंतर्गत अनुमति होगी।

(2) स्वर्ण और प्लेटिनम के लिए पिछले वर्ष के दौरान हुए निर्यातों के एफओबी मूल्य के 2% के अतिरिक्त धातुओं के लिए उपभोज्य की शुल्क मुक्त आयात हकदारी।

(3) वाणिज्यिक नमूनों की शुल्क मुक्त आयात हकदारी एक लाख रुपए होगी।

(4) अस्वीकृत आभूषणों के लिए शुल्क मुक्त पुन: आयात पात्रता निर्यातों के एफओबी मूल्य की 2% होगी।

(5) रत्न और आभूषणों को तराशने और पालिश करने के कार्य को आयकर अधिनियम की धारा 10क के अंतर्गत छूट के प्रयोजनार्थ विनिर्माण समझा जायेगा।

रत्न एवं आभूषण निर्यात क्षेत्र को दी गई कुछ अन्य सुविधाओं में वित्त तराशे हीरों का शुल्क और लाइसेंस मुक्त आयात, हीरों का खनन करने वाले देशों से बिना तराशे हीरों की सीधी खरीद का पता लगाना, आभूषण क्षेत्र में डिजाइन तैयार करने में दक्षता प्रदान करने के लिए सरकार की वित्तीय सहायता से इस क्षेत्र में प्रशिक्षण बुनियादी संरचना सृजित करना, अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना और विदेशों में क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना शामिल हैं।

[अनुवाद]

अवसंरचना क्षेत्रों में उत्पादन में कमी

71. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसम्बर 2003 की तुलना में दिसम्बर 2004 के दौरान छ: अवसंरचना क्षेत्रों में उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस कमी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) छ: अवसंरचना क्षेत्र संबंधी उद्योगों, अर्थात् कच्चा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम शोधक उत्पाद, कोयला, विद्युत, सीमेंट और पूरी तरह से तैयार इस्पात में चार क्षेत्रों अर्थात् पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, कोयला, विद्युत और सीमेंट के उत्पादन में दिसम्बर 2003 की तुलना में 2004 में गिरावट नहीं आई है।

दो क्षेत्रों में उत्पादन में मामूली सी कमी आई है: अर्थात् (1) कच्चा पेट्रोलियम, जो दिसम्बर 2003 में 2893 हजार टन से दिसम्बर, 2004 में 2876 हजार टन रह गया, और (2) पूरी तरह से तैयार इस्पात (कार्बन और अलाय इस्पात), जो इसी अवधि के दौरान 3385.3 हजार टन (3273.0 हजार टन कार्बन + 112.3 हजार टन अलाय का योग) से घटकर 3366.7 हजार टन (3327.0 हजार टन कार्बन + 39.7 हजार टन अलाय) रह गया।

(ग) और (घ) कच्चे पेट्रोलियम के उत्पादन में कमी आने के कारण इस प्रकार थे: नए कुंओं से पूर्वानुमान से कम उत्पादन होना, बंद हो चुके कुंओं को पुन: चालू न करना, पानी की कटौती में बढ़ोत्तरी और पर्यावरणीय समस्याएं। पूरी तरह से तैयार इस्पात के उत्पादन में आई कमी का मुख्य कारण अलाय इस्पात के उत्पादन में कमी आना था।

सरकार अवसंरचना के उत्पादन में विद्यमान अपर्याप्तताओं का निवारण करने के लिए कृत संकल्प है। वर्ष 2004-05 के बजट में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क में कमी करने जैसे कई उपायों पर विचार किया गया। इन उपायों का उद्देश्य सामान्य तौर पर उद्योग के तथा विशेष तौर पर अवसंरचना के कार्यनिष्पादन में सुधार लाना है।

कपड़े के मुक्त व्यापार का प्रभाव

72. **श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 1 जनवरी, 2005 से विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के समझौते के अनुसार कपड़े के मुक्त व्यापार से घरेलू बाजार पर पड़े प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) घरेलू बाजार के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) भारत सरकार ने घरेलू बाजार पर कोटा प्रणाली की समाप्ति के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है। तथापि उदारीकृत व्यापार प्रणाली के फलस्वरूप वस्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होगी और इस प्रकार निर्यात के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे तथा इसी के साथ

इससे घरेलू उद्योग को घरेलू बाजार में आयातों के प्रवेश का सामना करना होगा। उद्योग को बढ़ती हुई वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए अपनी कार्यक्षमता और उत्पादकता में सुधार करना होगा।

(ग) सरकार बढ़ती हुई वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए भारतीय वस्त्र उद्योग को सक्षम बनाने और स्वदेशी घरेलू उद्योग का संरक्षण करने हेतु अनेक कदम उठा रही है। इस संबंध में किए गए कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं:-

(1) सरकार ने घरेलू उद्योग के हितों का संरक्षण करने के लिए अनेक वस्त्र मदों के आयातों पर "जो भी अधिक हो" आधार पर मूल्यवर्द्धित और विशिष्ट शुल्क को संयुक्त रूप से लागू किया है।

(2) सरकार आयातों की निगरानी कर रही है और यदि किसी अनुचित व्यापार व्यवहार की जानकारी मिलती है तो आवश्यकतानुसार, डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

(3) वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उन्नयन को सुविधाजनक बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम (टीयूएफएस) को शुरू किया गया है।

(4) टीयूएफएस के अंतर्गत शामिल बुनाई, प्रसंस्करण और कपड़ा परिधान को 50% की दर से संवर्द्धित मूल्यह्रास की सुविधा प्रदान की गई है। वित्तीय नीतिगत उपायों के जरिये मशीनरी की लागत को भी कम किया गया है। इससे आधुनिकीकरण को और अधिक प्रोत्साहन मिलता है।

(5) फेब्रिक उत्पादन को प्रतिस्पर्धी बनाने की दृष्टि से शटल रहित करघों पर सीमाशुल्क को 15% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

(6) कपास की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार ने कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) की शुरूआत की है।

(7) सरकार ने निर्यातों को बढ़ाने के लिए संभावित विकास केन्द्रों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वस्त्र विनिर्माण इकाइयों की स्थापना पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के लिए "निर्यात स्कीम हेतु वस्त्र पार्क" नाम से केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम की शुरूआत की है।

(8) महत्वपूर्ण वस्त्र केन्द्रों पर बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन के लिए "वस्त्र केन्द्र अवसंरचना विकास स्कीम" (टीसीआईडीएस) नामक एक योजना की शुरूआत की गई है।

शिक्षा के लिए विशेष पैकेज

73. श्री मदन लाल शर्मा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आतंकवाद के कारण जम्मू और कश्मीर में शिक्षा पर बहुत बुरा असर पड़ा है;

(ख) क्या सरकार जम्मू और कश्मीर में शिक्षा के लिए विशेष पैकेज देने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) जम्मू और कश्मीर राज्य में उग्रवाद का सामना करने के समेकित दृष्टिकोण के अंग के रूप में केन्द्र सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं ताकि आर्थिक विकास पर बल देते हुए जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद के प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त किया जा सके, भौतिक तथा सामाजिक अवसंरचना का निर्माण किया जा सके और जम्मू व कश्मीर की उत्पादी संभावना को बढ़ाया जा सके। वर्ष 2003 तथा 2004 के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू और कश्मीर के लिए आर्थिक पैकेजों की घोषणा की गई है। इनमें शिक्षा संबंधी घटक भी शामिल हैं जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

[हिन्दी]

यू.एन.सी.टी.ए.डी. की सुनामी प्रभावित देशों से अपील

74. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूएनसीटीएडी ने सुनामी प्रभावित देशों को व्यापार छूट प्रदान करने के लिए विकसित देशों से अपील की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप भारत से इसके सदस्य देशों को निर्यात किस सीमा तक बढ़ा है तथा निर्यात को बढ़ाने की सम्भावना वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) और (ख) 18 जनवरी, 2005 को जारी की गई एक प्रैस विज्ञप्ति में अंकटाड ने निम्नलिखित व्यापार उपायों

की सिफारिश की है जिनसे सुनामी द्वारा प्रभावित देशों के पुनर्निर्माण और विकास में सहायता प्राप्त होगी:-

* विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों और अनुशासनों के अनुरूप प्रभावित देशों से होने वाले आयातों को शुल्क मुक्त व्यवहार का अस्थायी प्रावधान;

* प्रभावित देशों में उद्भूत समुद्री खाद्य और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के विरुद्ध पाटनरोधी कार्यवाहियों जैसे सभी विशेष व्यापार अवरोधक उपायों को तुरंत स्थगित और/अथवा अच्छा समाप्त करना;

* प्रभावित विकासशील देशों के निर्यातों के लिए स्वच्छता और पादप स्वच्छता मानकों के अनुरूप आवश्यक बुनियादी संरचना बहाल करने के लिए उनकी सक्षमताओं और उनके व्यवसाय को मजबूत करने के लिए तुरंत उपाय;

* अतिरिक्त विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायता करने के लिए प्रभावित देशों के सेवा प्रदाताओं के लिए बाजार पहुंच की छूट;

* यात्रा सलाहकारों के लिए अधिक सहायक दृष्टिकोण और सूचना तथा वितरण माध्यमों के लिए विकसित पहुंच सहित पर्यटन उद्योग और बुनियादी संरचना के पुनरुद्धार के लिए विशेष उपाय;

* व्यापार संभार तंत्र तथा अन्य संबंधित सेवा बुनियादी संरचनाओं के पुनर्निर्माण की सहायता के लिए कार्यवाहियां।

(ग) तथापि, अभी तक ऐसी कोई व्यापार रियायतें कार्यान्वित नहीं की गई हैं, इसलिए अंकटाड सचिवालय द्वारा अनुशंसित व्यापार किसी एक अथवा अन्य व्यापार उपायों के फलस्वरूप भारत से निर्यातों में हुई वृद्धि की सीमा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

[अनुवाद]

विदेशी विश्वविद्यालयों का विरोध

75. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'भारतीय विश्वविद्यालय संघ' ने उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या विदेशी विश्वविद्यालयों के आने से इन विश्वविद्यालयों पर भारत सरकार ने नियंत्रण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश से संबंधित सभी प्रासंगिक मुद्दों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

सुनामी प्रभावित देशों को यूरोपीय संघ द्वारा छूट

76. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ सूनामी प्रभावित देशों के लिए व्यापार पैकेज पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यूरोपीय संघ ने ऐसे देशों से व्यापार रक्षा उपाय उठा लिए हैं तथा जी.एस.पी. छूट (वरीयता की सामान्यकृत योजना) दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यूरोपीय संघ के कुछ देशों ने सुनामी प्रभावित देशों से विशेषकर समुद्री उत्पादों से पाटनरोधी शुल्क हटा दिया है; और

(च) यदि हां, तो त्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे भारत के सुनामी प्रभावित क्षेत्रों को क्या लाभ होगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) यह सूचित किया गया है कि यूरोपीय संघ (ईयू) सुनामी प्रभावित देशों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ ईयू की उन पाटनरोधी कार्रवाइयों जिनमें सुनामी पीड़ित निर्यातक शामिल हैं पुनरीक्षण करने, मात्स्यिकी पर तकनीकी एवं व्यापार संबंधी अन्य सहायता, भूमि पंजीकरण आदि, ईयू की ई जीएसी स्कीम को शीघ्र अपनाने आदि पर विचार कर रहा है।

(ङ) और (च) इस समय इन देशों के किसी भी निर्यातक द्वारा पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा हेतु मांग किए जाने की सूचना नहीं मिली है।

पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता

77. **श्री रूपचन्द मुर्मू:** क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत पश्चिम बंगाल को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई तथा राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में कोई परियोजना प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम के तहत गत 3 वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल को जारी की गई केन्द्रीय धनराशि और उसी अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय धनराशि में से किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(लाख रु. में)

वर्ष	जारी की गई केन्द्रीय धनराशि	केन्द्रीय धनराशि से किया गया सूचित व्यय
2001-02	293.86	732.30*
2002-03	501.66	531.25
2003-04	883.26	739.08

* इसमें पहले की शहरी गरीबी उपशमन स्कीमों की अव्ययित शेष धनराशि से किया गया व्यय शामिल है।

(ख) और (ग) इस संबंध में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत पश्चिम बंगाल सरकार से कोई परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।

भारत-ब्रिटेन व्यापार

78. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारत-ब्रिटेन व्यापार बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ब्रिटेन को किन मदों का निर्यात और आयात किया गया; और

(घ) इनकी कीमत कितनी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) यूके सहित अपने सभी व्यापारिक भागीदारों के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों का विस्तार करने का सरकार का प्रयास रहा है।

(ख) भारत-यूके संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (जेईटीसीओ) ने द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि हेतु कृषि, बुनियादी सुविधा (ऊर्जा सहित), सेवाओं एवं ज्ञान-आधारित उद्योग जैसे क्षेत्रों को अभिज्ञात किया है।

(ग) और (घ) भारत से यूके को निर्यातित प्रमुख मदों में वस्त्र एवं कपड़ा, रत्न/आभूषण, मशीनरी/उपकरण, परिवहन उपकरण, धातु विनिर्माण, चर्म फुटवियर, औषधि/भेषज/परिष्कृत रसायन तथा इलेक्ट्रानिक वस्तुएं शामिल हैं। यूके से आयातित प्रमुख मदों में इलेक्ट्रिक/इलेक्ट्रानिक मशीनरी, इलेक्ट्रानिक वस्तुएं, सोना/चांदी, मोती बेशकीमती/कीमती पत्थर, परिवहन उपकरण तथा धातुएं, अयस्क, और धातु छीजन शामिल हैं।

पिछले तीन वर्षों में भारत-यूके द्विपक्षीय व्यापार निम्नानुसार रहा है:

मिलियन अमरीकी डालर

वर्ष	भारत-यूके द्विपक्षीय व्यापार
2001-2002	4717.91
2002-2003	5251.22
2003-2004	6209.24

(स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय)

आधारभूत ढांचे के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

79. **श्री वरकला राधाकृष्णन:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय प्रधान मंत्री ने प्रत्येक राज्य में एक शहर तथा एक कस्बे के लिए आधारभूत ढांचे के विकास हेतु सहायता देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने यह आवश्यक बना दिया है कि जिन राज्यों की राजधानियों को केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है तथा जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है उनका चयन प्रधान मंत्री द्वारा घोषित योजना के तहत सहायता के लिए कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) केंद्र सरकार, देश में शहरी अवस्थापना के सृजन और प्रचालन एवं रखरखाव के लिए सुधार आधारित केन्द्रीय सहायता मुहैया करने के बारे में विचार कर रही है। प्रस्ताव की विस्तृत रूपरेखा अभी तैयार की जानी है।

[हिन्दी]

महिलाओं तथा लड़कियों के कल्याण हेतु योजनाएं

80. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा उसके बाद महिलाओं/लड़कियों की सुरक्षा, कल्याण तथा पुनर्वास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त प्रस्तावों पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है;

(ग) अब तक कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है; और

(घ) शेष प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, मध्य प्रदेश द्वारा स्वाधार के अंतर्गत तीन प्रस्ताव तथा अल्पावास गृह स्कीम के अंतर्गत 103 प्रस्ताव भेजे गए हैं।

(ख) स्वाधार तथा अल्पावास गृह स्कीमों के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों को महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना संस्वीकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

(ग) महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना संस्वीकृति समिति द्वारा स्वाधार के अंतर्गत दो परियोजनाओं तथा अल्पावास गृह के अंतर्गत 19 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी।

(घ) स्वाधार के अंतर्गत एक तथा अल्पावास गृह स्कीम के अंतर्गत 84 प्रस्तावों को कमियों को दूर करने के लिए वापस राज्य सरकार को भेजा गया है। अत:, महिला एवं बाल विकास विभाग के पास कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

[अनुवाद]

चकमा और हजोंग को बाहर निकालना

81. श्री तापिर गाव: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र से चकमा और हजोंग शरणार्थियों को निकालने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो चकमा और हजोंग शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) इस मुद्दे का समाधान कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 720 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 9 जनवरी, 1996 के निर्णय में, अन्य बातों के साथ-साथ, निदेश दिया है कि अरुणाचल प्रदेश में बस चुके किसी चकमा/हजोंग को इस आधार पर नहीं निकाला जाएगा कि वह भारत का नागरिक नहीं है जब तक कि भारत सरकार नागरिकता हेतु उनके आवेदन पर कोई निर्णय नहीं ले लेती है। नागरिकता प्रदान करने हेतु अरुणाचल प्रदेश में बस चुके चकमा/हजोंग लोगों के भारत सरकार को प्राप्त आवेदन, नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत बनाए गए नागरिकता नियम, 1956 के अनुसार उन पर सिफारिशें करने हेतु अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार को भेज दिए गए हैं।

[हिन्दी]

विदेशियों को भारतीय नागरिकता

82. श्री प्रदीप गांधी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक विदेशी नागरिकों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) चालू वर्ष में कितने विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) ऐसे कोई ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ग) नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता नियम, 1956 में मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

(घ) कोई निश्चित संख्या नहीं बताई जा सकती है क्योंकि आवेदन राज्य/केन्द्र सरकार में विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं।

जबाली योजना

83. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बचदा, बेदिया तथा शांशी समुदायों के सर्वांगीण विकास से संबंधित 31.54 करोड़ रुपए की मध्य प्रदेश सरकार की जबाली योजना, सामाजिक न्याय मंत्रालय के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार उक्त योजना को मंजूरी देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) से (घ) मध्य प्रदेश सरकार से जबाली योजना पर परियोजना प्रस्ताव दिसम्बर, 2002 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को भेजा गया था और "विशेष केन्द्रीय सहायता कोष से राशि मांगी गयी थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने प्रस्ताव की जांच करने के पश्चात् मध्य प्रदेश राज्य सरकार को सूचित किया कि इस परियोजना का "विशेष केन्द्रीय सहायता कोष से निधियन नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश सरकार से कहा गया था कि इस स्कीम को "मध्य प्रदेश की विशेष घटक योजना" के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाये।

महाराष्ट्र में नेहरू युवा केन्द्र

84. श्री देविदास पिंगले: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय महाराष्ट्र में चल रहे नेहरू युवा केन्द्रों की स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा उसके पश्चात् इन केन्द्रों विशेषकर नासिक जिले में इनके कार्य-निष्पादन का आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान नासिक में नेहरू युवा केन्द्र पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ङ) क्या नासिक का नेहरू युवा केन्द्र अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) इस समय, महाराष्ट्र में 30 नेहरू युवा केन्द्र चल रहे हैं। स्थान वार ब्यौरा संलग्न *विवरण-I* में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) इन केन्द्रों के कार्य निष्पादन पर क्षेत्रीय और इसके साथ-साथ नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जा रही है। गत तीन वर्षों के दौरान, संबंधित क्षेत्रीय निदेशक और क्षेत्रीय समन्वयक द्वारा नेहरू युवा केन्द्र नासिक का मूल्यांकन किया गया है। केन्द्र का पूरा कार्य निष्पादन संतोषजनक पाया गया था। जिला समिति गठित की गई थी और बैठकें नियमित रूप से किए जाने के लिए कहा गया था। युवा क्लबों के पंजीकरण का कार्य और ज्यादा कार्यक्रमों को शुरू किए जाने तथा राज्य और केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के अंतर्गत गतिविधियों को शीघ्र किए जाने के निर्देश दिए गए थे।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान नासिक में नेहरू युवा केन्द्र संगठन पर खर्च की राशि के ब्यौरे संलग्न *विवरण-II* में दिए गए हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) संलग्न *विवरण-III* में दिए गए हैं।

विवरण I

इस समय महाराष्ट्र में स्थान-वार कार्यरत नेहरू युवा केन्द्र संगठन का ब्यौरा

1. औरंगाबाद
2. अलीगढ़
3. बुलडाना
4. जालना
5. थाणे
6. कल्याण (पूर्वी)
7. जलगांव
8. अहमदनगर
9. नासिक
10. बीड
11. धूले
12. पुणे
13. बान्द्रा
14. यवतमाल
15. अमरावती
16. गड़चरौली
17. नांदेड़
18. नागपुर
19. अकोला
20. चन्द्रपुर
21. वर्धा
22. परभनी
23. कोल्हापुर
24. शोलापुर
25. सिंधुदुर्ग
26. सांगली
27. रत्नागिरी
28. लातूर
29. सतारा
30. उस्मानाबाद

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान नेहरू युवा केन्द्र, नासिक पर नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा:-

वर्ष	खर्च की गई राशि (रुपयों में)	
	स्थापना	कार्यक्रम/गतिविधियां
2001-02	3,98,577.00	1,44,858.50
2002-03	4,06,719.00	1,37,049.50
2003-04	4,29,394.00	1,44,860.00

विवरण III

गत तीन वर्षों के दौरान उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-

कार्यक्रम का नाम		लक्ष्य			उपलब्धियां		
		2001-02	2002-03	2003-04	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	युवा क्लब विकास कार्यक्रम	03	03	03	03	03	03
2.	व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	04	04	04	07	07	06

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	जागरूकता अभियान	03	03	03	03	03	03
4.	कार्य शिविर	03	03	03	03	03	03
5.	खेल संवर्धन कार्यक्रम	03	03	03	05	05	04
6.	कार्यशालाएं और सेमिनार	01	01	01	01	01	01
7.	सांस्कृतिक कार्यक्रम	03	03	03	03	03	04
8.	राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय दिवस/सप्ताह	12	12	12	69	53	59
9.	साहस के संवर्धन का कार्यक्रम	02	02	02	02	02	02

[अनुवाद]

जनजातियों से संबंधित नीति

85. श्री गिरिधर गमांग: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जनजातियों को सामान्य नीति, जोकि उनके सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक तथा विकास की दृष्टि से प्रभावी नहीं रही है, से बचाने के लिए अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति, आर्थिक नीति, परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास नीति, वन एवं पर्यावरण नीति, आबकारी नीति, विकास नीति के अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा तैयार और क्रियान्वित नीतिगत ढांचे तथा उक्त नीतियों के संबंध में राज्यों को दिए गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (ग) मंत्रालय ने जनजातियों के लिए एक मसौदा राष्ट्रीय नीति परिचालित की है जिसे विशेषज्ञों की टिप्पणियों/विचारों, आंचलिक संगोष्ठियों की सिफारिशों तथा विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा अलग-अलग नीतियों से सीखी गई बातों को ध्यान में रखकर अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

भारतीय हाकी परिसंघ

86. श्री अनंत कुमार: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय हाकी परिसंघ की आय और व्यय की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर कितना खर्च आया; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान भारतीय हाकी परिसंघ द्वारा कुल कितना खर्च किया गया?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय हाकी परिसंघ (आई.एच.एफ.) से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान इसके आय और व्यय के ब्यौरे निम्नलिखित हैं-

	आय	व्यय
2001-02	4,59,95,665.55/- रु.	5,12,76,134.49/- रु.
2002-03	2,72,77,287.37/- रु.	2,55,63,320.18/- रु.
2003-04	3,62,86,163.09/- रु.	3,76,79,612.41/- रु.
	10,95,59,116.01/- रु.	11,45,19,067.08/- रु.

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आई.एच.एफ. द्वारा हाकी के खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर हुआ व्यय निम्नलिखित है:-

2001-02	13,93,926.00/- रु.
2002-03	14,59,157.60/- रु.
2003-04	21,89,800.00/- रु.
	50,42,883.60/- रु.

(घ) उपर्युक्त (ख) के अनुसार।

खेल अकादमियों की स्थापना

87. **श्री चन्द्रभान सिंह:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्कूली बच्चों में से होनहार खिलाड़ियों की तलाश करने तथा उन्हें खेल सीखने के अवसर प्रदान कराने के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इन योजनाओं के अंतर्गत खेल अकादमियों की स्थापना के लिए 51% धनराशि उपलब्ध कराने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) खेल राज्य सूची का विषय है और राज्य स्तर पर इसका विकास करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, भारत सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) अपनी स्वयं की योजनाओं के माध्यम से जूनियर, सब-जूनियर और सीनियर स्तर पर खेलों के संवर्धन में राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करती है।

वर्तमान में, स्कूली बच्चों में होनहार खिलाड़ियों का पता लगाकर उन्हें प्रशिक्षण और खेल सीखने के लिए अवसर प्रदान करने के साथ ही और स्कूलों में खेलों को बढ़ावा देने और विकास करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है:-

1. राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एन.एस.टी.सी.)
2. सेना बाल खेल कंपनी (ए.बी.एस.सी.)
3. स्कूलों में खेल-कूद का संवर्धन
4. ग्रामीण खेल कार्यक्रम
5. खेल छात्रवृत्ति योजना
6. खेल उत्पकर की खरीद और खेल मैदानों के विकास के लिए सहायता।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथापि, दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केन्द्र सरकार ने एक नई राज्य खेल अकादमी की योजना को प्रारंभ किया है। योजना का मुख्य उद्देश्य 10-13 वर्ष के आयु वर्ग में खेलों में विद्यमान बेहतरीन क्षमता, साथ ही साथ 10-18 वर्ष के आयु वर्ग में राज्य/राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उच्च प्रदर्शन करने वालों का चयन करना है और आने वाले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीतने के लिए इन्हें तैयार किया जाता है।

योजना को, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शासित प्रशासन और संयुक्त उद्यम के रूप में एक प्रायोजक द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है। पूंजी संबंधी 8.30 करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा के साथ आवर्ती और अनावर्ती लागत के संदर्भ में अकादमी को दी जाने वाली वित्तीय सहायता प्रायोजक, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में 51:25:24 के अनुपात पर बांटी जाएगी। बशर्ते केन्द्र सरकार का योगदान (1) अधिकतम 215 लाख रु. अथवा पूंजी/अनावर्ती लागत का 25%, जो भी कम हो, तक सीमित है, तथा (2) आवर्ती अनुदान जो वास्तविक आवर्ती लागत का 25% तक सीमित है, बशर्ते अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए 17 लाख रुपये प्रति वर्ष हो। कुछ राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों ने खेल अकादमी की स्थापना के लिए अपनी इच्छा दर्शाई है लेकिन प्रायोजक से कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में शहरी विकास संबंधी प्रस्ताव

88. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक सरकार द्वारा वर्ष 2002 से जून, 2004 के बीच शहरी विकास से संबंधित कितने प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजे गए तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक लंबित प्रस्तावों की संख्या और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके लंबित होने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) छोटे और मझौले कस्बों के समेकित विकास (आईडीएसएमटी) संबंधी स्कीम के अतंर्गत जनवरी, 2002 और जून, 2004 के बीच 3 कस्बों में चालू परियोजनाओं तथा 79 कस्बों में नई परियोजनाओं के संबंध में प्रस्ताव कर्नाटक सरकार से प्राप्त हुए थे, जिनमें से क्रमश: 3 कस्बों में चालू परियोजनाओं और 66 कस्बों में नई परियोजनाओं के संबंध में प्रस्ताव अनुमोदित किए गए थे। प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों का कस्बा-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। शेष 13 कस्बों में प्रस्तावित

नई परियोजनाओं के संबंध में संलग्न *विवरण-I* की क्रम संख्या 67 से 72 पर दिए गए छः कस्बों के लिए आकलन रिपोर्टें राज्य, स्तरीय संस्वीकृति समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार को भेज दी गई है तथा संलग्न *विवरण-I* की क्रम संख्या 73 से 79 पर दिए गए अन्य 7 कस्बों के लिए राज्य सरकार से मांगे गए स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर इस मामले पर और आगे विचार किया जाएगा।

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए यू डब्ल्यू एस पी) के अंतर्गत कर्नाटक सरकार द्वारा वर्ष 2002 से जून, 2004 के बीच प्रस्तावित जल आपूर्ति स्कीम के संबंध में स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) अद्यतन स्थिति के अनुसार, कर्नाटक राज्य में कस्बों के संबंध में, आई डी एस एम टी या ए यू डब्ल्यू एस पी के अंतर्गत कोई प्रस्ताव भारत सरकार के पास कार्रवाई के लिए लंबित नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

आईडीएसएमटी स्कीम के अंतर्गत कैलेण्डर वर्ष 2002-जून, 2004 के दौरान कर्नाटक सरकार से प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों का कस्बावार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	कस्बा	शामिल करने का वर्ष	अनुमानित लागत
1	2	3	4
	नए कस्बे		
1.	इंदी	2001-02	417.85
2.	तुमकुर	2001-02	817.15
3.	कोन्नूर	2002-03	110.35
4.	खानापुर	2002-03	77.07
5.	यादगिरि	2002-03	157.10
6.	अरकालकड	2002-03	35.47
7.	कालिंगापुर	2002-03	171.86
8.	मुलगुंड	2002-03	104.05
9.	भालकी	2002-03	174.82
10.	चित्तागुप्पा	2002-03	96.56
11.	अनेकल	2002-03	147.22
12.	नेलाममंगाल	2002-03	70.00
13.	हलयाला	2002-03	82.50
14.	चनारयापटना	2002-03	135.60
15.	बंटवाला	2002-03	115.50
16.	अलनावर	2002-03	100.00
17.	अन्नीगिरी	2002-03	200.00
18.	होसादुर्गा	2002-03	59.70
19.	बेल्लारी	2002-03	1128.00
20.	बगलकोट	2002-03	320.33
21.	हमनाबाद	2002-03	206.00
22.	कनकपुरा	2003-04	126.05
23.	मुदाब्रीज	2003-04	163.33
24.	नरागुंडा	2003-04	171.87
25.	कुनिगल	2003-04	112.22
26.	तिपतुर	2003-04	200.00
27.	गुब्बी	2003-04	68.00
28.	रायबाग	2003-04	105.17
29.	गोकक	2003-04	364.00
30.	तुरुवेकेरी	2003-04	71.50
31.	कुडुची	2003-04	100.00
32.	मोलकालमरू	2003-04	72.00
33.	बसावना-बेगवाडी	2003-04	217.64
34.	मधोल	2003-04	190.30
35.	श्रृंगरी	2003-04	171.10
36.	सगारा	2003-04	162.69

1	2	3	4
37.	बेलूर	2003-04	100.00
38.	तारीकेरी	2003-04	143.90
39.	कोप्पा	2003-04	58.30
40.	चिक्कनयाकानाहल्ली	2003-04	128.00
41.	सिरूगुप्पा	2003-04	85.22
42.	जोगकारगल	2003-04	84.14
43.	कमलापुरा	2003-04	125.81
44.	रामादुर्गा	2003-04	122.77
45.	थिरथाहल्ली	2003-04	73.73
46.	सुल्या	2003-04	73.57
47.	नारसिम्हा राजापुरा	2003-04	74.33
48.	तिक्कालकोटे	2003-04	85.00
49.	मदीकेरी	2003-04	151.47
50.	सोरबा	2003-04	55.00
51.	जेवारगी	2004-05	78.80
52.	सिंधगी	2004-05	97.08
53.	तालीकोटे	2004-05	251.77
54.	चित्तापुरा	2004-05	92.90
55.	हुनागुन्डा	2004-05	102.34
56.	होनावारा	2004-05	64.60
57.	बासावाकलथाना	2004-05	180.99
58.	तेरदल	2004-05	73.48
59.	येल्लापुरा	2004-05	51.85
60.	चिकमंगलूर	2004-05	310.23
61.	होन्नाली	2004-05	91.00
62.	चिकबल्लापुर	2004-05	319.00
63.	राबकविबानाहाट्टी	2004-05	355.50
64.	अंकोला	2004-05	73.92
65.	पुट्टुर	2004-05	149.95
66.	हुविनाहदगली	2004-05	105.83
67.	बेगपल्ली*		0.00
68.	हावरी*		0.00
69.	कुमटा*		0.00
70.	गंगावती*		0.00
71.	केजीएफ*		0.00
72.	सिराहट्टी**		0.00
73.	बादामी**		0.00
74.	चेलाकेरी**		0.00
75.	कुन्डागोल**		0.00
76.	मुदीगेरी**		0.00
77.	सिद्दापुरा**		0.00
78.	शिकारीपुर**		0.00
79.	संकेशवरा**		0.00
	उप योग		10783.48
	चालू कस्बे		
1.	सिमोगा***	1997-98	217.68
2.	होस्कोटे***	1998-99	200.00
3.	गुंडलुपेट***	1998-99	194.40
	उप योग		666.08
	योग		11449.56

नोट: * राज्य स्तरीय मंजूरी समिति के अनुमोदन लेने के लिए आकलन रिपोर्टें राज्य सरकार को भेज दी गई हैं।

** टीसीपीओ द्वारा राज्य सरकार से स्पष्टीकरण/अपेक्षित सूचना मांग गई।

*** यद्यपि इन कस्बों को 1997-98/1998-99 के दौरान पहले ही आईडीएसएमटी के दौरान शामिल कर लिया गया था फिर भी राज्य सरकार से कैलेण्डर वर्ष 2002 से जून, 2004 तक की अवधि के दौरान और केन्द्रीय राशि के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए जिन्हें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था।

विवरण II

राज्य : कर्नाटक

18.02.2005 के अनुसार

स्वीकृत परियोजना

(लाख रु. में)

क्र.सं.	कस्बा का नाम	जिला	आबादी (1991 जनगणना)	स्वीकृत तारीख माह/वर्ष	परियोजना लागत
1.	पावागाडा	तुमकुर	19306	दिसम्बर, 2002	872.92
2.	गुडीबंडे	कोलार	7563	दिसम्बर, 2002	598.34
3.	मुदगल	रायचुर	14646	दिसम्बर, 2002	677.05
4.	येल्लापुर	उत्तर कन्नाड	14456	जनवरी, 2003	981.67
5.	जागलुर	देवानगिरी	12098	नवम्बर, 2003	886.96
6.	होलालकेरी	चित्रादुर्गा	12219	दिसम्बर, 2003	462.45
7.	नारेगल**	गडाग	14566	अगस्त, 2004	111.70
8.	पांडवापुरा**	मंडया	16005	अगस्त, 2004	196.86
9.	शिजालाकोप्पा**	शिमोगा	12216	अगस्त, 2004	592.70
10.	चित्तापुर**	गुलबर्गा	19767	दिसम्बर, 2004	708.60
	कुल		142842		6089.25

**2003-04 के दौरान प्राप्त।

तटीय और सीमावर्ती क्षेत्र प्रबंधन परियोजना

89. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को तटीय तथा सीमावर्ती क्षेत्र प्रबंधन योजना के अंतर्गत गुजरात सरकार से परियोजना का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त परियोजना की क्या स्थिति है; और

(ग) उक्त परियोजना को कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) तटीय क्षेत्रों में निगरानी करने और गश्त लगाने के लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की एक योजना तैयार करने के लिए गुजरात सहित तटीय राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया गया। एक तटीय सुरक्षा योजना तैयार की जा चुकी है और वर्ष 2005-06 के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित की गई है।

मध्यम अवधि की निर्यात रणनीति

90. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनवरी, 2002 में मध्यम अवधि की निर्यात रणनीति (एटीईएस) की घोषणा की थी, जिसमें निर्यात इत्यादि के लिए अवसंरचना विकास हेतु राज्यों को बढ़ी हुई सहायता देना शामिल है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने तम्बाकू उत्पादकों, जो सोचनीय दशा से गुजर रहे हैं, की सहायता हेतु तम्बाकू, जिनकी आंध्र प्रदेश में अत्यधिक पैदावार होती है, के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जनवरी, 2002 में सरकार द्वारा घोषित मध्यावधि निर्यात कार्यनीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि वाणिज्य विभाग द्वारा तैयार की गई राज्यों को निर्यात सहायता की गई स्कीम को अधिक व्यापक और गहन बनाया जाना चाहिए। मार्च, 2002 में राज्यों को निर्यात बुनियादी संरचना विकास और अन्य कार्यकलाप सहायता (एएसआईडीई) नामक एक नई विस्तृत बुनियादी संरचना विकास स्कीम शुरू की गई थी ताकि निर्यात प्रयास में राज्य सरकारों को अधिक सघनता से शामिल किया जा सके। पहले बुनियादी संरचना विकास स्कीमें अर्थात् महत्वपूर्ण बुनियादी संरचना संतुलन स्कीम (सीआईबी), निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्कीम (ईपीआईपी), निर्यात संवर्धन क्षेत्र (ईपीजेड) और निर्यात विकास निधि स्कीम (ईडीएफ) का इस स्कीम में विलय कर दिया गया था।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के लिए इस स्कीम हेतु 1725 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया था और चालू वित्त वर्ष (2004-05) के लिए 425 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

(ख) तम्बाकू बोर्ड ने फार्म स्तर पर प्रथाओं के उन्नत पैकेज, सुधरी हुई उपचार और ग्रेडिंग सुविधाओं, किसानों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विदेशों में छवि संवर्धन के जरिए तम्बाकू की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कई प्रमुख कदम उठाए हैं। इस संदर्भ में भारतीय तम्बाकू के सकारात्मक गुण के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रण जनसंपर्क में बोर्ड ने विज्ञापन जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, यह उपजकर्त्ताओं के लाभ के लिए विस्तार और विकास कार्यक्रम आयोजित करता है। इन प्रयासों से उपजकर्त्ताओं के साथ-साथ निर्यातकों को भी लाभ होने की उम्मीद है।

लेक्चररों को अग्रिम वेतन वृद्धि का अनुदान

91. श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव में सरकारी कालेजों के लेक्चररों को अग्रिम वेतन वृद्धि देने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आवश्यक स्वीकृति देने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, दमन एवं दीव के विकास आयुक्त से फरवरी, 2005 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या रीडर के पद के लिए पी.एच.डी. अनिवार्य अर्हता होगी अथवा नहीं और पी.एच.डी. डिग्री वाले लेक्चरर रीडर वेतनमान में पदोन्नत होने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि प्राप्त करने के पात्र होंगे अथवा नहीं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद

92. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवादियों ने प्रशासन का ध्यान हटाने के लिए अपनी गतिविधियां कम कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले छह महीनों के दौरान उग्रवादी घटनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने उग्रवादी पकड़े/मारे गए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) विगत छः महीनों (अगस्त 2004 से जनवरी 2005) के दौरान घटित घटनाओं तथा गिरफ्तार/मारे गए विद्रोहियों का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया:

राज्य	घटनाएं	विद्रोही	
		गिरफ्तार	मारे गए
अरुणाचल प्रदेश	10	7	7
असम	150	72	50
मणिपुर	137	197	44
मेघालय	15	12	12
मिजोरम	1	8	3
नागालैण्ड	87	31	27
त्रिपुरा	99	58	18

अनुसूचित जनजातियों की सूची में असम के जनजातीय समुदायों को शामिल करना

93. डा. अरूण कुमार शर्मा: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार असम की कुछ जनजातियों सहित कुछ जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का है, जैसी कि संसद की प्रवर समिति ने सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो संविधान में संशोधन के लिए विधेयक को संसद में कब तक पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे समुदाय कौन-कौन से हैं जो कि राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल होने का मानदंड पूरा करती हैं; और

(घ) समुदायों को, उनके निवास स्थान पर ध्यान दिए बिना अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए क्या नीति अपनाई गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (घ) असम सरकार से प्राप्त प्रस्तावों पर अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्यवाही कर दी गई है, जिसके तहत राज्य सरकार, भारत के महापंजीयक एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से परामर्श करना शामिल है, अत: फिलहाल कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती। अनुसूचित जनजातियों की सूची विशिष्ट राज्य/क्षेत्र की होती है।

औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहन

94. श्रीमती परनीत कौर: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल तथा जम्मू और कश्मीर को दिए गए प्रोत्साहन संबंधी विशेष पैकेजों के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या अध्ययन में, पड़ोसी राज्यों पर इस पैकेज के किसी प्रतिकूल प्रभाव के बारे में पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) से (घ) हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरांचल राज्य के लिए प्रोत्साहन संबंधी विशेष पैकेजों की घोषणा 7 जनवरी, 2003 को तथा जम्मू और कश्मीर के लिए 14 जून, 2002 को की गई थी। चूंकि इन पैकेजों की घोषणा हाल ही में की गई है, अत: सरकार द्वारा कोई प्रभाव विश्लेषण नहीं किया गया है।

भारतीय विश्वविद्यालयों का रैंक

95. श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंस्टीट्यूट आफ हायर एजुकेशन, जिआओ तांग यूनिवर्सिटी, शंघाई की हाल की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कोई विश्वविद्यालय विश्व के सर्वोच्च 100 विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल है;

(ख) यदि नहीं, तो भारतीय विश्वविद्यालयों को विश्व स्तर का बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या उक्त इंस्टीट्यूट द्वारा एशिया के सर्वोच्च 100 विश्वविद्यालयों की सूची भी जारी की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उच्च शिक्षा के लिए अमरीका जाने वाले अधिकतर छात्र भारतीय हैं;

(च) यदि हां, तो शिक्षा के लिए छात्रों का विदेश जाना कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(छ) हमारी उच्च शिक्षण प्रणाली का तथा इसके उन्नयन से संबंधित प्रगति रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) उल्लिखित सर्वेक्षण की प्रमाणिकता के संबंध में सरकार को जानकारी नहीं है।

(ङ) विभिन्न देशों से उच्चतर शिक्षा हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाले छात्रों के संबंध में सरकार अपने पास कोई सूचना नहीं रखती है।

(च) शिक्षा हेतु विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या में कटौती करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) देश में 335 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा संस्थान हैं। उच्चतर शिक्षा की स्वायत्तता तथा वित्तपोषण संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए 'केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड' की दो समितियों का गठन किया गया है।

अनन्य विपणन अधिकार प्रदान करना

96. मो. मुकीम: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनन्य विपणन अधिकार (ई.एम.आर.) 31 दिसंबर, 2004 तक मान्य हैं;

(ख) ऐसे उत्पादों तथा कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पेटेंट कार्यालय द्वारा अनन्य विपणन अधिकार (ई.एम.आर.) प्रदान किए गए हैं;

(ग) ई.एम.आर. के व्यपगत होने के पश्चात् इन उत्पादों की क्या स्थिति है;

(घ) क्या वे स्वत: ही नए उत्पाद पेटेंट के अंतर्गत आ जाएंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) पेटेंट अधिनियम, 1970 में, भेषजों तथा कृषि रसायनों के क्षेत्रों में कतिपय शर्तें पूरी करने पर पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उत्पाद पेटेंट के मंजूर होने तक अथवा पेटेंट संबंधी आवेदन के नामंजूर होने तक इनमें जो भी पहले हो, विशेष विपणन अधिकार (ई.एम.आर.) प्रदान करने का उपबंध था। इन उपबंधों को पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 2004 के द्वारा 1 जनवरी, 2005 से समाप्त कर दिया गया है।

(ख) जिन कंपनियों तथा उत्पादों को ई.एम.आर. प्रदान किए गए थे उनके ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

1. यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड, इंडिया–कार्बनडाजिम तथा मैंकोजेब युक्त साइनेक्यूस्टिक फंजिसाइडल (इंटीफंगल इनसैक्टिसाइड)।

2. नोवरटिस ए जी, स्विटजरलैंड- इमाटिनिब मेसिलेट (एंटी ट्यूमर एजेंट)।

3. वोकहर्ट लिमिटेड, इंडिया- नेडिफ्लोक्सीन 1 प्रतिशत क्रीम (एंटीबैक्टीरीयल)।

4. इली लिली कंपनी, यूएसए-टाडालाफिल टैबेलट (इरैक्टाइल डाइजफंक्शन के लिए)।

(ग) ई.एम.आर. की अवधि समाप्त हो जाने के बाद अथवा पेटेंट मंजूर होने अथवा उत्पाद पेटेंट आवेदनों के नामंजूर होने की तारीख से, इनमें जो भी पहले हो ईएमआर का कोई प्रभाव नहीं रहेगा।

(घ) और (ङ) पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 2004 के उपबंधों के अनुसार, जिस आवेदन के लिए 1 जनवरी, 2005 से पहले विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं उसकी जांच की जानी होगी। यह कार्य पेटेंट कार्यालय द्वारा कानून के अनुसार किया जा रहा है।

म्यांमार सुरक्षा बलों द्वारा घुसपैठ

97. श्री डी. विट्टल राव: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मणिपुर सीमा पर भारतीय क्षेत्र में म्यांमार सुरक्षा बलों द्वारा हाल ही में की गई घुसपैठ की घटनाओं की जानकारी म्यांमार को दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या म्यांमार के अधिकारियों ने कुछ महीने पहले सीमा पर घुसपैठ का ब्यौरा दिया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में इस प्रकार की घुसपैठ को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। जब कभी भी म्यांमार सुरक्षा बलों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोई घटना होती है, तब भारत सरकार मामले को म्यांमार सरकार के साथ उठाती है और उन्हें ऐसी घुसपैठ को रोकने की सलाह देती है।

(ग) और (घ) 10 दिसम्बर, 2004 को और पुन: 28 दिसम्बर, 2004 को म्यांमार सेना कर्मियों ने, म्यांमार के चिन नेशनल पार्टी कार्यकर्त्ताओं को ढूंढ़ने के लिए, मणिपुर नहीं, मिजोरम के सीमावर्ती गांवों में घुसपैठ की क्योंकि म्यांमार सेना ने म्यांमार के विद्रोही ग्रुपों के विरुद्ध अभियान शुरू कर दिया है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे म्यांमार विद्रोहियों का पीछा करते-करते भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर गए।

(ङ) इस मामले को विभिन्न मंचों पर म्यांमार प्राधिकारियों के साथ उठाने के अलावा, असम राइफल्स को भारत-म्यांमार सीमा के साथ-साथ सतर्कता बढ़ाने के निदेश दिए गए हैं।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ में शहरों का विकास

98. श्री अजीत जोगी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विभिन्न शहरों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु भेजे गए प्रस्तावों/योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन और कितने शहरों का विकास किया जाना प्रस्तावित है;

(ग) उक्त प्रस्तावों/योजनाओं को मंजूरी देने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) लंबित प्रस्तावों/योजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) छोटे और मझौले कस्बों का समेकित विकास स्कीम (आईडीएसएमटी) के तहत वर्ष 2004-05 के दौरान छत्तीसगढ़ के 10 कस्बों के लिए, राज्य स्तर मंजूरीदाता समिति द्वारा यथा अनुमोदित, परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन सभी दल कस्बों को आईडीएसएमटी के तहत शामिल कर लिया गया है और निम्नलिखित ब्यौरे अनुसार राज्य सरकार को कुल 333.00 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी:-

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/कस्बा	अनुमोदित परियोजना लागत	जारी की गई केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4
1.	तिलडा-नेवरा	236.22	45.00
2.	शक्ति	83.33	24.00
3.	डोंगरगांव	136.49	20.00
4.	बिलासपुर	721.76	70.00
5.	रामानुजगंज	129.54	20.00
6.	जगदलपुर	577.45	44.00
7.	कोंडागांव	203.85	35.00
8.	पत्थलगांव	128.06	20.00
9.	मनेन्द्रगढ़	239.46	35.00
10.	सारनगढ़	127.55	20.00
	कुल	2583.41	333.00

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत वर्ष 2004-05 के दौरान मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में दांतेवारा कस्बे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को 127.17 लाख रु. की अनुमानित लागत का तकनीकी अनुमोदन किया है और वित्तीय स्वीकृति देने की प्रक्रिया चल रही है। तथापि, छत्तीसगढ़ के दांतेवारा और कोरिया कस्बों में बड़े बछेली और चर्चा शिवपुर कस्बों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तकनीकी अनुमोदन नहीं दिया जा सका था क्योंकि इन स्कीमों में त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया था। अत: इन दो कस्बों से संबंधित स्कीमें राज्य सरकार को वापस लौटा दी गई थी।

(ग) और (घ) आज की स्थिति के अनुसार आईडीएसएमटी अथवा एयूडब्ल्यूएसपी, दोनों के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के किसी कस्बे के संबंध में कोई प्रस्ताव/स्कीम भारत सरकार के पास लंबित नहीं है।

[अनुवाद]

भारतीय हाकी परिसंघ

99. श्री जी.वी. हर्ष कुमार: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय हाकी परिसंघ (आई.एच.एफ.) हैदराबाद में गच्ची बोली परिसर में आई.एच.एफ. विकास केन्द्र की स्थापना के लिए गंभीर उपाय कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परिसंघ ने सम्बद्ध सदस्यों के लिए सीनियर नेशनल्स के अन्तिम दौर में जाने से पूर्व एक अलग प्रतियोगिता पूल बनाने के सुझाव का अध्ययन करने के लिए एक तदर्थ समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी, हां।

(ख) मामला अभी बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पर है। परियोजना के लिए अभी निधि की व्यवस्था नहीं की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय हाकी परिसंघ से प्राप्त सूचना के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि सम्बद्ध सदस्य अपने प्रारंभिक मैच अलग पूल में खेलेंगे और अन्य टीमों के साथ सीनियर नेशनल्स के प्री-क्वार्टर फाइनल दौर में भाग लेंगे।

(ङ) इस संबंध में कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

संगमरमर का आयात

100. श्री पवन कुमार बंसल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय उद्योग पर संगमरमर के आयात के प्रतिकूल प्रभाव के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयात लाइसेंस केवल उन्हीं पार्टियों को जारी किए गए हैं, जिन्होंने पहले संगमरमर का आयात किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इससे एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है;

(ङ) क्या वर्तमान आयात नीति के परिणामस्वरूप उद्यमी श्रीलंका में अपना आधार स्थापित कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) संगमरमर उद्योग के लिए असंगठित उद्योग होने के कारण इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई अधिकृत संघ नहीं है। इसलिए विगत में अनेक अवसरों पर भिन्न-भिन्न तबकों अर्थात् मार्बल प्रोसेसर्स इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा तथा नगर हवेली, राजस्थान मार्बल एसोसिएशन, किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन, चित्तौड़गढ़ मार्बल एसोसिएशन, भारतीय खनिज उद्योग परिसंघ, प्रिसीजन ग्रेनाइट्स (प्रा.) लिमिटेड, आल इंडिया ग्रेनाइट्स स्टोन एसोसिएशन तथा उदयपुर मार्बल प्रोसेसर्स एसोसिएशन इत्यादि से ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) संगमरमर के अपरिष्कृत ब्लाकों/स्लेबों संबंधी आयात नीति के अनुसार जिन आवेदकों ने देश में विनिर्माण/प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की हैं तथा जिन्होंने पूर्ववर्ती वर्षों में, जब ये मदें वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान विशेष आयात लाइसेंस (एसआईएल) की सूची में थीं, इन मदों का आयात किया था, केवल वे ही आवेदक संगमरमर के अपरिष्कृत ब्लाकों/स्लेबों के आयात के लिए पात्र हैं।

(ङ) और (च) सरकार को ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है।

अधिक्रमण के संबंध में असम और नागालैंड के बीच विवाद

101. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम के मुख्यमंत्री ने 15 जनवरी, 2005 के अपने नई दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी तथा विवादित असम-नागालैंड सीमा से सटे असम के क्षेत्रों में हुए हाल ही के अधिक्रमण की वजह से असम-नागालैंड सीमाओं पर उत्पन्न हाल के संकट व तनाव को समाप्त करने हेतु केन्द्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो अतिक्रमणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) 1962 में नागालैंड राज्य बनने से लेकर असम और नागालैण्ड सीमा विवाद चला आ रहा है। नागालैंड, नागालैंड की सीमा से सटे

असम प्रदेश के कुछ क्षेत्र पर दावा करता रहा है। असम और नागालैंड सरकार से समय-समय पर एक दूसरे के क्षेत्र में घुसपैठ करने के बारे में रिपोर्टें मिलती रही हैं।

(ख) नवीनतम घटना में, बताया गया था कि नागालैंड पुलिस द्वारा लक्ष्मीजान गांव, पुलिस स्टेशन गोलेकी, सब-डिवीजन नाजिया, जिला सिबसागर, असम में कतिपय निर्माण किए हैं।

(ग) नागालैंड सरकार को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि यथास्थिति बनाई रखी जाए।

पैथेलिक एन्हाइड्राइड का निर्यात

102. श्री अधीर चौधरी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने भारत से पैथेलिक एन्हाइड्राइड के निर्यात के विरुद्ध पाटनरोधी जांच शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस जांच में दक्षिण कोरिया और जापान से किए जाने वाले निर्यात भी शामिल हैं;

(ग) क्या भारत द्वारा पाटन शुल्क का विरोध करने हेतु कोरिया और जापान के साथ मिलकर संयुक्त रणनीति तैयार किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) और (ख) जी हां। जांच में जापान और कोरिया से हुए निर्यात भी शामिल हैं।

(ग) और (घ) पाटनरोधी एवं प्रतिसंतुलनकारी शुल्क संबंधी उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए वाणिज्य विभाग एवं कोरियाई व्यापार आयोग (केटीसी) के बीच विचार-विमर्श तंत्र स्थापित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित करने के लिए कोरियाई व्यापार आयोग से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। कोरिया गणराज्य और जापान के संदर्भ में पाटन के आरोपों का विरोध करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय बाल आयोग

103. श्री सुरेश कलमाडी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बच्चों के अधिकारों की रक्षा और सुरक्षोपाय करने हेतु राष्ट्रीय बाल आयोग की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस आयोग के क्रियाकलाप क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) राष्ट्रीय बालक आयोग गठित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है और ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) राष्ट्रीय बालक आयोग का गठन करने संबंधी विधेयक को संसद में पेश किये जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

ओलम्पिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन

104. श्री बापू हरी चौरे:
श्री सुरेश चन्देल:

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल के ओलम्पिक खेलों में विभिन्न खेलों के कितने खिलाड़ियों और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया था;

(ख) पूरे शिष्टमंडल पर कितनी धनराशि व्यय की गयी;

(ग) क्या भारतीय खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन के कारणों का कोई विश्लेषण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में खिलाड़ियों का प्रदर्शन सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) एथेंस ओलंपिक, 2004 में भारतीय दल की संख्या 121 थी अर्थात् 75 खिलाड़ी और 46 सहायक पदधारी। भारतीय खिलाड़ियों ने 14 खेल विधाओं में भाग लिया। इसके अलावा सरकार ने 2 युवा शिविरवासियों और 2 व्यक्तिक प्रशिक्षकों/प्रशिक्षण पार्टनरों की प्रतिभागिता के लिए भी अनुमोदन दिया था।

(ख) सरकार ने अभी तक भारतीय ओलंपिक संघ को, ओलंपिक खेलों में भारतीय दल की प्रतिभागिता के लिए 66.08 लाख रु. जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त अधिक सामान आदि पर हुए व्यय को भी सरकार वहन करेगी।

(ग) और (घ) एथेंस ओलम्पिक खेल, 2004 के बाद खिलाड़ियों के पिछले प्रदर्शन का विश्लेषण करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उनकी भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा करने के संबंध में मुख्य राष्ट्रीय खेल परिसंघों के पदाधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित की गई थीं। परिसंघों को यह सुझाव दिया गया था कि वे टीम के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करें ताकि आने वाली क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार हो सके।

(ङ) केल अवस्थापना प्रदान करने के अतिरिक्त भारत सरकार, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही है:-

1. संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों, भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों, खेल विशेषज्ञ वैज्ञानिकों से परामर्श लेते हुए विभिन्न खेलविधाओं के लिए दीर्घावधिक विकास योजनाओं (एल.टी.डी.पी.) को अंतिम रूप देना और उनका कार्यान्वयन करना।

2. खिलाड़ियों को उपस्कर और वैज्ञानिक सहायता का प्रावधान।

3. प्रशिक्षण शिविरों में भारतीय और विदेशी प्रशिक्षकों द्वारा खिलाड़ियों को गहन प्रशिक्षण दिया जाना।

4. विदेशों में टीमों और भारतीय प्रशिक्षकों को गहन प्रशिक्षण दिया जाना।

5. अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में खिलाड़ियों की सहभागिता के लिए संबंधित परिसंघों को वित्तीय सहायता देना।

6. उत्कृष्ट लड़के और लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ताकि वे पोषक खानपान, खेल उपस्कर समर्थन पा सकें और खेलों को जीविका के रूप में अपना सकें। खेलों में अनुसंधान के लिए भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

7. प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण तथा राष्ट्रीय खेल विकास निधि से संबंधित योजना के अंतर्गत देश और विदेश में उपस्करों की खरीद, वैज्ञानिक सहायता और प्रशिक्षण तथा सहभागिता के लिए सहायता।

8. युवावस्था में खेलों को व्यापक आधार देने और प्रतिभा का पता लगाने के लिए सरकार सेना बाल खेल कंपनी योजना (ए.बी.एस.सी.) के अतंर्गत सेना की सहायता कर रही है। चालू वर्ष के दौरान विद्यमान आठ सेना बाल खेल कंपनी के अतिरिक्त दस और ए.बी.एस.सी. को मंजूरी दी गई है।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का आवंटन

105. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **शहरी विकास मंत्री** 20.7.2004 और 24.8.2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1826 और 3967 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) यह सूचना कब तक एक एकत्रित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 20.7.2004 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1826 के संबंध में विस्तृत सूचना *विवरण-I* पर है। दिनांक 24.8.2004 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3967 के संबंध में विस्तृत सूचना *विवरण-II* पर है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में विभिन्न कल्याणकारी और सांस्कृतिक संगठनों को भूमि प्रदान की है;	(क) और (ख) वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान 369 सोसायटियों को निम्नलिखित अनुसार सांस्थानिक भूमि आबंटित की गई थी:-
(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उन संगठनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें भूमि प्रदान की गई है;	
(ग) ऐसे संगठनों को भूमि के आवंटन हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;	
(घ) क्या स्वीकृति हेतु अनेक आवेदन लम्बित पड़े हुए हैं;	
(ङ) यदि हां, तो आज की तिथि तक इनकी संख्या कितनी है और उन संगठनों के नाम क्या हैं जिनके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और अन्य अभिकरणों से सभी मायनों में स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है लेकिन इसके बावजूद उन्हें भूमि आवंटित नहीं की गई है;	
(च) इन संगठनों को स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं; और	
(छ) लम्बित आवेदनों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?	

प्रयोजन	2001-02	2002-03	2003-04
शैक्षिक संस्थान (स्कूल)	111	55	38
अस्पतालों, धार्मिक संस्थानों, क्लबों व समुदायों हालों सहित सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन	75	70	20
कुल	186	125	58

(ग) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत लाभ-निरपेक्ष (नान-प्रोफिट मेकिंग) स्वरूप वाली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विभाग अथवा केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा प्रायोजित सोसायटियों को, आबंटन की अन्य निबंधन व शर्तों को पूरा करने पर समय-समय पर यथा संशोधित दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निपटान) नियम, 1981 के प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर भूमि का आबंटन किया जाता है। तथापि, अस्पतालों, उच्चतर व तकनीकी शैक्षिक संस्थानों क्लबों तथा आंशिक रूप से समुदाय हालों के लिए भूमि निपटान संबंधी नीति संशोधित की गई है और इस संशोधित नीति के अनुसार ऐसे प्रयोजनों हेतु आबंटन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के किसी विभाग अथवा किसी केन्द्रीय मंत्रालय से प्रायोजित करने की अपेक्षा के बिना निविदा/नीलामी के आधार पर किया जा सकता है।

(घ) से (छ) जून, 2004 की स्थिति के अनुसार करीब 511 आवेदन लंबित थे। मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार ऐसी सोसायटियों को सांस्थानिक भूमि के आबंटन के प्रस्ताव, सभी कोडल औपचारिकताएं पूरी करने पर, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली/भारत सरकार के संबंधित विभाग से प्रायोजित होना, सोसायटी की वित्तीय स्थिति की पुष्टि आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर छूट के संबंध में 80-जी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना है, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करना इत्यादि शामिल है, सांस्थानिक आबंटन समिति (आईएसी) दिल्ली विकास प्राधिकरण के समक्ष विचार एवं सिफारिश हेतु रखे जाते हैं। तथापि, लंबित आवेदनों पर कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सांस्थानिक आबंटन की प्रक्रिया की समीक्षा प्रारंभ कर दी है।

विवरण II

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्तमान दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए वाणिज्यिक दरों के स्थान पर छूट वाली संस्थागत दरों पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए कुछ अपात्र संस्थाओं को भूमि का आवंटन किया है जिससे डी.डी.ए. का लगभग 39 करोड़ रुपए का और सरकार को 100 करोड़ रुपये के राजस्व का घाटा हुआ है;	(क) और (ख) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपनी 2004 की रिपोर्ट 4 (सिविल) में एक पैरा (सं.-3.1) शामिल किया था जिसमें तीन अपात्र संस्थानों को किए गए भू-आवंटन का उल्लेख था जिसके कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण 38.54 करोड़ रुपये के राजस्व से वंचित हुआ। उन तीन संस्थानों के संबंध में स्थिति इस प्रकार है:- आर्य वैद्यशाला कोट्टाकल:- डीडीए द्वारा भूमि आबंटन के लिए नजूल नियमावली के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए न्यास की पात्रता पर दिल्ली विकास प्राधिकरण में उच्चतम स्तर पर विचार किया गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि न्यास विशेष एक सार्वजनिक तथा धर्मार्थ न्यास है जो कोट्टाकल, केरल में विख्यात आयुर्वेदिक केन्द्र चलाता है तथा उसकी हैसियत सार्वजनिक दायित्व वाली और व्यावसायिक उद्यम के उद्देश्यों से भिन्न प्रकृति की मानी जाती है इसलिए डीडीए में सक्षम प्राधिकारी द्वारा 1995 में सोच-विचार कर उनके पक्ष में भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया। इस प्रकार मामले पर समग्र रूप से विचार किया गया तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक बार छूट तथा सार्वजनिक न्यास को भूमि आबंटन की अनुमति देने पर विचार का निर्णय लिया गया। धर्मशिला कैंसर फाउंडेशन तथा अनुसंधान केन्द्र:- धर्मशिला कैंसर फाउंडेशन तथा अनुसंधान केन्द्र जो एक न्यास था, को अनन्तिम दरों पर भूमि आबंटित की गई थी। बाद में, धर्मशिला कैंसर फाउंडेशन तथा अनुसंधान केन्द्र एक सोसाइटी के रूप में उसी नाम तथा शीर्षक से पंजीकृत हुआ और 1.4.1991 में आयोजित शासी निकाय तथा शीर्षक से पंजीकृत हुआ और 1.4.1991 में आयोजित शासी निकाय की बैठक में पारित संकल्प के जरिए न्यास का विलय सोसाइटी में हो गया। न्यास के सोसाइटी में विलय पर कोई अनर्जित वृद्धि नहीं ली गई क्योंकि उसका प्रयोजन भी फाउंडेशन के उद्देश्यों को हासिल करना था और सोसाइटी के वही उद्देश्य हैं, जो न्यास के थे। इस बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जून 1993 में हुई अपनी बैठक की मद सं. 95/93 में निर्णय लिया गया था। यूनीक अस्पताल तथा अनुसंधान संस्थान:- यूनीक अस्पताल एवं अनुसंधान संस्थान के नाम से एक सोसाइटी फरवरी, 1997 में पंजीकृत की गई थी और उसके तदनुसार भूमि आबंटन के लिए आवेदन किया था। संस्थान को दिसम्बर, 1997 में 8,097 वर्ग मी. भूमि का आबंटन किया गया था। इसमें आपत्ति यह है कि यह सोसाइटी 1997 से एक कंपनी के रूप में मौजूद थी और इसने केवल डीडीए से रियायती दरों पर भूमि हासिल करने के लिए स्वयं को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत कराया था। इस संदर्भ में, यह उल्लेख किया जाता है कि सोसाइटी को भूमि आबंटन की तारीख को यह एक सोसाइटी के रूप में कार्य कर रही थी जो भूमि आबंटन के लिए नजूल नियमावली, 1981 के प्रावधानों के तहत पात्र थी। इसका पूर्व स्वरूप, इस मामले में एक कंपनी होने के नाते, भूमि आबंटन के लिए उसे अपात्र अथवा प्रतिबंधित नहीं बनाता है। सोसाइटी का "बिना लाभ, बिना हानि" स्वरूप बावत हलफनामा भी प्रस्तुत किया गया था।
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;	
(ग) अपात्र संस्थाओं को भूमि आबंटित करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;	
(घ) बाजार मूल्य वसूलने अथवा भूमि को खाली कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और	
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?	(ग) से (ङ) उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए तथा चूंकि मामले की जांच लोक लेखा समिति द्वारा की जा रही है, अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई या बाजार मूल्य की वसूली या भूमि खाली कराए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

खिलाड़ियों का कोटा

106. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनी राम शांडिल्य: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सहित सभी मंत्रालयों/विभागों में खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में निर्धन परंतु प्रतिभावान युवकों को प्रोत्साहन और नि:शुल्क प्रशिक्षण देने हेतु खेल अकादमी स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए निर्धारित विभागवार कोटा का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के विद्यमान आदेश के अंतर्गत 5% रिक्तियां विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/उपक्रमों में भर्ती नियमों में छूट प्रदान करते हुए वर्ग "ग" और "घ" में उत्कृष्ट खिलाड़ियों द्वारा भरी जाती है।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए राज्य खेल अकादमी की नई योजना को सरकार ने प्रारंभ कर दिया है। योजना का मुख्य उद्देश्य 10 से 13 वर्ष के आयु वर्ग में खेलों में सर्वोत्तम प्रतिभा, साथ ही साथ 10-18 वर्ष के आयु वर्ग में राज्य/राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उच्च प्रदर्शन करने वालों का चयन करना तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीतने के लिए उन्हें आने वाले वर्षों में तैयार करना है।

इस योजना में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन और प्रायोजक सहयोग की परिकल्पना की गई है। पूंजी और अनावर्ती लागतों के संबंध में अकादमी के लिए वित्तीय सहायता को प्रायोजक, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 51:2:24 के अनुपात में वहन किया जाना है बशर्ते कि केन्द्र सरकार का योगदान (1) अधिकतम 218.00 लाख रुपये अथवा पूंजीगत/अनावर्ती लागत का 25%, इसमें से जो भी कम हो, तथा (2) आवर्ती अनुदान जोकि वास्तविक आवर्ती लागत का 25% तक सीमित हो बशर्ते तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिवर्ष अधिकतम 17.00 लाख रुपये तक सीमित है।

(ग) विभाग-वार/राज्यवार नियत कोटा नहीं है।

(घ) उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रिक्तियों को प्रदर्शन के आधार पर भरा जाना है अत: ऐसा कोटा निश्चित नहीं किया जा सकता है।

[हिन्दी]

पद्मश्री पुरस्कार की गरिमा बनाए रखना

107. श्री बालेश्वर यादव: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पद्मश्री पुरस्कारों के स्वीकार करने से मना करने की हाल ही की घटनाओं और इन सम्मानों की घोषणा/चयन के संबंध में की गई आलोचनाओं के मद्देनजर पद्मश्री पुरस्कारों की गरिमा के रक्षार्थ कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) पद्म पुरस्कार, देश के सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार हैं जिनकी अपनी ही गरिमा होती है। पद्म पुरस्कारों के लिए चयन, ख्याति प्राप्त व्यक्तियों की व्यापक आधार वाली समिति की सिफारिशों पर किया जाता है। पद्म पुरस्कार समिति की सिफारिशों के सिवा कोई पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है।

चयन की प्रक्रिया, पुरस्कारों के लिए चुने गए व्यक्तियों और उन व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान करने के तौर-तरीकों, जो पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित नहीं हो सकते हैं, के संबंध में आलोचनाएं, प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया या पत्रों के माध्यम से सरकार को सूचित की गई है। पुरस्कारों की गरिमा को बनाए रखने के लिए इन पर सकारात्मक ढंग से विचार किया जाता है। कुछ व्यक्ति अपने सिद्धांतों या अपनी निजी धारणाओं पर इन पुरस्कारों को ग्रहण करने से इंकार करते हैं। पुरस्कारों की गरिमा को कम करने वाले इंकार करने के ऐसे आधारों पर विचार नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में सरकार ने पुरस्कार मंजूर करने की प्रणाली की जांच करने के लिए भारत के तत्कालीन उप राष्ट्रपति की अध्यक्षता में 1996 में एक उच्चस्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया था। सरकार ने समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था और उन्हें कार्यान्वित कर दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

कृषि और नकदी फसलों का आयात

108. श्री पी. करूणाकरन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि/नकदी फसलों के आयात से संबंधित भारत-श्रीलंका समझौता/श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता (साफ्टा) का उल्लंघन करने से हमारी घरेलू कृषि/नकदी फसलें प्रतिकूलत: प्रभावित हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो हमारी घरेलू कृषि/नकदी फसलों की रक्षा करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) भारत एवं श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय व्यापार भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार (आईएसएफटीए) 1998 द्वारा विनियमित किया जाता है। यह देखा गया है कि यद्यपि आईएसएफटीए के उल्लंघन का कोई मामला नहीं हुआ है, तथापि आईएसएफटीए की शुल्क मुक्त सुविधा के अंतर्गत श्रीलंका से भारत में काली मिर्च और लौंग के आयातों में बढ़ोत्तरी का रुख मालूम हुआ है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को ऐसे कई आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें घरेलू उत्पादों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव होने के संबंध में चिंता प्रकट की गई है।

शीघ्रता से कोई समाधान करने के लिए भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय वार्ताओं की प्रक्रिया के जरिए सरकार द्वारा इस संबंध में पहले ही कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है।

निर्यात संवर्द्धन हेतु निधियां

109. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न निर्यात संवर्द्धन परिषदों/शीर्ष चैम्बरों/पंजीकृत व्यापार निकायों/विदेश स्थित भारतीय मिशनों और राज्य सरकारों को स्वीकृत निधियों का परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उपरोक्त स्वीकृतियों के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं को निर्यात सदस्यों के साथ परामर्श करके अनुमोदित नहीं किया जा रहा है और उन्हें मनमाने ढंग से अनुमोदित किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि स्वीकृति/अनुमोदित परियोजनाओं को निर्यात सदस्यों के पैनल द्वारा अनुमोदित किया जाए?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) ब्यौरा संलग्न *विवरण* में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बाजार पहुंच पहल स्कीम के अतंर्गत विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों/राज्य सरकार/भारतीय मिशनों/पंजीकृत व्यापार निकायों को पिछले दो वर्षों (2003-04, 2004-05) के दौरान अनुमोदित परियोजनाएं

(रुपए में)

क्र.सं.	परियोजनाओं/कार्यकलापों का नाम	अनुमोदित राशि
1	2	3
1.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के माध्यम से अमरीका में पाटनरोधी मुकदमों की पैरवी करने के लिए भारत के समुद्री निर्यातक संघ को सहायता	2,40,00,000
2.	भारत पर ईयू के व्यापार विस्तारीकरण के प्रभाव संबंधी अध्ययन	3,90,922
3.	डब्ल्यूटीओ वार्ताओं के दौर (डब्ल्यूटीओ समिति) में गैर-कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन	10,00,000
4.	भारत और खाड़ी सहकारी परिषद के देशों के बीच पीटीए/एफटीए से संबंधित अध्ययन	4,80,000

1	2	3
5.	राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र (एनसीटीआई) द्वारा एलएसी देशों के वैश्विक व्यापार के व्यापार विश्लेषण अध्ययन का उन्नयन	4,50,000
6.	राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र (एनसीटीआई) द्वारा हस्तशिल्प के लिए चुनिंदा एलएसी देशों हेतु बाजार संभाव्यता अध्ययन	15,000
7.	एनसीटीआई द्वारा उरूग्वे के साथ पीटीए के बारे में अध्ययन	45,000
8.	एनसीटीआई द्वारा निवेश गन्तव्य के रूप में कोलम्बिया और चिल्ली का अध्ययन	12,84,000
9.	(क) एनसीटीआई द्वारा मार्कोसुर के साथ अधिमानी टैरिफ करार की मदों का पता लगाने का अध्ययन (ख) मर्कोसुर अध्ययन के दो अतिरिक्त भाग	3,10,000
10.	चर्म निर्यात परिषद द्वारा रूसी बाजार का अध्ययन	13,95,000
11.	(1) चर्म निर्यात परिषद (सीएलई) द्वारा अमरीका में फुटवियर कार्यक्रम (2) फरवरी, 2004 में अमरीका में फुटवियर बिजनेस शो	49,40,000 34,00,000
12.	भारतीय चर्म उद्योग-चर्म निर्यात परिषद् (सीएलई) के खिलाफ प्रतिकूल अभियान चलाने का प्रस्ताव	20,50,000
13.	आंध्र प्रदेश सरकार से प्रस्ताव	63,22,000
14.	भारत-दक्षिण अफ्रीका पीटीए/एफटीए का अध्ययन	45,000
15.	कपास एवं वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा कपास वस्त्रों में ग्यारह बाजारों का बाजार अध्ययन	31,18,000
16.	उन मदों के भारतीय आयात की प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन जिनमें पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है।	65,000
17.	जापान आईटी बाजार में एक भाषा संबंधी बाजार पहुंच सुविधा पहल (एलआरएमएएफआई-जी) की शुरूआत करना।	20,00,000+ 3,75,000
18.	जर्मन आईटी बाजार में एक भाषा संबंधी बाजार पहुंच सुविधा पहल (एलआरएमएएफआई-जी) की शुरूआत करना।	24,00,000+ 3,75,000
19.	उन तीन अध्ययनों के बदले दो अध्ययन शुरू करने का ईएससी का प्रस्ताव जो पहले अनुमोदित किए गए थे।	2,20,00,000
20.	चमड़ा उत्पादों की निर्यात वृद्धि—चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद के लिए सीआईएस क्षेत्र विकास कार्यनीति का अध्ययन	12,00,000
21.	पाटनरोधी करार संबंधी वार्ताएं—क्षति मार्जिन के बारे में अध्ययन	1,00,000
22.	व्यापार एवं पर्यावरण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए डब्ल्यूटीओ संबंधी मुद्दों पर कार्यक्रम	15,00,000
23.	भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय सम्पर्क हेतु परिवहन को इष्टतम बनाने के बारे में राइट्स द्वारा अध्ययन	10,50,000
24.	अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) द्वारा भारत के विनिर्माण क्षेत्र को निर्यातोन्मुख बनाने की संभावनाओं का अध्ययन	34,00,000
25.	उरूग्वे में भण्डारागार की स्थापना—केन्द्रीय भण्डारागार निगम (सीडब्ल्यूसी) का प्रस्ताव	60,70,220

1	2	3
26.	चर्म निर्यात परिषद द्वारा रूस फोकस बाजार संवर्धन कार्यक्रम 2004-05 चर्म फुटवियर वस्तु एवं परिधान	74,47,000
27.	यूएस फोकस बाजार कार्यक्रम-चर्म परिधान एवं चर्म वस्तु-चर्म निर्यात संबंधी-परिषद द्वारा	80,33,000
28.	तीसरे वर्ष हेतु यूएस फुटवियर कार्यक्रम	89,14,000
29.	निर्यात क्षेत्र में एफटीआई-व्यापार अध्ययन अकादमी, नई दिल्ली के सहयोग से विश्व व्यापार केन्द्र द्वारा संभावनाओं एवं समस्याओं का सर्वेक्षण	38,50,000
30.	चुनिंदा बीपीओ सेवाओं के भारतीय निर्यात: इंस्टिट्यूट फार सोशियो-इकोनामिक चेन्ज (आई.एस.ई.सी.) बंगलौर द्वारा "अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथ एवं वीकनेसेस"	14,50,000
31.	चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा-"निर्यात संवर्धन योजना" हेतु चमड़ा संबंधी प्रस्ताव	22,50,000
32.	यूरोपीय संघ को पेटेंट कालातीत औषधियों संबंधी बाजार अध्ययन के विषय में मूल रसायनों, भेषजों तथा श्रृंगार प्रसाधन निर्यात संवर्धन परिषद (केमेक्सिल) का प्रस्ताव	56,25,000
33.	प्लास्टिक उपभोक्ता मदों के संबंध में प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद का प्रस्ताव	1,96,00,000
34.	इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आस्ट्रेलिया के क्रेताओं तथा भारतीय इंजीनियरिंग निर्यातकों के बीच व्यापार वार्ताओं के लिए भारत में प्रति बीएसएम	48,00,000
35.	इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा जर्मनी, स्पेन, आस्ट्रिया में वायु ऊर्जा परियोजनाओं के निर्यात विकास हेतु बाजार अध्ययन	50,00,000
36.	इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा शो-रूमों, भाण्डागारों इत्यादि को खोलना	1,45,00,000
37.	काफी बोर्ड द्वारा निर्यात कम्पनियों—भारत, ब्राजील तथा वियतनाम के संभार तंत्र तथा प्रतिस्पर्धात्मकता के संबंध में अध्ययन	44,00,000
38.	मेंथाल हेतु एमएआई बाजार अध्ययन के तहत निर्यात संवर्धन योजना-भारतीय उद्योग परिसंघ (केमेक्सिल)	56,25,000
39.	एंटी एड्स ड्रग्स-एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के संबंध में बाजार अध्ययन-मूल रसायन, भेषज तथा श्रृंगार प्रसाधन निर्यात संवर्धन परिषद (केमेक्सिल)	56,25,000
40.	यूएसए को समुद्री उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने हेतु यूएसए में बाजार एवं मीडिया अभियान-एम्पीडा	5,07,29,000
41.	पीपल फार एनिमल्स द्वारा अहिंसा पीस सिल्क के निर्यात के विस्तार हेतु ग्राहकों संबंधी जानकारी, जन सांख्यिकी तथा लक्ष्य बाजारों एवं संभावना का पता लगाने के लिए विपणन अध्ययन संबंधी प्रस्ताव (एचपीसी के माध्यम से)	15,00,000
42.	इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) द्वारा वायु क्षेत्र में यूएसए का बाजार अध्ययन	25,87,500
43.	भारत एवं खाड़ी सहयोग परिषद के बीच प्रस्तावित एफटीए में "निवेश" एवं "सेवा" क्षेत्रों को शामिल किए जाने हेतु व्यवहार्यता अध्ययन	(1) 6,00,000 (2) 5,94,000
44.	डब्ल्यूटीओ निहितार्थों के साथ निर्यात संवर्धन तथा संभावनाओं एवं राज्य के लिए उचित निर्यात नीति तैयार करने हेतु छत्तीसगढ़ का समग्र अध्ययन	10,50,000

1	2	3
45.	वस्तुओं एवं सेवाओं में भारत-चीन व्यापार पर अध्ययन हेतु प्रस्ताव: आईसीआरआईईआर द्वारा व्यापार में वृद्धि की संभावनाएं	13,50,000
46.	9 से 18 जुलाई, 2004 तक रोम, इटली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेने हेतु आंध्र प्रदेश वाणिज्य एवं उद्योग मंडल द्वारा प्रस्ताव	29,00,000
47.	चीन को कार्बनिक रसायनों के निर्यातों का संवर्धन करने हेतु भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) का प्रस्ताव-2004/05 से 2006/07	40,89,000
48.	भेषज (जैव तकनीकी उत्पादों सहित) हेतु भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) का प्रस्ताव-मलेशिया एवं सिंगापुर में बाजार प्रवेश	33,19,000
49.	चीन को मशीनरी के निर्यातों का संवर्धन हेतु भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) का प्रस्ताव 2004/05 से 2006/07	26,50,000
50.	आसियान 5 देशों में मशीनरी बाजार प्रवेश हेतु भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) का प्रस्ताव	15,46,000
51.	विस्तारित ईयू तथा आवेदक देशों-बुल्गारिया, चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया तथा तुर्की में भेषज उद्योग बाजार प्रवेश हेतु भारतीय उद्योग परिसंघ का प्रस्ताव	28,42,000
52.	''इंटरनेशनल कांग्रेस आन ट्रेड-इन-सर्विसेज'' का आयोजन करने संबंधी भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ का प्रस्ताव	53,73,000
53.	भेषज एवं स्वास्थ्य रक्षा में भारत-जीसीसी व्यापारिक संपर्क का संवर्धन करने हेतु भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल परिसंघ (फिक्की) का प्रस्ताव	96,00,000
54.	ईयू सदस्यता वाले देशों में भारत के लिए निर्यात संवर्धन कार्यनीति हेतु भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल परिसंघ (फिक्की) का प्रस्ताव	1,63,000
55.	भारतीय खनन क्षेत्र के लिए उच्चतर मूल्य एवं संवर्धन के लिए भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ का प्रस्ताव	3,00,000
56.	एशियाई क्षेत्र थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपीन्स को भारतीय औषधि एवं भेषजीय निर्यातों की वृद्धि के लिए भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ का प्रस्ताव	62,90,000
57.	अप्रैल, 2005 में एक महीने की अवधि के लिए गैलरी लेफेट फ्रांस में ''आधुनिक भारत'' विषय पर भारत संवर्धन विषय आयोजन	65,00,000
58.	न्यू जर्सी यू एस ए में निर्यात सुविधा एवं व्यापार सहायता केन्द्र की स्थापना के लिए इलैक्ट्रानिक्स और साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद (ई एस सी) का प्रस्ताव	7,41,00,000+ 1,08,000
59.	चेन्नई बंदरगाह में प्रक्रियागत रिइंजीनियरिंग का अध्ययन (कार्योत्तर)	4,00,000
60.	आर आई एस द्वारा भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच त्रिपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग पर अध्ययन (कार्योत्तर)	10,00,000
61.	तराशे एवं पालिश किए हुए हीरे, सूचना प्रौद्योगिकी, चाय, काफी, मांस एवं प्रसंस्कृत खाद्य के क्षेत्रों में आरमेनिया में बाजार सर्वेक्षण	4,50,000
62.	भारत-ताइपेई एसोसिएशन द्वारा ताइवान को रसायनों के निर्यात पर बाजार अध्ययन	4,30,000

1	2	3
63.	रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय निर्यात को बढ़ाने के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का प्रयोग	31,33,000
64.	सी आई आई द्वारा मैक्सिको (बी एस एम) के रसायन बाजार में भारत के हिस्से का विस्तार	53,60,000
65.	सी आई आई द्वारा मैक्सिको के भेषज बाजार में भारत के हिस्से का विस्तार	88,30,000
66.	सी आई आई द्वारा यू एस ए में भेषजीय उत्पादों का बाजार में प्रवेश	34,00,000
67.	अक्तूबर-नवम्बर, 2004 में शारजाह एवं दुबई उत्सव में मध्य प्रदेश से शिल्पकारों एस एच जी और एस एम ई की भागीदारी के लिए मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि. का प्रस्ताव	34,20,000
68.	परामर्शी विकास केन्द्र द्वारा "भारत से परामर्शी" एवं प्रबंधन सेवाओं के निर्यात सवंर्धन पर अध्ययन	5,00,000
69.	4 वर्षों अर्थात् 2004-05 से 2007-08 की अवधि के लिए जापानी भाषा में भाषा संबंधी बाजार पहुंच सुविधा की पहल को लागू करना	80,00,000 +14,00,000
70.	3 वर्षों अर्थात् 2005-06 से 2007-08 की अवधि के लिए जापानी भाषा में भाषा संबंधी बाजार पहुंच सुविधा की पहल को लागू करना	72,00,000 +11,25,000
71.	चर्म निर्यात परिषद (सी एल ई) द्वारा मिलान, इटली में एक "भारतीय चर्म डेस्क" की स्थापना	37,50,000
72.	चर्म निर्यात परिषद (सी एल ई) द्वारा चर्म निर्यात उद्योग के विरुद्ध प्रतिकूल अभियान का मुकाबला करने का प्रस्ताव	18,72,000
73.	शू डिजाइनिंग एवं डिजाइन आसूचना के लिए एक डिजाइन स्टेशन की स्थापना करना	37,50,000
74.	चर्म निर्यात परिषद (सी एल ई) द्वारा फरवरी, 2005 के दौरान स्पेन में भारतीय चर्म उत्पादों का मेगा शो।	95,00,000
75.	हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ई पी सी एच) द्वारा यू एस ए में शोरूम, भण्डागार खोलना, प्रचार एवं प्रत्यक्ष विपणन करना	30,08,00,000
76.	यूरोप को चुने हुए पुष्प, फल एवं सब्जियों के लिए बाजार सुविधा केन्द्र	60,00,000
77.	उदारीकृत व्यापार नीति प्रणाली में भारत के निर्यातों की आयात सघनता संबंधी अध्ययन	10,00,000
78.	बेसिक केमिकल्स, फार्म्यूस्टिकल्स एंड कास्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (केमेक्सिल) द्वारा अगरबत्तियों की निर्यात वृद्धि के लिए संवर्द्धनात्मक कार्यकलाप	67,75,000
79.	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा भारत और विदेशों में विभिन्न फिल्म उत्सवों में भाग लेने के लिए प्रस्ताव	52,00,000

1	2	3
80.	बेसिक केमिकल्स, फार्म्यूस्टिकल्स एंड कास्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (केमेक्सिल) द्वारा अमरीकी बाजार में जेनेरिक्स के भारतीय हिस्से को अधिकतम बनाने के लिए समाप्त होने वाले पेटेन्ट संरक्षण्या के लिए औषधियों का बाजार अध्ययन	5,00,000
81.	केमेक्सिल द्वारा फाइटो फार्मिंग का प्रयोग करके थेरेपेटिक प्रोटीनों के संबंध में निर्यात वृद्धि योजना से संबंधित अध्ययन	5,00,000
82.	एक वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र के रूप में भारत का स्थान नियत करने के लिए कार्यनीतियों को परिभाषित करने और विभिन्न पणधारकों के लिए कार्यबिन्दु का पता लगाने हेतु निर्यात वृद्धि योजना के लिए अध्ययन	5,00,000
83.	पश्चिमी अफ्रीका के भेषज बाजार में भारत के हिस्से का विस्तार करना	1,67,00,000
84.	भारत के लिए नियम और अनुप्रयोग संबंधी वार्ताकारी दल को डब्ल्यू टी ओ के सदस्य देशों द्वारा किए गए निवेदनों का विश्लेषण करने के लिए परामर्शदाताओं को नियोजित करने का प्रस्ताव	4,50,000
85.	भारत के अन्य देशों अर्थात् आसियान, बिम्सटेक के साथ आर्थिक भागीदारी करारों में उद्गम नियमों के संबंध में आर आई एस अध्ययन	5,00,000
86.	औद्योगिक विकास में अध्ययन संस्थान (आई एस आई डी) द्वारा "रोजगार पर निर्यातों का प्रभाव" से संबंधित अध्ययन	9,83,000
87.	अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आर आई एस) द्वारा "भारत के निर्यात क्षेत्र में रोजगार के कुछ आयाम" पर अध्ययन	10,00,000
88.	आर आई एस द्वारा गैट्स के तहत दृश्य श्रव्य सेवाओं में भारत का व्यापार संबंधी अध्ययन	4,95,000
89.	कम विकसित देशों (एल डी सी) के लिए भारत द्वारा प्रदत्त एकपक्षीय टैरिफ वरीयताएं (यू टी पी) बनाने के लिए मूलता के नियमों पर श्री पी वी रगानन द्वारा अध्ययन	4,25,000
90.	यू एस ए की जी एस पी स्कीम के तहत लाभ लेने के लिए वर्ष 2003 में व्यापार आंकड़ों पर एन सी टी आई द्वारा भारत के अमेरिकी निर्यातों पर अध्ययन	50,000
91.	आभूषण संबंधी प्रवृत्तियां तथा व्यापार के पूर्वानुमान पर रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा 4 एवं 5 दिसम्बर, 2004 को संगोष्ठी	6,32,000
92.	यू एस ए में एच एस कूट के अनुसार हस्तशिल्प क्षेत्र की तुलना में हस्तशिल्प उत्पाद वस्तुओं की वाणिज्यिक आसूचना रिपोर्ट के लिए देश विशिष्ट सर्वेक्षण	18,00,000
93.	हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा जयपुर और जोधपुर की आपूर्ति श्रृंखला पर अभिज्ञात किए गए हस्तशिल्प समूहों की नैदानिक अध्ययन	14,80,000
94.	हस्तशिल्प तथा संबद्ध उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विपणन लिंकेज-प्रतिवर्ती बी एस एम तथा प्रचार अभियान	3,37,36,000

1	2	3
95.	अमेरिका में भारतीय हस्तनिर्मित कालीनों की बिक्री की प्रवृत्ति तथा उसे बढ़ाने हेतु विपणन नीति तैयार करने संबंधी अध्ययन	18,00,000
96.	एल ए सी में भारतीय हस्तनिर्मित कालीनों की बिक्री की प्रवृत्ति तथा उसे बढ़ाने हेतु विपणन नीति तैयार करने संबंधी अध्ययन	18,00,000
97.	अमेरिका में तीन वर्षों के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भारतीय हस्तनिर्मित कालीनों का प्रदर्शन	1,41,00,000
98.	अमेरिका में भाण्डागार-सह-शोरूम खोलना	50,00,000
99.	अखिल भारतीय कालीन विनिर्माता संघ (ए आई सी एम ए) द्वारा हैंड टफ्ड कालीनों के लिए हाल ही में विकसित बेकिंग प्रौद्योगिकी का विस्तार	50,00,000
100.	रूस तथा सी आई एस देशों के भेषज बाजार में भारत के हिस्से का विस्तार	1,29,00,000
101.	भारत तथा सी आई एस देशों के बीच उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग तथा व्यापार को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी एस आई आर)	20,00,000
102.	नवम्बर, 2004 में भारत के केपटाउन स्थित उच्चायुक्त द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिधान एवं वस्त्र प्रदर्शनी में सहभागिता	2,50,000
103.	भारतीय उद्योगों के परिसंघ द्वारा अफ्रीका में परियोजना संबंधी अवसरों में भारत की सहभागिता को बढ़ाना	51,50,000
104.	संश्लेषित रेयान वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा अमेरिका में मानवनिर्मित फाइबर वस्त्रों के लिए बाजार विकास रणनीति हेतु अध्ययन	3,75,000
105.	संश्लेषित रेयान वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा सी आई एस में मानवनिर्मित फाइबर वस्त्रों के लिए बाजार विकास रणनीति हेतु अध्ययन	3,75,000
106.	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ द्वारा बंगलौर में भारतीय आसियान स्वास्थ्य शिखर बैठक एवं तत्पश्चात् प्रतिवर्ती क्रेता-विक्रेता बैठक	49,86,000
107.	इलैक्ट्रानिक एवं साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा-बीपीओ/आईटीईएस के यू के के चुनिंदा क्रेताओं के दो प्रतिनिधिमंडलों के प्रति दौरों का आयोजन	39,27,000
108.	यूरोपीय बाजारों में जड़ी बूटी एवं प्राकृतिक उत्पादों का अन्वेषण तथा प्रवेश से संबंधित मध्य प्रदेश निर्यात निगम लिमि. का प्रस्ताव	3,82,000
109.	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ द्वारा भारत-इजराइल सहयोग को बढ़ाना—''एकीकरण एवं बाधाएं'' पर अध्ययन	3,75,000
110.	चिकित्सीय एवं सुगंधित पादपों पर बाजार अध्ययन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को प्रस्ताव	3,75,000
111.	''निर्यात लाभों की पुनर्संरचना—लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए संभावना'' पर अध्ययन के लिए भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ का प्रस्ताव	15,00,000

वर्ष 2003-04 और 2004-05 (अद्यतन) के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों/संगठनों आदि की विदेशों में उनके निर्यात संवर्धन कार्यकलापों के लिए जारी किए गए बाजार विकास सहायता अनुदान

(लाख रु. में)

क्र.सं.	निर्यात संवर्धन परिषद/संगठन आदि का नाम	2003-04		2004-05	
		कोड कार्यकलापों के लिए	अलग-अलग निर्यातकों के लिए	कोड कार्यकलापों के लिए	अलग-अलग निर्यातकों के लिए
1	2	3	4	5	6
1.	काजू निर्यात संवर्द्धन परिषद	19.00	3.20	–	0.46
2.	कारपेट निर्यात संवर्द्धन परिषद	20.00	64.50	64.65	48.50
3.	कैपेक्सिल	89.91	33.28	145.00	120.00
4.	कैमेक्सिल	58.74	115.00	85.38	244.60
5.	इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद	227.61	500.00	173.42	1160.21
6.	इलैक्ट्रानिक्स एवं कंप्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संवर्द्धन परिषद	135.72	161.50	84.27	62.08
7.	रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद	70.63	–	61.50	–
8.	हथकरघा निर्यात संवर्द्धन परिषद	52.22	170.00	33.99	66.63
9.	हस्तशिल्प निर्यात संवर्द्धन परिषद	77.10	500	74.20	–
10.	भारतीय रेशम निर्यात संवर्द्धन परिषद	12.61	91.52	20.00	33.77
11.	चर्म निर्यात परिषद	133.52	184.55	87.92	264.24
12.	भारतीय परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद (पूर्व भारतीय विदेशी निर्माण परिषद)	19.00	10.26	2.50	1.32
13.	प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद	91.39	138.00	9.00	–
14.	खेल सामान निर्यात संवर्धन परिषद	21.73	43.00	26.30	96.19
15.	सिंथेटिक एवं रेयान सामान निर्यात संवर्धन परिषद	53.29	230.00	32.59	168.18
16.	चपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद	55.09	33.60	46.66	–
17.	ईओयू/एसईजेड इकाइयों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद	–	9.32	14.07	8.36
18.	ऊन एवं ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद	10.92	42.37	17.13	–
19.	भेषज निर्यात संवर्धन परिषद	–	–	35.19	–
20.	परिधान निर्यात संवर्धन परिषद	–	185.00	–	97.61
21.	ऊन उद्योग निर्यात संवर्धन परिषद	0.94	–	4.25	–

1	2	3	4	5	6
22.	सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद	–	60.00	–	–
23.	कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	–	–	–	34.38
24.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	–	1.55	–	–
25.	इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन	416.28	–	261.77	–
26.	राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र	2.55	–	1.44	–
27.	भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ	2.75	950.00	–	650.00
28.	कर्नाटक वाणिज्य मंडल परिसंघ	1.00	–	–	–
29.	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ	9.33	–	4.14	–
30.	पंजाब एवं हरियाणा वाणिज्य एवं उद्योग विकास मंडल	2.31	–	–	–
31.	वाणिज्य एवं उद्योग सहबद्ध मंडल	0.38	–	–	–
32.	भारतीय उद्योग परिसंघ	34.91	–	1.72	–
33.	मसाला बोर्ड	–	10.00	–	3.44
34.	कायर बोर्ड	–	16.84	–	–
35.	तम्बाकू बोर्ड	–	2.19	–	–
36.	काफी बोर्ड	–	12.55	–	–
37.	सोल्वेन्ट एक्सट्राक्ट एसोसिएशन आफ इंडिया	–	11.70	–	–
38.	भारत-जर्मन परियोजना	–	–	20.00	–

बालिकाओं को शिक्षा देने के कार्य में लगे गैर-सरकारी संगठन

110. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में बालिकाओं को बुनियादी और प्राथमिक शिक्षा देने हेतु राज्य में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ इन गैर-सरकारी संगठनों को जारी की गई निधियों और उनकी गतिविधियों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) राज्य सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वैकल्पिक और नवाचारी शैक्षिक केन्द्रों और विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को 1148.507 लाख रुपयों की राशि जारी की है।

विवरण

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठनों के नाम
1	2
जिला: चेन्नई	
1.	वर्ल्ड विजन आफ इंडिया, न्यू होप ए.डी.पी.
2.	यंग वूमन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन आफ मद्रास

1	2
3.	विजन फार सोशल डेवलपमेंट
4.	मजारेल्लो मगालिर नलवाझ्मण्यम मरियालय मगालिर मनरम, सोशल सर्विस सोसायटी
5.	कृतिआलय सेंटर फार इंटेग्रेटेड कम्यूनिटी डेवलपमेंट
6.	करुणालय सोशल सर्विस सोसायटी
7.	अरुणोदय सेंटर फार स्ट्रीट एंड वर्किंग चिल्ड्रन
8.	आशानिवास सोशल सर्विस सेंटर
9.	इंडियन काउंसिल फार चाइल्ड वैलफेयर
10.	डान बास्को सोशल सर्विस सोसायटी
11.	संगमम (एक्सटर्नल यूनिट आफ स्टेला मैरिस कालेज)
जिला: कोयम्बटूर	
1.	इमायम सोशल वैलफेयर एसोसिएशन
2.	रायल एजुकेशन ट्रस्ट
3.	एन.ई.आर.डी., सोसायटी
4.	नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सर्विस सोसायटी
5.	श्रीमाथा चैरिटेबल ट्रस्ट
6.	वर्ल्ड विजन आफ इंडिया, कंगायम ए.डी.पी.
7.	चिल्ड्रन अवेयरनेस एंड अवेयरनेस डेवलपमेंट
8.	सोशल अवेयरनेस एंड वोलंटरी एजुकेशन
9.	वीड ट्रस्ट
10.	रूरल एक्सटेंशन सर्विस ट्रस्ट
11.	ग्रामीय मकाल अभीविरुद्दी इयक्कम
12.	कम्यूनिटी हेल्थ एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम
13.	सेवा भारती
14.	स्नेहा सर्विस सोशल सोसायटी
15.	विद्या विकासिनी अपरच्यूनिटी स्कूल
16.	गुड शैपर्ड हेल्थ एजुकेशन सेंटर एंड डिस्पेंसरी
17.	सोसायटी और इंटेग्रेटेड डेवलपमेंट आफ ट्रायबल्स

1	2
18.	गुडविल सोशल डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन
19.	मदर टेरेसा सोसायटी फार हेंडीकेप्ड
20.	डान बास्को अन्बु इल्लम सोशल सर्विस सोसायटी
21.	कोयम्बटूर रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन
22.	सीरूवानी मगलीर मेमबटू संगम
23.	स्वामी विवेकानंद गुरूकुलम
24.	श्रुति सेवा ट्रस्ट अर्श विद्या गुरूकुलम
25.	माता अमृतानंदमयी मठ
26.	डान बास्को एन.ई.एस.टी.
27.	इरुगुर इलायंगर नरपानी मंदरम
28.	नेसाकारंगल
29.	हाई क्लास वूमेन वेलफेयर सोशल सेंटर
30.	प्रजेंटेशन कान्वेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर फार डिसेबल्ड
31.	दीपम सोशल एजुकेशन ट्रस्ट
32.	वर्ल्ड चिल्ड्रन एजुकेसन डेवलपमेंट
33.	अन्नाई टेरेसा एजुकेशनल ट्रस्ट
34.	पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट
35.	ऐक्शन फार सोशल अवेयरनेस एंड डेवलपमेंट
36.	तमिलनाडु प्लांटेशन वर्कर्स एंड स्टाफ यूनियन
37.	संगमितिना एनवायरनमेंटल एजुकेशनल डिपार्टमेंट सोसायटी
38.	कम्यूनिटी अवेयरनेस एंड डेवलपमेंट एजुकेशनल ट्रस्ट
जिला: कुड्डालूर	
1.	अवार्ड
2.	बी.डब्ल्यू.डी.ए.
3.	श्री लक्ष्मी हयग्रीव ट्रस्ट
4.	कम्यूनिटी रिकन्स्ट्रक्शन आर्गनाइजेशन आफ सोशल सर्विस
5.	नेहरू युवा केन्द्र शांति थोपु (चिदम्बरम)
6.	प्रकृति

1	2
जिला: धर्मपुरी	
1.	जयम एजुकेशनल हेल्थ एंड चैरीटेबल ट्रस्ट
2.	श्री साईराम मेडिकल एंड एजुकेशनल सेंटर ट्रस्ट
3.	गांधीजी सेवालयम
4.	भारती विद्यालय एजुकेशनल ट्रस्ट
5.	रूरल इकोनोमिक्स एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड सोशल को-ओर्डिनेशन मूवमेंट सोसायटी
6.	हेल्प एन.जी.ओ.
7.	सोसायटी फार एजुकेशन एंड विलेज ऐक्शन
8.	गांधीजी कुजनधइकल पल्लीसंगम
9.	ओरफेन्स एंड पुवर ट्राइबल चिल्ड्रन होम
जिला: डिंडीगुल	
1.	नेटवर्क आफ एजुकेशन एनवायरमेंट डेवलपमेंट सोसायटी
2.	भारत माता महालिर संगम
3.	सोसायटी फार पीपुल्स ऐक्शन फार चेंज आफ एजुकेशन
4.	रूरल इंटेग्रेटेड डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन
5.	विवेकानंद एजुकेशनल ट्रस्ट
6.	एसोसिएशन फार रिहेबिलिटेशन फार विलेज एंड इम्पेयरमेंट
7.	सोसायटी फार वूमेन इंटीग्रेटेड फैमिली डेवलपमेंट
8.	रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन
9.	साधना ट्रस्ट
10.	लीड ट्रस्ट
जिला: इरोड	
1.	डिस्ट्रिक्ट रावल सोशल वेलफेयर संगम
2.	सुरभि फाउंडेशन
3.	एम.एम.ए. एजुकेशनल ट्रस्ट
4.	एम.एम.सी. कारपोरेशन
5.	धनशेखरन एजुकेशन ट्रस्ट

1	2
6.	कलई चैरिटेबल ट्रस्ट
7.	ऐक्शन फार वाटर एंड रूरल डेवलपमेंट
8.	ऐड ऐट ऐक्शन
9.	विवेकानंद मलाईवाज मक्कल मेमबाडु निरूवानम
10.	इंस्टीट्यूट आफ सोशल सर्विस
11.	मुरूगन एजुकेशनल मेडिकल ट्रस्ट
12.	अंतिउर रूरल कम्यूनिटी, एम्पावरमेंट आर्गनाइजेशन
13.	सेंट तामस एजुकेशनल चैरीटेबल एजुकेशनल ट्रस्ट
14.	राजेन्द्र फाउंडेशन फार एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट
15.	पूनथालिर अवेयरनेस सोशल ऐक्शन मूवमेंट
16.	स्यूमेन इंटीग्रेटेड लाइफ एंड लर्निंग
17.	एसोसिएसन फार वूमेन अवेयरनेस एंड रूरल डेवलपमेंट
18.	सेंटर फार ऐक्शन रूरल एजुकेशन
19.	सोसायटी फार वूमेन एंड यूथ डेवलपमेंट
जिला: कांचीपुरम	
1.	अरीवोली इयक्कम
जिला: करूर	
1.	ग्रामीयम
2.	सेंटर फार अवेयरनेस रूरल एजुकेशन
3.	भरीवालय रिहेबिलिटेशन सेंटर
जिला: पेरामबलूर	
1.	डान ट्रस्ट
2.	ओ.एस.ए.आई-आर्गनाइजेसन फार सोशल ऐक्शन एंड इम्प्रूवमेंट
3.	मैसर्स पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट
4.	वर्ल्ड विजन इंडिया, पेराम्बलूर ए.डी.पी.
5.	सुविक्षा

1	2
6.	गांधी ग्रामोदय सोसायटी
7.	रूरल एजुकेशन एंड ऐक्शन डेवलपमेंट
8.	सोसायटी आफ डी.एम.आई.
जिला: रामनाथपुरम	
1.	अनबालय ट्रस्ट
2.	सोसायटी फार कम्यूनिटी आर्गनाइजेशन एंड एजुकेशन
3.	सोशियो एजुकेशन एंड इकोनामिक डेवलपमेंट सोसायटी
4.	रेज इंडिया ट्रस्ट
जिला: कन्याकुमारी	
1.	सेंटर फार ह्यूमेन रिसोर्स एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम
2.	सेंटर फार इम्फोरमेशन टेक्नोलाजी आन रूरल डेवलपमेंट
3.	ओरल स्कूल फार दी हियरिंग इम्पेयर्ड
4.	वोलंटरी हेल्थ एसोसिएशन फार कन्याकुमारी
5.	ह्यूमेन एजुकेशन एंड ऐक्शन फार लिबरेशन मूवमेंट
6.	ह्यूमेन एजुकेशन फार लिबरेशन आन ट्रस्ट
7.	कुमारी आर्गनाइजेशन फार डेवलपमेंट
8.	महावीर एसोसिएशन फार लिटरेसी अवेयरनेस एंड राइट्स
9.	गांधी कामराज एजुकेशन रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट
10.	कोटलार सोशल सर्विस सोसायटी
जिला: कृष्णागिरि	
1.	मेरादा प्लान
2.	किंग्सले कम्यूनिटी सेंटर
3.	सेंट पाल एजुकेशनल ट्रस्ट
4.	ट्रस्ट
5.	रूरल पीपुल्स डेवलपमेंट ट्रस्ट
6.	वी.एस.ई.डी.पी.
7.	एस.डब्ल्यू.ओ.आर.डी.
8.	विशालम एजुकेशनल चैरीटेबल ट्रस्ट
9.	सी.डी.एस.
जिला: नमक्कल	
1.	रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सोसायटी
2.	कम्यूनिटी सर्विसेज ट्रस्ट
3.	डा. ताफिन मेमोरियल चैरीटेबल ट्रस्ट
4.	रूरल एजुकेशन एंड एन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ट्रस्ट
5.	सी.डी.ओ.-कम्यूनिटी डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन
6.	आल इंडिया डा. अम्बेडकर ट्रस्ट
7.	हेल्थ एंड एजुकेशन अलटरनेटिव डेवलपमेंट सर्विस
8.	कंडासामी कंडार्स ट्रस्ट बोर्ड
9.	सी.आई.आर.डी., समेकित ग्रामीण विकास परिषद
10.	डब्ल्यू.ओ.आर.डी.-महिला ग्रामीण विकास संगठन
11.	डब्ल्यू.ओ.आर.डी., महिला ग्रामीण विकास संगठन
12.	वाई.ए.आर.डी.एस.-युवा जागरूकता और ग्रामीण विकास सोसायटी
जिला: पुडुकोट्टई	
1.	किसान सामाजिक कार्रवाई संघ
2.	डी.एम.आई., डाटर्स आफ मेरी इमेक्यूलेट एंड कोलेबोरेटर्स
3.	ला सेल्स नीरा वाणी, मेस
4.	मानव क्षमता और पर्यावरण विकास सोसायटी
5.	सी.ए.आर.डी. सामुदाय ग्रामीण विकास कार्रवाई
6.	वेंचर
7.	रिनैसेंस सी.ए. ट्रस्ट फार सोशियो इकोनोमिक डेवलपमेंट
8.	ग्राम स्वराज
9.	पुडुक्कोट्टई मल्टीपरपस सोशल सर्विस सोसाइटी
10.	भारत पर्यावरण सेवा दल
11.	ग्रामीण समुदाय शिक्षा संगठन
12.	एन.ई.ई.डी. राष्ट्रीय पर्यावरण और शिक्षा विकास ग्रीन हाऊस

1	2
जिला: सेलम	
1.	महिला एवं बाल कल्याण केन्द्र
2.	जिला ग्रामीण समाज कल्याण संगम
3.	एक्शन फार डेवलपमेंट आफ अनरीच्ड
4.	एम.ए.एस.एस.
5.	जन स्वैच्छिक आन्तरिक सेवा संगठन
6.	इकोमवेल आर्थोपेडिक सेंटर
7.	समुदाय सेवा न्यास
8.	सलेम समाज सेवा सोसाइटी
9.	अल्टरनेट इंडिया फोर डेवलपमेंट
जिला: सिवागंगई	
1.	सेंट एनीस विकलांग करुणालय पुर्नवास केन्द्र
2.	सोसाइटी आफ इमेनीसिपेटिंग नं. सोशल एजूकेशन
3.	ग्रामीण शिक्षा एवं विकास सोसायटी
4.	सामाजिक ग्रामीण विकास शिक्षा
5.	तिरूपुत्तुर ग्रामीण उत्थान परियोजना संघ
6.	सर्व सेवा फार्म संघ
7.	अन्नै कस्तूरीबाई महाल्लीर मन्दरम
8.	समुदाय ग्रामीण विकास स्वास्थ्य संगठन
जिला: तंजावूर	
1.	महिला कल्याण न्यास समिति
2.	कुम्बाकोणम बहुउद्देश्यीय समाज सेवा सोसाइटी
3.	दुर्गा महिला संगठन
4.	गोडसे
5.	पेरियार महिला सशक्तता और पुर्नजागरण संगठन
6.	चन्द्र न्यास, शारीरिक रूप से विकलांग मूक और बधिरों के लिए नि:शुल्क आवास तथा स्कूल
7.	तावा जीवन न्यास
8.	मानव सेवा सोसाइटी
9.	तंजावूर बहुउद्देश्यीय समाज सेवा सोसाइटी
10.	महात्मा शिक्षा न्यास
11.	सरोजनी नगर संघ काल्वी कंझागम
12.	चिन्नैयाह शिक्षा सोसायटी
13.	सेवा भारती तिरूपुवाणम
14.	टाइम आर्गनाइजेशन
जिला: नीलगिरि	
1.	एस.एम.वाई.आर.एन.ए. फेलोशिप ट्रस्ट
2.	कच-एक विकलांग कल्याण संस्था
3.	ग्रामीण विकास संगठन
4.	उथागभंडलम सोसल सर्विस सोसाइटी
जिला: तिरूनावेली	
1.	टेनवासी मक्कल नाला संगम
2.	सिस्टर निवेदिता मिशन ट्रस्ट
3.	सतपाल एजुकेशन सोसायटी
4.	रेल-ग्रामीण विकास शिक्षा
5.	लीक ट्रस्ट
6.	इलाया भारतीय इलेयर मन्तरम
7.	अरासु-रूरल डेवलपमेंट सोसायटी
8.	साई-सामाजिक कल्याण एवं ग्रामीण विकास संगठन
9.	स्पीड-जन शिक्षा तथा आर्थिक विकास संस्था
10.	देवेन्द्र काल्वी समिति
11.	श्री रामकृष्ण सोवा निलयम
12.	रूरल एजुकेशन अवेयरनेस एंड डेवलपमेंट सोसाइटी
13.	ट्रस्ट एन.जी.ओ.
14.	क्रिस्टी हेब्रिबा मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट
15.	न्यू वुड

1	2
16.	श्री मीनाक्षी वोलन्ट्री सर्विस
17.	महिला और बाल विकास संस्था
18.	महात्मा गांधी सेवा मौरम
19.	विक्टरी ट्रस्ट
20.	टी.एस.एम.-ट्रस्ट
21.	समर्पण ट्रस्ट
22.	कलायगमल काल्वी संगम
23.	श्री मनोनमनी रूरल डेवलपमेन्ट सोसाइटी
24.	ओसाना चैरिटेबल ट्रस्ट
25.	श्री गंगा सेवा संगम
26.	सबारी एजुकेशनल सोसाइटी
27.	शैडो ट्रस्ट
28.	अन्नई टेरेसा महानीर मनराम
29.	रूरल वीमेन्स एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी
30.	दीपम
31.	वीमेन एजुकेशन फार डेवलपमेन्ट सोसाइटी
32.	औरीड्स ट्रस्ट
33.	एम. मूक्कम्मल सार्ड
जिला: तिरूवालुर	
1.	सोसल एसोसिएशन फार विलेज इम्प्रेसमेन्ट
2.	कम्युनिटी रूरल आपरेशन सर्विसेज सोसाईटी
3.	विजडम एजुकेशनल इन्सीटीट्यूशन
4.	जीवा जोति
5.	न्यूलाईफ सोशल वेलफेयर सेन्टर
6.	केयर्स कम्यूनिटी एग्रीकल्चर एण्ड रूरल एजूकेशन सोसायटी
7.	पायोनयर ट्रेड
8.	मैक्लेवी इंस्टीट्यूट आफ डेवलपमेंट सर्विसेज
9.	इंटीग्रेटेड रूरल कम्यूनिटी डेवलपमेंट सोसायटी

1	2
10.	कनियप्पा मेमोरियल एजूकेशन ट्रस्ट
जिला: तिरूवनमलाई	
1.	पोइन्धर कम्प्यूटर सिस्टम्स
2.	सरस्वती शनमुगम पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट
3.	सोशल सोसाइटी फार रूरल डेवलपमेंट
4.	एस डब्ल्यू डी-सोसायटी फार वीमेन डेवलपमेंट
5.	सीड्स-श्री राम एजूकेशन एंड रूरल डेवलमेंट सोसायटी
6.	श्री अन्नामलैयार एजूकेशनल सोसायटी
7.	ओर-ग्रामीण शिक्षा संगठन
8.	रूरल पीपुल एजूकेशनल डेवलपमेंट ट्रस्ट
9.	रूरल सोशल वेलफेयर सोसायटी
10.	गांधी कस्तुरी बाई ग्राम विकास संस्था
11.	नीड्स-राष्ट्रीय आर्थिक तथा शिक्षा विकास संस्था
12.	वीमेन्स एक्शन टीम फार कम्यूनिटी हेल्थ
13.	बी पी जी एल एस-विलेज पीपुल्स गुड लाईफ सोसाइटी
14.	लार्ड-अग्रणी ग्रामीण विकास संगठन
15.	वेडस-ग्रामीण शिक्षा एवं विकास समिति
16.	ग्रामीण साक्षरता विकास संस्था
17.	डान बास्को ट्राईबल डेवलपमेंट सोसाइटी
18.	दिव्य एजूकेशनल ट्रस्ट एण्ड ड्रीम रूरल एजूकेशन एनवायरोन्मेन्टल डेवलपमेंट सोसाइटी
19.	रीड्स-ग्रामीण शिक्षा एवं विकास संस्था
20.	एसोसिएशन आफ रूरल वीमेन वेलफेयर सोसाइटी
21.	पैरामेडिकल एजूकेशनल ट्रस्ट
22.	गांधीजी सोशल एंड मेडिकल सर्विस सेन्टर
23.	समेकित ग्रामीण विकास संस्था
24.	सी एफ आर डी-ग्रामीण विकास केन्द्र
25.	सी आई डी ए-सामुदायिक समेकित विकास संस्था

1	2
26.	डी सी आर एस-डिप्रेस्ड कम्यूनिटी रिहैबिलिटेशन सोसाइटी
27.	पोवर्टी एलिवियेटरी फ्रेंटरनिटी
28.	दाने-डेवलपमेंट एसोसिएशन फार नीडी एलिवेशन
29.	मल्टी पर्पस कम्यूनिटी डेवलपमेंट सोसाइटी
30.	मानव संसाधन विकास संगठन
31.	एड्स श्री अरुणशाला डिलीवर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी
32.	अरुणचला विलेज स्कूल ट्रस्ट
33.	सिनम सद्योन्डाई इलांगर नरपानी मनरम
34.	एम पी एम डी-मूवमेंट फार पीपुल मल्टीपर्पस डेवलपमेंट
35.	पोप: पीपुल्स आर्गेनाइजेशन फार प्लानिंग एंड एजुकेशन
36.	आर डी डब्ल्यू ए-रूरल डिप्रेस्ड वेलफेयर एसोसिएशन
37.	कोडिएक कम्यूनिटी डेवलपमेंट मेडिकल एंड एजुकेशन ट्रस्ट
38.	सी एम ई टी-क्रिश्चियन मेडिकल एंड एजुकेशन ट्रस्ट
39.	मावा मास वेलफेयर एसोसिएशन
40.	स्कोप, सोशल सेन्टर आफ पीपुल्स एजुकेशन ट्रस्ट
41.	शिव सोशल इन्प्रूवमेंट वोलंट्री एसोसिएशन
42.	होम हेवेन आन मर्सीफुल अर्थ
43.	सोसाइटी फार वीमेन्स एजूकेशन एंड डेवलपमेंट
44.	अयप्पन नगर मगलीर मुन्नेत्र संगम
45.	ट्रस्ट फार रूरल अपलिफ्टमेंट एण्ड सोशल थर्सटी
46.	अरिवोली ट्रस्ट
47.	अम्मायीज एजूकेशनल ट्रस्ट
जिला: तिरूवायुर	
1.	शेल्लियाज यूनिट फार हेल्थ एण्ड सोशल अफेयर्स
2.	वेलंकान्नी सोसाइटी फार रूरल कन्स्ट्रक्शन एण्ड टेक्नीकल एजूकेशन
3.	भारत माता फेमिली वेलफेयर फाउण्डेशन

1	2
जिला: वेल्लोर	
1.	सेन्टर फार अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट
2.	उद्यमशीलता विकास केन्द्र
3.	एसोसिएशन फार वीमेन अवेयरेनस एण्ड रूरल डेवलपमेंट
4.	एसोसिएशन फार पीपुल्स डेवल्पमेंट सोसाइटीज
5.	सोसाइटी फार रूरल एजूकेशन एण्ड डेवलपमेंट
6.	ग्रामपुरा तोजीलालरगल मेम्बट्टू संगम
7.	मदर टेरेसा शैक्षिक और समाज कल्याण ट्रस्ट
8.	ग्राम इलाई सिरूवर मनरम, तिक्कतूर नालसंगम
9.	शान्ति ट्रस्ट
10.	पुअर अपलिफ्ट इन सोशल हैल्थ एजुकेशन सोसायटी
11.	प्राकृतिक पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान सोसायटी
12.	ग्रामीण शिक्षा और समुदाय स्वास्थ्य
13.	समाजार्थिक विकास स्थापना
14.	महिला एवं बाल कल्याण केन्द्र
15.	जन शिक्षा और ग्रामीण विकास सोसायटी
16.	ग्रामीण शिक्षा एवं रोजगार हेतु स्वयं सहायता एसोसिएशन
17.	विश्वव्यापी छात्र भागीदारी-भारत-परियोजना ट्रस्ट
18.	ग्रामीण विकास महिला संगठन
19.	टी.एन. विज्ञान मंच
20.	ग्रामीण शिक्षा और स्वच्छ स्वास्थ्य ट्रस्ट
21.	विज्ञान शिक्षा संसाधन केन्द्र
22.	आर.आर.के.ई.एफ. ट्रस्ट
23.	सी.एस. शैक्षिक ट्रस्ट
24.	संपत्ति सामाजिक सेवा संगठन
जिला: विल्लुपुरम	
1.	बुलक कार्ट वर्कर्स डेवलपमेंट एसोसिएशन
2.	पीपल्स आर्गनाइजेशन फार वैलफेयर एजूकेशन इन रूरल

1	2
3.	ग्रामीण समुदाय ट्रस्ट
4.	अन्नाई टेरेसा समुगा सेवाई संगम
5.	शान्ति नीलायम
6.	साऊथ आर्कोट मल्टी-परपस सोशल सर्विस सोसायटी
7.	वेला सामाजिक कार्य और विकास संस्था
8.	पीपल्स मल्टी-परपस डेवलपमेंट सोसायटी
9.	गांधीजी सामाजिक और चिकित्सा सेवा केन्द्र
10.	अमीना महिला शिक्षा ट्रस्ट
11.	वर्ल्ड विजन आफ इंडिया (कलरायम हिल्स)
12.	वर्ल्ड विजन आफ इंडिया (पूर्वी शनमुगापुरम)
13.	बीज ट्रस्ट
14.	सी.आर.एच.एस.ई.
15.	एम. मदर
जिला: विरूधूनगर	
1.	नेहरूजी सेवा केन्द्र
2.	प्रोमोशन आफ ग्रास रूट एजूकेशन सर्विस सोसायटी
3.	ग्रामीण एकीकृत विकास संगठन
4.	ब्लासम ट्रस्ट
5.	दीपम ट्रस्ट
6.	विकास कार्य और रख-रखाव संगठन
7.	तमिलनाडु ग्रामीण पर्यावरण इको-विकास संगठन
8.	वुमन आर्गेनाइजेशन फार मास एक्शन
9.	राजीव गांधी मेमोरियल ट्रस्ट
10.	अमरार राजीव गांधी ग्रामीण महिला और बाल विकास सोसायटी
11.	ग्रामीण पुनर्निर्माण सोसायटी
12.	मीनाक्षी इलम पोथुनला कल्वी संगम

1	2
13.	सामाजिक सुरक्षा विकास संघ
14.	समुदाय विकास संगठन
15.	शहरी एवं ग्रामीण सामाजिक शिक्षा संस्थान
16.	सामाजिक जागरूकता और ग्रामीण विकास मिशन
17.	जीवाक्कल समाज कल्याण युवा सोसायटी
18.	श्री विवेकानन्द सेवा संगम
19.	राजीव गांधी ग्रामीण महिला और बाल विकास स्कीम
20.	अमुथम शैक्षिक धर्मार्थ एवं न्यास
21.	भागेदारी अनुसंधान एवं समेकित प्रशिक्षण सोसायटी (स्पिरिट)
22.	सामाजिक शिक्षा आर्थिक विकास सोसायटी (सीडस)
23.	वीरूत्यम मगलीर मुनेत्र कलंजियम (वी.एम.एक.के.)
जिला: मदुरई	
1.	तीरूमंगलम ग्रामीण जनता जागरूकता संघ
2.	जे.वी.पी. तकनीकी शिक्षा न्यास
3.	तमिलनाडु मानव कल्याण सेवा सोसायटी
4.	महिला सामाजिक जागरूकता एवं विकास संगठन (सेडो)
5.	मानव पुनर्प्रतिष्ठा मार्गदर्शन एवं सहायता विकास
6.	शैक्षिक संचार एवं विकास न्यास (एजुकेटर)
7.	सेवा भूमि
8.	गुलमंगलम स्वर्ण जयंती सेवा संगम
9.	प्रशिक्षण एवं शिक्षा हेतु स्वैच्छिक संगठन (वोट)
10.	मांगेयरकरासी शैक्षिक न्यास
11.	अन्नाई कस्तूरीबाई काल्वी अवीविरूति मलयम
12.	अन्नाई कस्तूरीबाई महालीर मुनेत्र संगम
13.	समेकित ग्रामीण जनता विकास सोसायटी (आई.आर.डी.एस.)
14.	पाछे न्यास

1	2
15.	संतनम प्रतिष्ठान
16.	तकनीकी शिक्षा जागरूकता एवं संचलन (टीम)
17.	सेक्रेड (ग्रामीण अधिकारिता एवं विकास हेतु सामाजिक चलचित्र केन्द्र)
18.	सोरस
19.	तमिलनाडु ग्रामीण पर्यावरण आर्थिक विकास संगठन (ट्री)
20.	क्रेसा (ग्रामीण सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक अधिकारिता अकादमी केन्द्र)
21.	पावर प्रोजेक्ट
22.	विकास न्यास एवं शांति न्यास (डी.जे.पी.टी.)
23.	मदुरई अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र (एम.एन.ई.सी.)
24.	मल्लीगई सामाजिक सोसायटी
25.	मीनाक्षी ईलम पोथुनला काल्वी संगम
26.	भारती बाल शिक्षा अभियान
27.	ओथक्कडई ग्रामीण स्वास्थ्य सामाजिक कल्याण सोसायटी
जिला: तिरूचिरापल्ली	
1.	सिवाई
2.	वीनमथी शैक्षिक एवं ग्रामीण विकास सोसायटी
3.	मानव उत्थान सामाजिक कार्यकलाप
4.	ग्राम सेवा संगम
जिला: थेनी	
1.	विकास एवं संचार न्यास केन्द्र (सेन्डेक्ट)
2.	शिक्षित कल्याण संस्था (ला)
3.	कार्य एवं स्वतंत्रता न्यास हेतु शिक्षा का समेकित विकास (आईडियल)
जिला: नागपट्टीनम	
1.	अव्वाई ग्राम कल्याण सोसायटी
2.	वेरम तेलेसिस शिक्षा केन्द्र
3.	गांधी शांति स्थापना केन्द्र
4.	ग्रामीण विकास सोसायटी
जिला: कुद्दालोर	
1.	ग्रामीण शिक्षा एवं आर्थिक विकास केन्द्र
जिला: थूथुकुड़ी	
1.	ग्रामीण विकास हेतु कृषि, जल और कार्य
2.	अरीवोली वलारकालवी अयक्कम
3.	चितरंजन दास महिला संगठन
4.	शिरले एज्यूकेशनल सोसायटी
5.	इम्पावर
6.	केवैलियर जे.एल.पी. रोक विक्टोरिया मेमोरियल ट्रस्ट सोसायटी
7.	समुदाय निकाय हेतु एजिल संगम
8.	ग्रामीण विकास हेतु महिला जागरूकता और कार्य
आई.ई.डी. हेतु गैर-सरकारी संगठन	
1.	विद्या सागर
2.	श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय
3.	एकीकृत शिक्षा संवर्द्धन परिषद, विकलांगों हेतु सेवा केन्द्र
4.	ग्राम तथा विकलांग पुनर्वास संघ
5.	विद्या प्रकाशम्
6.	बधिर हेतु ऑरल स्कूल
7.	सेंट लुइस बधिर तथा दृष्टिहीन संबंधी संस्थान
8.	सदाना बधिर तथा मानसिक विकलांग संबंधी स्कूल
9.	अनबशम, थिरूवटूथुराई अधीनम् गार्डेनस
10.	सर्विस

1	2
11.	श्री गोवाथाम्बचूर ट्रस्ट
12.	इकोमवैल आर्थोमेडिक केन्द्र
13.	यू.डी.ए.वी.आई.
14.	जी.वी. विकलांग संबंधी स्कूल
15.	बाला ग्नाना इलम
16.	चेरम रीजन क्रिश्चयन सोसायटी फार डिस्बलड
17.	कीलवीटिवक्कम ग्राम संगम
18.	बारीवालया मानसिक विकलांग संबंधी स्कूल
19.	लियोनाई बधिर स्कूल
20.	पीपुल्स मूवमेंट फार राइट्स एप्रोच
21.	नेहरू सामाजिक शिक्षा केन्द्र
22.	राष्ट्रीय बधिर एवं मानसिक विकलांग संबंधी स्कूल
23.	विजय मानव सेवा
24.	महिला एवं बाल कल्याण केन्द्र
25.	सेंट अन्नै करूनालया विकलांग पुर्नवास केन्द्र
26.	सुदार, मानसिक विकलांग संबंधी स्कूल
27.	एकीकृत शिक्षा संवर्द्धन परिषद, विकलांग सेवा केन्द्र
28.	कच, होप पार्क
29.	सदाना बधिर तथा मानसिक विकलांग संबंधी स्कूल
30.	जिला विकलांग संबंधी सोसायटी, (जिलाधीश द्वारा गठित)
31.	भारत माता परिवार कल्याण फाउंडेशन
32.	द स्पास्टिक सोसायटी आफ तमिलनाडु
33.	अकर सेवा संगम
34.	नवजीवन ट्रस्ट
35.	विक्ट्री ट्रस्ट
36.	पल्लवा एकीकृत शिक्षा परिषद सी.एस.आई., केन्द्रीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल
37.	टू
38.	"नेसम"
39.	क्लार्क बधिर एवं मानसिक विकलांग संबंधी स्कूल
40.	उपहार मदुरई, बहु-पुनर्वास केन्द्र
41.	वी. एक्सल एज्यूकेशन ट्रस्ट

[हिन्दी]

चीन की तुलना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

111. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन, हांगकांग, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया और पूर्वी एशियाई देशों के पास भारत की तुलना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह और निर्यात दर अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार उच्च साक्षरता दर और स्तरीय शिक्षा के माध्यम से वाणिज्यिक और औद्योगिक कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बी.आई.एफ.आर. पुनर्गठन प्रक्रिया में कोई भमिका निभाता है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या औद्योगिक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से उपचारात्मक उपाय करने हेतु अन्य मंत्रालयों और विभागों के साथ कोई कार्य योजना चल रही है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) की विश्व निवेश रिपोर्ट 2004 के अनुसार, भारत की तुलना में चीन, हांगकांग, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया का एफ.डी.आई. अंतर्वाह तथा बाह्य-प्रवाह निम्न प्रकार है:

देश	2001		2002		2003	
	अंतर्वाह	बाह्यप्रवाह	अंतर्वाह	बाह्यप्रवाह	अंतर्वाह	बाह्यप्रवाह
चीन	46878	6884	52743	2518	53505	1800
हांगकांग	23775	11345	9682	17463	13561	3769
कोरिया गणराज्य	3683	2420	2941	2617	3752	3429
मलेशिया	554	267	3203	1904	2474	1370
सिंगापुर	15038	17063	5730	3699	11409	5536
इंडोनेशिया	-2977	125	145	116	-597	130
भारत	3403	1397	3449	1107	4269	913

(ग) से (ङ) उदारीकृत आर्थिक वातावरण के तहत, निवेश संबंधी निर्णय उद्यमियों द्वारा उनके वाणिज्यिक आंकलन तथा अन्य बातों के आधार पर लिए जाते हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति सहित सरकार के नीतिगत उपायों का उद्देश्य ऐसे सहायक वातावरण का सृजन करना है जिसमें आधुनिकीकरण व प्रौद्योगिकीय उन्नयन, उत्पादकता और दक्षता का संवर्धन हो और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता हो। ये भारतीय उद्योग को प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए, वैश्वीय प्रबंधकीय कौशलताओं तथा प्रथाओं का अनुभव प्राप्त करने, मानव तथा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इष्टतम करने और अधिक दक्षता के साथ अन्तर-राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धा करने के अवसर प्रदान करते हैं।

तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के उपायों ने उच्च-गुणवत्ता की जनशक्ति की उपलब्धता बढ़ाने तथा तकनीकी संस्थाओं व उद्योग के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

औद्योगिक रुग्णता के मुद्दे को कारगर रूप से नियंत्रित करने, औद्योगिक उपक्रमों की स्वामित्व वाली रुग्ण तथा संभावित रूप से रुग्ण कंपनियों की समय पर पहचान करने, इस प्रकार की कंपनियों के संबंध में किए जाने वाले निवारक, सुधारात्मक, उपचारात्मक तथा अन्य उपायों का त्वरित निर्धारण करने तथा इस प्रकार निर्धारित उपायों को तत्परता से कार्यान्वित करने के उद्देश्य से औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) की स्थापना की गई है।

सरकार ने वैश्वीय प्रतिस्पर्धात्मकता की दक्षता वाले विनिर्माणकारी क्षेत्रों, इस प्रकार के क्षेत्रों की समस्याओं तथा बाधाओं का पता लगाने और विनिर्माणकारी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट संबंधी कार्यनीतियां तैयार करने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माणकारी प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद (एनएमसीसी) की स्थापना की है।

[अनुवाद]

म्यांमार में उल्फा प्रशिक्षण शिविर

112. **श्री के.एस. राव:**
श्री मधु गौड़ यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उल्फा विद्रोही एन एस सी एन से प्रशिक्षण ले रहे हैं जैसा कि 14 फरवरी, 2005 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में खबर छपी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह बात सुरक्षा एजेंसियों के ध्यान में आयी है कि उल्फा उग्रवादी संगठन, नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल आफ नागालैण्ड के खपलांग गुट के लिए रंगरूटों को म्यांमार में लेनांग स्थित अपने शिविर में प्रशिक्षण दे रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) सरकार को इस आशय की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि युनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा) ने म्यांमार नागा हिल्स में शिविर स्थापित कर लिए है और नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल आफ नागालैण्ड (खपलांग) से संबंध स्थापित किए है।

(घ) सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह को रोकने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ राज्य में अर्द्ध-सैनिक बलों और सेना की तैनाती करना, विद्रोह-विरोधी अभियानों के लिए सेना, अर्द्ध-सैनिक बलों और राज्य पुलिस द्वारा समन्वित कार्रवाई करना, विधि-विरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 के तहत विद्रोही ग्रुपों को गैर-कानूनी संगठन घोषित करना, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम 1958 के तहत 'अशांत क्षेत्र' घोषित करना, राज्य सरकार को सुरक्षा से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति करना और राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण/उन्नयन करना शामिल हैं। राज्य और केन्द्रीय सरकार, दोनों स्तरों पर, स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा भी की जा रही है।

पांडिचेरी में जनजातीय समुदायों को मान्यता

113. **प्रो. एम. रामदास:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में पांडिचेरी में जनजातियों की जनसंख्या कितनी है;

(ख) क्या इन समुदायों को जनजातीय समुदाय घोषित नहीं किया गया है;

(ग) क्या पांडिचेरी सरकार ने इस संघ राज्य क्षेत्र में कुछ समुदायों को जनजातीय समुदाय के रूप में मान्यता देने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इन समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार पांडिचेरी में जनजातीय आबादी नहीं है।

(ख) से (च) पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र ने अपने क्षेत्र के कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने हेतु एक प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव पर अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई कर दी गई हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार निवारण तंत्र

114. **श्री सुनिल कुमार महतो:**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित भ्रष्टाचार निवारण तंत्र के कार्यकरण की समीक्षा करवायी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं तथा उक्त परिणाम के आलोक में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की भ्रष्टाचार निरोधक प्रणाली सहित उसकी कार्य प्रणाली की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है। अपने कार्यबल को प्रशिक्षित करने, कंप्यूटरीकरण शुरू करने और ज्यादा पारदर्शिता लाने के साथ-साथ प्रत्येक स्तर पर पूरी सतर्कता बरतने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनेक दीर्घावधि उपाय शुरू किए गए हैं।

[अनुवाद]

अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में सुनामी आपदा

115. **श्री प्रबोध पांडा:**
श्री हरिभाई राठौड़:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री बसुदेव आचार्य:
श्री मोहन सिंह:
श्री राजनरायण बुधौलिया:
श्री वाई.जी. महाजन:
श्री जुएल ओराम:
श्री अजय चक्रवर्ती:
डा. बाबू राव मिडियम:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के जनजातीय समुदाय सुनामी आपदा से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन जनजातियों के जान-माल की हुई हानियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन द्वीपसमूहों के इन जनजातियों के जीवन की रक्षा करने और उनका पुनर्वास करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इस द्वीप समूह में सुनामी के पहले और बाद में रह रही जनजातीय समुदायों/आदिम जनजातीय समूहों के नाम और उनकी जनसंख्या कितनी है;

(ङ) क्या कुछ जनजातीय समुदायों ने इस द्वीपसमूह में सुनामी लहरों के पश्चात् सरकार की पुनर्वास योजना को अस्वीकार कर दिया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस पर क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन

116. **श्री रामजीलाल सुमन:**
श्री मधु गौड यास्खी:
डा. चिन्ता मोहन:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री के.एस. राव:
श्री पी.के. वासुदेवन नायर:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के साथ सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की जनवरी 2005 में बंगलौर में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है और क्या निर्णय लिए गए हैं;

(ग) विशेषकर देश में चल रहे विदेशी विश्वविद्यालयों के कार्यकरण के संबंध में क्या अंतिम निर्णय, यदि कोई हों, लिए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने उनके द्वारा दी जा रही शिक्षा को विनियमित करने व उनकी जिम्मेवारी सुनिश्चित करने हेतु कोई व्यापक दिशानिर्देश तय किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फात्तमी): (क) से (ङ) राज्यों के उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन 10 से 11 जनवरी 2005 को बंगलौर में आयोजित किया गया जिसमें मुख्यत: निम्नलिखित विषयों पर विचार किया गया (1) स्ववित्तपोषित निजी संस्थाओं के माध्यम से व्यवसायोन्मुख शिक्षा के लिए दाखिला तथा ट्यूशन फीस का निर्धारण (2) निजी विश्वविद्यालयों का विनियमन (3) भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों का प्रवेश। दाखिले तथा फीस के विनियमन के लिए केंद्रीय विधान बनाने के संबंध में सभी राज्यों में आम सहमति थी। तथापि प्रस्तावित विधान की अंतर्वस्तु पर तथा निजी विश्वविद्यालयों के विनियमन संबंधी मामले पर सर्वसम्मति के लिए व्यापक चर्चा अपेक्षित है। विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश संबंधी मामले के लिए सरकार ने विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है जो निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करेगी:-

(क) विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रवेश तथा उनके प्रचालन की जरूरत, संगतता, निबंधन और कार्य-क्षेत्र की जांच करना जिसमें भारतीय विश्वविद्यालयों तथा विदेशी विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग के विकल्प भी शामिल हैं; और

(ख) विदेशी विश्वविद्यालयों को यदि भारत में कार्य करने की अनुमति दी जाती है तो शिक्षा तक पहुंच तथा गुणवत्ता संबंधी समुचित तंत्र सुझाना।

[अनुवाद]

व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान

117. **श्रीमती सुमित्रा महाजन:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रहे 10+2 व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार 10+2 व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनरूप उन्नयन के लिए योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे कदम कब तक उठाए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) माध्यमिक शिक्षा को 10+2 स्तर पर व्यावसायोन्मुख बनाने की वर्तमान स्कीम को संशोधित व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण स्कीम बनाने के लिए संशोधित किया जा रहा है। इस स्कीम को संशोधित करते समय विभिन्न समीक्षा समितियों/ अध्ययन समूहों की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा।

विवरण

+2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन करने वाले स्कूलों की राज्य-वार संख्या

(1.04.04 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	व्यावसायिक स्कूलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	668
2.	अरुणाचल प्रदेश	4
3.	असम	225
4.	बिहार	251
5.	छत्तीसगढ़	*
6.	गोवा	43
7.	गुजरात	364
8.	हरियाणा	170
9.	हिमाचल प्रदेश	40
10.	जम्मू कश्मीर	270
11.	झारखण्ड	*
12.	कर्नाटक	564
13.	केरल	363
14.	मध्य प्रदेश	465
15.	महाराष्ट्र	1141
16.	मणिपुर	19
17.	मेघालय	10
18.	मिजोरम	17
19.	नागालैण्ड	8
20.	उड़ीसा	281
21.	पंजाब	382
22.	राजस्थान	155
23.	सिक्किम	7
24.	तमिलनाडु	700
25.	त्रिपुरा	12
26.	उत्तर प्रदेश	1010
27.	उत्तरांचल	*
28.	पश्चिम बंगाल	39
	संघ राज्य क्षेत्र	
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3
30.	चंडीगढ़	17
31.	दादर और नगर हवेली	2
32.	दमन और दीव	2
33.	दिल्ली	38
34.	लक्षद्वीप	शून्य
35.	पांडिचेरी	12
	कुल	7282

*सूचना उपलब्ध नहीं

[हिन्दी]

नक्सलवाद

118. **श्री कैलाश मेघवाल:**
श्री हंसराज जी. अहीर:
श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:
श्रीमती अनुराधा चौधरी:
श्री रामस्वरूप कोली:
श्री मो. ताहिर:
श्री मुन्शी राम:
श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री जुएल ओराम:
श्री तापिर गाव:
श्री ब्रजेश पाठक:
श्री जी.वी. हर्ष कुमार:
श्री जय प्रकाश:
श्री के.एस. राव:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नक्सलवादियों ने ऐसे संगठनों से संपर्क स्थापित कर लिया है जो आतंकवादी, अलगाववादी और असामाजिक क्रियाकलापों में संलग्न हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और उसके पश्चात् नक्सलवादी घटनाओं और नागरिकों व सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने और नुकसान पहुंचायी गयी सम्पत्ति का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) हाल ही में नक्सल प्रभावित राज्यों की रायपुर में हुई बैठक में चर्चा किए गए मुद्दों और लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कुछ नक्सलवादी संगठनों के साथ बातचीत करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने देश में शांति स्थापित करने हेतु नक्सल व आतंकवाद प्रभावित राज्यों को सहायता देने हेतु खर्च उठाया है; और

(ज) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और उसके पश्चात् हुए खर्च का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) नक्सलवादियों के कुछेक अतिवादी ग्रुपों के साथ संबंधों के बारे में कुछ रिपोर्टें सरकार के ध्यान में आई हैं।

(ग) गत तीन वर्षों में सूचित नक्सलवादी घटनाओं, हताहत हुए सिविलियनों और सुरक्षा बल कर्मियों तथा नष्ट हुई संपत्ति के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

राज्य	2002				2003				2004			
	नक्सलवादी घटनाएं	मारे गए सिविलियन	मारे गए सुरक्षा बल कर्मी	नष्ट हुई संपत्ति	नक्सलवादी घटनाएं	मारे गए सिविलियन	मारे गए सुरक्षा बल कर्मी	नष्ट हुई संपत्ति	नक्सलवादी घटनाएं	मारे गए सिविलियन	मारे गए सुरक्षा बल कर्मी	नष्ट हुई संपत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	346	84	12	17,17,28,466	577	128	12	9,32,77,120	310	68	6	2,29,92,800
झारखंड	353	94	63	6,35,15,000	342	101	16	41,61,000	376	127	41	89,20,000
छत्तीसगढ़	304	46	9	3,07,91,669	256	44	30	71,19,760	352	75	8	1,15,84,550
बिहार	239	111	6	1,21,75,000	250	102	26	1,75,87,000	323	166	5	74,05,000
महाराष्ट्र	83	26	3	78,10,000	75	23	8	1,06,98,417	94	9	6	33,92,575
उड़ीसा	68	4	7	58,14,599	49	3	12	69,55,000	35	4	4	2,00,000
उत्तर प्रदेश	20	6	-	4,00,000	13	8	-	-	15	9	17	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मध्य प्रदेश	17	3	-	46,000	13	1	-	56,00,000	13	4	-	1,83,500
प. बंगाल	17	7	-	-	6	-	1	-	11	2	13	1,00,00,000
केरल	11	-	-	1,28,500	12	-	-	-	5	-	-	-
कर्नाटक	-	-	-	-	4	-	-	-	6	1	-	40,000
तमिलनाडु	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	1465	382	100	29,24,09,097	1597	410	105	14,53,98,297	1530	465	100	6,47,18,427

(घ) 10.1.2005 को नक्सलवाद के संबंध में कार्य बल पर रायपुर में आयोजित द्वितीय बैठक के दौरान, 9 नक्सल प्रभावित राज्यों में नक्सलवाद की स्थिति की समीक्षा की गई और नक्सलवाद के खतरे से निपटने के लिए उपयुक्त रणनीति बनाई गई।

इस बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में नक्सली खतरे को निष्प्रभावी करने हेतु राज्य द्वारा कार्रवाई योजनाएं तैयार करना, राज्य की सीमाओं के परे नक्सलवाद-विरोधी अभियान चलाना इत्यादि शामिल हैं।

(ङ) और (च) केन्द्र सरकार ने नक्सलवाद की समस्या से निपटने हेतु एक बहु-आयामी रणनीति अपनाई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, प्रभावित राज्यों द्वारा, जहां कहीं व्यवहार्य हो, उन नक्सलवादी ग्रुपों के साथ शांति वार्ता करना शामिल है जो हिंसा से दूर रहने के इच्छुक हैं।

(छ) और (ज) नक्सलवाद से बुरी तरह से प्रभावित 9 राज्यों को प्रभावकारी नक्सलवाद विरोधी कार्रवाई करने में समर्थ बनाने हेतु गृह मंत्रालय सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) योजना संचालित करता रहा है। गत तीन वर्षों के दौरान नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों को की गई व्यय की प्रतिपूर्ति निम्न प्रकार है:

(रु. लाखों में)

राज्य	2002-2003	2003-2004	2004-2005
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	217.35	221.00	282.00
बिहार	180.00	43.68	60.41
मध्य प्रदेश	82.37	139.82	23.52
महाराष्ट्र	-	81.42	125.55
उड़ीसा	168.00	86.85	65.77
छत्तीसगढ़	223.49	160.87	200.00
झारखंड	54.00	98.07	341.27
उत्तर प्रदेश	29.17	-	-
पश्चिम बंगाल	-	-	-
कुल	954.38	831.71	1098.52

[अनुवाद]

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

119. श्री रघुनाथ झा:
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में अतिक्रमण के अंतर्गत सरकारी भूमि का कितना क्षेत्र है;

(ख) एल एण्ड डी ओ, डी.डी.ए., दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित अलग-अलग कितना भू-क्षेत्र अतिक्रमण के अंतर्गत है;

(ग) ऐसी पूरी भूमि का कुल बाजार मूल्य क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) दिल्ली में विभिन्न विभागों/स्थानीय निकायों की अतिक्रमणाधीन सरकारी भूमि के बताए गए ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

भूमि तथा विकास कार्यलय: करीब 24.64 एकड़

दिल्ली विकास प्राधिकरण: प्राधिकरण से स्वामित्वाधीन अथवा उसे स्थानांतरित करीब 1947 एकड़ भूमि

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद: करीब 13,550 वर्ग मीटर

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार): करीब 24,034 हैक्टेयर

दिल्ली जल बोर्ड (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार): करीब 21 एकड़

भूमि की कीमत उसके स्थान, निर्धारित भू-उपयोग तथा स्थल स्थिति पर निर्भर करेगी और इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(घ) सरकार समय-समय पर भू-स्वामी एजेंसियों को कहती रही है कि वे अपनी भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए कड़े उपाय करें। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि की संरक्षा के लिए उसने खाली भूमियों की वीडियोग्राफी आरंभ की है और नियमित व आवधिक रूप से प्रत्यक्ष निरीक्षण की प्रणाली आरंभ की गई है।

लीबिया को चाय निर्यात

120. श्री सर्वानन्द सोनोवाल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लीबिया ने भारतीय चाय के निर्यात हेतु अपने द्वार खोल दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो लीबिया द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जाने से पूर्व भारत से हुए कुल चाय के निर्यात का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस वर्ष लीबिया को कितनी चाय का निर्यात किये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान लीबिया को निर्यातित चाय की गुणवत्ता पर उत्पन्न हुए विवाद को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 तक के दौरान भारत से लीबिया को चाय का कोई निर्यात नहीं किया गया था। वर्ष 2001-2002 से पूर्व लीबिया को किए गए चाय के निर्यातों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	मात्रा (मिलियन किग्रा.)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1997-98	1.65	5.99
1998-99	6.98	76.54
1999-2000	1.40	9.63
2000-2001	2.23	15.14

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2004-05 के दौरान लीबिया को 3 मिलियन किग्रा. चाय के निर्यात हेतु संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

माध्यमिक शिक्षा के छात्रों हेतु विशेष परीक्षा

121. डा. एम. जगन्नाथ: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इस वर्ष 10वीं तथा 12वीं की केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले उन छात्रों जो हाल की सुनामी आपदा के कारण परीक्षा में नहीं बैठ सके थे, के लिए कोई विशेष परीक्षा संचालित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) जी, नहीं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अंडमान तथा निकोबार द्वीपों के सुनामी-प्रभावित छात्रों के लिए अपनी कक्षा 10वीं तथा 12वीं की परीक्षाओं को पुन: निर्धारित करने का निर्णय लिया है। पुन: निर्धारित परीक्षाएं 17 मई से 6 जून, 2005 के बीच आयोजित की जाएंगी।

[हिन्दी]

चिली के साथ व्यापार

122. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्रीमती अनुराधा चौधरी:
श्री मो. ताहिर:
श्री मुन्शी राम:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने चिली की सरकार के साथ किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में वार्ता सफल रही हैं;

(ग) उक्त देश को अब तक निर्यात की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच आयात और निर्यात में कमी आई है;

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(च) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी हां। 20 जनवरी, 2005 को भारत और चिली ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक कार्य ढांचे करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) इस कार्य ढांचे करार में केवल भारत और चिली के बीच अधिमानी व्यापार करार करने के लिए वार्ताएं शुरू करने हेतु एक ढांचे की व्यवस्था है और इसमें एक संयुक्त अध्ययन दल के लिए भी व्यवस्था की गई है जो दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक करार की साध्यता की जांच करेगा।

(ग) भारत से चिली को निर्यात को जाने वाली कुछ मुख्य मदें चमड़े की वस्तुएं, वस्त्र, परिधान, तैयार वस्त्र, वाहन और इनके हिस्से पुर्जे/सहायक वस्तुएं तथा लोहे और इस्पात की वस्तुएं हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) गत वर्षों की तुलना में भारत से चिली को किये गए निर्यातों में वर्ष 2001-2002 में 23.19% और वर्ष 2002-2003 में 13.65% की गिरावट आयी है। चिली से भारत को हुए आयातों में भी गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2003-2004 में 6.14% की कमी हुई है। इस गिरावट का मुख्य कारण उक्त अवधि के दौरान चिली की अर्थव्यवस्था की धीमी गति होना रहा है।

(च) फोकस एलएसी कार्यक्रम के एक भाग के रूप में निर्यातकों/निर्यात संवर्धन परिषदों/व्यापार मंडलों को चिली में निर्यात संवर्धन कार्यकलाप चलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

दिल्ली में चोरी/डकैती के मामले

123. श्री एस.के. खारवेनथन:
श्री धावरचन्द गेहलोत:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में विशेष रूप से नार्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू संसद सदस्य फ्लैटों तथा अन्य अति विशिष्ट क्षेत्रों में चोरी/डकैती की बार-बार घटनाएं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसी घटनाओं की संख्या क्या है और चोरी हुए सामान का मूल्य क्या है;

(ग) चुराये गये सामान/धन/ज्वैलरी आदि को बरामद करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) दिल्ली में विगत तीन वर्षों के दौरान रिपोर्ट किए गए चोरी और डकैती के मामलों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

चोरी के मामले

वर्ष	दिल्ली में चोरी के मामलों की संख्या	चुराई गई सम्पत्ति का मूल्य (रुपयों में)
2002	16,646	1,21,19,75,193
2003	15,556	87,42,75,980

लूटपाट के मामले

वर्ष	दिल्ली में रिपोर्ट किए गए डकैती के मामलों की संख्या	लूटी गई सम्पत्तियों का मूल्य (रुपयों में)
2002	503	6,73,53,602
2003	444	4,66,58,950
2004	461	4,63,72,766

उक्त चोरी के मामलों में से अति विशिष्ट व्यक्ति क्षेत्रों में चोरी के मामलों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	दिल्ली में चोरी के मामलों की संख्या	चुराई गई सम्पत्ति का मूल्य (रुपयों में)
2002	24	1,41,050
2003	22	3,43,500
2004	26	2,67,900

अति विशिष्ट व्यक्ति क्षेत्रों में डकैती का कोई मामला सामने नहीं आया है।

(ग) चुराई गई/लूटी गई सम्पत्ति को पुन: प्राप्त करने के लिए उठाए कदमों में शामिल है: प्रशिक्षित अधिकारियों वाली अपराध टीम द्वारा अपराध स्थल की जांच करना, श्वान दस्ते; (डाग स्कैवेड) फिंगर प्रिन्ट विशेषज्ञों और विधि विज्ञान विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग; एक ही प्रकार की कार्य प्रणाली के लिए अपराध रिकार्ड कार्यालय से सूचना एकत्र करना; वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मामलों की जांच का बारीकी से पर्यवेक्षण; चुराई गई सम्पत्ति तथा संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में आसूचना एकत्र करना; संबंधित क्षेत्र के दुश्चरित्र वाले व्यक्तियों, बदमाशों और अन्य सक्रिय अपराधियों से पूछताछ; चुराए गए जेवरातों के रेखाचित्रों का सत्यापन करने के लिए स्थानीय जौहरीयों की सहायता लेना, चोरी/लूटपाट के मामलों को हल करने में सूचना और साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी का प्रयोग।

(घ) दिल्ली में अपराध की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं: गश्त बीट प्रणाली में सुधार; अपराध की उच्च दर वाले पुलिस स्टेशनों की पहचान करना तथा ऐसे पुलिस स्टेशनों में अतिरिक्त कार्मिक बल तथा मोटरसाइकिल गश्त का प्रावधान करना; गश्त के समय को अधिकतम कारगर बनाने के लिए इसे युक्ति संगत बनाना; दुसाहसी अपराधियों की गतिविधियों के बारे में आसूचना का विकास करना; पुलिस नियंत्रण कक्ष वाहनों को बहु आयामी बनाना; घरेलू नौकरों के पूर्ववृत्त का सत्यापन करना; तथा आवासीय कल्याण संघों के साथ निकट संपर्क कायम करना।

नार्थ एवेन्यू, साऊथ एवेन्यू तथा अन्य अति विशिष्ट व्यक्ति क्षेत्रों में चोरी/लूटपाट की रोकथाम के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय किए गए हैं:

(1) साऊथ एवेन्यू में पहले से ही तैनात एक उप निरीक्षक, चार हैड कांस्टेबलों तथा 16 कांस्टेबलों के अतिरिक्त गश्त लगाने के लिए क्षेत्र में बाहरी फोर्स का एक सेक्शन तैनात किया गया है;

(2) चलती-फिरती रूकावटों का प्रयोग करके पीछे की गलियों को सुरक्षित बनाया गया है;

(3) क्षेत्र को बेहतर पहुंच नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश और बाहर निकलने के स्थानों को सीमित किया जा रहा है;

(4) क्षेत्र में तैनात पुलिस कार्मिकों को ब्रीफ किया गया है;

(5) नौकरों के घरों तथा गैराजों में प्रत्येक घर में सत्यापन पुन: शुरू कर दिया गया है;

(6) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार को क्षेत्र से अपने श्रमिकों को हटाने के लिए तथा उन्हें सुबह लाने और शाम को वापिस ले जाने के लिए कह दिया गया है; तथा

(7) क्षेत्र में विक्रेताओं और फेरी वालों की आवा-जाही को कम कर दिया गया है।

आई.आई.टी., रूड़की

124. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.आई.टी., रूड़की देश का अकेला ऐसा तकनीकी संस्थान है जहां भूकंप इंजीनियरिंग विभाग है;

(ख) यदि हां, तो क्या आई.आई.टी., रूड़की की एक टीम ने अंडमान द्वीप तथा अन्य प्रभावित इलाकों के पुनर्निर्माण हेतु एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए अंडमान तथा अन्य सुनामी प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अंडमान तथा अन्य प्रभावित क्षेत्रों में संरचनात्मक विनाश के आंकलन के संबंध में टीम द्वारा किये गये मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त मूल्यांकन पर ध्यान दिया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उनका ही संस्थान देश में एकमात्र ऐसा तकनीकी संस्थान है जहां भूकंप इंजीनियरिंग विभाग है।

(ख) 14 से 17 जनवरी, 2005 तक अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिनियुक्त विशेषज्ञ दल में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की (भूकंप इंजीनियरिंग विभाग) के एक दल ने भाग लिया।

(ग) निम्नलिखित पर चर्चा के सिलसिले में यह दल अंडमान और निकोबार प्रशासन के अधिकारियों से मिला: (1) अस्थायी निवास; और (2) अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सूनामी से प्रभावित आबादी के लिए दीर्घकालीन स्थायी आवास। अस्थायी निवास संबंधी आवश्यकता का आकलन किया गया तथा अनुमान लगाया गया कि कुल लगभग 14000 आवास यूनिटों की जरूरत है। निम्नलिखित मुद्दों पर भी निर्णय लिए गए:

(1) गैर-जनजातीय क्षेत्रों के लिए अस्थायी निवास यूनिटों की योजना;

(2) अस्थायी निवास यूनिटों के लिए निर्माण सामग्री;

(3) जनजातीय अस्थायी क्षेत्रों में निवास;

(4) पुनर्वास के प्रयोजनार्थ घरों के पुनर्निर्माण संबंधी दृष्टिकोण;

(5) स्थायी मकानों के लिए विनिर्देश को अंतिम रूप देना;

(6) निर्माण का प्रकार और ब्यौरा;

(7) अन्य सुविधाएं; और

(8) परियोजना कार्यान्वयन।

(घ) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

पाकिस्तान के नागरिकों की गतिविधियां

125. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:**
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्रीमती करूणा शुक्ला:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तानी नागरिक भारतीय नागरिकता प्राप्त करके जम्मू और कश्मीर में भूमि और सम्पत्ति खरीद रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार को ऐसी कितनी शिकायतें मिली है; और

(ग) इन शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर सरकार ने राज्य में पाकिस्तानी राष्ट्रिकों द्वारा भूमि तथा सम्पत्ति खरीदने के दो दृष्टान्त सूचित किए हैं। एक मामले में, एक पाकिस्तानी राष्ट्रिक ने जाली स्थायी निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् जम्मू में जमीन का एक प्लाट खरीदा। उसके विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया तथा खरीद फरोक्त में शामिल नगदी को जब्त कर लिया गया तथा भारतीय नागरिकता हासिल करने के प्रयास को विफल कर दिया गया। दूसरे मामले में एक अन्य पाकिस्तानी राष्ट्रिक ने विघटनकारी गतिविधियां चलाने के लिए जम्मू शहर में एक मकान खरीदा। उसे तथा उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उनके विरुद्ध पोटा के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।

[अनुवाद]

निर्यातकों को मुआवजा देने हेतु योजना

126. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निर्यात पर एक से अधिक शुल्क तय कर देने वाले निर्यातकों को मुआवजा देने के लिए एक योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क और राज्य के करों जैसी केन्द्रीय लाभियों का मुआवजा देने हेतु निर्यातकों के साथ परामर्श करके एक योजना तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना के कब तक तैयार किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) से (घ) जी, हां। निर्यातकों से प्राप्त पूरक सामग्री के आधार पर सरकार राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान

परिषद् (एनसीएईआर) और राजीव गांधी फाउन्डेशन/इकोनोमिक ला प्रैक्टिस के परामर्श से बिना वापिस किए हुए शुल्कों और लेवियों को निष्प्रभावी करने के लिए एक स्कीम तैयार कर रही है। वापिस किये जाने वाले शुल्कों और लेवियों का ब्यौरा शीघ्रातिशीघ्र तैयार किया जा रहा है।

राज्य पुनर्गठन समिति

127. **श्री बी. विनोद कुमार:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का छोटे राज्यों के सृजन की मांगों को देखते हुए एक अन्य "राज्य पुनर्गठन समिति" (एसआरसी) के गठन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक गठित किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ख) अन्तिम निर्णय लिए जाने के पश्चात् ही ब्यौरे दिए जा सकते हैं।

(ग) अन्तर राज्यीय असन्तुलन तथा जन आकांक्षाएं जटिल विषय हैं और इसके लिए परामर्श और आम सहमति आवश्यक है। इस प्रयोजनार्थ कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 का मसौदा

128. **श्री मधु गौड यास्खी:**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 का मसौदा तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) मास्टर प्लान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रस्तावित अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी;

(घ) क्या समाज के विभिन्न वर्गों ने इस दस्तावेज पर अपनी असहमति जताई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या डीडीए ने मसौदे को पूर्ण रूप देने से पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार से परामर्श किया है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या डीडीए को मास्टर प्लान 2021 के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से कोई आपत्तियां/सुझाव मिले हैं;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या अंतिम निर्णय लिया गया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 के मसौदे में आश्रय, व्यापार एवं वाणिज्य, थोक व्यापार, परिवहन, सामाजिक एवं भौतिक अवस्थापना इत्यादि जैसे विभिन्न पहलुओं के संबंध में विस्तृत नीतियां बनायी गयी है। इसमें लक्षित आबादी के अधिकांश को एक या दो कमरे वाले रिहायशी यूनिटों के प्रावधान, मेट्रो कारीडोरों तथा प्रमुख परिवहन नेटवर्कों के पास आबादी के पुनर्वितरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के साथ निकटतर सम्पर्क एवं सहक्रिया पर बल, भूमि जुटाने एवं उसके विकास के साथ-साथ आवास में निजी क्षेत्र की भागीदारी, योजना की आवधिक समीक्षा तथा मानीटरिंग के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने इत्यादि पर भी बल दिया गया है।

(ग) वर्ष 2021 के लिए संभावित अनुमानित आबादी 230 लाख है।

(घ) से (ञ) दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 का मसौदा दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सहित विभिन्न संबंधित एजेंसियों के साथ परामर्श करके तैयार किया गया है। उनकी टिप्पणियों/सुझावों को मसौदे में समुचित रूप से शामिल किया गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण, 1957 में मास्टर प्लान के मसौदे के संबंध में जनता से आपत्तियां/सुझाव मांगने तथा मसौदे को अंतिम रूप देने के पहले उन पर विचार करने का प्रावधान है। तदनुसार, केन्द्र सरकार ने डीडीए को 90 दिनों की अवधि के भीतर जनता से आपत्तियां/सुझाव मांगने के लिए दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 को अधिसूचित करने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश क्षमता में कमी करना

129. **श्री हंसराज जी. अहीर:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग तथा फार्मेसी कालेजों, विशेष रूप से चन्द्रपुर इंजीनियरिंग कालेज में प्रवेश क्षमता को कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त इंजीनियरिंग कालेजों की प्रवेश क्षमता को बहाल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) मोटे तौर पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में स्थित तकनीकी संस्थानों हेतु दाखिला क्षमता में वृद्धि के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। तथापि, वर्ष 2004-05 के दौरान आठ संस्थाओं, जिसमें गवर्नमेंट कालेज आफ इंजीनियरिंग, चंद्रपुर भी शामिल है, को कम दाखिला क्षमता वाली श्रेणी में रखा गया है क्योंकि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानदंडों तथा अपेक्षाओं के अनुसार इनमें भौतिक तथा मानव संसाधनों की कमी थी।

(ग) यदि ये संस्थाएं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानदंडों को पूरा करते हुए अपनी कमियां सुधार लें तो दाखिला क्षमता की बहाली हेतु उन संस्थानों पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

सकल घरेलू उत्पाद में उत्पादन उद्योग का हिस्सा

130. **श्री सुग्रीव सिंह:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सकल घरेलू उत्पाद में उत्पादन उद्योग के हिस्से में काफी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उत्पादन क्षेत्र हेतु कोई दीर्घावधि कार्य योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में डा. वी. कृष्णमूर्ति की अध्यक्षता वाली परिषद द्वारा सरकार के समक्ष रखे गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन मुद्दों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) और (ख) जी नहीं। केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन (सीएसओ) के त्वरित अनुमानों और अग्रिम अनुमानों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में (घटक लागत पर) विनिर्माणकारी क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2003-04 में 17.0 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 17.3 प्रतिशत हो गया है।

(ग) से (ङ) सरकार विनिर्माणकारी क्षेत्र के विकास पर अत्यधिक बल दे रही है। इसी संदर्भ में सरकार ने हाल ही में डा. वी. कृष्णमूर्ति की अध्यक्षता में राष्ट्रीय विनिर्माणकारी प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद की स्थापना की है। परिषद ने उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के साथ कई बार विचार-विमर्श किया है और सरकार के समक्ष सिफारिशें प्रस्तुत करने से पहले यह अन्य लोगों से परस्पर विचार-विमर्श करना जारी रखेगी।

मुंबई का विकास

131. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई का विकास शंघाई की तरह किए जाने की संभावना है जैसा कि 14 फरवरी, 2005 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को कोई योजना भेजी गई थी तथा जिसे हाल ही में संशोधित भी किया गया है;

(घ) यदि हां, तो संशोधित परियोजना की लागत तथा प्रस्तावित परिवर्तन दर्शाते हुए इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है;

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या केन्द्र सरकार से सभी आवश्यक स्वीकृतियां ले ली गई हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सफाई अभियान चलाने से पहले झुग्गियों में रहने वालों तथा अन्य लोगों को उचित सूचना दे दी गई थी;

(झ) यदि हां, तो गिराए गए/गिराए जाने वाली झुग्गियों तथा अन्य मकानों/भवनों की संख्या कितनी है;

(ञ) क्या इस परियोजना में विस्थापित लोगों के पुनर्वास हेतु कोई योजना शामिल है; और

(ट) यदि हां, तो विकास योजना का अनुवीक्षण करने तथा प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ट) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर से अल्पसंख्यक समुदाय का प्रव्रजन

132. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:**
श्री संतोष गंगवार:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों से अर्द्ध सैनिक बलों को हटाने के कारण इन इलाकों से भारी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का प्रव्रजन हुआ हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन कर लिये जाने पर इन्हें आतंकवादियों द्वारा डराया-धमकाया जा रहा है; और

(घ) जम्मू और कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित इलाकों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के किसी पलायन के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है। जम्मू और कश्मीर राज्य से केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों को नहीं हटाया गया है।

(घ) जम्मू और कश्मीर में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यक समुदाय के गांवों/बस्तियों में सुरक्षा बलों की पिकटें तैनात की गई हैं।

(2) इन पिकेटों में पर्याप्त हथियार और संचार सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है और साथ-साथ पाकेट के आस पास के क्षेत्र को आतंकवाद मुक्त करने का कार्य पास की सुरक्षा बल यूनिटों को सौंपा गया है।

(3) जम्मू प्रान्त में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों से बसे दूर दराज के क्षेत्रों में ग्राम रक्षा समितियों (वी डी सी) स्थापित की गई हैं।

(4) भीतरी प्रदेश और इन स्थानों पर अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की आबादी वाले क्षेत्रों में सुरक्षा बल सतत् चौकसी रखते हैं।

[अनुवाद]

योगेश चन्द्र समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना

133. **श्री बसुदेव आचार्य:**
श्री महबूब जाहेदी:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योगेश चन्द्र समिति ने केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जैसा कि 11 जनवरी, 2005 के "इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) समिति ने अपनी रिपोर्ट का पहला भाग प्रस्तुत कर दिया है।

(ख) और (ग) भूमि और विकास कार्यालय द्वारा विभिन्न धार्मिक, सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों, स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों, राजनैतिक दलों आदि को वर्ष 1998-99 से किए गए भूमि आबंटन के 100 मामलों में से 32 मामलों में समिति ने महसूस किया है कि प्रक्रिया और/अथवा मामले के गुण-दोषों पर ध्यान दिए बिना आबंटन किए गए थे। समिति ने 68 मामलों में कोई टिप्पण नहीं की है। समिति ने जिन मामलों में विसामान्यता देखी है, उन मामलों के संबंध में किसी सामान्य कार्रवाई का सुझाव नहीं दिया है। उसने बताया है कि इसके निष्कर्षों के आधार पर व्यक्तिगत आबंटन के गुण-दोषों पर कानूनी राय प्राप्त करने के बाद प्रत्येक मामले में अलग से कार्रवाई की जाए।

(घ) सभी 32 मामलों को, जिनके संबंध में समिति ने कुछ टिप्पणियां की हैं, परामर्श के लिए विधि मंत्रालय को भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

दिल्ली में अवैध निर्माण

134. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष में कितना अवैध निर्माण हो रहा है;

(ग) अवैध निर्माण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार अनुसूचित भवन निर्माण उप नियमों में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कब तक किये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने सूचित किया है कि अनधिकृत निर्माण का पता चलने पर संबंधित प्राधिकरण जिसके अधिकार क्षेत्र में इस प्रकार का निर्माण कार्य किया गया हो द्वारा संबंधित कानून के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। इस कार्रवाई में निर्माण को गिराने के अलावा संबंधित संपत्ति को सील करना और मुकदमा चलाना शामिल है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि वर्ष 2004 में अनधिकृत निर्माण के 1268 मामलों का पता चला था जबकि दिल्ली नगर निगम ने 4362 ऐसे मामलों की सूचना दी है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने सूचित किया है कि किसी बड़े, अनधिकृत निर्माण की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) सरकार ने दिल्ली के लिए भवन उपनियमों की समीक्षा हेतु एक अध्ययन का अनुमोदन किया है जिसे दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जाना है तथा यह अध्ययन शुरू करने के समय से छ: माह के अंदर पूरा किया जाना है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

135. श्री रामदास आठवले: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत अध्यापन/गैर अध्यापन स्टाफ की विश्वविद्यालय-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन विश्वविद्यालयों में कार्यरत अध्यापन/गैर अध्यापन स्टाफ की संख्या आरक्षण नीति के अनुसार है;

(ग) यदि नहीं, तो उन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा उनके कालेजों का ब्यौरा क्या है जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अध्यापन/गैर अध्यापन स्टाफ की संख्या आरक्षण नीति के अनुसार नहीं है;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा इसके कालेजों में अध्यापन/गैर अध्यापन स्टाफ की आरक्षण नीति के अनुसार नियुक्ति करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2004 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे शिक्षकों तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी है, द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसने 5-6 अक्तूबर, 2004 को आयोजित अ.जा./अ.ज.जा. संबंधी स्थायी समिति की बैठक में यह सूचित किया है कि अ.जा./अ.ज.जा. हेतु आरक्षण नीति के कार्यान्वयन संबंधी मामला विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद तथा न्यायाधिकरण में विचाराधीन है, को छोड़कर सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय अ.जा. तथा अ.ज.जा. संबंधी आरक्षण नीति का अनुसरण कर रहे हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(दिनांक 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	विश्वविद्यालयों के नाम	शिक्षकों की संख्या	शिक्षणेतर कर्मचारियों की संख्या
1.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	700	2751
2.	जवाहरलाल नेहरू, विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	399	1283
3.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	532	961
4.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	299	1167
5.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	1162	4871
6.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	1792	5501
7.	विश्व भारती शान्ति निकेतन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	539	1413
8.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	252	1168
9.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी	143	526
10.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग	242	934
11.	असम विश्वविद्यालय, सिल्चर, असम	123	194
12.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर, असम	84	165
13.	नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा, नागालैंड	159	567
14.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	13	68
15.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	7	47
16.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र	3	38
17.	मिजोरम विश्वविद्यालय आइजोल	126	212

मेट्रो रेल परियोजना का विस्तार

136. **श्री सज्जन कुमार:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कामनवेल्थ गेम्स 2010 के दौरान खिलाड़ियों तथा खेल प्रेमियों को यातायात सुविधाएं प्रदान करने के लिए मेट्रो रेल परियोजना को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों तक ले जाने का है; और

(ख) यदि हां, तो मेट्रो रेल किन क्षेत्रों से गुजरेगी तथा इस परियोजना के कार्यान्वयन की संभावित तिथि क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लि. (डीएमआरसी) को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा घरेलू/अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को मैट्रो रेल से जोड़ने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का कार्य हाल ही में दिया गया। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए जांच और अध्ययन शुरू कर दिया गया है। क्षेत्रों तथा कार्यान्वयन की संभावित तारीख के ब्यौरे के जानकारी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने पर मिल सकेगी।

[अनुवाद]

दिल्ली विश्वविद्यालय

137. **श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों के कई छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् बेहतर प्रदर्शन किया है;

(ख) यदि हां, तो 4-5 माह के बाद दिसम्बर तथा जनवरी में घोषित परिणामों की संख्या क्या है तथा ऐसे छात्रों के भविष्य में साथ खिलवाड़ करने के क्या कारण हैं;

(ग) उन छात्रों की संख्या कितनी है तो अनुत्तीर्ण होने वाले थे परन्तु वास्तव में उत्तीर्ण हो गए; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी भंडारों में पड़े हथियार

138. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 245 एके 56-राइफलों तथा ढेरों हैण्डग्रेनेडों सहित आधुनिक हथियारों की बड़ी खेप पर सरकारी भण्डारों में जंग लगने दिया जा रहा है जिससे सरकार को वित्तीय नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इससे अपेक्षित नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खामियों के संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जांच के क्या निष्कर्ष निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत गुजरात को अनुदान

139. **श्री जसुभाई दाभाभाई बारड़:** क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत अनुदान आबंटन को बढ़ाने का अनुरोध किया है चूंकि वर्ष 2001-2002 से गुजरात के लिए वित्तीय सहायता में अत्यधिक कटौती कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष अर्थात् 2004-05 के दौरान केन्द्र सरकार ने गुजरात को कितनी राशि आबंटित की है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के वित्त आबंटन में कटौती करने के मुख्य कारण क्या है;

(घ) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस धनराशि को जारी करने के लिए अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय में गुजरात सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2004-2005 के लिए गुजरात को 356.82 लाख रु. का अन्तरिम नियतन किया गया है।

(ग) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यवार नियतन योजना आयोग/वित्त मंत्रालय द्वारा स्कीमों के लिए उपलब्ध कराई गई कुल धनराशि तथा एनएसएसओ के सर्वेक्षण के मार्फत योजना आयोग द्वारा यथा अनुमानित राज्य/संघ शासित प्रदेशों में शहरी गरीबों की संख्या के आधार पर किया गया है।

(घ) और (ङ) गुजरात सरकार से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि जारी करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

आदिवासी विकास केन्द्र

140. श्री अतीक अहमद: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार आदिवासी विकास केन्द्रों द्वारा राज्यों को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस निधि के उपयोग के संबंध में कोई लेखा परीक्षा की जाती है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस अनुदान का स्थानीय अधिकारियों द्वारा दुरूपयोग रोकने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय जनजातीय आयोग का एक उप कार्यालय स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन कोई आदिवासी विकास केन्द्र नहीं है। अत: निधियां आबंटित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वर्ण उद्योग संबंधी विनियामक ढांचा

141. श्री अर्जुन सेठी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वर्ण उद्योग संबंधी विनियामक ढांचे की जांच के लिए गठित समिति की संरचना संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या समिति ने अब तक कोई बैठक की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) भारत को स्वर्ण व्यापार का एक मुख्य केन्द्र बनाने के लिए स्वर्ण उद्योग के विनियामक ढांचे की जांच हेतु बनाई गई समिति का गठन निम्नानुसार है:-

1.	सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग	सदस्य
3.	संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामलों का विभाग	सदस्य
4.	भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतिनिधि	सदस्य
5.	भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) का प्रतिनिधि	सदस्य
6.	फारवर्ड मार्केट कमीशन का प्रतिनिधि	सदस्य
7.	वन बुलियन एसोसिएशन का प्रतिनिधि	सदस्य
8.	एक निर्दिष्ट एजेंसी का प्रतिनिधि	सदस्य
9.	नेशनल कमोडिटी एंड डेरीवेटिव एक्सचेंज का प्रतिनिधि	सदस्य
10.	एसोचैम का प्रतिनिधि	सदस्य
11.	रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद का प्रतिनिधि	सदस्य
12.	विदेश व्यापार महानिदेशालय का प्रतिनिधि	सदस्य
13.	मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज आफ इंडिया लि. का प्रतिनिधि	सदस्य
14.	द बैंक आफ नोवा स्कोटिया का प्रतिनिधि	सदस्य
15.	जरूरत के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति/संस्था	

(ख) से (घ) वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में इस समिति की पहली बैठक 10 दिसम्बर, 2004 को हुई थी। व्यापक विचार-विमर्शों के बाद समिति के सदस्यों से अगली बैठक में परवर्ती विचार-विमर्श हेतु अपनी निविष्टियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। यह समिति अपने सदस्यों से निविष्टियां प्राप्त होने तथा उन पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

मलिन बस्ती सफाई कार्यक्रम हेतु विश्व बैंक ऋण

142. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मलिन बस्ती सफाई कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक से क्रेडिट/ऋण के अनुदान के लिए 4800 मिलियन रुपये के कुल परिव्यय हेतु महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो मामले की वर्तमान स्थिति क्या है और इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी हां।

(ख) और (ग) मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव की जांच की गई और महाराष्ट्र सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं जो अभी आने बाकी हैं।

[हिन्दी]

पेपर मिल

143. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार पेपर मिलों की संख्या कितनी है;

(ख) उपरोक्त में कार्यरत और बन्द पड़ी मिलों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन मिलों द्वारा मिल-वार उत्पादित पेपर की मात्रा का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) और (ख) पेपर उद्योग एक लाइसेंस मुक्त उद्योग है जिसमें लुग्दी, पेपर तथा पेपर बोर्ड और अखबारी कागज सम्मिलित हैं। देश में पेपर मिलों की संख्या के बारे में आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, देश में लगभग 667 पेपर मिलें हैं जिनमें से 96 मिलें या तो रुग्ण हैं अथवा बन्द पड़ी हैं। राज्यवार स्थापित मिलों की संख्या तथा रूग्ण/बंद पड़ी मिलों की संख्या संबंधी एक विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार उत्पादन संबंधी आंकड़ों का मिलवार ब्यौरा नहीं रखती है। तथापि पिछले तीन वर्षों के दौरान, पेपर, पेपर बोर्ड तथा अखबारी कागज के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

उत्पादन (लाख टन)

वर्ष	पेपर तथा पेपर बोर्ड	अखबारी कागज
2001-02	49.50	6.20
2002-03	52.39	6.27
2003-04	55.57	6.84

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	पेपर मिलों की संख्या	बन्द/रूग्ण पेपर मिलों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	38	3
2.	असम	03	1
3.	बिहार	04	1
4.	छत्तीसगढ़	10	–
5.	गुजरात	121	24
6.	हिमाचल प्रदेश	09	2
7.	हरियाणा	17	6
8.	जम्मू और कश्मीर	01	–
9.	झारखंड	02	–
10.	केरल	13	2
11.	कर्नाटक	21	3
12.	महाराष्ट्र	112	13
13.	मध्य प्रदेश	26	3

1	2	3	4
14.	नागालैंड	01	1
15.	उड़ीसा	07	1
16.	पंजाब	74	9
17.	राजस्थान	08	1
18.	तमिलनाडु	48	5
19.	उत्तरांचल	12	–
20.	उत्तर प्रदेश	115	15
21.	पश्चिम बंगाल	25	6
	कुल	667	96

[अनुवाद]

गरीबी उपशमन हेतु लक्ष्य

144. श्री जी. करूणाकर रेड्डी:
प्रो. एम. रामदास:

क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गरीबी उपशमन से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) इस उद्देश्य हेतु गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तिथि तक राज्य-वार विभिन्न राज्यों ने विशेषत: कर्नाटक ने कितनी धनराशि व्यय की है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार देश के शहरी बेरोजगारों के लिए विशेषीकृत राष्ट्रीय स्वरोजगार बैंक स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) शहरों में गरीबी कम करने के लिए, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय 01.12.1997 से समग्र भारत में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की मार्फत स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना नामक केन्द्र प्रवर्तित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे रह रहे शहरी गरीबों के लिए है और इसका उद्देश्य (1) शहरी गरीबों द्वारा स्वरोजगार उद्यम लगाए जाने को प्रोत्साहन देकर और (2) सामाजिक और आर्थिक रूप से लाभदायक सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए श्रमिकों को मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराकर शहरी बेरोजगारों और अल्प-रोजगार प्राप्त गरीबों को लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने का अवसर देना है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्कीम के तहत कोई वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे और अपनी आवश्यकताओं अनुसार इस संबंध में निर्णय लेना राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों पर छोड़ा गया था। तथापि, दसवीं पंचवर्षीय योजना में चार लाख लघु उद्यम स्थापित करने और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पांच लाख व्यक्तियों का कौशल उन्नयन करने का लक्ष्य रखा गया है। दसवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान सालाना आधार पर लक्ष्यों/उपलब्धियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

वर्ष	स्थापित किए गए लघु उद्यमों की संख्या		कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की संख्या	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2002-2003	80000	127880	100000	99411
2003-2004	80000	100903	100000	121594
2004-2005	80000	57705*	100000	77389*

*(31.2.05 की स्थिति के अनुसार)

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत कर्नाटक सहित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा सूचित कुल व्यय (केन्द्र और राज्यों सहित) संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) लागू नहीं।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा व्ययित धनराशि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2001-02 के दौरान किया गया व्यय	2002-03 के दौरान किया गया व्यय	2003-04 के दौरान किया गया व्यय
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	406.41	1137.27	4113.45
2.	अरुणाचल प्रदेश	72.33	132.68	209.49
3.	असम	52.55	253.94	669.94
4.	बिहार	899.01	575.54	0.00
5.	छत्तीसगढ़	259.07	307.58	91.91
6.	गोवा	12.27	0.00	0.00
7.	गुजरात	937.99	447.39	226.73
8.	हरियाणा	357.99	155.99	580.70
9.	हिमाचल प्रदेश	54.56	34.84	80.82
10.	जम्मू और कश्मीर	302.53	295.41	309.49
11.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	3348.13	617.10	1676.07
13.	केरल	406.93	451.99	361.61
14.	मध्य प्रदेश	1411.47	1250.63	875.43
15.	महाराष्ट्र	2614.04	2493.87	1843.71
16.	मणिपुर	158.07	309.48	561.98
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	116.58	151.47	536.39
19.	नागालैंड	168.03	54.00	264.27
20.	उड़ीसा	376.85	398.67	382.65
21.	पंजाब	263.42	81.60	280.58

1	2	3	4	5
22.	राजस्थान	712.27	581.81	213.56
23.	सिक्किम	41.28	64.77	73.59
24.	तमिलनाडु	380.44	1001.62	358.91
25.	त्रिपुरा	290.17	55.18	189.76
26.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	2736.14	1648.18	2676.96
28.	पश्चिम बंगाल	1057.28	763.35	893.53
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	77.76	31.97	7.17
30.	चंडीगढ़	20.57	20.75	73.90
31.	दादरा व नगर हवेली	138.05	228.92	298.21
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	45.03	55.08	26.50
34.	पांडिचेरी	47.85	113.64	197.89
	कुल	17764.30	13714.72	17974.60

[हिन्दी]

नेपाल के साथ गृह सचिव स्तरीय बातचीत

145. **श्री राजनरायन बुधौलिया:**
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत और नेपाल के बीच गृह सचिव स्तरीय बातचीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त बातचीत में लिये गए निर्णयों के अनुसार दोनों देशों द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों में भारत और नेपाल की सुरक्षा के प्रतिकूल गतिविधियों मे संल्पित आतंकवादियों, अपराधियों और अन्य विद्रोही तत्वों की गतिविधियों का मुकाबला करने में सहयोग को सुदृढ़ करने तथा निकटवर्ती सीमावर्ती जिलों आदि के प्राधिकारियों के बीच नियमित बैठकों के माध्यम से सहयोग को और बढ़ाने के तौर-तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और नेपाल के बीच प्रत्यर्पण संधि और आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता के समझौते के पाठ को भी अन्तिम रूप दिया तथा उस पर हस्ताक्षर किए।

2. बातचीत के दौरान लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

प्राथमिक शिक्षा

146. **श्री बालासाहिब विखे पाटील:**
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (यूनीसेफ) की रिपोर्ट ''स्टेट आफ वर्ल्ड चिल्डर्न-2005'' में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भारत के विभिन्न राज्यों में अभी 33 मिलियन बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लक्षित उपलब्धियों के दृष्टिगत भारत में प्राथमिक शिक्षा का सभी जगह प्रसार करने में बहुत समय लगेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सितम्बर, 2004 में 6-14 वर्ष आयु-वर्ग के स्कूल न जाने वाले अनुमानत: 81 लाख बच्चों की जानकारी दी।

(ग) से (ङ) यूनेस्को की ई.एफ.ए. ग्लोबल मानीटरिंग रिपोर्ट 2005 में सभी के लिए शिक्षा विकास अनुक्रमणिका में देशों की प्रगति को दर्शाया गया है जिसमें प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के अतिरिक्त अन्य अनेक मानदण्ड शामिल हैं।

वर्ष 2002-03 में, प्राथमिक स्तर पर भारत में सकल नामांकन अनुपात 95.39 था।

भारत सरकार का सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम इस उद्देश्य से शुरू किया गया है कि वर्ष 2007 तक सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा और वर्ष 2010 तक सभी के लिए प्रारंभिक शिक्षा का लक्ष्य पूरा किया जा सके।

युवा विकास हेतु निधि आबंटन

147. **श्री पी. मोहन**: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान युवा विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत योजना-वार और राज्य-वार आबंटित निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित गैर-सरकारी संगठनों/संगठनों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या युवकों को सभी प्रकार के शोषण से बचाया जाता है जैसा कि राष्ट्रीय युवा नीति, 2003 में आश्वासन दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए उपलब्ध तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसे कब तक लागू किया जाएगा?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) वर्ष 2004-05 के दौरान युवा विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आबंटित निधियों का ब्यौरा *विवरण-I* में दिया गया है।

किसी भी योजना के अंतर्गत निधियों का राज्य-वार आबंटन नहीं किया गया है।

(ख) उन गैर-सरकारी संगठनों/संगठनों की सूची जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान योजनाओं के अंतर्गत सहायता अनुदान प्रदान किया गया है, *विवरण-II* में दर्शायी गयी है।

(ग) राष्ट्रीय युवा नीति के अंतर्गत एक राष्ट्रीय कार्रवाई योजना विभिन्न पणधारियों के परामर्श से तैयार की जा रही है। युवाओं को अधिकार देने के लिए इस योजना को तैयार करने हेतु एक राष्ट्रीय अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की गई है।

(घ) युवाओं में जागरूकता फैलाने के लिए तथा सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं का सामना करने के लिए उनकी क्षमताओं को सुधारने के लिए निम्नलिखित योजनाओं का उपयोग किया जा रहा है:-

1. **नेहरू युवा केन्द्र संगठन (ने.यु.के.सं.)**: ने.यु.के.सं. के अंतर्गत युवा क्लबों को मजबूत बनाने के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं। इनमें किशोरों को कवर करने के लिए उनकी सदस्यता को बढ़ाना, गांधी ग्रामोदय संकल्प अभियान शुरू करना, सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए ग्रामीण संपर्क की अवधारणा को आरंभ करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण पर बल देना आदि शामिल हैं। इस बारे में, युवा विकास का संवर्धन करने तथा राष्ट्रीय विकास में उनकी भागीदारी के लिए मानव संसाधन विकास, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास तथा संस्कृति जैसे अन्य मंत्रालयों/विभागों से सहयोग मांगा गया है।

2. **राष्ट्रीय सेवा योजना**: इस योजना के अंतर्गत छात्रों में समाज सेवा की भावना भरी जाती है। फिलहाल,

योजना विश्वविद्यालयों तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के +2 खण्ड में कार्यरत है। योजना के अंतर्गत, 15 क्षेत्रीय केन्द्र, 14 प्रशिक्षण तथा अभिविन्यास केन्द्र (टी.ओ.सी.) तथा 4 प्रशिक्षण, अभिविन्यास तथा अनुसंधान केन्द्र (टी.ओ.आर.सी.) हैं।

3. **किशोरों पर विशेष ध्यान देते हुए युवा विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों का वित्त पोषण:** किशोरों को राष्ट्रीय युवा नीति के अंतर्गत एक मुख्य हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। मंत्रालय ने 10-19 वर्ष के आयु वर्ग में, किशोरों के विकास एवं अधिकारिता की योजना तैयार की है तथा प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत, गैर-सरकारी, संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों आदि को पर्यावरण निर्माण, सेमिनार तथा कार्यशाला, जीवन कौशल शिक्षा, परामर्श, कैरियर मार्गदर्शन, मेलों, आवासीय शिविरों, अनुसंधान तथा तकनीकी संसाधन विकास जैसे मुद्दों से संबंधित परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों को प्रारंभ करने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। गैर-सरकारी संगठन भी युवा कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय एकीकरण, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

वर्ष 2004-05 के दौरान युवा विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आबंटित निधियां

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान
1	2	3
1.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन	32.75
2.	राष्ट्रीय सेवा योजना	28.00
3.	राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवा योजना	6.00
4.	ग्रामीण युवा तथा खेल क्लबों को वित्तीय सहायता तथा मूल्यांकन	3.50
5.	किशोरों का विकास तथा अधिकारिता	7.00
6.	राष्ट्रीय एकीकरण योजना	5.50
7.	साहस का संवर्धन	3.00
8.	युवा गतिविधियों के संवर्धन तथा प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता	10.00
9.	युवा छात्रावास	3.00
10.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	2.00
11.	स्काउटिंग व गाइडिंग का संवर्धन	1.50
12.	राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी	12.00
13.	सामान्य युवा कार्यक्रम तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान	0.75
14.	राष्ट्रीय तथा राज्य युवा केन्द्र	5.00

विवरण II

गैर सरकारी संगठनों की सूची-2001-02 के दौरान जारी किया गया सहायता अनुदान

I. राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन

क्र.सं.	संगठन का नाम
1	2
	आंध्र प्रदेश
1.	पीपल्स एजुकेशनल सोसायटी, करीमनगर
	बिहार
1.	नालंदा समाज सेवा आश्रम, नालंदा
2.	कोशी पीड़ित महिला विकास मंडल, जिला सुपौल
3.	केशव मानव सेवा केन्द्र, जिला देवघर
4.	गरीब मगिला संगठन, भोजपुर
5.	ग्रामीण समग्र विकास परिषद, जिला मधुबनी
6.	सुरंगमा कला केन्द्र, मुजफ्फरपुर
	दिल्ली
1.	वाई.डब्ल्यू.सी.ए. नई दिल्ली
2.	राजयोग शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, करोल बाग, नई दिल्ली

1	2
3.	सर्वेंट आफ द पीपल्स सोसायटी, नई दिल्ली
4.	जन जागृति शैक्षणिक समिति, नई दिल्ली
5.	आईआईआरसीसी, नई दिल्ली
6.	अरविंदो शिक्षा समिति, नई दिल्ली
7.	आर.के. मिशन, नई दिल्ली
8.	बाल कंजी वाड़ी इंटरनेशनल, नई दिल्ली
9.	एआईयू, नई दिल्ली
10.	राष्ट्रीय युवा परियोजना, 22 डी.डी. उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली
11.	दिल्ली राज्य बालक एवं बालिका स्काउट्स संघ, नई दिल्ली
12.	स्पीक मैके, नई दिल्ली
	हरियाणा
1.	ग्रामीण विकास तथा विकास समिति, झज्झर
2.	आधुनिक शिक्षा समिति, सोनीपत
3.	हरियाणा युवा शक्ति, रोहतक
4.	अखिल भारतीय देहात विकास समिति, झज्झर
5.	अखिल भारतीय युवा कल्याण समिति, जिंद
6.	कर्म भूमि, कुरूक्षेत्र
7.	लोक कल्याण संस्थान, जिला पानीपत
8.	घुमर अकादमी
9.	सूर्या फाउण्डेशन, सोनीपत
	जम्मू व कश्मीर
1.	कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास, जम्मू व कश्मीर
	झारखण्ड
1.	भारतीय ग्रामोत्थान एवं जनहित सेवा संस्थान, बोकारो
2.	आर.के. मिशन आश्रम, रांची
3.	संथाल आदिवासी कल्याण परिषद, बोकारो
4.	महिला कल्याण समिति, बोकारो
5.	निरसा विकास संगठन, धनबाद
	कर्नाटक
1.	श्री रेणुका देवी महिला तथा बाल कल्याण, चित्रदुर्ग
2.	राज राजेश्वरी महिला मंडली, बंगलौर
	मध्य प्रदेश
1.	नेहरू युवा मंडल, खिरिजा, मंडला, दमोह
2.	सरोजनी शिक्षा समिति, सागर
3.	महिला बाल विकास शिक्षा समिति, भोपाल
4.	महिला जागृति कला मंच, सागर
5.	नेहरू युवा नर्सिंग क्लब, दमोह
6.	मुकेश श्रीवास्तव मैमोरियल समाज कल्याण समिति, भोपाल
7.	रजिस्ट्रार, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
	महाराष्ट्र
1.	समुदाय पर्यावरण विकास न्यास जेतना
2.	चंदन युवक शिक्षण व्यायाम विकास क्रीड़ा मंडल, औरंगाबाद
3.	प्रवर्तन प्रतिष्ठान बीड़
4.	संक्रत्यान शिक्षण प्रसारक मंडल, चंदनपुर
5.	चाणक्य मंडल, पुणे
	उड़ीसा
1.	मानव सेवा सदन, धनकेनाल
2.	सोसायटी फार यूनिवर्सल रूरल टेकनोलोजी इंपलीमेंटेशन, कटक
	पंजाब
1.	करण दास युवा क्लब, भटिण्डा
2.	पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, रोपड़
	तमिलनाडु
1.	गांधी दर्शन केन्द्र, चैन्नई
2.	गांधी ग्राम ग्रामीण संस्थान, डिण्डीगुल

1	2
3.	मानव मिरर ट्रस्ट, नमक्कल
	उत्तर प्रदेश
1.	केशव ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, बाराबंकी
2.	समरपीठ उत्थान समिति, सहारनपुर
3.	नाथ सेवा संस्थान, मथुरा
4.	दाऊदयाल शिक्षा एवं ग्रामीण विकास संस्थान, आगरा
5.	आदर्श युवा समिति, मथुरा
6.	आर.के. मिशन, इलाहाबाद
7.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्राविधिक संस्थान, इलाहाबाद
8.	अखिल भारतीय शांति पथ शिक्षा विकलांग पुनर्वास, मथुरा
9.	राष्ट्रीय जन सहयोग एवं लोक कल्याण संस्थान, इलाहाबाद
	पश्चिम बंगाल
1.	मिर्जापुर महाभारत मिशन, मुर्शिदाबाद
2.	श्री अरविंदो अमीसितन सोसायटी, वीरभूम
3.	नंदीकर, कलकत्ता
II.	**सहारा का संवर्धन**
	आंध्र प्रदेश
1.	एडवेंचर क्लब आफ आंध्र प्रदेश, सिकंदराबाद
	चण्डीगढ़
1.	युवा साहक एवं पर्वतारोहण
2.	राष्ट्रीय साहस क्लब
	दिल्ली
1.	रामजस खेल तथा पर्वतारोहण संस्थान, पटेल नगर
2.	राष्ट्रीय साहस संस्थान, नई दिल्ली
3.	भारतीय साहस तथा पर्वतारोहण संघ, नई दिल्ली
4.	कुलदीप सिंह मुदगल एण्ड पार्टी, सीलमपुर, दिल्ली
5.	अरविंदो शिक्षा सिमति, नई दिल्ली
	गुजरात
1.	अरावली साहस संघ, साबरकंठा
	हरियाणा
1.	ग्रामीण विकास विज्ञान केन्द्र, यमुना नगर
	जम्मू व कश्मीर
1.	उधमपुर विकास समिति
2.	जे. एण्ड के. पर्वतारोहण संघ
3.	सर सैयद मैमोरियल मुस्लिम इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन
	झारखण्ड
1.	पर्यावरण तथा सामाजिक जागरूकता समिति, झारखण्ड
2.	बिहार साहस अकादमी, शीलकोम, झारखण्ड
	कर्नाटक
1.	एसोसिएशन आफ वूमैन फार अवेयरनेस
	उड़ीसा
1.	सुप्रतिबा, कटक
	राजस्थान
1.	राजस्थान साहस अकादमी
	उत्तर प्रदेश
1.	महर्षि शिक्षा संस्थान, नौएडा
	पश्चिम बंगाल
1.	हिमाचल पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग
2.	समुद्रा अन्वेषक संस्थान
3.	हिमालयन बीकोन, कोलकाता
4.	गिरदूर हुगली
	असम
1.	टेरेसा समाज कल्याण हिमालय समिति

1	2
III.	**युवा गतिविधियों के संवर्धन तथा प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता**
	आंध्र प्रदेश
1.	चित्तूर जिला वहा कार्मिका संगम, टी.वी. पुरम
2.	सामाजिक शिक्षा के लिए ग्रामीण संगठन, जिला चित्तूर
3.	देवी महिला मंडली निल्लौर
4.	स्वर्ण ग्रामीण विकास सेवा समिति, नालगोण्डा
5.	गगन कल्याण समिति, हैदराबाद
6.	विकास निकेतन समिति, अनंतपुर
7.	प्रतिभा शैक्षणिक समिति, हैदराबाद
8.	स्वास्थ्य ग्रामीण विकास समिति, अनंतपुर
9.	एसवीएसएस महिला विद्या संस्था, गौदावरी
10.	मीथापल्ली युवा संघ, अनंतपुर
11.	हैल्प, महबूबनगर
12.	महिला कल्याण क्लब, विजयनगरम
13.	विकास निकेतन सोसायटी फार रूरल डेवलपमेंट, अनंतपुर
14.	सूर्या ग्रामीण विकास समिति, अनंतपुर
15.	श्री साईं पवन शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य कल्याण समिति, हैदराबाद
	असम
1.	बजाली गांव उन्नयन समिति, बारपेटा
2.	कंटरवेशन फोरम सिलचर
	बिहार
1.	ग्राम्य, पटना
2.	सुशीला महिला बाल विकास केन्द्र, मुजफ्फरपुर
3.	कैंप बिहार, सीतामढ़ी
4.	बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केन्द्र, मुजफ्फरपुर
5.	शांति दूत बिहार शरीफ
6.	जिला युवा समन्वयक, नेहरू युवा केन्द्र, दरभंगा
7.	बिहार वाणिज्य संस्थान, समस्तीपुर
8.	दारोगा पी.डी. राय महिला प्रशिक्षण एवं औद्योगिक केन्द्र, किशनगंज
9.	नेहरू युवा केन्द्र, मुजफ्फरपुर
10.	सामाजिक कल्याण समिति, दरभंगा
11.	महिला आश्रय विकास संस्था, देवगढ़
12.	उर्मिला महिला एवं शिशु विकास केन्द्र, धनबाद
13.	कोयलांचल श्रमिक जन कल्याण केन्द्र, बोकारो
14.	सर्वांगीण महिला उन्नयन संस्था, बोकारो
15.	विनोबा सेवा आश्रम, बेगुसराय
16.	नालंदा समाज सेवा आश्रम, नालंदा
17.	ग्रामीण विकास समिति, जहानाबाद
18.	स्वामी विवेकानंद अनाथ सुरक्षा आश्रम, नालंदा
19.	युवा कल्याण परिषद धनबाद
20.	जन जागरण सेवा संस्था, बेगुसराय
21.	दर्पण समाज, सीतामढ़ी
22.	नूतन विकास समाज, दरभंगा
23.	गौतम विहार, सीतामढ़ी
24.	ग्राम विकास केन्द्र, छपरा
25.	वसुंधरा सेवा संस्थान, मुजफ्फरपुर
26.	बिहार मुस्लिम अल्प संख्यक हरिजन विकास परिषद, सीतामढ़ी
27.	महिला सेवा निकेतन, दरभंगा
28.	अंजुमन फिरोजे मिल्लत, पूर्वी चंपारण
29.	सर्वप्रिय लोहित सेवा संस्थान, समस्तीपुर
30.	जीवन कल्याण समिति, मुजफ्फरपुर
31.	दलित एवं बाल उत्थान संस्थान, मोतीहारी
32.	खादी विकास ट्रस्ट आफ इंडिया, नवादा
33.	एकता ग्राम सेवा संस्थान, वैशाली

1	2
34.	छपरा महिला बाल सुधार एवं कल्याण समिति, मुजफ्फरपुर
35.	दिव्याज्योति जामुई
36.	ओझाओल सेवा आश्रम, दरभंगा
37.	ग्राम निर्माण समिति, नवादा
38.	नूतन विकास विहार, समस्तीपुर
39.	ग्रामोदय केन्द्र, कटिहार
40.	मूर्ति कला प्रशिक्षण संस्थान, सियोधर
	दिल्ली
1.	नारी उत्थान समिति, मौजपुर
2.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन, दिल्ली
3.	देहात विकास सोसाइटी, बवाना
4.	न्यू डाईमेंशनस टेलेंटर वेलफेयर सोसायटी, लक्ष्मीनगर
5.	स्लम देहात मानव उत्थान समिति, पालम
6.	महिलाएं प्रगति की ओर, तिलकनगर
7.	श्री संतोषी महिला एवं बाल कल्याण समिति, कोटला
8.	भारतीय सामाजिक सेवा संस्थान, खेडाखुर्द
9.	ग्रीन ऐज, मौहम्मदपुर
10.	श्री अरविंदो शिक्षण समिति, नई दिल्ली
11.	अखिल भारतीय ग्रामीण सेवा संघ, रोहिणी
	हरियाणा
1.	हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़
2.	ग्राम सुधार सभा, सोनीपत
3.	राष्ट्रीय सदभाव सेवा समिति, जिला रोहतक
4.	गार्गी फाउण्डेशन, अम्बाला
5.	भारतीय ग्रामीण विकास एवं शिक्षण संस्थान, करनाल
6.	हंस खादी ग्रामोद्योग समिति, करनाल
7.	गार्गी फाउण्डेशन फार डेवलपमेंट एण्ड रिसर्च, अम्बाला
8.	जन जागृति संगठन, कुरूक्षेत्र

1	2
9.	आधुनिक शिक्षा समिति, सोनीपत
10.	भारतीय ग्रामीण विकास परिषद, कैथल
11.	राज हंस सामाजिक एवं शासनिक समिति, पीपली
	झारखण्ड
1.	हेल्प बिहार, देवगढ़
2.	भारतीय ग्रामोत्थान एवं ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, धनबाद
3.	विनीता बाल मंडल, धनबाद
4.	भारतीय ग्रामोत्थान एवं जनहित सेवा संस्थान, बोकारो
	कर्नाटक
1.	एनएमई सोसायटी, बीजापुर
2.	सिटीजन महिला मंडली, हसन
3.	किसान विकास एवं प्रशिक्षण संगठन में कार्यवाही के लिए युवा, कौलार
4.	श्री कृष्ण समेकित ग्रामीण विकास समिति, कौलार
5.	दीन दयाल जन सेवा समिति, चिकबालापुर
6.	जीवन ज्योति महिला मंडली, कौलार
7.	भारतीय विकास ट्रस्ट, उडुपी
	केरल
1.	नेहरू युवा केन्द्र, पथनामीठा
2.	नेहरू युवा केन्द्र, इदुप्पी
3.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन, तिरूअनंतपुरम
	मध्य प्रदेश
1.	जगत शिक्षा प्रसार समिति, टीकमगढ़
2.	शिक्षा प्रसार कल्याण समिति, मांडला
3.	नेहरू युवा केन्द्र, रायसेन
4.	समता शिक्षा समिति, मांडला
5.	शिव शक्ति महिला आदमजाति जनजाति कल्याण समिति, जबलपुर

1	2
6.	ग्रामीण महिला उत्थान समिति टीकमगढ़
7.	ऋचा महिला मंडल भिण्ड
8.	नेहरू युवा केन्द्र, देवास
9.	संजय बाल विकास मंदिर समिति, टीकमगढ़
10.	गरीब महिला एवं बाल कल्याण समिति, टीकमगढ़
11.	तक्षशिला शिक्षा समिति, भोपाल
12.	नेहरू युवा केन्द्र सिहौर
13.	जागृति महिला समिति जबलपुर
14.	महिला बाल कल्याण समिति, टीकमगढ़
15.	मां आशा पुरा दरबार, भोपाल
16.	नेहरू युवा केन्द्र, उज्जैन
17.	ज्ञान वर्धन एवं समाज उत्थान शिक्षा समिति, नरसिंहपुर
18.	प्रीति ग्रामीण महिला विकास समिति, जबलपुर
19.	श्री आदर्श शिक्षा समिति, राजगढ़
20.	रोमित शिक्षा समिति, राजगढ़
21.	महाकौशल महिला शिक्षा समिति, जबलपुर
22.	मोहिनी महिला मंडल शिक्षा समिति, जबलपुर
23.	सदभावना शिक्षा समिति, बालाघाट
24.	नेहरू युवा केन्द्र, भोपाल
25.	नेहरू युवा केन्द्र, राजगढ़
26.	नवीन चेतना सेवा समिति, मंडला
27.	उज्जवल महिला मंडल, जबलपुर
28.	सुभांजली शिक्षा केन्द्र, जबलपुर
29.	प्रमोद आदिवासी विकास परिषद, जबलपुर
30.	प्रकल्प युवा मंडल, भिण्ड
31.	नेहरू युवा केन्द्र, भोपाल
32.	नेहरू युवा केन्द्र, देवास

1	2
33.	गायत्री शक्ति शिक्षा कल्याण समिति, जबलपुर
34.	अमित शिक्षा प्रसार समिति, जबलपुर
35.	मंगला शिक्षा विकास समिति, रायसेन
36.	आरिका ज्ञान मति माता महिला एवं बाल कल्याण समिति, भिण्ड
37.	ग्रामीण विकास शिक्षा समिति, राजगढ़
38.	सामंत शिक्षा समिति, मांडला
39.	गुलफिशां महिला जन कल्याण समिति, भोपाल
40.	गायत्री विद्या मंदिर, टीकमगढ़
	महाराष्ट्र
1.	सुशीला बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थान, नागपुर
2.	जनजातीय एवं ग्रामीण विकास केन्द्र, औरंगाबाद
	मणिपुर
1.	युवा एवं महिला स्वयंसेवी संगठन, इम्फाल
	उड़ीसा
1.	क्षेत्रीय विकास केन्द्र, पुरी
	राजस्थान
1.	ब्रिज कल्याण संस्थान, भरतपुर
2.	श्री कृष्ण विकास संस्थान, अलवर
3.	श्री जनजीवन कल्याण संस्थान, भरतपुर
	सिक्किम
1.	नेहरू युवा केन्द्र, नामची
	तमिलनाडु
1.	नेहरू युवा केन्द्र, शिवगंगा
2.	नेहरू युवा केन्द्र, तिरूवनंतमलई
3.	नेहरू युवा केन्द्र, वेल्लूर
4.	इंटिग्रेटिड रूरल एवं अर्बन पीपल्स एक्शन केन्द्र, डिण्डीगुल
	उत्तर प्रदेश
1.	नेटवर्क फार इंटिग्रेटिड डेवलपमेंट, ठाकुरगंज, लखनऊ

1	2
2.	दिनावपुर ग्रामोद्योग, मऊ
3.	ग्राम विकास समिति, बुलंदशहर
4.	भारतीय जन कल्याण ग्रामोद्योग संस्थान, कानपुर
5.	श्री हुबलाल जन संस्थान, इलाहाबाद
6.	आदर्श जन कल्याण समिति, बस्ती
7.	देवता खादी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, जी.वी. नगर
8.	स्वामी विवेकानंद विद्या पीठ शिक्षा समिति, मेरठ
9.	पूर्वांचल औद्योगिक सेवा संस्थान, महाराजगंज
10.	बुद्ध जन कल्याण सेवा समिति, बलिया
11.	ग्राम्य विकास सेवा समिति, गोण्डा
12.	जन कल्याण समिति, गोण्डा
13.	विकास प्रशिक्षण केन्द्र, गोरखपुर
14.	लक्ष्मी ग्रामोद्योग समिति, रायबरेली
15.	ग्रामीण विकास सेवा आश्रम, इलाहाबाद
16.	ग्रामीण विकास संस्थान, बाराबंकी
17.	चन्द्र शेखर आजाद शिक्षा समिति, अलीगढ़
18.	गायत्री ग्राम सेवा समिति, सुलतानपुर
19.	श्री पुरुषोत्तम प्रसाद दूबे, मिर्जापुर
20.	शिक्षा महिला समिति, बस्ती
21.	गंगे मऊ ग्राम विकास समिति, सुलतानपुर
22.	अग्रगामी सेवा संस्थान, लखनऊ
23.	आदर्श विकास संस्थान, बाराबंकी
24.	सामी कल्याण संस्थान, इलाहाबाद
25.	सूफी उद्योग विकास सेवा संस्थान, जी.वी. नगर
26.	प्रगतिशील उद्योग समिति, लखनऊ
27.	डा. अम्बेडकर स्वास्थ्य विकास सेवा समिति, लखनऊ
28.	भारतीय शिक्षा प्रसार समिति, अलीगढ़
29.	गंगा कतरी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, उन्नाव
30.	सरयू ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, गोण्डा
31.	ग्रामीण कृषक विकास समिति, सुलतानपुर
32.	आदर्श जनकल्याण सेवा समिति, बस्ती
33.	ग्राम्य विकास संस्थान, महाराजगंज
34.	भारतीय शिक्षा सुधार समिति, आगरा
35.	नवोदित लोक कल्याण सेवा संस्थान, प्रतापगढ़
36.	अखिल भारतीय जन सेवा संस्थान, अलीगढ़
37.	अजीत सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समिति, संत रविदास नगर
38.	ग्राम विकास समिति, बेहराइच
39.	वूमेन कैरियर इंस्टीट्यूट, एटा
40.	कृषि एवं ग्रामोद्योग विकास संस्थान, इलाहाबाद
41.	दलित ग्रामोद्योग विकास समिति, अलीगंज
42.	राष्ट्रीय जन सहयोग कल्याण संस्थान, इलाहाबाद
43.	ग्रामीण महिला एवं बाल विकास संस्थान, सुलतानपुर
44.	आदर्श ग्रामोद्योग सेवा समिति, बाराबंकी
45.	किसान मजदूर एवं महिला उत्थान समिति, गोण्डा
46.	आदर्श जनता सिक्षा संस्थान, फरूर्खाबाद
47.	जयकरण बिंद ग्राम विकास सेवा संस्थान, इलाहाबाद
48.	कल्याणम हरदोई
49.	विकास दीप संस्थान, मुजफ्फरनगर
50.	लोक नियोजन आश्रम, अलीगढ़
51.	योग साधना एवं युवा विकास संस्थान, गाजीपुर
52.	सूर्या ग्रामोद्योग विकास समिति, फैजाबाद
53.	थारू जनजाति महिला विकास समिति, बलरामपुर
54.	जन सेवा समिति, प्रतापगढ़
55.	आगरा ग्रामीण विकास संघ, आगरा
	पश्चिम बंगाल
1.	कालयाचक नेताजी सुभाष संघ, मिदनापुर

उन गैर-सरकारी संगठनों की सूची जिन्हें वर्ष 2002-03 के दौरान अनुदान दिया गया

क्र.सं.	संगठन का नाम
1	2
I.	**राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन**
	आंध्र प्रदेश
1.	सोसायटी फार ह्यूमन अवेयरनेस एण्ड रूरल डेवलपमेंट, जिला कृष्णा
2.	श्री साई सामाजिक संगठन, जिला गुंटूर
3.	ग्रामीण विकास समिति, जिला कुड्डापा
4.	ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन, हैदराबाद
5.	जागृति जिला खम्माम
	बिहार
1.	सर्वप्रिय खादी ग्रामोद्योग समिति, जिला खगड़िया
2.	शांतिदूत उदांत पुरी, जिला नालंदा
3.	मानव सेवा आश्रम, जिला औरंगाबाद
4.	युवा कल्याण परिषद, जिला सिवान
5.	महिला विकास एवं जन जागृति मंच, जिला गोपालगंज
6.	अंजुमन फिरोजे मिल्लत, जिला पूर्वी चंपारण
7.	खडगधारी ग्रामीण विकास संस्थान, जिला जहानाबाद
8.	स्वामी विवेकानंद अनाथ सुरक्षा, जिला नालंदा
	छत्तीसगढ़
1.	यूथ फोरम फार सोशल एक्शन, जिला सरगुजा
	दिल्ली
1.	भारत कल्याण प्रतिष्ठान, दिल्ली
2.	श्री संतोषी महिला एवं बाल कल्याण समिति, दिल्ली
3.	अखिल भारतीय कोणार्क शैक्षणिक तथा कल्याण समिति, नई दिल्ली
4.	सचिव, महिला बाल उत्थान एवं कला मंच, दिल्ली
5.	श्री अरविंदो शिक्षा समिति, नई दिल्ली
6.	अखिल भारतीय दलित विकास अनुसंधान संस्थान, दिल्ली
7.	ग्राम उत्थान कल्याण परिषद, दिल्ली
8.	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केन्द्र, दिल्ली
9.	हिन्दुस्तान स्काऊट्स एवं गाइड्स एसोसिएशन, दिल्ली
10.	सर्वधर्म एवं जन परोपकारी संस्थान, दिल्ली
11.	महिलाएं प्रगति की ओर, दिल्ली
12.	वसुंधरा, दिल्ली
13.	अखिल भारतीय महिला कल्याण संघ, दिल्ली
14.	ग्रीन ऐज, दिल्ली
	हरियाणा
1.	राय साहब पंडित बसंत लाल शिक्षा समिति, जिला झज्झर
2.	हरिजन सेवक संघ, जिला पानीपत
3.	फ्रैंड्स ग्राम उद्योग समिति, जिला अम्बाला
4.	राष्ट्रीय शिक्षा एवं कल्याण समिति, जिला पानीपत
5.	विकास सेवा समिति, जिला गुड़गांव
6.	आदर्श सरस्वती शिक्षा समिति, जिला सोनीपत
7.	भारत ग्रामीण विकास समिति, जिला कुरूक्षेत्र
8.	प्रधान बालाजी ग्रामोद्योग मंडल, जिला-पानीपत
	जम्मू व कश्मीर
1.	लाखरी युवा संगठन समिति, जम्मू व कश्मीर
2.	माडर्न कल्चरल क्लब, राजौरी
	कर्नाटक
1.	धर्मात्मा शैक्षिक एवं ग्रामीण विकास समिति, बंगलौर
2.	ग्रामीण विकास के लिए जीवन विकास समिति, चित्रदुर्ग, मध्य प्रदेश
	मध्य प्रदेश
1.	मा रेवा महिला मंडल जिला होशंगाबाद

1	2
2.	परसुराम समाज कल्याण शिक्षा समिति, जिला ग्वालियर
3.	महिला उत्कर्ष संस्थान, जिला मंदसौर
4.	विवेकानंद शिक्षा एवं सेवा समिति भोपाल
5.	श्री शांति शिशु मंदिर समिति, जिला-मुरैना
	महाराष्ट्र
1.	जनजातीय एवं ग्रामीण विकास केन्द्र, जिला औरंगाबाद
2.	महा भारत शिक्षा समिति, जिला-बांद्रा
3.	श्री नटराज शैक्षणिक सांस्कृतिक व करीदा संस्थान, जिला-अमरावती
	उड़ीसा
1.	श्री रामकृष्ण सेवा आश्रम, जिला-खुर्द
2.	राष्ट्रीय महिला संस्थान, जिला धेनकनाल
3.	महिला विकास समिति, जिला-कटक
4.	उत्कल युवा सांस्कृतिक संघ, कटक
5.	आर.के. आश्रम, जिला-कालाहांडी
	राजस्थान
1.	राजस्थान नवचेतना समिति, जिला-नागौर
2.	उत्कर्ष संस्थान, जिला-अलवर
	उत्तर प्रदेश
1.	बाल कल्याण संगठन, जिला अलीगढ़
2.	पूर्वांचल सामाजिक विकास संस्थान, जिला-गाजीपुर
3.	स्वर्गीय शिवधर जनकल्याण समिति, जिला-शाहजहांपुर
4.	शिव औद्योगिक विकास सेवा संस्थान, जिला-गोरखपुर
5.	पी.आई. ग्रामोद्योग समिति, जिला-सुल्तानपुर
6.	बैरागी शिक्षा संस्थान, जिला-वाराणसी
7.	सर्वोदय ग्राम विकास संस्थान, जिला अलीगढ़
8.	मंत्री ग्रामीण महिला सेवा संस्था, जिला-अलीगढ़
9.	जन कल्याण सेवा समिति, जिला-पीलीभीत
10.	आर.के. मिशन, जिला-इलाहाबाद
11.	महामंत्री, समाज कल्याण एवं बाल विकास परिषद, जिला-महाराजगंज
12.	नेहरू युवा क्लब, बिजनोर
13.	विराज ग्रामोद्योग विकास समिति, जिला-अलीगढ़
14.	अखिल भारतीय समाजोत्थान विकास सेवा समिति, इलाहाबाद
15.	राधाकृष्ण प्रसार समिति, उ.प्र.
16.	श्री कैला देवी शिक्षण समिति, जिला-फिरोजाबाद
17.	राजीव युवा विकास संस्थान, वाराणसी
	पश्चिम बंगाल
1.	अम्बागान कर्मी संघ, जिला-हावड़ा
2.	कदलागोरा खेरोवल गौन्चा, जिला-पुरूलिया
3.	आर.के. मिशन, विद्यामंदिर, जिला-हावड़ा
4.	बारूईपुर भारत शैली जनकल्याण समिति, साऊथ 24 परगना
	असम
1.	ग्राम विकास परिषद, नागांव
	त्रिपुरा
1.	ग्राम विकास टीम, त्रिपुरा
II.	**साहस का संवर्धन**
	चण्डीगढ़
1.	राष्ट्रीय सहारा क्लब, चंडीगढ़
	दिल्ली
1.	दिल्ली एडवेंचर स्पोर्ट्स एसोसिएशन, नई दिल्ली
2.	रामजस खेल एवं पर्वतारोहण संस्थान, नई दिल्ली
3.	श्री अरविंद शिक्षा समिति, नई दिल्ली
	जम्मू व कश्मीर
1.	माडर्न कल्चरल क्लब, राजौरी
	पश्चिम बंगाल
1.	इंडियन रेडक्रास सोसायटी, मुर्शिदाबाद

1	2
III.	**युवा गतिविधियों के संवर्धन तथा प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता**
	आंध्र प्रदेश
1.	शिवाजी युवजन संगम ग्रामीण विकास समिति, प्लाट नं. 80, माडल कालोनी, हिन्दपुर
2.	केएसआर मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट फार रूरल डेवलपमेंट, बाजार स्ट्रीट, नेदूपेट, नेल्लोर
3.	एसोसिएशन आफ मर्सी सिविलियन आर्गेनाइजेशन (एमको), गंतीवीर स्ट्रीट, विजयवाड़ा
4.	श्री साई पवन एजूकेशनल एंड हैल्थ वेलफेयर सोसायटी, बालाजी स्वर्णपुरी कालोनी, मोतीनगर, बाराबांदा हैदराबाद
5.	नांदी वर्धाना, भेमाभाई, महिला मंडली, माधव रायनापेट, पूर्वी गोदावरी
6.	नेहरू युवा केन्द्र, केंटोनमेंट, निकट कलेक्ट्रेट, विजयनगरम
7.	वर्मानी, ग्रामीण विकास समिति, डी नं. 2-16, गुंडगोलानू, भीमावले मंडल, पूर्वी गोदावरी
8.	प्रयेरर फार हैल्थ आश्रम, चिकादापल्ली, हैदराबाद
9.	ए. रामकृष्ण ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन, अनापू एनक्लेव, आनंद नगर, कैराथा बाद, हैदराबाद
10.	सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट फार, एजूकेशनल नीड्स, श्रीनिवास नगर, कुलूरू, पश्चिमी गोदावरी
11.	ग्रामीण जनजातीय विकास समिति, अदेनी रोड, आरसीएम चर्च पाती कोंडा के सामने, कुर्नूल
12.	श्री राम युवा जन संगम, परदालया निदादवोलू मंडल, पश्चिम गोदावरी
13.	स्नेह युवा संघ, न्यु इंदिरा नगर, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद
14.	विजन्स वालंटरी आर्गेनाइजेशन, डालर चैम्बर, अपार्टमेंट्स, एसी गार्डस, लकड़ी का पुल, हैदराबाद
15.	अरूंधती युवा जन सेवा संगम, वुड हाऊस संगम, नेल्लूर
16.	सपनदना रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, कुरनूल रोड, डोने कुरनूल
17.	मास एक्शन फार सोसल सर्विस एनीकट रोड, संथापेट, नेल्लूर
18.	सेवा भारती जेडपीपी हाईस्कूल के पीछे, तिरिचानूर, चित्तूर
19.	इंटरनेशनल एजूकेशन सोसायटी, वेलपुर रोड, टनुकू, पश्चिम गोदावरी
20.	चन्द्रकला महिला मंडली, भास्कर नगर, कुरनूल
21.	चैतन्य महिला कल्याण संघ, नासा स्ट्रीट, पीपुल्ली, कुरनूल
22.	राजेश्वरी आर्ट्स अकेडमी, राजीव गांधी रोड, चित्तूर
23.	प्रगति महिला मंडारी, चित्तेपल्ली, नेल्लोर
24.	क्रुसी वालंटरी आर्गनाइजेशन, हैदराबाद
25.	कल्पाथारुवू हरिजन निरूद्योग युवाजन, सम्यक, चर्च के पास, पश्चिम गोदावरी
26.	श्री धारा लक्ष्मी महिला मंडली, हैदराबाद
27.	राष्ट्रीय पर्यावरण तथा शैक्षणिक विकास, विजयनगरम
28.	विष्णुई एजूकेशनल सोसायटी, रायसना, हैदराबाद
29.	वेणुगोपाल एजूकेशन सोसायटी, राजामुंडरी
30.	हैल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर सोसायटी, नेल्लोर
	असम
1.	नेरिम (उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय प्रबंधन संस्थान) एजूकेशन सोसायटी, नवीन नगर, गोवाहाटी
2.	इनायम दीप्ति संघ, दारांग
3.	नार्थ ईस्ट काउंसिल फार एजूकेशनल प्रमोशन, पादियारत्ला
4.	कराईबाड़ी युवा क्लब, गुवालपाड़ा
5.	सरबंगिन उन्नयन समिति, नलबाड़ी
6.	साई आस्था, गोवाहाटी
7.	युवा तथा ग्रामीण विकास केन्द्र, कोहराझार
8.	अंदियालिका, ग्राम उन्नयन परिषद, बरपेटा
9.	बोंजार स्पोर्ट्स क्लब कम लाइब्रेरी, कोहराझार
10.	डा. अम्बेडकर मिशन, कामरूप
11.	बाथर क्लिब एंड लाइब्रेरी, बोंगाइगांव
12.	दाहरा बागचोरी नव ज्योति संघ, कामरूप

1	2
13.	वेलविशर, गोपालपुर
14.	पोजीक्लब, मोरलाई गांव
15.	नोलूगा उजपानपाड़ा महिला समिति, ग्वालापाड़ा
16.	नीलांचल उन्नयन संस्कृति परिषद, नागांव
17.	ग्रामीण महिला उत्थान संघ गोवाहाटी
18.	पूर्वी विकास संगठन, बरपेटा
19.	आसाम सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्य संघ, बरपेटा
20.	मातृभूमि बलदामिनी, ग्वालपाड़ा
21.	कलंदर गांव उन्नयन समिति, नलबाड़ी
22.	असम गांधी स्मारक निधि, कामरूप
23.	राष्ट्रीय कंप्यूटर संस्थान, नोगांव
24.	आसाम एसोसिएशन आफ द डीक गोपीनाथ, गोवाहाटी
25.	संस्थान समुदाय विकास नेटवर्क, बरपेटा
	बिहार
1.	अमरदीप समाज कल्याण संस्थान, ग्राम-इनायतनगर, डाकखाना-गोरोल, जिला-वैशाली
2.	ब्रिघाटवे कामर्शिलय इन्स्टीट्यूट, कामला प्रेस कैम्पस, आनदेर धाला रोड, सिवान
3.	दधीति सेवा संस्थान, एट/डाकखाना-बसौरा, वाया-आयाघाट, जिला-दरभंगा
4.	नारी कल्याण संस्थान, एट/डाकखाना-झंझारपुर, जिला-मधुबनी
5.	ग्राम विकास संघ, ग्राम-आशिनपुर, डाकखाना-धुरलाख, जिला-समस्तीपुर
6.	फिरहुट लोक सेवा संस्थान, बापू चौक, नीयर नाका सं. 1, डाकखाना-लालबाग, जिला-दरभंगा
7.	युवा कल्याण परिषद, घुरघाट, डाकखाना-चैनपुर, जिला-सिवान
8.	विकास विहार, चपरा का पहला तल, एक्स-रे क्लीनिक, गोपेश्वर नगर, चपरा, सारन
9.	राजेन्द्र सेवा संस्थान, सरचाचिया निवासी, बालुघाट, मुजफ्फरपुर

1	2
10.	शांतिदूत, गाधपुर, उड़नपुरी, बिहार शरीफ, नालंदा
11.	पर्यावरण विकास संस्थान, ग्राम-बैका, डाकखाना-चम्पारन, वैशाली
12.	चन्द्रशिल्प कला विद्या केन्द्र, एट-अगरैल, डाकखाना-चम्पारन, वैशाली
13.	दरभंगा जिला विकास परिषद व डाकखाना-नरौची, दरभंगा
14.	जीवन कल्याण समिति, नियर संजय सिनेमा ब्रह्मपुरा, मुजफ्फरपुर
15.	महिला आश्रय विकास संस्थान, सर्कुलर रोड, स्टेसंग, देवघर
16.	बिहार नव जीवन ज्योति प्रतिष्ठान, लाखीसराय रोड, जमूई
17.	जनजागरण समिति, ग्राम-नरटाली, मधुबनी
18.	मिथिला सेवा समिति, ग्राम-नरटाली, मधुबनी
19.	शुभा समाज कल्याण समिति, कंकडबाग कालोनी, पटना
20.	मानव चेतना संस्थान, ग्राम व डाकखाना-देवघर, वाया-आंद्राथाडी, मधुबनी
21.	अंत्योदय चेतना केन्द्र, बौरवार्म, जिला-बेगुसराय
22.	अंकुर ग्रामीण महिला एवं समाज कल्याण समिति, ग्राम-बाम्बाई, ब्लाक-कारपी, जिला-मधुबनी
23.	ग्रामीण समग्र विकास परिषद, ग्राम/डाकखाना-शिबीपाटी, ब्लाक-राजनगर, जिला-मधुबनी
24.	मिथिलांचल समग्र विकास संस्था, मागोलपुरा (नारटिया टोला) दरभंगा
25.	नार्गाजुन बोद्धिष्ट कल्याण समिति, नियर इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड, लालबाग, दरभंगा
26.	टेरिटोरियल अपलिफ्टमेंट आफ लेबर्स एंड लोवर्स इंस्टीट्यूट, राम प्रताप भवन, नियर चाईना कोठी, साऊथ मंदिर, पटना
27.	शिव लक्ष्मी ग्रामीण सेवा आश्रम शिव लक्ष्मी ग्रामीण सेवा आश्रम, एट-पाटुबेलवा, डाकखाना-मेहसी, पूर्वी चम्पारण
28.	रामेश्वर सेवा संस्थान, कन्हौली, डाकखाना-रामना, मुजफ्फरपुर
29.	दरोगा प्रसाद राय महिला प्रशिक्षण एवं औद्योगिक केन्द्र, ग्राम-नवादा, डाकखाना-सुतीहार, सारन

1	2
30.	जय मंगला विकास केन्द्र, रामना, मुजफ्फरपुर
31.	आदर्श महिला शिल्प कला, केन्द्र, अमीरगंज, समस्तीपुर
32.	मानव सेवा आश्रम, सरबरसा चौक, हारी आनन्द भवन, समस्तीपुर
33.	भोजपुर समग्र विकास संस्थान, आगरा भोजपुर
34.	राज लक्ष्मी राष्ट्र सेवा संस्थान मधुबनी
35.	स्वामी दयानन्द आर्य समिति, भाजपुर
36.	समाज सेवा संस्था, दरभंगा
37.	लक्ष्मी कला एवं आर्थिक विकास संस्थान, पटना
38.	सर्वजन कल्याण समिति, मधुबनी
39.	गरीबों के लिए सामूहिक ग्रामीण प्रचालन, ग्राम व डाकघर-कोयल
40.	कोकात्थान इंडिया, दरभंगा
41.	भगवान बुद्ध विकास सेवा समिति, पटना
42.	यशोदा ग्राम शेरी कल्याण संस्थान, दरभंगा
43.	महिला चेतना समाज, अरारिया
44.	सिद्धार्थ ज्ञान केन्द्र, समस्तीपुर
45.	मुस्कान, जहानाबाद
46.	अमोद प्रबाभी सेवा संस्थान, वैशाली
47.	दलित ग्राम, लाखीसराय
	छत्तीसगढ़
1.	अक्षरा ग्रामोत्थान समिति, सातीपारा, नियर प्राइमरी स्कूल, अम्बिकापुर, सरगुजा
2.	अम्बिकापुर विकास समिति, पुराना भाटली रोड, केदारपुर, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा
	दिल्ली
1.	बिहार नवयुवक परिषद, रोहिणी
2.	अखिल भारतीय सरस्वती शिक्षा कल्याण समिति, बुद्धविहार
3.	समुदाय कल्याण संगठन, गोकुलपुरी
4.	स्लम देहात, मानव उत्थान समिति, पालम
5.	श्री अरविंदो शिक्षा समिति, श्री अरविंदो मार्ग
6.	उरूवी विक्रम चेरिटेबल ट्रस्ट, विशाल एंक्लेव
7.	अखिल भारतीय सामाजिक मानव विकास संघ, डाकघर के पास, दिल्ली
8.	परचेटा शिक्षा समिति, शकरपुर दिल्ली
9.	सर्वधर्म एवं जन परोपकारी संस्था, पश्चिमपुरी
10.	आईडी अनुसंधान केन्द्र, पश्चिम विहार
11.	श्री संतोषी महिला एवं बाल कल्याण समिति, मयूर विहार
12.	श्रीमती सुभाष रानी ग्रामोत्थान कल्याण परिषद, जहांगीरपुरी
13.	नारी उत्थान समिति, मौजपुर
14.	आल इंडिया मेटरसी सोसायटी, रोहिणी
15.	मा रत्नी, गोकुलपुरी
16.	ग्रामीण विकास एवं नव-निर्माण समिति, रोहिणी
17.	कंप्यूटर शिक्षा विकास संगठन, चंद्र नगर
18.	भारतीय मानव कल्याण संघ, शाहदरा
19.	महिला बाल उत्थान एवं कला मंच डा. अम्बेडकर नगर
20.	न्यू अपाच्युनिटी फार वूमन, सिद्धार्थ एंक्लेव
	गुजरात
1.	सागर खादी ग्रामोद्योग संघ, अहमदाबाद
2.	श्री नवचेतन कलवानी मंडल, अहमदाबाद
3.	विवेकानंद ग्राम विकास प्रतिष्ठान, अहमदाबाद
4.	स्वानी विवेकानंद केलवानी मंडल, अहमदाबाद
5.	लेट पटेल शिवभाई द्वारकादास एजूकेशन ट्रस्ट, गांधीनगर
	हरियाणा
1.	लक्ष्मी ग्राम उद्योग मंडल, कैथल
2.	राष्ट्रीय विकास युवती मंडल, करनाल
3.	युवा नेटरटवा ज्योति, सोनीपत

1	2
4.	अखिल भारतीय महिला सेवा समिति, रोहतक
5.	आदर्श सरस्वती शिक्षा समिति, रोहतक
6.	बलराजा खादी ग्राम उद्योग समिति, गुड़गांव
7.	पर्यावरण के लिए युवा विकास संघ, रेवाड़ी
8.	मानव एवं जन कल्याण शैक्षिक समिति, झज्जर
9.	सोसायटी फार आल राउंड ह्यूमन डेवलपमेंट, रेवाड़ी
10.	ग्रामीण युवा विकास मंडल, कैथल
11.	शेरी शमशेर राना अमरज्योति फाउंडेशन, जींद
12.	राष्ट्रीय युवा संगठन, करनाल
13.	आर्य कन्या गुरूकुल, फरीदाबाद
14.	हंस खादी ग्राम उद्योग, करनाल
15.	शांति युवा मंडल, करनाल
16.	ग्राम विकास युवा मंडल, करनाल
17.	शिवम ग्राम उद्योग मंडल, करनाल
18.	नटराज थियेट्रिकल, सोनीपत
19.	हरीओम ग्रामोद्योग मंडल, हिसार
20.	शिक्षा तथा समाज कल्याण केन्द्र, रोहतक
	हिमाचल प्रदेश
1.	बाल भारती पब्लिक स्कूल, कांगड़ा
	जम्मू व कश्मीर
1.	वौलार कल्याण शिक्षा समिति, जम्मू
2.	मदर वूमन कल्याण संगठन, श्रीनगर
3.	ह्यूमन चैन कल्याण समिति, अनंतनाग
	झारखंड
1.	ग्रामीण समाज कल्याण विकास मंच, पलामू
	कर्नाटक
1.	धर्मश्री युवती मंडली, हासन
2.	श्री रेणुका देवी महिला एवं बाल विकास फाउंडेशन, देवानगर्स

1	2
3.	एक्शन फार एनवार्नमेंट एसोसिएशन, मैसूर
4.	सोसायटी फार ट्रेनिंग एंड एक्शन-इन रूरल डेवलपमेंट
5.	दिव्य ज्योति विद्या केन्द्र, बंगलौर
6.	डा. बी.आर. अंबेडकर एजूकेशनल समिति, कोलार
7.	हरीहारा ग्रामीण भवीरूधि संघ कोलार
8.	भारतीय विकास ट्रस्ट, उडुपी
9.	प्रगति ग्रामीण विकास समिति, चिकबल्लापुर
10.	ग्राम विकास सेवा समिति, बेल्लारी
11.	नवचेतन्य अर्बन व ग्रामीण विकास समिति, कोलार
12.	किसान कल्याण समिति, देवानगिरि
13.	जनजागृति युवक संघ, नियर नटराज लोज बुबली
14.	गोवान एजूकेशन ट्रस्ट, बीदर
15.	अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक समिति, कोलार
16.	सिटीजन शैक्षिक समिति, कोलार
	मध्य प्रदेश
1.	सेवा भारती भोपाल
2.	विकास तथा संवर्धन के लिए आशा समिति, जबलपुर
3.	अमर आशा शिक्षा कल्याण समिति, मंडल
4.	एकता शिक्षा समिति, होशंगाबाद
5.	ग्रामीण विकास समिति, ग्वालियर
6.	युवा भारत भारतीय सामाजिक मंच, दमोह
7.	सेवा भारती भोपाल
8.	अम्स शिक्षा कल्याण समिति, जबलपुर
9.	के. श्रीकांत नेहरू युवा मंडल, दमोह
10.	अभिप्रेरणा, भोपाल
11.	नेहरू युवा केन्द्र, भोपाल
12.	सफल सधुआ शिक्षा समिति, जबलपुर
13.	पैरामाउंट शिक्षा कल्याण समिति, राजगढ़

1	2
14.	सेवा भारती मध्य भारत मातृछाया (शिशु कल्याण केन्द्र), भोपाल
15.	श्री श्रीनाथ शैक्षिक समिति, गुना
16.	रेनु शिक्षा समिति, सिहोर
17.	स्नेहिल शिक्षा कल्याण समिति, कटनी
18.	सफनी शिक्षा समिति, सिवनी
19.	शिक्षा दर्शन कल्याण समिति, मंडल
20.	नवसंगम शिक्षा समिति, नरसिंहपुर
21.	गोपाल महिला मंडल, राजगढ़
22.	सुविचार शिक्षा समिति, कटनी
23.	रानी महिला एवं बाल कल्याण समिति रायसेन
24.	पार्वती महिला कल्याण शिक्षा समिति, जबलपुर
25.	शिक्षा महिला विकास कल्याण समिति, मांडला
26.	सुमन महिला कल्याण शिक्षा समिति, बालाघाट
27.	शारदा महिला मंडल, रायसेन
28.	सहयोग शिक्षा समिति, राजगढ़
29.	मानसी शिक्षा समिति, कटनी
30.	राज ज्योति महिला कल्याण शिक्षा समिति, मंडला
31.	गजेन्द्र शिक्षा प्रसार समिति, भिंड
32.	मधुरिमा महिला कल्याण शिक्षा समिति, मंडला
33.	न्यू विकास शिक्षा समिति, जबलपुर
34.	लक्ष्मी युयेन केटे जन कल्याण समिति, सागर
35.	डा. अम्बेडकर विकास संस्थान, सागर
36.	विचार शिक्षा समिति, मांडला
37.	एनवाईके, धार
38.	शीतलछाया शिक्षा प्रसार समिति, बालाघाट
39.	सत्कार शिक्षा समिति, बालाघाट
40.	समाज विकास शिक्षा समिति, बालाघाट
41.	पवन रूप लोक कल्याण एवं जागरन समिति, मोरेना
42.	ज्ञानवर्धन ग्राम समाज उत्थान शिक्षा समिति, नरसिंहपुर
43.	मिनल सत्य शिक्षा कल्याण समिति, सिवनी
	महाराष्ट्र
1.	अहिल्या बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडल, लातूर
2.	जोगाई माता सांस्कृतिक सामाजिक शैक्षणिक मंडल, धुले
	मणिपुर
1.	इस्टर्न स्टार एसोसिएशन, इम्फाल पूर्व
2.	नेशनल एसोसिएशन आफ फिसर मैन, इम्फाल
3.	अपलिफ्टमेंट आफ ह्यूमन रिसर्च एंड बोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वांगजिंग
	मिजोरम
1.	न्यू मिलेनियम कंप्यूटर सेंटर, एजवाल
	नागालैंड
1.	एसोसिएशन फार रेमिडयल टिचिंग इन स्कूल, फाबे
2.	यूथ मिन्सिट्री, फाक
	उड़ीसा
1.	जेनामणि यूथ क्लब, कटक
2.	वसुधा इंस्टीट्यूट आफ डेवलपमेंट वर्क ट्रेनिंग एंड रेहाबिलेशन, भुवनेश्वर
3.	समन्वित ग्राम्य उन्नयन समिति, कर्धामाट
4.	भारत ज्योति कटक
	पंजाब
1.	सोसल वर्क रूरल डेवलपमेंट सेंटर, रोपड़
2.	सेंटर फार ट्रेनिंग एंड इम्पलायमेंट आफ पंजाब यूथ, चंडीगढ़
	राजस्थान
1.	नेहरू युवा केन्द्र, भरतपुर
2.	अंजुमन संस्थान, जयपुर

1	2
3.	नेहरू युवा केन्द्र, झुंझुनू
4.	नवचेतना समिति, नागौर
5.	आदिवासी सांस्कृतिक सेवा संस्थान, जयपुर
	दादर एवं नगर हवेली
1.	जनजातीय एवं ग्रामीण विकास के लिए केन्द्र, सिलवासा
	सिक्किम
1.	घरेलू साग क्लब, साऊथ सिक्किम
2.	बजदुंग जन जबाते समाज, पश्चिम सिक्किम
3.	नेहरू युवा केन्द्र, ग्यालसिंघ, पश्चिम सिक्किम
4.	नेहरू युवा केन्द्र, गंगलोब, पूर्वी सिक्किम
5.	संगम क्लब, नामची
	त्रिपुरा
1.	ग्राम विकास टीम, त्रिपुरा पश्चिम
	तमिलनाडु
1.	ग्रामीण विकास आर्थिक शिक्षा एवं सामुदायिक समिति संगठन, शिवगंगा
2.	कलैमंगल कालवी संगम, तिरूनेलवेल्ली
3.	रिहैब्लिटेशन एवार्नेस गाइडेंस एंड एक्शन, मदुरई
4.	सामूहिक विकास के लिए शिक्षा, पुदुक्कोट्टई
	उत्तरांचल
1.	पर्वतीय जन कल्याण एवं शिक्षा संस्थान, पिथौरागढ़
2.	उत्तराखंड ग्रामीण विकास समिति, चमोली
3.	उत्तरांचल युवा कल्याण समिति, नैनीताल
	उत्तर प्रदेश
1.	महिला ग्रामोद्योग सेवा समिति, मऊ
2.	ग्रामीण सर्वदलीय मानव उत्थान समिति, बिजनौर
3.	ग्राम्य विकास समिति, बाराबंकी
4.	उत्तर प्रदेश ग्रामीण महिला एवं बाल कल्याण समिति, बाराबंकी
5.	ग्रामीण महिला औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, बाराबंकी
6.	फेयरडील ग्रामोद्योग सेवा समिति, बाराबंकी
7.	अखिल भारतीय आदिवासी समाज उत्थान परिषद, प्रतापगढ़
8.	श्री अम्बेकेश्वर सेवा संस्थान, गोण्डा
9.	विवेकानंद ग्रामोत्थान संस्थान, राय बरेली
10.	श्री बाबा भीमराव अम्बेडकर महिला उत्थान, सिलाई, खादी प्रशिक्षण संस्थान, बाराबंकी
11.	अमेठी महिला एवं बाल कल्याण समिति, सुल्तानपुर
12.	शिवम युवा विकास समिति, बदायूं
13.	मानव विकास संस्थान, लखनऊ
14.	खादी सेवा आश्रम, गाजीपुर
15.	सामाजिक कार्य और अनुसंधान संस्थान, सीतापुर
16.	ग्रामीण औद्योगिक संस्थान, गोरखपुर
17.	श्री सरदार सेवा संस्था, एटा
18.	आदर्श शिक्षा प्रसार समिति, अलीगढ़
19.	कविता सेवा समिति, बुलंदशहर
20.	श्री संजय गांधी बाल विकास केन्द्र, गोण्डा
21.	राजवंती देवी महिला सेवा संस्थान, गाजीपुर
22.	सौरभ सेवा संस्थान, लखनऊ
23.	मानव विकास एवं सेवा संस्थान, लखनऊ
24.	राष्ट्रीय ग्रामोद्योग सेवा समिति, बुलंदशहर
25.	सीमा सेवा संस्थान, लखनऊ
26.	ह्यूमन नीन, बाराबंकी
27.	पूर्वांचल औद्योगिक सेवा संस्थान, महाराजगंज
28.	समाजोत्थान और बाल विकास संस्थान, इलाहाबाद
29.	पूर्वांचल विकास संस्थान, सिद्धार्थ नगर
30.	राजू ग्रामोद्योग सेवा समिति, गोण्डा
31.	ग्रामीण समाज कल्याण समिति, उन्नाव
32.	ग्रामीण समाज कल्याण समिति, सहारनपुर

1	2
33.	स्मृति, लखनऊ
34.	औत्रामा ग्रामीण विकास समिति, सुल्तानपुर
35.	प्रयास, बाराबंकी
36.	राहुल खादी ग्रामोद्योग समिति, फिरोजाबाद
37.	गौरव शिक्षा और कल्याण समिति, जेवी नगर
38.	चंपा देवी नारी विकास संस्थान, गोरखपुर
39.	महिला चिकन एवं कटाई सिलाई प्रशिक्षण समिति, लखनऊ
40.	जनकल्याण संस्थान, महाराजगंज
41.	राजू ग्रामोद्योग सेवा समिति, बहरामपुर
42.	पाल एकता अल्पसंख्यक सेवा समिति, सिद्धार्थ नगर
43.	शिवम सेवा संस्थान, महाराजगंज
44.	बुद्ध जन कल्याण सेवा समिति, बलिया
45.	आकांक्षा वूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गाजियाबाद
46.	बसोया ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, जीवी नगर
47.	युवा कल्याण समिति, लखनऊ
48.	मंगला, लखनऊ
49.	संदीप ग्रामोद्योग समिति, मैनपुरी
50.	गोरखनाथ सर्वोदय आश्रम, बलिया
51.	शीतलगंज ग्रामोद्योग सेवा समिति, गोण्डा
52.	श्री महेन्द्र सिंह समाज कल्याण शिक्षा समिति, एटा
53.	शालिनी इलैक्ट्रानिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एटा
54.	लाल जी ग्रामोद्योग सेवा समिति, बुलंद शहर
55.	समग्र महिला विकास समिति, गाजीपुर
56.	सोशल एक्शन फार यूथ अवेयरनेश, सहारनपुर
57.	जेपी सेवा समिति, कन्नौज
58.	समता सेवा समिति, देवरिया
59.	मानव उन्नयन समिति, बिजनौर
60.	ए.के. माडल पब्लिक स्कूल, बिजनौर

1	2
61.	आदर्श सेवा समिति, मथुरा
62.	भारतीय जन कल्याण ग्रामोद्योग संस्थान, कानपुर
63.	ज्योति सेवा संस्थान, गोरखपुर
64.	ट्राई औद्योगिक विकास संस्थान, महाराजगंज
65.	आदर्श जनकल्याण समिति, गोरखपुर
66.	सनविजन, लखनऊ
67.	आदर्श जनकल्याण सेवा समिति, बस्ती
68.	बाबा गोरखनाथ जनकल्याण सेवा समिति
69.	बाल कल्याण केन्द्र, देवरिया
70.	प्रेरणा विजन, लखनऊ
71.	अमित ग्राम विकास सेवा संस्थान, जालौन
72.	नेशनल यूथ टैलेंट सोसायटी, देवरिया
73.	केशव ग्रामोद्योग विकास समिति, गाजियाबाद
74.	शिखा महिला समिति, बस्ती
75.	श्री नागेश्वर जन कल्याण समिति, इलाहाबाद
76.	प्रभात कुमार विकास समिति, गाजीपुर
77.	प्रहलाद शिक्षण समिति, गाजीपुर
78.	अखिल भारतीय कल्याण समिति, उन्नाव
79.	सहयोग संस्थान, देवरिया
80.	जन कल्याण विकास सेवा समिति, सरस्वती
81.	कमला सेवा समिति, गाजियाबाद
82.	दारागंज ग्रामोद्योग विकास संस्थान, इलाहाबाद
83.	भूतपूर्व सैनिक संस्थान, ज्योतिबाफुले
84.	भारतीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, मैनपुरी
85.	डा. बी.आर. अम्बेडकर विकास समिति, हमीरपुर
86.	अवध मेमोरियल समिति, बाराबंकी
87.	मदरसा अनवरूल उलूम तालिमी सोसायटी, लखनऊ
88.	उपकार दीक्षा संस्थान, फिरोजाबाद

1	2
89.	ग्रामीण विकास समिति, कशीनगर
90.	भारतीय बुद्धिजीवीज, लखनऊ
91.	सत्यम युवा विकास समिति लखनऊ
92.	आदर्श विकास संस्थान, बाराबंकी
93.	राष्ट्रीय विकास सेवा समिति, सुल्तानपुर
94.	श्री भूलबाबा ग्राम विकास पुस्तकालय, गोण्डा
95.	युवा महिला विकास केन्द्र, आजमगढ़
96.	नेशनल सोसायटी वेलफेयर अकाडमी, बाराबंकी
97.	ग्रामोद्योगिक शिक्षा प्रसार समिति, गोण्डा
98.	गुंगेमऊ ग्राम विकास समिति, सुल्तानपुर
99.	यूथ कैरियर इंस्टीट्यूट लखीमपुर खीरी
100.	केशव ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, बाराबंकी
101.	समाज सुधार एवं अमन समिति, मेरठ
102.	लोक कल्याण सेवा संस्थान देवरिया
103.	एसकेडी शिक्षा समिति, अलीगढ़
104.	जनकल्याण समिति, गोण्डा
105.	श्री शिक्षा प्रसार समिति, बदायूं
106.	पूर्वांचल ग्रामीण सेवा संस्थान, गोरखपुर
107.	मानव विकास परिषद, लखनऊ
108.	समाज कल्याण संस्थान, संत कबीर नगर
109.	आस्था सेवा संस्थान लखनऊ
110.	चन्द्रशेखर सेवा संस्थान, सुल्तानपुर
111.	मीनाक्षी नारी सेवा संस्थान, फिरोजाबाद
112.	श्री सुखदेव सिंह समाज कल्याण सेवा समिति, अलीगढ़
113.	प्रगतिशील मानव कल्याण, कानपुर
114.	बुद्ध जन कल्याण सेवा समिति, बलिया
115.	शशि खादी ग्रामोद्योग आश्रम, लखनऊ
116.	योगेन्द्र ग्राम विकास समिति, बुलंदशहर
117.	अवध सेवा संस्थान, लखनऊ
118.	नवीन प्रशिक्षण संस्थान, बाराबंकी
119.	मां गंगा चेरिटेबल सोसायटी, कानपुर
120.	सेंट्रल फार एजूकेशनल टैक्नोलोजिकल रिसर्च एंड एक्सटेंशन, कानपुर
121.	सर्वोदय ग्राम विकास समिति, जौनपुर
122.	ग्राम सेवा सदन, जेपी नगर
123.	कलावती महिला विकास जन कल्याण समिति, जेपी नगर
124.	ग्राम विकास समिति, जेपी नगर
125.	सहयोग विकास संस्थान, कुशी नगर
	पश्चिम बंगाल
1.	विक्लांगों के लिए ईटीआर, कोलकाता
2.	आर.के. मिशन आश्रम, साऊथ 24 परगना
3.	बाल एवं सामाजिक कल्याण समिति, पश्चिम मिदनापुर
4.	कानपुर सेवा संघ, हावड़ा
5.	ईचापुर ब्रह्ममनपारा शिल्पा निकेतन, नार्थ 24 परगना
6.	अखिल पिछड़ा वर्ग राहत एवं विकास मिशन, कोलकाता
7.	कामिना सामाजिक कल्याण सहित, हावड़ा
8.	आर.के. मिशन आश्रम, नरेन्द्रपुर
9.	कलीतला शिशु और महिला कल्याण केन्द्र, नार्थ 24 परगना

वर्ष 2003-04 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को दिये गये अनुदानों की सूची

I. राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन

आंध्र प्रदेश

1. शुभोदय युवजन संगम, ग्राम-बंजोर नगर कालोनी, प्लाट सं. 34, कुरनूल
2. चन्द्रकला महिला मंडली, सं. 12, भास्कर नगर, कुरनूल-518002
3. प्रियदर्शनी महिला मंडली, हैदराबाद-8-1-2006/ए., मयालार्डवेपल्ली राजेन्द्र नगर, हैदराबाद-500005

1	2
4.	श्री साई सोसल आर्गेनाइजेशन, डी. नं. 7-7-888/2, प्रथम लेन संजीवावा नगर, जिला-गुंटूर
5.	इंस्टीट्यूट आफ ह्यूमन स्टडी, 2-2-4/1, अरबिंदों मार्ग यूनीवर्सिटी रोड, हैदराबाद-500044
	बिहार
1.	भारतीय कला निकेतन, एमओ स्टेडियम रोड, नवादा
2.	समाज सेवा प्रागंण, डाकघर-रानी, जिला-बेगुसराय
3.	ग्रामीण समग्र विकास परिषद, सिबीपती राजनगर, मधुबनी
4.	नारी उत्थान केन्द्र, सैदपुर, सरन, छपरा
5.	सीमांत गांधी अल्पसंख्यक विकास समिति, आरडी सिंह का घर गांव-गारा, वैशाली
6.	समग्र मानव सेवा समिति, भालनाना चांडू चारपोखरी, भोजपुर
7.	अखिल लोक विकास संस्थान, जिओहिली, पूर्वी चम्पारण
8.	शांतिदूत उद्यानपुरी, नालंदा
9.	स्वामी विवेकानंद, अनाथ सुरक्षा आश्रम, कांतापुर, मुरारपुर, नालंदा
10.	हेडगेवार समाजोत्थान और कल्याण समिति, पारसांदो, हवेली खड़गपुर, मुंगेर
11.	सावित्री बाल विकास केन्द्र, कतारू, छोप, मुजफ्फरपुर
	छत्तीसगढ़
1.	राम किशन मिशन आश्रम, नारायणपुर, बस्तर
	दिल्ली
1.	आल इंडिया सेंटर फार अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट सोला भाई बीर सिंह मार्ग, गोल मार्केट, नई दिल्ली
2.	सर्वधर्म एवं जन परोपकारी संस्थान, 365/3, पश्चिमपुरी
3.	श्री संतोष महिला एवं बाल कल्याण समिति, 116 कोटला, मयूर बिहार
4.	राम किशन आश्रम, नई दिल्ली-55
5.	इंडिया इंटरनेशनल, रूरल कल्चरल सेंटर 7 नेल्सन मंडेला रोड, बसंतकुंज
6.	एसोसिएशन आफ इंडियन यूनीवर्सिटी, एआईयू हाऊस, 16 कोटला मार्ग, नई दिल्ली
7.	नेशनल यूथ प्रोजेक्ट 221, डीडी उपाध्याय मार्ग
8.	महिलाएं प्रगति की ओर, 5-1/77 ओल्ड महावीर नगर, तिलक नगर
9.	सचिव, वसुंधरा 118-बी, गली नं. 6 ईस्ट बाग, सराय रोहिल्ला
10.	श्री अरविंद शिक्षा समिति, श्री अरविंद मार्ग
11.	ग्रामीण स्वाभिमान, खादीपुर अलीपुर
12.	आल इंडिया वूमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन, सी-4-ई/301, जनकपुरी
13.	सर्वेंटस आफ पीपल सोसायटी, लाजपत नगर-4
14.	सर्वधर्म एवं जन परोपकारी संस्था, 363/3, पश्चिमपुरी
15.	भारतीय कल्याण प्रतिष्ठान संकट मोचन हनुमान मंदिर, सैक्टर-6, आरके पुरम
16.	वेल्फेयर आर्गेनाइजेशन, टी-19, बाबा फरीदपुरी, पश्चिम पटेल नगर
17.	भारत स्काउट और गाइड, राष्ट्रीय मुख्यालय, 16 महात्मा गांधी मार्ग, आई.पी. एस्टेट
	गुजरात
1.	श्री एक्सीलेंट युवक मंडल, सोसिया, प्लाट सं. 162 के सामने सोसियाशिप ब्रेकिंग यार्ड तलाजा भाव नगर
	हरियाणा
1.	हंस खादी ग्रामोद्योग समिति, कोठी 280, सेक्टर-8, यूई
2.	राष्ट्रीय विकास युवती मंडल, टक्कर चौक, घरौडा, करनाल
3.	लोक कल्याण प्रतिष्ठान, ब्लू जे रोड, समालका, पानीपत
4.	आल इंडिया यूथ वेल्फेयर सोसायटी, 422, वार्ड 15 शिव कालोनी, सफी देव जींद
5.	अखिल भारतीय नव युवक कला संगम 94/22, लक्ष्मी नगर, रोहतक
6.	खेल युवा संगठन कंडेला, जींद

1	2
7.	सोसायटी फार एवयरनेस वेल्फेयर एजूकेशन एंड रूरल एडवांसमेंट जींद
8.	हरियाणा युवा शक्ति, माहिम, 41/1, सैनिक कालोनी रोहतक
9.	राय साहब पंडित बसंत लाल एजूकेशन सोसायटी, जिला झाफरसिलानी गेट
	जम्मू व कश्मीर
1.	पटनी टाप डेवलपमेंट अथार्टी आईआईक्यू, केयूडी, ऊधमपुर
2.	साइनिंग स्टार बार्डर एरिया स्पोर्ट्स एंड यूथ वेल्फेयर एसोसिएशन द्रास, कारगिल
	झारखंड
1.	महिला कल्याण समिति, धोरी, बोकारो
2.	ग्रामीण कल्याण समिति, नेताजी सुभाष कालोनी, साहेबगंज
3.	युवा कल्याण विकास केन्द्र, जास, बोकारो
4.	भारतीय ग्रामोत्थान एवं ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, सांगी, रोवन, धनबाद
5.	बुद्ध प्रज्ञान मंडल महेशपुर पाकुर
6.	महिला आश्रय विकास संस्था, देवरिया
	कर्नाटक
1.	रायल एजूकेशनल सोसल टैक्निकल कल्चरल आर्गनाइजेशन 834, राजा जी नगर
2.	प्रगति रूरल विकास समिति पेलेनगेरी तिरूवल्ली कैम्प सिमोगा
	मध्य प्रदेश
1.	दर्पण कला साहित्य क्रीडा एवं महिला बाल युवा समिति, मुरैना-1
2.	सरोजनी शिक्षा समिति, 53 रविशंकर वार्ड, सागर-72
3.	यूथ वेल्फेयर आफ इंडिया सोसायटी-95 ए/9, तुलसी नगर, भोपाल
4.	हैबंतीबाई, महिला मंडल, 12/16 पुलिस लाइन, मुरैना-1
5.	परसुराम समाज कल्याण शिक्षा समिति, हस्तिनापुर, मुरार ग्वालियर
6.	सचिव, न्यु कृष्णा शिक्षा प्रसार और समाज कल्याण समिति कोठी नं. 28 माधव नगर, शिवपुरी
7.	मनोरमा स्वास्थ्य शिक्षा संस्कृति एवं सामाजिक समिति, एमआईजी-29/8, गीतांजलि काम्पलैक्स, टीटी नगर, भोपाल
8.	श्री राम स्वरूप सिंह शिक्षा प्रसार समिति, 45 नुनहाड मेहगांव भिंड
	उड़ीसा
1.	आदिवासी हरिजन एंटीग्रेटिड मास सोसल एजेंसी फूलबनी, खांडामाल
2.	सोपुत्रा, अनलो कटक-10
3.	रत्नाकर रूरल एंड अर्बन विकास इंस्टीट्यूट गोंडिया, कबारा, धेनकनाल
4.	'अहिंसा' (आदिवासी हरिजन इंस्टीट्यूट एण्ड नेशनल सोशल एक्शन) कपिलास ब्लाक रोड, कोकिडा, गोंदिया, रायतला, धेनकनाल
5.	नेचुरल इंस्टीट्यूट फार सोसल वेल्फेयर, न्यू जामूपोसी, सुकिदा जाजपुर
6.	एंटीग्रेटिड वूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, बनासिंग गोडिया, सदर, धेनकनाल-14
7.	सेंटर फार रूरल रिकंस्ट्रक्सट्रक्शन एंड सोशल सोलिडारिटी, कटक-11
8.	नेशनल यूथ एंटीग्रेटिड सेंटर, बीएन दास सोना बील्डिंग, पुरी-1
9.	वालंट्री आर्गनाइजेशन फार रूरल एंड सोसल वेल्फेयर मंगराजपुर, केन्द्रपाड़ा-18
10.	ट्राइबल एजूकेशन एंड रूरल आर्फन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट चुरूलिया, धेनकनाल
	पंजाब
1.	प्रोग्रेसिव यूथ फोरम घागा समारा पटियाला
2.	यूथ फाउंडेशन 388, जैल सिंह नगर, रूप नगर

1	2
	राजस्थान
1.	क्रिएटिव डेवलपमेंट एक्शन सोसायटी जयपुर
2.	भारतीय शिक्षा सौध एवं निर्देशन संस्थान 52/529, प्रताप नगर, सांगनेर, जयपुर
3.	रायज स्पोर्ट्स सोसायटी, मोरी चारबाग भरतपुर-1
4.	नवोदय बाल विद्या समिति, महावीर नगर एक्सटेंशन, कोटला-9
5.	मदर इंडिया शिक्षा समिति, 25 ए. गायत्री नगर, सोदाला, जयपुर
6.	सरदार पटेल, युवा ग्रामीण विकास संस्थान, वी.पी. खौरी कला दौसा
	तमिलनाडु
1.	सेवा ट्रस्ट वेनावालकुडी पुडूकोट्टई-5
2.	गांधी दर्शन केन्द्र
3.	स्ट्रीट सर्वमंगला नगर, चेन्नई-64
	उत्तर प्रदेश
1.	जन कल्याण संस्थान, 54, सराय जीवा, मेरठ
2.	भारतीय जन कल्याण ग्रामोद्योग संस्थान, बरगदियापुर, कानपुर
3.	सर्वहित ग्राम सुधार समिति, हाथरस
4.	नारायण शिक्षा प्रसार भारती, आजमगढ़
5.	अग्रवाल खादी ग्रामोद्योग संस्था, मूंडा सुल्तानपुर ठाकुरवाड़ा
6.	बैरागी शिक्षा संस्थान, नारायण पुर, शिवपुर वाराणसी
7.	प्रयास भारती विज्ञान एवं मानव विकास संस्थान, 121, नितीखंड-3, इंदिरापुरम गाजियाबाद
8.	सचिव, प्रताप सेवा समिति, शास्त्री नगर, सुल्तानपुर
9.	हिमांशु सामाजिक कल्याण समिति गालामी, शिकोहाबाद
10.	लाल जी ग्रामोद्योग सेवा समिति, अलीजन मंजिल, अमरोहा, ज्योतिबा फुले नगर
11.	सचिव, वूमेंस कैरियर इंस्टीट्यूट, 303 पुलिया, एटा
12.	सचिव, बृज लोक संस्थान, 302, वृंदावन, मथुरा
13.	केशव ग्रामोद्योग, विकास समिति, संजय नगर, सेक्टर-23, गाजियाबाद
14.	भारतीय जन कल्याण संस्थान, आजादपुर, ललितपुर
15.	अंकुर संस्थान, शहावाबाद, जगतपुर वाराणसी
16.	युवा लोक कल्याण समिति, आमापुर एटा
17.	अध्यक्ष भारतीय ग्रामोत्थान, सामाजिक विकास संस्थान, एकता नगर, मुरादाबाद
18.	नव जागृति सेवा संस्थान राधा नगर, बुलंद शहर
19.	प्यारे लाल सेवा संस्थान, बरहान एतमादपुर आगरा
	पश्चिम बंगाल
1.	हिमालयन माउंटेनियरिंग संस्थान, दार्जिलिंग
2.	राम कृष्ण मिशन विद्या मंदिर, वेल्लूर मठ, हावड़ा
3.	पारूल सरत ग्राम विकास समिति, गांव परूला, हाटी, हुगली
4.	जीरकपुर सिस्टर निवेदिता सेवा मिशन, बशीर हाट रेलवे स्टेशन, 24 परगना (उत्तर)
5.	कल्टीकारी मदर टेरेसा सोसल वेल्फेयर सोसायटी, प्लाट नं. 610, गांव व पो. कुल्टाकारी, श्यामपुर, हावड़ा
6.	बरूईपुर, भरतपुर शैली जन कल्याण समिति, दुत्तापारा, बरैयापुर, साऊथ 24 परगना
7.	नादीकार 47/1, श्याम बाजार स्ट्रीट कोलकाता-4
8.	श्री अरविंदों अनुशीलम समिति, हाऊस नं. 10 सुरी, वीरभूमि
9.	कैकाला रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, कैकला, हुबली
10.	सेंटर फार ट्राइबल एंड रूरल डेवलपमेंट, टाइप-4 क्वां. नं. 25 पावर हाऊस, जांडा चौक सिलवासा, दादर एवं नगर हवेली-30
	उत्तर पूर्वी राज्य
1.	ग्राम विकास परिषद, ग्राम रंगलू, जुमारमुर, नागांव, असम
2.	कौंसिल आफ यूथ डेवलपमेंट, एंड क्वापरेशन कैबी, एस.पी.ओ. लामलांग, इम्फाल, मणिपुर-10
3.	यूनाइटेड रूरल डेवलपमेंट सर्विस, पो. वांगजिंग, यचोहैराक, हैयतूलोकपई, थाऊबाल, मणिपुर

1	2
4.	सचिव, चिंगामथक, नैमेराकपम माखा लैकाई डेवलपमेंट सेंटर रोड, इम्फाल, मणिपुर-1
5.	नेशनल एसोसिएशन आफ फिशरमैन, मणिपुर स्टेट यूनिट, असेम्बली रोड, इम्फाल-1
6.	इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एजेंसी हंगुल, बीपीओ-सांथेल, पीओ एंड पीएस, मयांग, इम्फाल
7.	आल इंडिया वूमेंस कांफ्रेंस मणिपुर स्ट्रेट ब्रांच, शगोलबंद, नेप्रामेजरलेकाई, इम्फाल
8.	संगम क्लब, अपरपोलो साऊथ सिक्किम-6
9.	नारी कल्याण संस्था चूबापेरबिंग, नामची, साऊथ सिक्किम-6
10.	घरेलू समाज (क्लब) पुरानो नामची, साऊथ सिक्किम
11.	विलेज डेवलपमेंट टीम, पीओ सेकेरकोट पीएस अम्ताली, हाटीलेटा चौमुहानी बाजार, त्रिपुरा-30
II.	**साहस का संवर्धन**
1.	भारतीय मांउंटेनियरिंग फाउंडेशन, 6 जार्ज रोड, नई दिल्ली
2.	दिल्ली साहस संघ, 1132 ए जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली
3.	राष्ट्रीय साहस फाउंडेशन, गेट नं. 20 जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली
4.	बालूनिंग भारतीय संघ, सी-123 डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली
5.	श्री अरविंदो एजूकेशन सोसायटी, श्री अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली
6.	श्री संतोषी महिला एवं बाल कल्याण समिति, 116 कोटला, मयूर बिहार फेस-I दिल्ली-91
7.	अखिल भारतीय पूजनीय सुमित्रा माता जी ग्रामीण विकास संस्था, वीपीओ रिठाला, रोहिणी दिल्ली
8.	सर्वधर्म एवं जन परोपकारी संस्थान, हरिजन बस्ती जी ब्लाक, कंजावाला रोड, मंगोलपुरी कलान दिल्ली-85
9.	ग्रामीण स्वाभिमान, वीपीओ ए-1 कादीपुर, अलीपुर, दिल्ली-36
10.	कार्यक्रम अधिकारी एनएसएस, अदिती महाविद्यालय बवाना दिल्ली

1	2
11.	भारतीय युवा कल्याण समिति, एससीओ-2 कंच भवन, करनाल रोड, जिला करनाल हरियाणा
12.	ग्रामीण युवा विकास मंडल ग्राम कलाल माजरा थानसार, कुरूक्षेत्र, हरियाणा-31
13.	जागरूकता कल्याण शिक्षा और ग्रामीण उन्नति के लिए समिति घीमरन कालोनी वार्ड नं. 8 हाजियावाला कुआ, सैफीदोन सिटी, हरियाणा
14.	सेंटर फार एजूकेशन एंड सोसल वेल्फेयर, 665/20 प्रेम नगर रोहतक, हरियाणा
15.	हरियाणा युवा शक्ति, 41/1, सैनिक कालोनी, रोहतक, हरियाणा
16.	ग्रामीण विकास समिति, मोती आटा चक्की के समीप, पीपली भगवान नगर, कुरूक्षेत्र हरियाणा-31
17.	हंस खादी ग्रामोद्योग समिति करनाल, म. नं. 280, से. 8 अर्बन एस्टेट, करनाल हरियाणा-1
18.	दीपिका रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, वीपीओ लसरावान, बहादुरगढ़, झज्जर, हरियाणा
19.	मार्डन कल्चरल क्लब, वार्ड नं. 2, राजौरी, जम्मू व कश्मीर
20.	विंटर खेल संघ, 87, गली कालीजाम, पक्का डांगा, जम्मू, जम्मू व कश्मीर
21.	जम्मू स्काई क्लाब, गली काली जानी, पक्का डांगा, जम्मू एवं कश्मीर-1
22.	विंटर खेल संघ, 87, गली कालीजाम, पक्का डांगा, जम्मू, जम्मू व कश्मीर
23.	हिमालयन वायस, वार्ड नं. 2 राजौरी, जम्मू व कश्मीर-31
24.	कमल निष्ठा संस्थान, धोली मंडी चोमू, जयपुर राजस्थान
25.	भारतीय शिक्षा सूद एवं निर्देशन संस्थान, 52/529, प्रताप नगर, संगनेर, जयपुर (राजस्थान)
26.	महर्षि शिक्षा संस्थान, गौतमबुद्ध नगर नोएडा, यूपी-4
27.	सोसल एक्शन फार यूथ एवरनेस, सरक धुधली, देहरादून रोड, सहारनपुर उ.प्र.-247001
28.	सचिव ग्रामीण विकास संस्था ग्राम एवं पो. मुरलीपुर फूल पीएस मुधाली, जिला मेरठ, उ.प्र.

1	2
29.	सचिव प्रयास भारती विज्ञान एवं मानव विकास संस्थान, 121 एचआईजी डुप्लेक्स, नीतिखंड 3 इंदिरापुरम, गाजियाबाद, यू.पी.
30.	अम्बेडकर शिक्षा प्रचार प्रसार समिति, राजा बाकूपुर जिला, गौतमबुद्ध नगर, उ.प्र.
31.	दलित महिला एवं बाल विकास समिति, डी. ब्लाक गोविंद नगर मुरादाबाद, उ.प्र.
32.	हिमालयन माउंटेनियरिंग संस्थान, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल
33.	सी एक्सप्लोरल संस्थान, आऊटराम घाट कोलकाता, पश्चिम बंगाल
34.	पाल्सापल्ली उन्नयन समिति, ग्राम पाल्सा पो. गरोरा मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल
35.	सी एक्सप्लोरल संस्थान, आऊटराम घाट, कोलकाता पश्चिम बंगाल
36.	राष्ट्रीय साहस क्लब कमरा नं. 13 दूसरा तल, करूना सदन से. 11 चंडीगढ़
37.	वार्डन युवा छात्रावास नाहरलागुन, जिला चापुम पारे, अरुणाचल प्रदेश
38.	ग्राम विकास टीम, पो. सेकरकोट, चौमुहानी बाजार, पश्चिम त्रिपुरा-799130
III.	**युवा गतिविधियों और प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता**
	आंध्र प्रदेश
1.	भारती रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, ईस्ट मुरलि नगर, विशाखापत्तनम
2.	श्री पद्मिनी महिला मन्डली, द्वारका तिरूमाला मंडलम, वी.जी. जिला
3.	श्री संजीविनी एजुकेशनल सोसायटी, देनदुलुरू मंडल, वी.जी. जिला
4.	शान्ति महिला मंडली, तिरूमाला मंडलम, वी.जी. जिला
5.	के.एस.आर. मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट फार, डिवलपमेंट, दिलशुखनगर, हैदराबाद
6.	भारत रत्न फाउंडेशन दीप्ति अपलिफ्ट सोसायटी, यूदराजवरम मंडलम, डब्ल्यू.जी. जिला
7.	दिसाब्लेड वेलफेयर एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट रूरल यूथ एसोसिएशन, श्रीकाकुलम
8.	श्री रामा कृष्णा एजुकेशन सोसायटी नोडाडवोल मंडल, डब्ल्यू जी डिस्ट्रीक्ट
9.	आदर्श एजूकेशनल सोसायटी, सैदाबाद, हैदराबाद
10.	नवोदय युवाजन संगम, नालाजेरला मंडल, डब्ल्यू.जी. डिस्ट्रीक्ट
11.	हेल्थ एजुकेशन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट सोसायटी अतमेकुर मंडल, अनन्तपुर
12.	ज्योति वेलफेयर सोसायटी, विजयवाड़ा
13.	चंद्रशेखर एजुकेशनल सोसायटी, जडचेरला जिला मेहबूब नगर
14.	पालाकुर्ती एजुकेशनल सोसायटी, बंजारा हिल्स हैदराबाद
15.	श्री वेंकटेश्वर महिला मंडली, ब्रोदीपेठ, गुंटूर
16.	चैतन्य योजना संगम, एल्लूरी, डब्ल्यू जी जिला
17.	चैतन्य महिला मंडली पोलावरममंडल दलुजी जिला
18.	राजेश्वरी महिला मंडली, डोंड (वी.) कुर्नूल
19.	सुबोधया युवा जन संगम बंजरा नगर कालोनी कुर्नूल
20.	श्रीविजया वूमेन वेलफेयर डिवीजन सोसायटी, हननकोंडा, वारंगल
21.	वेंकटाभानू रूरल और अरबन डिवीजन एजुकेशनल सोसायटी, एल्लोरू डब्ल्यू जी जिला
22.	तेजा रूरल और अरबन वेलफेयर एसोसिएशन, सोसायटी, पालककुल्लू डब्ल्यू जी जिला
23.	श्री वेंकटेश्वर रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, हिन्दुपुर मंडल अनन्तपुर
24.	रूरल आरगेनाइजेशन सोसायटी इकनामी एजुकेशन फोर वूमेन हिन्दुपुर अनन्तपुर
25.	विकास सोसायटी फार रूरल डेवलपमेंट, पुट्टापारथी मंडल, अनन्तपुर
26.	स्वतंत्रता भारती महिला मंडली पुनुमंत्रा मंडलम डब्ल्यू जी जिला

1	2
27.	ग्राम ज्योति महिला मंडली तिरूपति रूरल चित्तुर
28.	विलेज इनवारमेंटल और डेवलपमेंट सोसायटी गुड्डीपालामंडल चित्तूर
29.	बाबु एजुकेशन इकनामी डेवलपमेंट आरगेनाइजेशन अलेरू डब्ल्यू जी जिला
	असम
1.	बहुमुखी कृषि और समाज कल्याण समिति, नागौन
2.	एन.वाई.के., डिब्रुगढ़
3.	ग्लोबल हेल्थ इम्यूजेशन और पोपुलेशन कंट्रोल, नागौव
4.	एस.पी. मेमोरेल शिक्षा निकेतन समिति, ग्रन.सी. हिल्स
5.	मोरिगांव महिला मेहफिल, मोरिगाव
6.	जागृति सोनीतपुर
	बिहार
1.	लोक परिवर्तन केन्द्र, पटना
2.	भारतीय ग्रामोद्योग, जमुई
3.	यूथ फेडरेशन, मुजफ्फरपुर
4.	जन उत्थान संगठन, जमुई
5.	नवचेतना विकास केन्द्र, नरिपुर, मधुबनी
6.	खादीधारी ग्रामीण विकास संगठन, जहानाबाद
7.	सामाजिक कल्याण सोसायटी, भड़वारा, दरभंगा
8.	ग्राम स्वराज अभिजन संगठन, भेजा, वैशाली
9.	आल राउंड देव सोसायटी, मोतिहारी
10.	ग्राम प्रौद्योगिकी संगठन, पटना
11.	युवा विकास मंच, राजेन्द्र नगर, पटना
12.	ग्राम विकास परिषद, मधुबनी
13.	सुमित्रा महिला शिल्प विद्यालय, लखीसराय, मुंगेर
14.	शांतिदूते, उंदतिपुरी, बिहारशरीफ
15.	राम तहल सिंह, जन चेतना समिति, दुलहिन बाजार, पटना

1	2
16.	समाज कल्याण विकास संगठन, कृष्णा पट्टी जमुई
17.	सुरभि महिला विकास संगठन, शुभंकरपुर, दरभंगा
18.	कैलाश सेवा आश्रम, पो. रमना, मुजफ्फरपुर
19.	लोक सेवा संगठन, अनंदिपुर, दरभंगा
20.	खादी विकास ट्रस्ट आफ इंडिया, मिजरा टोलि, नवादा
21.	सेवा संकल्प एवं विकास समिति, मुजफ्फरपुर
22.	बापू बाल विकास महिला कल्याण सोसाइटी, राजनगर, मधुबनी
23.	हरिजन महिला बाल कल्याण समिति, बेतिया, प. चंपारण
24.	अदिति वेलफेयर फाउंडेशन, लहेरियासराय, दरभंगा
25.	महिला शिल्प कला केन्द्र, भोजपुर
26.	मोनीटर, हाजिपुर, वैशाली
27.	निर्माण समिति, अकौना बाजार, नवादा
28.	निरश्रित महिला सेवा सदन, भगवान दास, मोहल्ला, दरभंगा
29.	अन्तुजय सेवा समिति, सारण
30.	ग्रामोत्थान परिषद, बेलवार, मधुबनी
31.	कोशी अंचल समग्र विकास एवं कल्याण परिषद, मधुबनी, पुर्णिया
32.	क्रांति श्री सेवा समिति, राजनगर मधुबनी
33.	महिला सामाजिक चेतना एवं बाल विकास केन्द्र जलालपुर, वैशाली
34.	मुजफ्फरपुर समेकित कार्यक्रम न्यास, मुजफ्फरपुर
35.	महिला बाल उत्थान केन्द्र, मुजफ्फरपुर
36.	छोटानागपुर विकास सांन, हिरापुर, धनबाद
37.	वसुंधरा, चाकंदा, गया
38.	छपरा महिला बाल सुधार एवं कल्याण समिति
39.	संचार एवं ग्रामीण विकास संस्थान, महाराजगंज, सिवान
40.	सेंटर फार सानिटेशन एंड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, सप्ता, मधुबनी

1	2
41.	बिहार एण्टी एक्सपोसन सोसायटी, भिलवारपुर
42.	सेवा संस्तान, रमना, मुजफ्फरपुर
43.	सर्वांगीण विकास समिति, मेहस, शेखपुरा
44.	जन शिक्षण विकास परिषद, नजिरपुर, मधुबनी
45.	महिला जनस्वास्थ्य शिशु कल्याण केन्द्र, खोगौन, पटना
46.	जनोदय विकास परिषद, बुनियादगंज, गया
47.	नारी उत्थान केन्द्र, दिधवारा, छपरा
48.	फाऊंडेशन फार डेवलपमेंट अलटरनेटिव, साहेबगंज
49.	भारतीय कला निकेतन, स्टेडियम रोड, नवादा
50.	ग्राम्य विकास आरती, राजनगर, मधुबनी
51.	महिला विकास, सुरत गंज, मधुबनी
52.	शहीद परमेश्वर युवा मंडल, सुगापट्टी, मधुबनी
53.	भारत रत्न जय प्रकाश नारायण वेलफेयर मेमोरियल ट्रस्ट, राजेन्द्र कालेज कैंपस, सारण
54.	मानव उत्थान समिति, नवादा
55.	रामपट्टी प्रशिक्षण केन्द्र, खारिया, जमुई
56.	सावित्री बाल विकास केन्द्र, मुजफ्फरपुर
57.	विकास मंडल, बेमनो, नालंदा
58.	समाज पुनर्गठन सेवा संस्था, रामतौल, दरभंगा
59.	वैशाली क्षेत्र सर्वांगीण विकास संस्थान, जनदाहा, वैशाली
	गुजरात
1.	श्री जनकल्याण ट्रस्ट, साबरकान्था
2.	नवचेनत एजुकेशन ट्रस्ट, गांधीनगर
3.	डीएन पोलिटेकनिक एजुकेशन ट्रस्ट, अहमदाबाद
4.	एक्सीलेंट युवक मंडल, भावनगर
5.	स्वामी विवेकानंद एजुकेशनल, ट्रस्ट, अहमदाबाद
6.	डा. अम्बेडकर एजुकेशन ट्रस्ट, भावनगर
7.	आशपूर्णा खादी ग्रामोद्योग और खेत विकास सेवा मंडल, अहमदाबाद

1	2
	हरियाणा
1.	मार्डन एजुकेशन सोसायटी, मंडोरा, सोनीपत
2.	राष्ट्रीय सदभाव सेवा समिति, गोहना, सोनीपत
3.	शिव युवा मंडल, सांगवाड़ी, रेवाड़ी
4.	आदर्श ग्राम उद्योग समिति, रायसेना, कैथल
5.	अखिल भारतीय देहात विकास सोसायटी, बहादुरगढ़, झज्झर
6.	जन चेतना संगठन, अरबन इस्टेट, जिंद
7.	नेशनल एजुकेशन और वेलफेयर सोसायटी, तहसिल कैंप, पानीपत
8.	ए.ए.डी.एच.ए.आर., नियर ओल्ड कोर्ट, नारनौल
9.	युथ फेडरेशन, सेक्टर-4, करनाल
10.	शंकर ग्रामोद्योग मंडल, अंजलथाली, करनाल
11.	आल इंडिया यूथ वेलफेयर सोसायटी, जिंद
12.	गुलशन ग्राम उद्योग समिति, आदर्श कालोनी, फरीदाबाद
13.	अनुपर्ण हरबल और सोशल वेलफेयर सोसायटी, मेहर, यमुना नगर
14.	नारी परमार्थ चेतना समिति, नीयर बंसल नर्सिंग होम, फरीदाबाद
15.	इंडियन यूथ क्लब, बल्लभगढ़, फरीदाबाद
16.	समाज सुधार युवती मंच, गोहाना, सोनीपत
17.	खेल युवा संस्थान, कांडेला, जिंद
18.	अखिल भारतीय नव युवक कला संगम, लक्ष्मी नगर रोहतक
19.	ग्रामीण युवा विकास मंडल, संगाल, कैथाल
20.	आर्य वेदिक शिक्षा समिति, रेवाड़ी
21.	एन.वाई.के., हिसार
	हिमाचल प्रदेश
1.	वूमेन वेलफेयर आरगेनाइजेशन, कुल्लू
	झारखंड
1.	एन.वाई.के. संगठन, रांची

1	2
2.	श्री अमर शंकर कल्याण केन्द्र, बोकारो
3.	नंद किशोर फाउंडेशन, गोड्डा
4.	सर्वांगीन महिला उन्नयन संगठन, बोकारो
5.	सोसायटी फार एनवयारमेन्ट और सोशल एवारनेश, पलामू
6.	अमरनाथ ग्रामोद्योग विकास विद्यालय, अम्बेडकर नगर, रांची
7.	ग्रामीण चेतना विकास समिति, पलामू
8.	जनकदेव राजकुमारी सेवा सदन, बोकारो
9.	मानव समाज कल्याण संस्थान, गोड्डा
10.	अखिल भारतीय महिला एवं बाल कल्याण संस्थान, साहेबगंज
11.	बुद्धा प्रोगयान मंडल, साहेबगंज
	जम्मू व कश्मीर
1.	सोसायटी फार एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. और वूमेन देव आफ इंडिया, जम्मू
2.	वोयलर वेलफेयर आरगेनाइजेशन, जम्मू
3.	कश्मीर ग्रीह पीस और वूमेन वेलफेयर सोसायटी, कुपवाड़ा
4.	मार्डनल कल्चरल क्लब, राजौरी
5.	कश्मीर वूमेन और चाइल्ड वेलफेयर सोसायटी, श्रीनगर
6.	आकाश रूरल डेवलपमेंट सोसायटी जम्मू
	कर्नाटक
1.	नवोदय एजुकेशन और हेल्थ रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, कोलार
2.	कर्नाटक एजुकेशनल और रूरल छेव सोसायटी, हुमानाबाद, बिदर
3.	सत्यहरिश्चंद्र नेशनल इंटीग्रेटेड देव सोसायटी, गांधीनगर, बंगलौर
4.	श्री चोदेश्वरी रूरल डेवलपमेंट बागेपली, तालुक
5.	सोसायटी फार प्रोमोशन आफ रूरल डेवलपमेंट चिंदामनी, कोलार
6.	श्री कृष्णदेवराया एजुकेशनल सोसायटी, रामामोहनाकुम, बंगलौर

1	2
7.	अरुणोदय रूरल देव सोसायटी, गुडीबंदे, कोलार
8.	नेहरू युवा जन संगम, मुदिगेरे, चिस मंगलोर
9.	चैतन्या महिला समाज, जगलुरू, देवनगिरी
10.	संत जान एजुकेशनल सोसायटी, विद्या नगर, चिन्तामणी
11.	कल्याणि रूरल देव सोसायटी, गुदिबंदे, कोलार
12.	श्री अनन्त ग्रामीण देव सोसायटी, विजयपुर, एक्सटेंसन चिकमंगलुर
13.	कम्यूटी एक्सन फार रूरल डेवलपमेंट, चेन्नरयापतना, हसन
14.	श्री वेंकटेश्वर एजुकेशनल एंड रूरल देव सर्विस सोसायटी, हिन्दपुर, अनन्तपुर
15.	आर्शीवाद रूरल देव ट्रस्ट, गुदिबंद, कोलार
16.	इंटीग्रेटेड रूरल देव सोसायटी, गोरानताला, अनंतपुर
17.	श्री वेंकटेश्वर इंटीग्रेटेड रूरल एंड अरबन वेलफेयर एसोसिएशन चित्रदूर्गा
18.	एस.सी./एस.टी. देव एसोसिएशन, मैसूर
19.	गन्ना दीपिका महिला मंदालि, बेल्लारी
20.	रूरल देव एसोसिएशन, चित्रदूर्गा
21.	विनायक विद्या समस्या, मांडया
22.	परिवर्तन रूरल डेव. सोसायटी, सिमोगा
23.	इकहारा अरबिक एजुकेशनल ट्रस्ट, कोलार
24.	वूमेन वेलफेयर सोसायटी, कोलार
25.	कमाल रूरल डेवलपमेंट, सोसायटी, बेलगाम
26.	स्वर्ण दिपिका महिला मंडली, मैसूर
27.	अरुणोदय महिला सेवा समिति, मैसूर
28.	कोपाल युवक संघ, हुबली
29.	प्रगति एजुकेशनल ट्रेनिंग सोसायटी, बेल्लारी
30.	लक्ष्मी महिला मंडली, बेल्लारी
31.	श्री मंजुनाथ रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, बेलगाम
32.	फार्मस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हुबली

1	2
33.	मार्गदर्शी यूथ वेलफेयर एसोसिएशन, कोलार
34.	श्री विद्याआर्यन विद्या संस्थान, देवेनगिरि
35.	श्री भाग्य लक्ष्मी महिला मंडल, देवेनगिरि
36.	झांसी रानी महिला समिति, कोलार
37.	विद्या लिबरेशन थ्रो कल्चरल एक्शन, शिमोगा
38.	जानजागुरथी महिला मंडल, हासन
39.	डा. अम्बेडकर युवाजन संगठन, बीदर
40.	डा. अम्बेडकर स्वबिरधी संस्था, चित्रदुर्गा
41.	ग्राम जीवन यूथ एसोसिएशन, बीजापुर
42.	वाववेरी रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, हासन
43.	इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सोसायटी, हासन, कर्नाटक
44.	गणपति युवा जन संघ, बीदर
	केरल
1.	वयनार मेमोरियल यूथ क्लब, तिरूवनंतपुरम
2.	इंस्टीट्यूट आफ रूरल डेवलपमेंट, कन्नोर
3.	केरल एसोसिएशन फार रूरल देव एण्ड पीस, त्रिवेंद्रम
4.	अभय चैरिटेबल सोसायटी, कोल्लम
	मध्य प्रदेश
1.	होप एंड फेथ वेलफेयर सोसायटी, भोपाल
2.	सप्तसवार समाज कल्याण सोसायटी, रैसेन
3.	वनीत कल्याण समिति, खांडवा
4.	बोनी फोय सोसायटी, भोपाल
5.	दीप्ती प्रभा शिक्षा एवं कल्याण समिति, भोपाल
6.	चिल्ड्रेन वेलफेयर एण्ड एजुकेशन सोसायटी, ग्वालियर
7.	ज्ञान रक्षा शिक्षा समिति, भोपाल
8.	हर्ष छाया शिक्षा समिति, कटनी
9.	अन्नपुणा विकास समिति, भोपाल
10.	लोहिया शिक्षा प्रसार समिति, छतरपुर

1	2
11.	राम नवयुवक मंडल, मंडला
12.	ज्ञानदीप महिला समिति, होशंगाबाद
13.	अंकुर संस्कार एवं शिक्षा उत्थान समिति, मंडल
14.	सोनालि पब्लिक शिक्षा समिति, गुना
15.	सद्भावना शिक्षा समिति, सेवनि
16.	ज्ञात्री ग्रामीण महिला बाल विकास समिति, टिकमगढ़
17.	सुसंकार शिक्षा समिति, जबलपुर
18.	समानता शिक्षा समिति, मंडल
19.	संजय शिक्षा प्रसार समिति, दातिया
20.	गौरव समाज सेवा संस्थान, दातिया
21.	गीता शिक्षा प्रसार समिति, सागर
22.	जय दुर्गा शिक्षा प्रसार समिति, ग्वालियर
23.	आदर्श महिला एवं बाल कल्याण सोसायटी, विदिशा
24.	शुभांजलि शिक्षा केन्द्र, जबलपुर
25.	मंगला शिक्षा विकास समिति, रैसेन
26.	बाल मित्रा एवं ग्रामीण उत्थान समिति, जबलपुर
27.	पार्वती मुरलि महिला एवं शिक्षा प्रसार समिति, जबलपुर
28.	जन सेवा शिक्षा समिति, टिकमगढ़
29.	एन.वाई.के., धार
30.	पिपुल्स आन राऊंड वेलफेयर एण्ड डेवलपमेंट एसीसटैन्स काउनिसं, नरसिंहपुर
31.	अमित शिक्षा प्रसार समिति, कटनी
32.	मारूती ग्रामीण जल कल्याण समिति, मोरेना
33.	अभिनव शिक्षा कल्याण समिति, जबलपुर
34.	परशुराम समाज कल्याण शिक्षा समिति, ग्वालियर
35.	ग्राम विकास सेवा समिति, रेवा
36.	महिला विकास एवं बाल कल्याण समिति, भोपाल
37.	कल्पना महिला मंडल, मोरेना

1	2
38.	जिला आदिवासी एवं हरिजन कल्याण संघ, टिकमगढ़
39.	स्वामी विवेकानन्द कल्याण समिति, विदिशा
40.	अनामिका महिला कल्याण शिक्षा प्रसार समिति, बलाधा
41.	नेहरू युवा केन्द्र, होशंगाबाद
42.	ग्रामीण विकास परिषद, भोपाल
43.	श्रीमती हरकुवंर शिक्षा समिति, शिवपुरी
44.	नेहरू युवा मंडल, दातिया
45.	बालव शिक्षा प्रसार समिति, बहिन्द
46.	नव जागृति महिला मंडल, होशंगाबाद
47.	वूमेन डेवलपमेंट सोसायटी, कटनी
48.	शक्तिसर शिक्षा समिति, मंडल
49.	आरति महिला कल्याण समिति, भोपाल
50.	सभ्यता महिला कल्याण शिक्षा समिति, नरसिंहपुर
51.	एम.पी. प्राकृतिक चिकित्सा तथा महाविद्यालय समिति, ग्वालियर
52.	एन.वाई.के.एस., जबलपुर
53.	नारी शिशु विकास परिषद, टिकमगढ़
54.	शिक्षित समाज कल्याण समिति, टिकमगढ़
55.	शिवम शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, शहरहांपुर
56.	भारती बाल प्रगति संस्थान, छत्तरपुर
57.	नवीन दिसा शिक्षा एवं ग्रामीण उत्थान समिति, जबलपुर
58.	एन.वाई.के., होशंगाबाद
59.	महिला जागृति कला मंच सागर
60.	अमरलाल मानव विकास समिति, शिवपुरी
61.	निकिता एवं समाज कल्याण समिति, शिवपुरी
62.	दीनदयाल मानव कल्याण समिति, सागर
63.	ददरूरा शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, भींड
64.	महाकलेश्वर समाज कल्याण संस्थान, राजगढ़
65.	मालवा विकास समिति, राजगढ़
66.	राइट सोल्युसन डाक्यूमेंटेशन और रिसोर्स सेंटर, भोपाल
67.	लोचन दास ग्रामीण विकास समिति, सागर
68.	लता ग्रामीण महिला समिति, मुरैना
69.	श्रीराम प्रशिक्षण संस्थान, भींड
70.	आशीष समाज सेवा समिति, छत्तरपुर
	महाराष्ट्र
1.	स्नेहदीप एजुकेशन सोसायटी, औरंगाबाद
2.	नाटस टेक्नीकल इंस्टीट्यूट, अहमदनगर
3.	मानव विकास शिक्षण संस्थान, औरंगाबाद
4.	महाराष्ट्र तांत्रिक शिक्षण मंडल, अहमदनगर
5.	नालंदा वाल विकास और मगसवर्गी महिला विकास मंडल, धूले
6.	ज्ञानदीप जनकल्याण फाउंडेशन, पूणे
7.	क्रांति सोसल और कल्चरल क्लब, धूले
8.	मध्य भारत एजुकेशनल सोसायटी, गोडिया
9.	ग्रामीण जनसेवा शिक्षण संस्थान, धूले
10.	प्रियदर्शनी महिला तंत्र शिक्षण मंडल, अहमदनगर
11.	जयलक्ष्मी महिला मंडल, नांदेड़
12.	नवभारत सेवा प्रतिष्ठान, लातूर
13.	छत्रपति शिवाजी महाराज अपकेशपूर्वा केन्द्रा ओसमानाबाद
14.	जय बजरंग बहुउद्देश्य विकास संस्था, वर्धा
15.	सोनाली शिक्षण संस्था, भंडारा
16.	सर्वोदय बहुद्देश्यीय संस्था, ओसमानाबाद
17.	बालाजी शिक्षण संस्था, नांदेड़
18.	एकता युवा मंडल, लातूर
19.	जीवन रेखा प्रतिष्ठान, बीड
20.	लोक कल्याण शिक्षण संस्था, गोंडिया

1	2
21.	नेहरू युवा मंडल, धूले
22.	ओंकार उन्नति मंडल, धूले
23.	सौरभ बहुउद्देश्यीय कल्याणकारी संस्था, नागपुर
24.	शानू बहुउद्देश्यीय सेवा भाई संस्था, लातूर
25.	जगई माता खादी और ग्रामोद्योग संस्थान, धूले
26.	आदिवासी कल्याण सेवा संस्था, धूले
27.	सकहराई सामाजिक शैक्षणिक संस्कृति क्रीड़ा, नासिक
28.	जनक्रांति शिक्षण प्रसारक मंडल, नांदेड़
29.	चेतना कृषि ग्रामीण विकास सेवा भाव संस्था, धूले
	मणिपुर
1.	रूरल सोसल और एजुकेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, थोबल
2.	मणिपुर बार्डर एरिया डेवलपमेंट सोसायटी, चंदेल
3.	रूरल हेल्थ आरगेनाइजेशन, इम्फाल
4.	लैरिंजम लैकारी वूमेन वेलफेयर एसोसिएशन, इम्फाल
5.	सेन्टर फार रिसोर्स डेवलपमेंट, थोबल
6.	रूरल एरिया सोशल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इम्फाल
7.	नोनगवैंचित वेलफेयर एसोसिएशन तैंसिल रोड
8.	पिपलस फाउंडेशन मोयरम
9.	रूरल वूमेन डेवलपमेंट एसोसिएशन, विष्णुपुर
10.	एस.सी./एस.टी. और बैकवार्ड वूमेन और चिल्ड्रेन डेवलपमेंट ग्रामीण क्षेत्रों में थोबल
11.	सोसायटी फार प्रोग्रेसिव लेकाई
12.	द यूथ यूनियन फार वोलेन्ट्री ऐक्शन विष्णुपुर
13.	हंगल युनाइटेड डेवलपमेंट एसोसिएशन, इम्फाल
14.	लिनलाई डेवलपमेंट आरगेनाइजेशन, चूडाचंदपुर
15.	पिपुल डेवलपमेंट सोसायटी, थोबल
16.	एंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, थोबल
17.	द पायोनिर वूमेन वेलफेयर एसोसिएशन, इम्फाल
18.	वूमेन्स इन्कम जेनरेशन सेंटर, थोबल
19.	कोनथोजम केन्द्र इम्फाल, पश्चिम
	मिजोरम
1.	इंटरनेशनल पुअर चिल्ड्रन चम्पई कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी एजवाल
2.	एन.वाई.के., लुंगली
	नागालैंड
1.	नागा कल्चरल सोसायटी, कोहिमा
2.	विशैले यू ड्रोस मौकिन सोसायटी, कोहिमा
3.	नेहरू युवा केन्द्र, कोहिमा
4.	सनराईज वेलफेयर सोसायटी, नोकोकजन
5.	थेहरूनके वूमेन्स सोसायटी, कोहिमा
6.	देव सोसायटी फेंक
7.	नागालैंड रिवर्स एसोसिएशन, कोहिमा
	उड़ीसा
1.	न्यू लाईट खुर्दा
2.	अग्रगामी रयागदा
3.	सोसल वेलफेयर आफ रूरल डेवलपमेंट आरगेनाइजेशन खुर्दा
4.	थानापल्ली मिलिटा जुबेक संघ, खुर्दा
5.	वारसा पीपल एक्सन सेल, खुर्दा
6.	उदय भानु क्लब धीनाकनाल
7.	विरदा धीनाकनाल
8.	उपकार गंजम
9.	आशा धीनाकनाल
10.	नबा ज्योति जुबैत संघ, खुर्दा
11.	सोसल आरगेनाइजेशन फार वोलेन्ट्री एक्सन, धीनाकनाल
12.	उदयनाथ पथार्गा कोरापुट
13.	रूरल डेवलपमेंट और सोसल सर्विस, कटक

1	2
14.	गांधी संस्थान, अगुंल
15.	वोलेन्ट्री आरगेनाइजेशन फार इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट, गंजम
16.	शहीद युवा संघ, खुर्दा
17.	बारबी क्लब, खुर्दा
18.	सैंटर फार रिहैबिलेटेशन सर्विस और रिसर्च, भद्रक
19.	शपथ, खुर्दा
20.	पिल्लई विक्ष समिति धिनकनाल
21.	नागेश्वरी फाउंडेशन खुर्दा
22.	प्रीपैक्चुअल रि कन्सट्रक्टीव इंस्टीट्यूट आफ युथ एक्टीवीटी, भुवनेश्वर
23.	स्वराज भारती, धीनकनाल
24.	बाल जागृति एसोसिएशन, भुवनेश्वर
25.	उमा महेश क्लब, खुर्दा
26.	चचखाई युवक संघ, जगतसिंहपुर
27.	वर्ल्ड, धीनकनाल
28.	जीवन वृक्ष, खुर्दा
29.	पालमंगला, कटक
30.	वोलेन्ट्री आरगेनाइजेशन फार रूरल इम्प्रूवमेंट, क्योंझर
31.	बोस साइंटीफिक टैक्नोलोजी सोसियो कल्चरल आरगेनाइजेशन, पुरी
32.	आदर्श शिशु मंदिर, सम्बलपुर
33.	जनावृक्ष परिषद, गंजम
34.	सोसल एक्शन फार रूरल कम्यूनिटि, सम्बलपुर
35.	नारायणी महिला मंडल, खुर्दा
36.	रूपयन सोसायटी, कटक
37.	आदिवासी हरिजन इंटीग्रेटेड मास सोसल एजेंसी, खन्दवाल
38.	उत्कलीया अहिंसा मंच, कटक
39.	ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर, भुवनेश्वर
40.	जन विकास, पुरी
41.	गांधी एसोसिएशन फार रूरल डेवलपमेंट, केन्द्रपारा
42.	विश्व चेतन धीनकनाल
43.	बाजी रोत मेमोरियल युवक संघ धीनकनाल
44.	सौ पुत्रा, कटक
45.	मदर टेरेसा सेवा प्रतिष्ठान, खुर्दा
46.	राधा मधेवा सेवा संस्थान, धीनकनाल
47.	सुचेता महिला खादी और ग्रामोद्योग समिति, कटक
48.	काउन्सिल फार रूरल सर्विस, खन्दवाल
49.	खन्दुल सेल्टर, खुर्दा
50.	अहिंसा (आदिवासी हरिजन इंस्टीट्यूट और नेशनल सोसल एक्सन), धीनकनाल
51.	सहयोग, कटक
52.	जनकल्याण सेवा संस्थान, केन्द्रपाड़ा
53.	जीवन ज्योति चैरिटि मिशन केन्द्रपाड़ा
54.	नैशनल इंस्टीट्यूट फार सोसल वेलफेयर, जैतपुर
55.	मीडिया, मैनेजमेंट आफ मास इंक्विटी और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऐससरी, धीनकनाल
	पंजाब
1.	गुरू अंगल देव सेवा समिति, लुधियाना
2.	महिला कल्याण समिति, मंशा
	राजस्थान
1.	कमलनिष्ठा संस्थान, जयपुर
2.	कमलनिष्ठा संस्थान, जयपुर
3.	कोटा शिक्षण संस्थान, कोटा
4.	रूरल एनवारमेंट एवेयरनेस ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूट, दौसा
5.	हरिजन बैकवार्ड महिला मंडल, नागौर
6.	अजाद नवयुवक मंडल संस्थान, दौसा

1	2
7.	जनजागृति और ग्रामोत्थान संस्थान, जयपुर
8.	भारतीय शिक्षा शोध एवं निदेशन संस्थान, जयपुर
9.	पविस्कृति संस्थान, जयपुर
10.	श्री धर्मावाल विद्या पीठ संस्था, बीकानेर
11.	एन.वाई.के.. भरतपुर
12.	मदर इंडिया शिक्षा समिति, जयपुर
13.	सरदार पटेल युवा ग्रामीण विकास संस्थान, दौसा
14.	दिव्य ज्योति विद्या मंदिर, कोटा
	सिक्किम
1.	युथ फेडरेशन आफ इंडिया, सिक्किम
2.	एन.वाई.के. नार्थ, सिक्किम
3.	एन.वाई.के. गयाल सिंह, वेस्ट सिक्किम
4.	एन.वाई.के., नामचीह
5.	एन.वाई.के., गंगटोक
	तमिलनाडु
1.	सेंटर फोर डेवलपमेंट और कम्यूनिकेशन ट्रस्ट, थेनी
2.	रूरल वेलफेयर आरगेनाइजेशन, पैरम्बलुर
3.	अन्नाई इंदिरा पैंगल मित्रा संगम, शिवगंगा
4.	नेटवर्क आफ एजुकेशन एनवारमेंट डेवलपमेंट सोसायटी, डींडिगुल
5.	आरगेनाइजेशन फार रूरल डेवलपमेंट, अम्बेडकर जिला
6.	वूमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट सोसायटी तिरूवेल्ली
7.	मदर टेरेसा एजुकेशनल ट्रस्ट, विरुद्धिनगर
8.	आर्यसेन रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, तिरूवेली
9.	सिंगगुमपत्ती ग्राम मिरित्रा संगम, शिवगंगा
	त्रिपुरा
1.	एन.वाई.के. नार्थ, त्रिपुरा
2.	विलेज डेवलपमेंट टीम, वैस्ट त्रिपुरा जिला

1	2
	उत्तर प्रदेश
1.	सत्यमेव सेवा संस्थान, अलीगंज, लखनऊ
2.	आलोक ग्राम विकास जनहितकारी संस्थान, कानपुर रोड लखनऊ
3.	महिला एवं ग्राम विकास सेवा संस्थान, इलाहाबाद
4.	जनप्रिया महिला कल्याण सोसायटी, अलमोड़ा
5.	अलम्मा इकबाल एजुकेशनल सोसायटी, किरावली आगरा
6.	शफी ग्रामोद्योग विकास समिति, मुरादाबाद
7.	रूरल डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल नोऐडा
8.	प्रिय ग्रामोद्योग समिति, बाराबंकी
9.	श्रीपुरुषोत्तम प्रसाद दुबे बलवारी एवं बाल निकेतन, मिर्जापुर
10.	गायत्री ग्रामीण सेवा संस्थान, कामरूप, बलिया
11.	हनुमंत कृषि बलवारी जूनियर हाई स्कूल शिक्षा समिति, मिर्जापुर
12.	द्वारिका ग्रामोद्योग संस्थान, अलीगढ़
13.	लोक कल्याण एवं ग्रामीण विकास संस्थान, आगरा
14.	दीन दयाल शिक्षा एवं ग्रामीण विकास संस्थान, आगरा
15.	भावना ग्राम एवं मानव विकास संस्थान, फतेहपुर
16.	प्रतिभा बाल कल्याण उन्नयन समिति सोनभद्रा
17.	मंगल शिक्षा प्रसार समिति, इटावा
18.	अखिल भारतीय लोक कल्याण परिषद, मुरादाबाद
19.	ग्रामीण विकास एवं शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद
20.	मानव देव सोसायटी आजमगढ़
21.	ग्रामीण जन विकास समिति, कानपुर
22.	चंद्र ग्रामीण विकास संस्थान, प्रतापगढ़
23.	मास्टर जरी आर्ट सेवा संस्थान, फरूखाबाद
24.	जनहित विकाससेवा संस्थान, सुल्तानपुर
25.	प्रेरणा शिक्षा समिति गोंडा

1	2
26.	विराज ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, अलीगढ़
27.	डा. अम्बेडकर स्वास्थ्य विकास समिति, लखनऊ
28.	सूरज समाज सेवा समिति, फिरोजाबाद
29.	सन विजन आजमगढ़
30.	एक्सीलेंट एजुकेशन सोसल सोसायटी, बुलंदशहर
31.	विरांगना रानी अवंती बाई महिला एवं बाल कल्याण समिति, अलीगढ़
32.	जनता विकास सेवा संस्थान, लखनऊ
33.	फाइव स्टार सेवा संस्थान, लखनऊ
34.	यू.पी. फाउंडेशन, लखनऊ
35.	युवा कल्याण समिति, मुरादाबाद
36.	अनुभूति जन कल्याण समिति, बलरामपुर
37.	मित्रा मंडल समाज विकास समिति, मथुरा
38.	ग्रामीण विकास संस्थान, गोरखपुर
39.	शांति समाज सेवा समिति, फरूखाबाद
40.	राष्ट्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थान, फिरोजाबाद
41.	अजय सेवा समिति, बुलंदशहर
42.	शिक्षा विकास सभा, अलीगढ़
43.	सर्वांगीण महिला एवं बाल विकास समिति, भदोही
44.	नवोदय प्रशिक्षण एवं विकास सं, बरेली
45.	जन सेवा समिति, राय बरेली
46.	शहरी एवं ग्रामीण विकास समिति, बिजनौर
47.	समाज सेवा संस्थान, जे.पी. नगर
48.	भारती जन कल्याण संस्थान, आगरा
49.	जनता समाज सेवा संस्थान, उन्नाव
50.	बालाजी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, हरदोई
51.	महिला सेवा संस्थान, प्रतापगढ़
52.	प्रयास लखनऊ

1	2
53.	सहयोगिनी लखनऊ
54.	नवचेतना जन कल्याण संस्थान, महाराजगंज
55.	परिवर्तन समिति, इटावा
56.	कैलाशी देवी प्रशिक्षण संस्थान, मऊ
57.	शिव ग्रामोत्थान सेवा संस्थान, उन्नाव
58.	शिवम युवा विकास समिति, बिजनौर
59.	प्रगतिशील उद्योग समिति, लखनऊ
60.	श्रीराम ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, प्रतापगढ़
61.	आदर्श महिला उत्थान संस्थान, बाराबंकी
62.	श्री मीरा सरस्वती सेवा समिति, कानपुर नगर
63.	भारत ग्राम विकास समिति, गाजियाबाद
64.	विवेकानन्द युवा विकास संस्थान, देवरिया
65.	सरोज शिक्षा समिति, मऊ
66.	जीवन ज्योति विकास समिति, अलीगढ़
67.	बहीन लखनऊ
68.	मानव सेवा आश्रम, सिकोहाबाद
69.	शानून शिक्षा प्रसार समिति, इटावा
70.	आदर्श ग्रामीण विकास संस्थान, उन्नाव
71.	राजनारायण संपर्क शिक्षा समिति, सोनभद्र
72.	यूनिक सोसल एवं कल्चरल सोसायटी, लखनऊ
73.	सावित्री महिला कल्याण समिति, इटावा
74.	नवीन ग्रामोद्योग सेवा समिति, गोंडा
75.	उत्थान सेवा संस्थान, सुल्तानपुर
76.	लक्ष्मी ग्रामोद्योग समिति, रायबरेली
77.	मानव कल्याण एवं प्रशिक्षण सेवा समिति, उन्नाव
78.	आदर्श शिक्षा समिति, प्रतापगढ़
79.	अर्पण सामाजिक उत्थान समिति, आगरा
80.	मां शकुन्तला ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, महाराजगंज

1	2
81.	ग्रामीण महिला उत्थान समिति, इटावा
82.	कविता खादी ग्रामोद्योग संस्थान, बुलंदशहर
83.	दलित समाज सेवा संस्थान, अलीगढ़
84.	वीनस विकास संस्थान, लखनऊ
85.	निधि विकास संस्थान, जौनपुर
86.	शान्तिनिकेतन मानटेरसी एवं जूनियर हाई स्कूल समिति, फरूखाबाद
87.	अखिल भारतीय कल्याण संस्थान, आगरा
88.	श्री संतोष ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, फिरोजाबाद
89.	पंचशील सोशल वेलफेयर सोसायटी, आगरा
90.	पाठक ग्रामोद्योग विकास संस्था, बुलंदशहर
91.	शांतिबाल निकेतन शिक्षा समिति, मिर्जापुर
92.	देवी शाही संवति सेवा संस्थान, हरदोई
93.	ग्राम विकास संस्थान, बदायूं
94.	आल इंडिया एपेक्स कम्प्यूटर एजुकेशन सोसायटी, इलाहाबाद
95.	पूजा उद्यमिता विकास परिषद, लखनऊ
96.	कृष्णा नंद सर्वोदय सेवा समिति, मिर्जापुर
97.	ज्योति विद्या मंदिर, गोंडा
98.	समाज कल्याण बालिका विद्यालय समिति, प्रतापगढ़
99.	अल्लाह संस्कृति एवं समाज कल्याण संस्थान, सुल्तानपुर
100.	प्रतापगढ़ महिला कल्याण एवं शिक्षा समिति, प्रतापगढ़
101.	सहदाब संस्थान, लखनऊ
102.	ओम सरस्वती युवा विद्या सेवा समिति, अलीगढ़
103.	सत्येन भारतीय ग्रामीण समाजोत्थान समिति, सिद्धार्थनगर
104.	कल्याण संस्थान, लखनऊ
105.	अंशुल जन्म विकास परिषद, मैनपुरी
106.	गुरुजी समाज कल्याण संस्थान, फिरोजाबाद
107.	चन्द्र बागा ग्रामोद्योग सेवा समिति, गोंडा

1	2
108.	युवा लोक कल्याण समिति, फिरोजाबाद
109.	युवा जन सेवा संस्थान, मैनपुरी
110.	पुअर हेल्प ग्रामोद्योग संस्थान, अलीगढ़
111.	ग्रामीण औद्योगिक संस्थान, गोरखपुर
112.	क्षेत्र विकास एवं जन कल्याण समिति, लखनऊ
113.	शानु शिक्षा प्रसार समिति, मथुरा
114.	तराई इनवायरमेंट एवेयरनेस समिति, लखनऊ
115.	ओम मददगार समिति, लखनऊ
116.	रूरल एजुकेशन और डेवलपमेंट, हरदोई
117.	अवध सेवा संस्थान, लखनऊ
118.	नारी प्रशिक्षण केन्द्र, कानपुर नगर
119.	ग्राम एवं ग्रामीण विकास समिति, फतेहपुर
120.	संजय ग्रामोद्योग संस्थान, बुलंदशहर
121.	मारेदन भारतीय शिक्षा एकेडमी समिति, मथुरा
122.	सेंटर फार एक्सन रिसर्च और डेवलपमेंट, प्रतापगढ़
123.	आजाद प्रशिक्षण केन्द्र अम्बेडकर नगर
124.	इंस्टीट्यूट आफ रिजनल डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग, कानपुर
125.	शोध एवं सेवा संस्थान, बलरामपुर
126.	भारतीय सर्वेदय संस्थान, रायबरेली
127.	मिर्जा गालिब शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, मुरादाबाद
128.	भारतीय बाल एवं महिला कल्याण समिति, सुल्तानपुर
129.	रोहन शिक्षा प्रसार समिति, आगरा
130.	समग्र ग्रामीण विकास सेवा संस्थान, मिर्जापुर
131.	विकास संस्तान, देवरिया
132.	ग्रामीण कृषक विकास समिति, सुल्तानपुर
133.	प्रयास भारतीय विज्ञान एवं मानव विकास संस्थान, गाजियाबाद
134.	निर्बल उत्थान समिति, अम्बेडकर नगर
135.	साई ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, कानपुर

1	2
136.	विवेकानंद युवा महिला एवं बाल सेवा संस्थान, देवरिया
137.	सामुदायिक विकास केन्द्र, जे.पी. नगर
138.	श्री दारासिंह स्मारक शिक्षा प्रसार समिति, मरेठ
139.	शिवम युवा विकास समिति, बदायुं
140.	कृष्णा शिक्षा प्रसार समिति, हाथरस
141.	सोसायटी फार एजुकेशन एण्ड वेलफेयर एवेयरनेस कानपुर
142.	भारतीय मानव उत्थान समिति, आगरा
143.	ज्योतिगर्मय संस्थान, लखनऊ
144.	श्री साधुशरन सिंह बाल विद्या निकेतन, फतेहपुर
145.	शैलेश कुमार सिंह, ललितिया मानव सेवा एवं शिक्षा समिति, चित्रकूट
146.	आदर्श लघु माध्यमिक विद्यालय समिति, खुशीनगर
147.	लोक विकास केन्द्र, गोरखपुर
148.	संत हमिदिया माइनोरटी एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, मुरादाबाद
149.	श्रीमती मार्ग श्री वेलफेयर सोसायटी, अलीगढ़
150.	ग्रामीण महिला एवं बाल विकास संस्थान, सुल्लानपुर
151.	ह्यूमन नीड बारबंकी
152.	सुमित सेवा संस्थान, कन्नौज
153.	कमला सेवा समिति, गाजियाबाद
154.	फेयर डील ग्रामोद्योग सेवा समिति, बाराबंकी
155.	भारतीय ग्राम समिति, मह
156.	भारतीय ग्रामोत्थान सामाजिक विकास संस्थान, बिजनौर
157.	फैज सेवा संस्थान, लखनऊ
158.	उत्तर प्रदेश ग्राम सेवा संस्थान, रायबरेली
159.	आदर्श शिक्षा प्रसार समिति, महामायानगर
160.	जागृति समाज कल्याण समिति, लखनऊ
161.	सम्भव समाज कल्याण संस्थान, यू.पी.

1	2
162.	गौरव सेवा संस्थान, बाराबंकी
163.	महिला उत्थान कल्याण समिति, भरूच
164.	आश्रय वेलफेयर इंस्टीट्यूट, लखनऊ
165.	समर्पण जन कल्याण संस्थान, देवरिया
166.	नारायण शिक्षा प्रसार भारती, आजमगढ़
167.	नवीन प्रगति संस्थान, मऊ
168.	महिला उत्थान समिति ,आजमगढ़
169.	अमेठी महिला एवं बाल कल्याण समिति, सुल्तानपुर
170.	जवाहर लाल नेहरू सेवा संस्थान, देवरिया
171.	नेटवर्क फार इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट, लखनऊ
172.	सौरभ सेवा संस्थान, लखनऊ
173.	ग्रामीण महिला विकास एवं शिशु कल्याण समिति, संत कबीर नगर
174.	अखिल भारतीय मदुरई गंगाधर सेवा संस्थान, बाराबंकी
175.	कविता सेवा समिति, बुलंदशहर
	उत्तरांचल
1.	मरतोलिया हस्तकला ग्रामीण महिला अनुसूचित जाति एवं जनजातीय विकास समिति, अलमोड़ा
2.	मायावी ग्रामोद्योग विकास समिति, यू.एस. नगर
3.	सोसायटी फोर प्रमोशन आफ हिल्स, इनवायरमेंट एण्ड रूरल इमपारवरमेंट, हलद्वानी
4.	किशन ग्रामोद्योग विकास समिति, यू.एस. नगर
5.	शिव सामाजिक संस्थान, गढ़वाल
6.	अचना मानव विकास संस्थान, देहरादून
7.	उत्तरांचल युवा कल्याण समिति, नैनीताल
	पश्चिम बंगाल
1.	पार्टी सेपेटरी पीस मिशन फार ह्यूमेनिटी, मिदनापुर
2.	कोलाघाट लोक शिक्षा निकेतन, हुगली
3.	ताजपुर मां सवैदमी नारी कल्याण समिति, मिदनापुर

1	2
4.	कौशीपोर महिला उद्योग कोलकाता
5.	कईकला रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, हुगली
6.	बशीरत वूमेन डेवलपमेंट सोसायटी, उत्तरी चौबीस परगना
7.	बेहला टिपलिका कोलकाता
8.	बदकुला लूना सिल्क खादी सोसायटी, नादिया
9.	राजीव पुर यूथ यूनियम हावड़ा
10.	रानपुरा ग्राम विकास केन्द्र, हावड़ा
11.	जीरक पुर सिस्टर निवेदिता सेवा मिशन, चौबीस उत्तरी परगना
12.	रूपाहार युवा संगम, दिनाजपुर
13.	तिक्षी एसोन आफ सोसल वेलफेयर पूर्व, मिदनापुर
14.	कालियाचक नेताजी सुभाष चंद्र संघ, पूर्व मिदनापुर
	दिल्ली
1.	ग्रामीण स्वाभिमान, अलीपुर
2.	रिसोर्स डेवलपमेंट सेन्टर कटवारियासराय
3.	इंटरनेशनल रूरल कल्चरल सेन्टरल, बसन्तकुंज
4.	आल इंडिया सरस्वती एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी, बुद्धविहार
5.	इंटीग्रेटेड सोसायटी डेवलपमेंट आरगेनाइजेशन, पश्चिम विहार
6.	महिलाएं प्रगति की ओर, तिलकनगर
7.	डी.ए.वी. कम्प्यूटर एजुकेशन सोसायटी, तिलकनगर
8.	इंस्टीट्यूट वेलफेयर ट्रस्ट, नांगलोई
9.	आल इंडिया वूमेन वेलफेयर एसोसिएशन, जनकपुरी
10.	प्रिदर्शनी महिला मंडली, प्रेम नगर
11.	वेलफेयर एसोसिएशन फार डाऊन ट्रोडन जंगपुरा
12.	नारी चेतना संगठन, मयूर विकास फेज I
13.	आल इंडिया कोनार्क एजुकेशनल और वेलफेयर सोसायटी, उत्तम नगर
14.	एन.वाई.के., मेहरौली
15.	गरीब सेवा उद्योग समिति, राजेन्द्र पलेस
16.	श्री अरबिन्दों एजुकेशन सोसायटी, श्री अरबिन्दों आश्रम
	दादर व नगर हवेली
1.	ग्राम विकास मंडल, सिलवासा

खाद्यान्न निर्यात नीति

148. श्री सनत कुमार मंडल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई खाद्यान्न निर्यात नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) नई नीति के अंतर्गत निर्यातकों को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं; और

(ग) गेहूं, चावल और दालों के निर्यात पर विशेष जोर देने के लिए प्रस्तावित सूत्र का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) एक नई खाद्यान्न निर्यात नीति तैयार की जा रही है। इस पर भारत सरकार का विचार अंतिम चरण में है।

[हिन्दी]

आई.एस.डी. फोन काल गिरोह में व्यक्तियों की संलिप्तता

149. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने आई.एस.डी. फोन काल गिरोह में संलिप्त व्यक्तियों को पकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, आज की तिथि तक दर्ज किये गए मामलों की संख्या कितनी है; और

(घ) भविष्य में ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। वर्ष 2002, 2003, 2004 और 31 जनवरी,

2005 तक के दौरान आई.एस.डी. फोन काल रैकेट के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज मामले और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	मामले	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
2002	14	38
2003	6	11
2004	10	15
2005 (31 जनवरी तक)	3	10
कुल	33	74

(घ) सरकार द्वारा ऐसे मामलों की घटनाओं को रोकने हेतु उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. दूरसंचार द्वारा समय-समय पर फील्ड यूनिटों को निम्नलिखित अनुदेश जारी करना:

   (1) दूरभाष केन्द्रों में तकनीकी पैरामीटर स्थापित करना;

   (2) दूरभाष केन्द्रों में पासवर्ड प्रबंधन;

   (3) इंटरकनेक्शन के प्रावधानों पर कालिंग लाइन आइडेन्टिफिकेशन का प्रबोधन करना;

   (4) इंटरकनेक्शन के प्रावधानों पर संचालित ट्रैफिक का समय-समय पर प्रबोधन करना।

2. दूर-संचार विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कालों की अवैध रूटिंग का सख्ती से प्रबोधन करने और ग्रे ट्रैफिक को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी सर्विस प्रदान करने वालों को अनुदेश जारी करना, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

   (1) बड़ी संख्या में कनेक्शन का इस्तेमाल करने वालों का प्रबोधन करना;

   (2) काफी ज्यादा काल करने वालों के संबंध में काल डाटा रिकार्डिंग विश्लेषण;

   (3) बिना किसी छेड़खानी के सभी सर्विस प्रदान करने वालों द्वारा कालिंग लाइन आइडेन्टिफिकेशन का मेन्डेटरी ट्रांसमीशन;

   (4) लीज लाइन कस्टमर्स प्रिमिसिज निरीक्षण और सत्यापन।

3. ऐसे ग्रे मार्किट आपरेशनों को नियंत्रित करने हेतु दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नै में सतर्कता टेलिकाम प्रबोधन प्रकोष्ठों का सृजन करना;

4. जब वे अन्तर्राष्ट्रीय काल रिसीव करते हैं तो कालिंग लाईन आइडेंटिफिकेशन के रूप में स्थानीय नम्बरों की प्राप्ति के बारे में आम जनता को समर्थ बनाने हेतु पब्लिक टेलीफोन नम्बर 1600-110-420 और 011-23731100 को खेलना और इस प्रकार से ऐसे मामलों का पता लगाने में मदद मिलती है;

   सर्विस देने से पहले उपभोक्ताओं के पतों की प्रामाणिक जांच करना;

5. ग्राहकों की पहचान का सत्यापन करना;

6. जनता में आम जागरूकता पैदा करने के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार करना ताकि अंतर्राष्ट्रीय कालें प्राप्त करने के समय काल लाइन आइडेन्टिफिकेशन के रूप में उन्हें स्थानीय नम्बर प्राप्त होने की दशा में सूचना प्रदान करने में सक्रिय रूप से मदद करें;

7. प्रिंट और विजुअल मीडिया के माध्यम से जनता को सुग्राही बनाना;

8. अपेक्षित सूचना और कार्रवाई का आदान-प्रदान करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ गहन बातचीत करना;

9. पुलिस अधिकारियों और अन्य सुरक्षा कर्मियों को सुग्राही बनाना; और

10. इस प्रकार के अपराध में संलिप्त अपराधियों पर नियमित रूप से निगरानी रखना।

सीमा क्षेत्र विकास योजना

150. श्री पंकज चौधरी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा क्षेत्र योजना के अंतर्गत भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र के विकास हेतु सरकार ने योजनाएं तैयार कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो उन सीमावर्ती जिलों के नाम क्या हैं जहां ये योजनाएं लागू की जाने की सम्भावना है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान जिले-वार आबंटित धनराशि कितनी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) बिहार, सिक्किम, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के उन जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ लगती हैं। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान संबंधित जिलों को आवंटित की गई धनराशि नीचे दर्शाई गई है:-

1. सिक्किम

जिले का नाम	2002-03 से 2004-05 के दौरान आवंटित धनराशि (रु. लाखों में)
पश्चिमी जिला	570.40

2. उत्तरांचल

जिले का नाम	2001-02 से 2003-04 के दौरान आवंटित धनराशि (रु. लाखों में)
पिथौरागढ़	527.12
चम्पावत	151.00
उधमसिंह नगर	146.53
चमौली	223.63
उत्तरकाशी	98.72

3. उत्तर प्रदेश

जिले का नाम	2002-03 से 2004-05 के दौरान आवंटित धनराशि (रु. लाखों में)
पीलीभीत	324.54
खेरी	684.12
बहराइच	462.93
श्रावस्ती	434.66
बलरामपुर	696.10
सिद्धार्थनगर	451.50
महाराजगंज	355.18

4. पश्चिम बंगाल

जिले का नाम	2002-03 से 2004-05 के दौरान आवंटित धनराशि (रु. लाखों में)
दार्जिलिंग	288.00

5. बिहार

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम बिहार के मधुबनी, सीतामढ़ी, किशनगंज, सौपाल, अररिया, पूर्वी चम्पारन तथा पश्चिमी चम्पारन जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। बिहार सरकार ने सूचित किया है कि बिहार राज्य में बी ए डी पी के अंतर्गत धनराशि विभागवार आवंटित की जाती है। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

जिले का नाम	2002-03 से 2004-05 के दौरान आवंटित धनराशि (रु. लाखों में)
सड़क निर्माण विभाग	934.357
प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा विभाग	294.639.
स्वास्थ्य विभाग	269.264
ऊर्जा विभाग	197.91
कला, संस्कृति और युवा विभाग	141.00
पशुपालन तथा मात्स्यकी विभाग	103.83

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश में अर्धसैनिक बल कार्मिकों की मृत्यु

151. प्रो. चन्द्र कुमार: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश मूल के कुल अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों की संख्या कितनी है जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हुई है;

(ख) यदि हां, तो बल-वार, पद-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर रोजगार प्रदान कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय पुलिस बलों (सी पी एफ) में मारे गए कार्मिकों का बल-वार और पद-वार ब्यौरा इस प्रकार है:-

रैंक/सी पी एफ	एआर	बीएसएफ	सीआरपीएफ	सीआईएसएफ	आईटीबीपी	एसएसबी	कुल
उप कमांडेंट	–	1	–	–	–	–	1
सहा. कमांडेंट	–	–	1	–	–	–	1
उप/निरीक्षक	1	–	–	–	3	1	5
उपनिरीक्षक	–	2	5	2	8	–	17
सहा-उपनिरीक्षक (आर ओ)	–	2	–	–	–	–	2
नायब सुबेदार	3	–	–	–	–	–	3
हवलदार (एच सी)	5	4	28	10	20	2	69
नायक	–	–	–	–	–	1	1
लांस/नायक	–	3	–	–	–	1	4
राइफलमैन/कांस्टेबल	8	9	14	10	19	5	65
फोलोअर	2	3	3	2	–	2	12
कुल	19	24	51	24	50	12	180

(ग) से (ङ) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए 58 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 17 नियुक्तियां दे दी गई है और 32 मामले प्रक्रियाधीन है। बाकी आवेदन मानकों के अनुसार स्वीकार नहीं किए जा सके।

[हिन्दी]

महिला और बाल विकास योजनाएं

152. श्री वाई.जी. महाजन:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए कोई विशेष योजना लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित किये जाने की संभावना है; और

(घ) इस योजनाओं को कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सुनामी पीड़ित महिलाओं और बच्चों का अवैध व्यापार

153. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यह चिंता व्यक्त की है कि सुनामी पीड़ित महिलाएं और बच्चे अवैध व्यापार के शिकार हो सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो असहाय लोगों का शोषण रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) इस मंत्रालय को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से कोई मंत्रणा प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, सरकार ने इस बारे में राज्य की पुलिस को सतर्क कर दिया है। महिलाओं और बच्चों से संबंधित मामलों को देखने वाले प्रभावित राज्यों के संबंधित सचिवों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि प्रभावित बच्चों की कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर उनका अवैध व्यापार न होने पाये। सुनामी से प्रभावित राज्यों में दूरदर्शन के स्थानीय नेटवर्क तथा अन्य चैनलों पर नियमित रूप से विज्ञापन प्रसारित किए गए हैं और उन लोगों के लिए हेल्पलाइन नम्बर दिए गए हैं, जिनके पास बच्चों के अवैध व्यापार से संबंधित कोई सूचना हो।

[हिन्दी]

पाकिस्तान की गतिविधियां

154. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जनवरी, 2005 के 'द पायनियर' में "पाकस न्यू पिन कोड: इस्लामिस्तान इन एन ई" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर-पूर्वी राज्यों में बांग्लादेशियों की घुसपैठ के कारण मुस्लिमों की जनसंख्या में कोई वृद्धि और हिन्दुओं की जनसंख्या में कमी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) सरकार ने मीडिया रिपोर्ट को देखा है। तथापि, इसकी पुष्टि करने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ग) और (घ) 1991 की जनगणना की तुलना में 2001 की जनगणना में सूचीबद्ध रिकार्ड के अनुसार अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों में दोनों समुदायों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। जनसंख्या में वृद्धि में लिए घुसपैठ को पूरी तरह जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

सरकार ने घुसपैठ की रोकथाम के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं:- सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनें खड़ी करना; सीमा चौकियों के बीच की दूरी को कम करना; भूमि तथा नदी तटीय सीमा, दोनों पर, गश्त में वृद्धि करना; सीमा सड़कों के निर्माण तथा बाड़ लगाने के कार्यक्रम में तेजी लाना; सीमा चौकी निगरानी टावरों की संख्या में वृद्धि; निगरानी उपकरणों का प्रावधान करना आदि।

लघु औद्योगिक इकाइयों को भूमि का आबंटन

155. श्री रामदास आठवले: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार दिल्ली में बंद की गई लघु औद्योगिक इकाइयों को भूमि आबंटित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार को लघु उद्योग परिसंघ की ओर से कोई अभ्यावेदन अथवा अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो आज की तारीख तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है तथा इन लघु उद्योग इकाइयों को कुछ नए औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आबंटित किए जाने की संभावना है और इसमें विलंब के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने बताया है कि वह माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 19.4.96 के आदेश के अनुसरण में दिनांक 19.4.96 के पहले से दिल्ली के रिहायशी एवं गैर-नियोजित क्षेत्रों में चल रही औद्योगिक प्लाट/फ्लैट आवंटित करने की स्कीम पहले से ही कार्यान्वित कर रहा है। यह स्कीम के तहत 18360 पात्र औद्योगिक इकाइयों को ड्रा के जरिए प्लाट/फ्लैट आवंटित किये गये हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार दिल्ली में बंद की गयी छोटी औद्योगिक इकाईयों को भूमि आवंटित करने के लिए वर्तमान में दिल्ली सरकार के पास कोई विशेष स्कीम/प्रस्ताव नहीं है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भी बताया है कि उनसे उद्योगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया में उपयोग के लिए रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार को 610 खाली औद्योगिक प्लाट दिये हैं।

(ग) से (ङ) रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार ने बताया है कि उसे इस संबंध में लघु उद्योग परिसंघ से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में विदेशियों का आगमन

156. **श्री अजय चक्रवर्ती:**
श्री गुरूदास दासगुप्त:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन क्षेत्रों में विदेशियों में आगमन पर प्रतिबंधों को हटाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय से पूर्वोत्तर क्षेत्र में विदेशियों के प्रवेश और रहने संबंधी प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके के हटाने के बारे में सुझाव देते हुए एक संदर्भ प्राप्त हुआ था। उस मंत्रालय को संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श के पश्चात विशिष्ट प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।

पुष्प कृषि व्यापार

157. **श्री मदन लाल शर्मा:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में पुष्प कृषि के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) जम्मू और कश्मीर में पुष्पों के उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं.

(ख)(1) पुष्पकृषि उत्पादों के निर्यात का संवर्धन करने के लिए निम्नलिखित राज्यों में छह कृषि निर्यात क्षेत्र स्थापित किए गए हैं:

(1) उत्तरांचल (2) सिक्किम (3) महाराष्ट्र (4) कर्नाटक (5) तमिलनाडु

(2) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा उठाए गए अन्य कदमों में बंगलौर, मुम्बई एवं नोएडा (उत्तर प्रदेश) में पुष्प नीलामी केन्द्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता, शीघ्र खराब होने वाले कार्गो के प्रहस्तन के लिए शीत भंडारण सुविधा तथा निर्यातकों को परिवहन सहायता शामिल हैं।

(ग) एपीडा ने निर्यातों के लिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य में पुष्प कृषि के विकास हेतु व्यवहार्यता अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

बंधक बनाने वालों के संबंध में नीति

158. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बंधक बनाए जाने पर जेल से रिहाई, फिरौतियों अथवा नीति में परिवर्तन करने जैसी सुविधाओं को देने से इंकार करने की संयुक्त राज्य अमरीका की नीति के अनुरूप "बंधक बनाने वालों के साथ कोई समझौता नहीं" की रणनीति तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बंधक बनाए जाने की उन घटनाओं का ब्यौरा क्या है, जिनमें सरकार को पूर्व में बंधक बनाने वालों की मांगों को मानना पड़ा था?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) "बंधक बनाने वालों के साथ कोई समझौता नहीं" की एक नीति सरकार के विचाराधीन है।

(ग) गत चार वर्षों में सरकार ने किसी भी बंधक बनाने वाले की मांगें नहीं मानी है।

पश्चिम बंगाल में स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

159. **श्री रूपचन्द मुर्मू:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन और 'ताम्र-फलक' प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) पश्चिम बंगाल में उन संघर्षों का ब्यौरा क्या है जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम का एक हिस्सा समझा जाता है और स्वतंत्रता

सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन हेतु पात्र भागीदारों की संख्या कितनी है;

(ग) स्वतंत्रता संग्राम के भागीदारों से प्राप्त पेंशन के कितने आवेदन रद्द किये गए हैं तथा इन्हें किन आधारों पर रद्द किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार प्रमाणपत्रों दस्तावेजों इत्यादि को प्रस्तुत करने के मामले में उदार दृष्टिकोण अपनाने का है क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले अधिकतर लोगों का निधन हो चुका है तथा लंबे समय के बीतने के कारण दस्तावेज उपलब्ध नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) भारत सरकार ने, 1972 में केन्द्रीय पेंशन योजना शुरू होने से लेकर लगभग 1.69 लाख स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों, को पेंशन स्वीकृति की है। स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देशभर में खजानों (ट्रेजरीज) और पब्लिक सेक्टर (बैंकों के माध्यम से वितरित की जाती है और मृत स्वतंत्रता सेनानियों के पात्र आश्रितों को आश्रित परिवार पेंशन अंतरित करने की शक्ति संवितरण प्राधिकारियों को प्रदत्त की गई है। इस मंत्रालय के पास इस समय जीवित और पेंशन पाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों की सही-सही संख्या नहीं है।

स्वतंत्रता सेनानियों को 'ताम्रपत्र' जारी करने की योजना केन्द्र और साथ ही राज्य सरकारों के माध्यम से संचालित की जाती थी। इस संबंध में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। उक्त योजना 1988 से प्रास्थगित की गई है।

(ख) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अंतर्गत पेंशन के प्रयोजनार्थ विशेष रूप से मान्य आंदोलन के नाम और वे भी जो विशेष रूप से पेंशन हेतु मान्य नहीं हैं, [(अर्थात्, "नकारात्मक सूची" (नेगेटिव लिस्ट)] संलग्न विवरण में दिए गए हैं। तथापि, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि ये आंदोलन स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के तहत पेंशन के प्रयोजनार्थ विशेष रूप से मान्य है या नहीं, जो भी आन्दोलन स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 में निर्धारित पात्र मानदंड को पूरा करते हैं; (बशर्ते कि संबंधित आंदोलन 'नकारात्मक' सूची में सूचीबद्ध न हो) पेंशन के पात्र हैं। इस मंत्रालय के पास पात्र स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों की सही-सही संख्या नहीं है।

(ग) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के उपबंधों के अनुसार जो कोई भी पात्र मानदंड को पूरा नहीं करता है या अपेक्षित प्राथमिक या गौण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करती है, उसका दावा रद्द कर दिया जाता है।

(घ) और (ङ) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 में यदि प्राथमिक साक्ष्य (अर्थात् समकालीन सरकारी अभिलेख) उपलब्ध न हों तो गौण साक्ष्य अर्थात् भूमिगत रूप से सजा भोगने के मामले में व्यक्तिगत जानकारी प्रमाणपत्र (पर्सनल नालेज सार्टिफिकेट) और जेल में सजा भोगने के मामले में सह-कैदी के प्रमाणपत्र के साथ अभिलेख अनुपलब्धता प्रमाणपत्र संलग्न हो) स्वीकार करने की पहले से ही व्यवस्था है। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के उपबंधों को आगे और उदार बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ नहीं है।

विवरण

I. स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 प्रदान करने हेतु मान्य आंदोलनों की सूची

1. भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1943 में स्यूज कैनाल सेना विद्रोह और 1943 में अम्बाला छावनी सेना विद्रोह।
2. सेना में झांसी रेजीमेंट मामला (1940)।
3. रानी झांसी रेजीमेंट और आई एन ए की आजाद हिंद (1943-45)।
4. कलकत्ता में 1940 में नेताजी द्वारा चलाया गया होल्लवैल स्मारक हटाने संबंधी आंदोलन।
5. रायल इंडियन नेवी विद्रोह, 1946।
6. खिलाफत आन्दोलन।
7. हर्षा छीना मोघा मोर्चा (1946-47)।
8. मोपला विद्रोह (1921-22)।
9. भूतपूर्व हैदराबाद राज्य में आर्य समाज आंदोलन (1938-39)।
10. मदुरै षडयंत्र मामला (1945-47)।
11. भूतपूर्व हैदराबाद राज्य में सीमा शिविर मामले (1947-48)।
12. दि गदर आन्दोलन।
13. गुरुद्वारा सुधार आन्दोलन (1920-25) जिसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:-

    (क) तरन तारन मोर्चा।

    (ख) फरवरी की ननकाना त्रासदी (1920)।

(ग) स्वर्ण मंदिर के मामले (मोर्चा छबिआन साहिब)।

(घ) गुरु का बाग मोर्चा।

(ङ) बब्बर अकाली आन्दोलन।

(च) जैतो मोर्चा।

(छ) भाई फेरू मोर्चा; और

(ज) 1924 का सिख षडयंत्र (स्वर्ण मंदिर)।

14. भूतपूर्व रजवाड़ों में प्रजा मंडल आन्दोलन (1939-49)।
15. कीर्ति किसान आन्दोलन (1927)।
16. नवजवान सभा (1926-31)।
17. भारत छोड़ो आन्दोलन (1942)।
18. आई एन ए और आई आई एल (1942 से 1946 तक)।
19. भारत में भूतपूर्व फ्रांस और पुर्तगाल के कब्जे वाले क्षेत्रों में विलय आन्दोलन।
20. पेशावर काण्ड जिसमें गढ़वाल राइफल के सदस्यों ने भाग लिया।
21. रेड लीफ कांस्पाइरेसी केस (1931)।
22. चौरी चोरा काण्ड (1922)।
23. कर्नाटक का अरण्य सत्याग्रह (1939-40)।
24. गोवा मुक्ति आन्दोलन।
25. कालीपत्तनम आन्दोलन (1941-42)।
26. कल्लारा-पेन्गोडे मामला।
27. कडाक्कल दंगा मामला।
28. चेंगान्नूर दंगा मामला।
29. वट्टियूरकावू सम्मेलन।
30. एन्टी-इंडीपेंडेन्ट ट्रावनकोर।
31. पून्नापरा-वयालार आन्दोलन।
32. कार्लवेल्लूर आन्दोलन।
33. कोवम्बल आन्दोलन।
34. काय्यूर आन्दोलन।
35. मोराझा आन्दोलन।
36. मालाबार विशेष पुलिस हड़ताल (एम एस पी हड़ताल)।
37. दादरा और नागर हवेली आन्दोलन।

II. उन आंदोलनों/विद्रोहों की सूची जो स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन के लिए मान्य नहीं है ("नकारात्मक सूची")

क. *विद्रोह*

1. 21वीं सेन्ट्रल इंडिया हार्स म्यूटिनी।
2. मिस्र में एम टी लोडिंग/अनलोडिंग केस।
3. हांगकांग में स्टील हेल्मेट मामला।
4. मद्रास आर्टिलरी आन्दोलन।
5.* झांसी में पंजाब रेजीमेंट सेान विद्रोह।
6. 3/12 पंजाब रेजीमेंट मामला; 7, गंगा दीन फिल्म शूटिंग मामला।

ख. *संघर्ष/षडयंत्र*

1. मालापट्टन संघर्ष।
2. पुन्नापाड़ा व्यालार षडयंत्र।
3. 1938-39 का चंगान्नूर दंगा।
4. कल्लारा पंगोडा मामला।
5. कडाक्कल दंगा।
6. वट्टियूरक्कावा सम्मेलन।
7. स्वतंत्रता विरोधी ट्रावनकोर आन्दोलन 1946-47।

ग. *हड़ताल*

1. बिहार पुलिस हड़ताल।
2. कोचीन पुलिस हड़ताल।
3. मालाबार विशेष पुलिस हड़ताल।
4. जोधपुर सेना कर्मियों का विघटन।

घ. *षडयंत्र*

1. मेरठ षडयंत्र मामला।
2. दिल्ली षडयंत्र मामला।
3. कलकत्ता षडयंत्र मामला।
4. मद्रास षडयंत्र मामला।
5. नेल्लई षडयंत्र मामला।

*भूतपूर्व-सेना कर्मी, जिन्होंने ब्रिटिश प्राधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह किया था, के लिए विशेष पेंशन योजना के तहत विशेष पेंशन प्रदान करने हेतु मान्य।

ट्राइफेड

160. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** 7 दिसम्बर, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 997 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-04 के दौरान ट्राइफेड द्वारा लघु वन उत्पाद एवं कृषि उत्पाद की खरीद न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या वर्ष 2004-05 के दौरान उक्त राज्य से कोई खरीद की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने हेतु क्या प्रशिक्षण दिया गया है/दिए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (ग) 2 अप्रैल, 2003 से लागू हुए ट्राइफेड के नए उपनियमों के उपबंधों के अनुसार ट्राइफेड की भूमिका और कर्त्तव्य जनजातीय उत्पादों के विपणन के लिए सेवा और सुविधादाता के रूप में कार्य करना है। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2003-04 से आगे, राजस्थान के साथ-साथ अन्य राज्यों में लघु वन उत्पाद और कृषि उत्पाद की सीधी खरीद बंद कर दी गई है। ट्राइफेड ने वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान राजस्थान में कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया है।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों को शिशु-गृह हेतु अनुदान

161. श्री कृष्णा मुरारी मोघे:
श्री विजय कुमार खंडेलवाल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने शिशु-गृहों के संचालन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान उपलब्ध कराने हेतु सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए बच्चों हेतु दिवस-परिचर्या केन्द्र सहित छात्रावास भवन के निर्माण/विस्तार हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करने के राज्य के प्रस्तावों को भी संस्वीकृत किया है; और

(घ) इनको कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उन गैर-सरकारी संगठनों के नाम, जिनके प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं

1. चित्रांशी शिक्षा प्रसार समिति, 18, मानिक विकास कालोनी, झांसी रोड, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
2. चेतना महिला मण्डल, मंदसौर, 906, बोहरा बारबल, मंदसौर, मध्य प्रदेश
3. सर्वांगीण महिला मण्डल, जबादावाड़ा, बिलासपुर, मध्य प्रदेश
4. एस.एन.एस. महिला विकास संस्थान, खुर्सीपार, भिलाई, दुर्ग (मध्य प्रदेश)
5. ओजस्विनी समदर्शी न्यास, मुख्यालय, 115/38, शिवाजी नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश
6. मंगलम शिक्षा प्रसार समिति, दतिया, मध्य प्रदेश
7. स्टार स्कूल समिति, इन्दौर, मध्य प्रदेश
8. श्री संगम महाराज शिक्षण एवं सामाजिक विकास समिति, विमय, मध्य प्रदेश।

[अनुवाद]

उच्च शिक्षा के लिए धनराशि का आवंटन

162. श्री रघुनाथ झा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च शिक्षा हेतु योजनाएं उपलब्ध संसाधनों का उपयोग न किए जाने के कारण पिछड़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों को कितनी धनराशि आवंटित की गई हैं और

राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा धनराशि के शत प्रतिशत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय नेताओं की समाधियों पर सार्वजनिक कार्यक्रम

163. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:**
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय नेताओं की समाधियों पर आयोजित होने वाले सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों को राजघाट परिसर के आस-पास आयोजित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजघाट, दिल्ली के आस-पास स्थित राष्ट्रीय नेताओं के अधिकतर स्मारक उपेक्षित हैं और उपद्रवियों और अतिक्रमणकारियों के निशाने पर हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार समाधियों के रख-रखाव, सौंदर्यीकरण, सुरक्षा और देखभाल का उत्तरदायित्व लेने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (च) समाधि-परिसर में सुधार लाने के लिए एक समेकित अवधारणा योजना तैयार की गई है जिसका उद्देश्य परिसर को सौंदर्यपरक बनाना और स्थान की पवित्रता के उपयुक्त कार्यात्मक रूप से बेहतर बनाना तथा परिसर के दर्शनार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। समग्र परिसर को पुनः विकसित करने/उन्नत बनाने का निर्णय लिया गया है।

हाल ही में, परिसर की सुरक्षा का कार्य केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपा गया है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को समाधि परिसर में अब से, समारोह आयोजित करने के अनुदेश जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

महानगरों का विकास

164. **श्री देविदास पिंगले:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों के महानगरों के विश्वस्तरीय नगरों के रूप में विकसित करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) महाराष्ट्र में स्थित वे महानगर कौन से हैं जिनका चयन इस मानदंड के आधार पर विश्वस्तरीय नगर के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है;

(ग) क्या उक्त सूची में नासिक को सम्मिलित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त नगर को विश्वस्तरीय नगर के रूप में कब तक विकसित किया जाएगा?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) शहरी विकास राज्य का विषय है। इसलिए, राज्य सरकारों को ही मानदण्ड विकसित करने हैं तथा विश्वस्तरीय नगरों के रूप में विकास करने के लिए नगरों का चयन करना है।

[अनुवाद]

राज्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खेल-कूद स्पर्धाओं का आयोजन

165. **श्री अनंत कुमार:** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है, जो अंतर्राष्ट्रीय खेल-कूद स्पर्धाओं को आयोजित करने के पात्र है;

(ख) भारत में अन्तर्राष्ट्रीय खेल कूद स्पर्धाओं को कम संख्या में आयोजित करने के क्या कारण हैं;

(ग) वर्तमान में देश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कितने प्रशिक्षक हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इसके पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की अवसंरचना का विकास करने हेतु जारी किए गए अनुदानों का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) इस संबंध में कोई पात्रता मानदंड नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन का निर्णय संबंधित राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा, उन जगहों पर जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अवस्थापना, आवास और अन्य संबंधित सुविधाएं उपलब्ध है, लिया जाता है।

(ख) किसी देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता आयोजित किए जाने का निर्णय संबंधित खेल के अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ द्वारा दिया जाता है।

(ग) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार लगभग 1479 कोच भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अनुबद्ध किए गए है और लगभग 2000 कोच राज्य सरकारों और अन्य संगठनों द्वारा अनुबद्ध किए गए हैं, जिनमें से कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अभी तक) के दौरान सिंथेटिक सतह बिछाने और खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदानों की योजनाओं के अंतर्गत अवस्थापना विकास के लिए जारी की गई केन्द्रीय सहायता का *विवरण-I* और *II* पर संलग्न है।

विवरण I

2001-02 से 2004-05 तक (आज की तारीख तक) सिंथेटिक सतह बिछाने के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	प्रस्तावों का विवरण	अनुमोदित केन्द्रीय सहायता	जारी कई गई केन्द्रीय सहायता	देय बकाया सहायता	स्थिति
1	2	3	4	5	6
		2001-2002			
1.	भा.खे.प्रा., भोपाल में दो सिंथेटिक हाकी सतहों की स्थापना	200.00 येक) (100.00 लाख प्रत्येक)	144.945	35.05	भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र/ समापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने हैं।
2.	जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली के वार्मअप क्षेत्र में आठ लेन का एथलेटिक्स ट्रैक बिछाना	62.50	62.50	0.00	परियोजना पूरी हो चुकी है।
		2002-2003			
1.	एथलेटिक्स स्टेडियम गांधी बावली हैदराबाद में आठ लेन सिंथेटिक ट्रैक की स्थापना	100.00	100.00	0.00	परियोजना पूरी हो चुकी है।
2.	जे.आर.डी. टाटास्पोर्टस कम्प्लेक्स जमशेदपुर, झारखंड में सिंथेटिक ट्रैक बिछाना	100.00	100.00	0.00	परियोजना पूरी हो चुकी है।

1	2	3	4	5	6
3.	पिम्परी चिंचवाद नगर निगम पूणे के हाकी स्टेडियम में सिंथेटिक हाकी सतह बिछाना	100.00	65.00	35.00	अनुदानग्राही द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र/समापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने हैं
		2003-2004			
1.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहाबाद (मारकाँडा) हरियाणा में सिंथेटिक हाकी सतह बिछाना	100.00	50.00	50.00	उपयोग करने वाली एजेंसी द्वारा पी.आर. प्रस्तुत किया जा रहा है।
2.	एस.टी.सी. भारतीय खेल प्राधिकरण केन्द्र, मेडिकरि कर्नाटक में सिंथेटिक हाकी सतह बिछाना	100.00	20.00	80.00	उपयोग करने वाली एजेंसी द्वारा पी.आर. प्रस्तुत किया जा रहा है।
		2004-05			
		-शून्य-			

विवरण-2

2001-2002 से 2004-05 तक (आज की तारीख तक) खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदानों की योजना के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	परियोजना	अनुमोदित राशि	जारी की गई राशि	शेष बकाया राशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
		2001-2002			
1.	कोलार कर्नाटक में इंडोर स्टेडियम (श्रेणी-1)	60.00	23.00	37.00	राज्य सरकार द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र/प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।
2.	त्वांग अरुणाचल प्रदेश में श्रेणी-1	90.00	65.00	15.00	राज्य सरकार द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र/प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

1	2	3	4	5	6
3.	आर.के. मिशन विद्यालय (तमिलनाडु) द्वारा कोयम्बटूर में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-1	90.00	90.00	–	पूर्ण
4.	छोटु राम स्टेडियम रोहतक, हरियाणा में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-1	57.825	25.00	32.825	राज्य सरकार द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र/समापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने वाले है।
		2002-2003			
1.	तमिलनाडु स्क्वैश रैकेट, संघ तमिलनाडु द्वारा चेन्नई में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-1	60.00	60.00	शून्य	पूर्ण
2.	राजाराम नगर सुमली महाराष्ट्र इंडोर स्टेडियम श्रेणी-1	58.23	25.00	33.23	राज्य सरकार द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र/प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।
3.	रूपा पश्चिम कमांग जकिला अरुणाचल प्रदेश में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-1	90.00	30.00	30.00	राज्य सरकार द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र/ प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।
4.	रामहूलंब एजवाल मिजोरम में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-1	90.00	60.00	30.00	राज्य सरकार द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र/प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।
5.	गांदी बावल आंध्र प्रदेश में इंडोर स्टेडियम श्रेणी 1	60.00	60.00	–	पूर्ण
6.	यूसुफ गोडा हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-1	60.00	60.00	–	पूर्ण
7.	फतेहमैदान हैदराबाद आंध्र प्रदेश में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-1	60.00	60.00	–	पूर्ण

1	2	3	4	5	6
8.	शरूर नगर हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) में इंडोर स्टेडियम श्रेणी-1	60.00	60.00	–	पूर्ण

2003-2004

शून्य

2004-05 (22.2.2005 तक)

शून्य

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना

166. श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दमन और दीव के संघ शासित क्षेत्र में 15 सरकारी उच्च विद्यालयों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने की योजना केन्द्र-सरकार के समक्ष अनुमोदन प्राप्त करने हेतु लंबित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और आवश्यक अनुमोदन प्रदान करने में हुए विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) 15 सरकारी उच्च विद्यालयों तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु संघ शासित प्रदेश दमन तथा दीव से फरवरी, 2005 में एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। इस विभाग ने संघ शासित प्रदेश से स्कूलों में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी स्कीम के मानदण्डों के अनुसार कम्प्यूटर शिक्षा योजना से संबंधित विस्तृत विवरण भेजने का अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय खेल-कूद पुरस्कार

167. श्री राजेश पाठक: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय खेल-कूद पुरस्कारों के लिए खिलाड़ियों का चयन करने हेतु मानदंड निर्धारित किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और इसके पश्चात वे राज्य कौन से हैं जिनसे राष्ट्रीय खेल-कूद पुरस्कारों हेतु युवकों का चयन किया गया है;

(घ) क्या सरकार को चयन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के संबंध में जन-प्रतिनिधियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर क्या उपचारात्मक कार्रवाई कई गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर के निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान करती है:-

(1) राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार:- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद में प्रभावशाली तथा सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। प्रति वर्ष केवल एक पुरस्कार प्रदान किया जाता है बशर्ते योग्य खिलाड़ी उपलब्ध हो।

(2) अर्जुन पुरस्कार:- पिछले तीन वर्षों के लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए तथा नेतृत्व, खेल भावना तथा अनुशासन की भावना दिखाने के लिए। इस पुरस्कार के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के अंतर्गत आने वाली खेल विधाओं, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए

देशज खेलों पर विचार किया जाता है। किसी कलेंडर वर्ष में 15 से अधिक पुरस्कार प्रदान नहीं किए जाते, सामान्यत:, एक विधा में एक से अधिक पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता बशर्ते योग्य खिलाड़ी उपलब्ध हो।

(3) खेल कूद में जीवनपर्यंत उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद पुरस्कार:- उन खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष तीन पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं जिन्होंने अपने प्रदर्शन द्वारा योगदान दिया है तथा सक्रिय खेल जीवन से अपने रिटायर होने के बाद भी खेलों के संवर्धन में योगदान देना जारी रखा है।

(4) अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं तथा उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार:- पुरस्कारों से संबंधित योजना की योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों तथा राष्ट्रमंडल खेलों तथा शतरंज की खेल विधा में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए जिन राज्यों से युवाओं का चयन किया गया था, उनके नाम विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जी, नहीं। यद्यपि चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत नहीं है, तथापि, समय-समय पर खिलाड़ियों तथा जनप्रतिनिधियों से शिकायतें प्राप्त होने के दृष्टांत देखने में आए हैं। ये शिकायतें मुख्य रूप से कथित योग्य खिलाड़ी पर विचार न करने से संबंधित हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) विभिन्न विधाओं के प्रार्थियों की संख्या के मुकाबले पुरस्कारों की संख्या सीमित है। अप्रैल, 2002 तथा मार्च, 2004 में योजना को संशोधित करके प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है जिसके द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार तथा ध्यानचंद पुरस्कार के लिए समितियां बनाई गई हैं जिनके अध्यक्ष प्रसिद्ध खिलाड़ी होंगे तथा जिनके अधिकांश सदस्य खिलाड़ी है। ये छंटनी करती है तथा पुरस्कारों के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन करती है।

विवरण

क्र.सं.	पुरस्कार	उन राज्यों के नाम जिनमें से निम्नलिखित वर्षों में राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए खिलाड़ियों का चयन किया गया था।		
		2001	2002	2003
1.	राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार	चंडीगढ़	केरल और महाराष्ट्र	केरल
2.	अर्जुन पुरस्कार	पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, नई दिल्ली, हरियाणा	केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, नई दिल्ली, हरियाणा, यू.पी., आंध्र प्रदेश, कर्नाटक	पश्चिम बंगाल, पंजाब, कर्नाटक, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, यू.पी., नई दिल्ली
3.	ध्यानचंद पुरस्कार	–	दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र	राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु

[अनुवाद]

सी.आर.पी.एफ. कार्मिकों को एड्स

168. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.आर.पी.एफ. कार्मिकों में बड़ी संख्या में एड्स के लक्षण पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य अर्द्ध-सैनिक बलों से भी ऐसे मामलों का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस रोग की रोकथाम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) आज की तारीख तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कार्मिकों में एड्स/एच आई वी के 158 पाजीटिव मामले प्रकाश में आए हैं।

(ग) और (घ) अन्य केन्द्रीय पुलिस बलों (सी पी एफ) में पता लगे एड्स/एच आई वी के पाजीटिव मामलों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

सीमा सुरक्षा बल	100
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	79
भारत तिब्बत सीमा पुलिस	10
एस एस बी	03
असम राइफल्स	123

(ङ) इस रोग को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) विभागीय अनुदानों, पुस्तिकाओं, वीडियो कैसेट्स इत्यादि के माध्यम से सी पी एफ कर्मियों के बीच जागरूकता पैदा की गई है।

(2) राष्ट्रीय एड्स केन्द्रीय संगठन (एन ए सी ओ) द्वारा मेडिकल और पैरा-मेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया है।

(3) कर्मियों के सूचनार्थ नियमित रूप से निवारक उपाय परिचालित किए जाते हैं।

छात्रों को अध्येतावृत्ति

169. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फोर्ड फाउंडेशन इन्टरनेशनल फेलोशिप प्रोग्राम में भारतीय छात्रों को अध्येतावृत्ति की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अध्येतावृत्ति हेतु छात्रों का चयन करने के क्या मानदंड हैं; और

(घ) उक्त कार्यक्रम से अब तक कितने छात्र लाभान्वित हुए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में 'फोर्ड फाउंडेशन इंटरनेशनल फैलोशिप्स कार्यक्रम' वर्ष 2001 में प्रारंभ हुआ था। चयन के मानदण्डों में सामाजिक वंचना, शैक्षिक व्यवहार्यता, नेतृत्व और सामाजिक प्रतिबद्धता शामिल है। यह कार्यक्रम भारत में हर वर्ष 35-42 अध्येतावृत्तियां प्रदान करता है जो पूर्णत: वित्तपोषित होती हैं। उम्मीदवारों के चयन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

(घ) अब तक इस कार्यक्रम द्वारा विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 115 भारतीय उम्मीदवारों का चयन किया गया है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों का निर्यात

170. श्री अजीत जोगी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को किए जाने वाले कृषि-उत्पादों के निर्यात में कोई वृद्धि या कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु नए बाजारों का पता लगाने की कोई योजना है; और

(घ) अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने हेतु कृषि उत्पादों में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) और (ख) भारत का कृषिजन्य निर्यात पिछले कुछेक वर्षों से धीरे-धीरे बढ़ रहा है। कृषिजन्य निर्यात (चाय, काफी, समुद्री उत्पाद, कपास और कास्टर आयल को छोड़कर) पिछले तीन वर्षों के लिए इस प्रकार है:-

वर्ष	कृषिजन्य निर्यात	
	करोड़ रुपए	मिलियन अमरीकी डालर
2001-02	18,763	3,934
2002-03	22,239	4,589
2003-04	23,839	5,178
2004-05 (अप्रैल-अक्तूबर, 04)	20,584	2,840

स्रोत: डी जी सी आई एंड एस

(ग) निर्यातों के लिए कोई नया बाजार विकसित करना एक सतत प्रक्रिया है, जिसके लिए सरकार वस्तु बोर्डों, प्राधिकरणों, निर्यात संवर्धन परिषदों के जरिए निरन्तर प्रयास करती है।

(घ) कृषि उत्पादों के निर्यातों की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार बुनियादी संरचना विकास, आधुनिक पैकेजिंग इकाइयों, गुणवत्ता नियंत्रण, अनुसंधान और विकास तथा बाजार विकास के लिए उक्त एजेंसियों के माध्यम से वित्तीय और सहायता के रूप में अनेक प्रोत्साहन प्रदान करती है।

[अनुवाद]

दिल्ली में जनसंख्या की चिंताजनक दर

171. **श्री जी.वी. हर्ष कुमार:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली में प्रतिदिन 800 लोगों का आगमन होता है और 590 बच्चों का जन्म होता है, जिससे दिल्ली की जनसंख्या चिंताजनक रूप से बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली में आ रहे लोगों को रोकने हेतु कोई कदम उठाए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। वर्ष 2001 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के संबंध में तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2001 के दौरान प्रति दिन औसतन 812 जन्म दर्ज किए गए और इसी वर्ष के दौरान प्रति दिन औसतन 222 मृत्यु दर्ज की गई। इस प्रकार दिल्ली में की जनसंख्या में प्रतिदिन 590 लोगों की स्वाभाविक वृद्धि हुई जो वर्ष 2001 के दौरान लगभग 2.15 लाख बैठती है। वर्ष 2000 की तुलना में 2001 के दौरान दिल्ली की जनसंख्या में कुल 4.90 लाख की वृद्धि हुई। अत: दिल्ली की जनसंख्या में प्रवासियों के कारण बकाया वृद्धि (2.75 लाख) हुई है।

वर्ष 1999, 2000 और 2001 के दौरान दिल्ली में प्रति दिन दर्ज की गई और मृत्यु तथा जनसंख्या में हुई स्वाभाविक वृद्धि नीचे दर्शाई गई है:

वर्ष	प्रतिदिन औसत जन्म	प्रतिदिन औसत मृत्यु	प्रतिदिन औसत स्वाभाविक वृद्धि
1999	788	216	572
2000	869	219	650
2001	812	222	590

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, दिल्ली के निष्कर्ष

172. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या शहरी विकास मंत्री 21 दिसंबर, 2004 के अतारांकित प्रश्न सं. 3308 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ख) सरकार के अनुदेशों के बावजूद ध्वंस करने की लागत को एकत्रित नहीं करने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मंडलीय आयुक्त ने बताया है कि उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के निष्कर्ष प्राप्त नहीं हुए हैं। यह भी बताया गया है कि मौजूदा प्रथा के अनुसार ध्वंस करने की लागत वसूल नहीं की जाती है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

173. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में जान्स होपकिंग, यूनिवर्सिटी, मेरीलैंड ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास देश के अन्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ भी इसी प्रकार के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी एंड साईंस के साथ सहयोग करनें हेतु किन क्षेत्रों की पहचान की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास और मेरीलैंड सिस्टम विश्वविद्यालय एवं जान्स होपकिंग, यूनिवर्सिटी, संयुक्त राज्य अमरीका के बीच 8.2.2005 को सीनेट द्वारा संशोधन के अधीन आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने तथा संयुक्त परियोजनाएं विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर वैज्ञानिक ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं के आदान-प्रदान को बढ़ाना है। समझौता ज्ञापन में अनुसंधान, शिक्षण एवं अध्ययन के लिए संकाय एवं छात्रों के आदान-प्रदान, विद्वतापूर्ण प्रकाशनों के आदान-प्रदान, संयुक्त अनुसंधान कार्य आदि की परिकल्पना है। विनियम दौरों की अवधि आपसी सहमति से निर्धारित की जाएगी जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। समझौता ज्ञापन में निधियों के आधार पर वित्तीय करारों को अंजाम देने का भी प्रावधान है। आपसी सहमति से किसी भी संशोधन का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष के अंत में समझौता ज्ञापन की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। कम से कम 6 माह का नोटिस देकर कोई भी पक्षकार समझौता ज्ञापन को निरस्त कर सकता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सरकार से पूर्वानुमति लिए बगैर विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने की छूट है।

विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा

174. श्री रामजीलाल सुमन:
डा. चिन्ता मोहन:
श्री डी. विट्टल राव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का औसत योगदान केवल सत्रह प्रतिशत है;

(ख) यदि नहीं, तो इससे संबंधित तथ्य क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में अधिकतम रोजगार अवसरों के सृजन की संभावना के मद्देनजर उक्त योगदान में वृद्धि करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ङ) क्या देश में विनिर्माण क्षेत्र का कार्य-निष्पादन संतोषजनक रहा है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी हां। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) के अनुसार वर्ष 2002-03 से वर्ष 2003-04 के दौरान सकल घरेलू उत्पादन में विनिर्माणकारी क्षेत्र का औसत हिस्सा घटक लागत (फैक्टर कास्ट) पर 17.15 प्रतिशत था।

(ग) से (च) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी किए गए औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (आधार 1993-94 = 100) के आंकड़ों के अनुसार विनिर्माणकारी क्षेत्र में उत्पादन में पिछले वर्ष

अप्रैल-दिसम्बर के दौरान हुई 7.2 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2004-05 के दौरान 9 प्रतिशत वृद्धि हुई थी।

औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से कई नीतिगत उपाय किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये उपाय शामिल हैं: राष्ट्रीय विनिर्माणकारी प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद (एनएमसीसी) की स्थापना करना, औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस) आरम्भ करना, विद्युत अधिनियम, 2003 पारित करना, अप्रत्यक्ष करों को औचित्यपूर्ण बनाना तथा उनमें कमी करना।

संयुक्त राष्ट्र में महिला पुलिस अधिकारी

175. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला पुलिस अधिकारियों से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार वहां महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मिशनों में 5 भारतीय महिला पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है।

(ख) और (ग) युनाइटेड नेशन डिपार्टमैंट आफ पीसकीपिंग के सुझाव पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केन्द्रीय पुलिस संगठनों से अनुरोध किया गया है कि वे कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र के मिशन में तैनात करने के लिए और अधिक पात्र महिला पुलिस अधिकारियों को नामित करें।

चंडीगढ़ में विद्यालय

176. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चंडीगढ़ में सरकारी विद्यालयों की सेक्टर-वार संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक विद्यालय के भूखंड का क्षेत्रफल, छात्रों की संख्या, शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की संख्या क्रमश: कितनी है;

(ग) क्या कक्षा-V तक के छात्रों को फर्नीचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है और उन्हें फर्श पर बैठना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रथा को दूर करने और आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध कराने की कोई योजना है;

(ङ) क्या इन विद्यालयों में खेल-कूद इत्यादि के लिए मैदानों का रख-रखाव नहीं किया जाता है; और

(च) प्रत्येक विद्यालय में भवन, मैदानों के रख-रखाव और बागवानी कार्य पर कितनी धनराशि व्यय की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) चंडीगढ़ प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में 104 राजकीय स्कूल हैं। क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न *विवरण-I* में दिए गए हैं।

(ख) प्रत्येक स्कूल की जमीन का क्षेत्रफल *विवरण-II* में दिया गया है, प्रत्येक स्कूल में दाखिलें की संख्या *विवरण-III* में दी गई है और प्रत्येक स्कूल में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की संख्या *विवरण-IV* में दी गई है।

(ग) चंडीगढ़ में सभी राजकीय माडल स्कूलों के विद्यार्थियों को फर्नीचर प्रदान किया गया है। तथापि, सामान्य राजकीय स्कूलों में कक्षा V तक 75 प्रतिशत विद्यार्थियों को फर्नीचर प्रदान किया गया है और शेष विद्यार्थी टाट पर बैठते हैं।

(घ) वर्ष 2004-2005 के दौरान प्राथमिक कक्षाओं के लिए फर्नीचर की खरीदारी के लिए 45.00 लाख रु. तथा वर्ष 2003-2004 के दौरान प्रारम्भिक शिक्षा के लिए योजनागत के अंतर्गत 41,47,000/- रु. का प्रावधान किया गया।

(ङ) चंडीगढ़ में सभी राजकीय स्कूलों में खेल-खूद के लिए भूमि का रख-रखाव बागवानी विभाग द्वारा किया जाता है।

(च) दिनांक 1.4.2004 से 15.2.2005 तक की अवधि के लिए इन राजकीय स्कूलों में स्कूल भवनों के रख-रखाव पर 91,71,870/- रु. तथा बागवानी पर 79,500/- रु. की राशि खर्च की गई है जैसाकि *विवरण-V* में दिया गया है। इस अवधि के दौरान इन स्कूलों में जन स्वास्थ्य सेवाओं पर 32,05,320/- रु. की राशि खर्च की गई है जैसाकि *विवरण-VI* में दिया गया है।

विवरण I

संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ में राजकीय विद्यालयों की सेक्टरवार सूची

क्र.सं.	सेक्टर	स्कूल का नाम
1	2	3
1.	7	जी.एच.एस.
2.	8	जी.एम.एस.एस.एस.
3.	10	जी.एम.एस.एस.एस.
4.	11	जी.एच.एस.
5.	12	जी.एम.एच.एस.
6.	12	जी.पी.एस.
7.	15	जी.एस.एस.एस.
8.	16	जी.एम.एस.एस.एस.
9.	18	जी.एम.एस.एस.एस.
10.	19	जी.पी.एस.
11.	19	जी.एम.एस.एस.एस.
12.	20	जी.एम.एस.एस.एस.
13.	20	जी.एस.एस.एस.
14.	20	जी.एम.एस.एस.
15.	21	जी.एम.एस.एस.एस.
16.	22	जी.एम.एस.एस.एस.
17.	22	जी.एम.एच.एस.
18.	23	जी.एम.एस.एस.एस.
19.	23	जी.एस.एस.एस.
20.	23	जी.पी.एस.
21.	23	जी.पी.एस.
22.	24	जी.एम.एच.एस.
23.	25	जी.एम.एच.एस.
24.	26 (पी.)	जी.एम.एच.एस.
25.	26	जी.एम.एच.एस.
26.	26 (बी.डी.)	जी.एच.एस.
27.	26 (टी.एम.)	जी.पी.एस.
28.	27	जी.एस.एस.एस.
29.	28	जी.एम.एच.एस.
30.	28	जी.एम.एच.एस.
31.	29	जी.एम.एच.एस.
32.	29	जी.एच.एस.
33.	30	जी.एच.एस.
34.	31	जी.एम.एच.एस.
35.	32	जी.एम.एस.एस.एस.
36.	32	जी.एच.एस.
37.	33	जी.एम.एस.एस.एस.
38.	33	जी.पी.एस.
39.	34	जी.एम.एच.एस.
40.	35	जी.एम.एस.एस.एस.
41.	35	जी.एच.एस.
42.	36	जी.एम.एच.एस.
43.	37	जी.एम.एस.एस.एस.
44.	37	जी.एम.एस.एस.
45.	37	जी.एम.एच.एस.
46.	38	जी.एम.एस.एस.एस.
47.	38	जी.एम.एच.एस.
48.	38	जी.एच.एस.
49.	39	जी.एम.एच.एस.
50.	40	जी.एम.एस.एस.एस.
51.	40	जी.एच.एस.
52.	41	जी.एम.एच.एस.

1	2	3
53.	41	जी.एच.एस.
54.	42	जी.एम.एच.एस.
55.	43	जी.एम.एच.एस.
56.	44	जी.एम.एस.एस.एस.
57.	45	जी.एस.एस.एस.
58.	46	जी.एम.एस.एस.एस.
59.	46	जी.एच.एस.
60.	46	जी.पी.एस.
61.	47	जी.एम.एस.एस.एस.
62.	47	जी.एच.एस.
63.	48	जी.एच.एस.
64.	49	जी.एच.एस.
65.	कालोनी नं. 5	जी.पी.एस.
66.	बुरेल	जी.पी.एस.
67.	कझेरी (एनसी)	जी.पी.एस.
68.	कझेरी	जी.एच.एस.
69.	पलसौरा	जी.पी.एस.
70.	पलसौरा कालोनी	जी.पी.एस.
71.	मलोया	जी.एस.एस.एस.
72.	मलोया कालोनी	जी.पी.एस.
73.	दादीमांजरा	जी.एच.एस.
74.	धनास	जी.एस.एस.एस.
75.	धनास	जी.पी.एस.
76.	सारंगपुर	जी.एम.एच.एस.
77.	सारंगपुर	जी.एच.एस.
78.	खुदा अलीशेर	जी.एच.एस.
79.	के. लाहौरा	जी.एच.एस.

1	2	3
80.	कैम्बवाला	जी.एच.एस.
81.	किशनगढ़	जी.पी.एस.
82.	मणि मांजरा	जी.एम.एस.एस.एस.
83.	मणि मांजरा	जी.एम.एच.एस.
84.	मणि मांजरा टाउन	जी.एस.एस.एस.
85.	मणि मांजरा-I	जी.पी.एस.
86.	मणि मांजरा-II	जी.पी.एस.
87.	इंदिरा कालोनी	जी.पी.एस.
88.	मोली जागरण कोम्पलैक्स	जी.एच.एस.
89.	मोली जागरण कोम्पलैक्स	जी.पी.एस.
90.	मोली जागरण कोम्पलैक्स	जी.एच.एस.
91.	दरिया	जी.एच.एस.
92.	कालोनी नं. 4	जी.एच.एस.
93.	रायपुर कलां	जी.एच.एस.
94.	मक्खन मांजरा	जी.पी.एस.
95.	रायपुर खुर्द	जी.एच.एस.
96.	हल्लो मांजरा	जी.एच.एस.
97.	करसन कालोनी	जी.एस.एस.एस.
98.	करसन	जी.एच.एस.
99.	बेहलाना	जी.एच.एस.
100.	रेलवे कालोनी	जी.पी.एस.
101.	बुटेरला	जी.पी.एस.
102.	बधेरी	जी.पी.एस.
103.	खुदा जस्सु	जी.पी.एस.
104.	56	जी.पी.एस.

विवरण II

संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ में विद्यालयों की क्षेत्रवार सूचना

क्र.सं.	सेक्टर	स्कूल का नाम	श्रेणी	कुल क्षेत्र (एकड़ में), लगभग
1	2	3	4	5
1.	7	जी.एच.एस.	एच.एस.	2.12
2.	8	जी.एम.एस.एस.एस.	एस.एस.	10
3.	10	जी.एम.एस.एस.एस.	एस.एस.	9.97
4.	11	जी.एच.एस.	एच.एस.	3.5
5.	12	जी.एम.एच.एस.	एच.एस.	2.5
6.	12	जी.पी.एस.	पी.एस.	2.5
7.	15	जी.एस.एस.एस.	एस.एस.	6.7
8.	16	जी.एम.एस.एस.एस.	एस.एस.	8.6
9.	18	जी.एम.एस.एस.एस.	एस.एस.	13.25
10.	19	जी.पी.एस.	पी.एस.	2.84
11.	19	जी.एम.एस.एस.एस.	एस.एस.	12.42
12.	20	जी.एम.एस.एस.एस.	एस.एस.	1.914
13.	20	जी.एस.एस.एस.	एस.एस.	7.8
14.	20	जी.एम.एस.एस.	एस.एस.	13
15.	21	जी.एम.एस.एस.एस.	एस.एस.	10.5
16.	22	जी.एम.एस.एस.एस.	एस.एस.	12.5
17.	22	जी.एम.एच.एस.	एच.एस.	2.12
18.	23	जी.एम.एस.एस.एस.	एस.एस.	7
19.	23	जी.एस.एस.एस.	एस.एस.	5.15
20.	23	जी.पी.एस.	पी.एस.	3.17
21.	23	जी.पी.एस.	पी.एस.	0.32
22.	24	जी.एम.एच.एस.	एच.एस.	5.0
23.	25	जी.एम.एच.एस.	एच.एस.	6.0
24.	26 (पी.)	जी.एम.एच.एस.	एच.एस.	9.88
25.	26	जी.एम.एच.एस.	एच.एस.	1.73

1	2	3	4	5
26.	26 (बी.डी.)	जी.एच.एस.	एच.एस.	1.98
27.	26 (टी.एम.)	जी.पी.एस.	पी.एस.	0.3
28.	27	जी.एस.एस.एस.	एस.एस.	7.25
29.	28	जी.एम.एच.एस.	एच.एस.	7.25
30.	28	जी.एम.एच.एस.	एच.एस.	3.63
31.	29	जी.एम.एच.एस.	एच.एस.	3.73
32.	29	जी.एच.एस.	एच.एस.	3.0
33.	30	जी.एच.एस.	एच.एस.	4.5
34.	31	जी.एम.एच.एस.	एच.एस.	6.26
35.	32	जी.एम.एस.एस.एस.	एस.एस.	10
36.	32	जी.एच.एस.	एच.एस.	2.2
37.	33	जी.एम.एस.एस.एस.	एस.एस.	7.3
38.	33	जी.पी.एस.	पी.एस.	2.23
39.	34	जी.एम.एच.एस.	एच.एस.	7.24
40.	35	जी.एम.एस.एस.एस.	एस.एस.	10.6
41.	36	जी.एच.एस.	एच.एस.	2.5
42.	36	जी.एम.एच.एस.	एच.एस.	5.0
43.	37	जी.एम.एस.एस.एस.	एस.एस.	8.4
44.	37	जी.एस.एस.एस.	एस.एस.	1.88
45.	37	जी.एम.एच.एस.	एच.एस.	5.8
46.	26ब	जी.एम.एस.एस.एस.	एस.एस.	1.72
47.	38	जी.एम.एच.एस.	एच.एस.	6.5
48.	38	जी.एच.एस.	एच.एस.	1.04
49.	39	जी.एम.एच.एस.	एच.एस.	5.5
50.	40	जी.एम.एस.एस.एस.	एस.एस.	6.25
51.	40	जी.एच.एस.	एच.एस.	1.9

1	2	3	4	5
52.	41	जी.एम.एच.एस.	एच.एस.	2.16
53.	41	जी.एच.एस.	एच.एस.	8.1
54.	42	जी.एम.एच.एस.	एच.एस.	5.9
55.	43	जी.एम.एच.एस.	एच.एस.	8.77
56.	44	जी.एम.एस.एस.एस.	एस.एस.	7.0
57.	45	जी.एस.एस.एस.	एस.एस.	7.0
58.	46	जी.एम.एस.एस.एस.	एस.एस.	4.3
59.	46	जी.एच.एस.	एच.एस.	2.72
60.	46	जी.पी.एस.	पी.एस.	2.11
61.	47	जी.एम.एस.एस.एस.	एस.एस.	3.1
62.	47	जी.एच.एस.	एच.एस.	5.07
63.	48	जी.एच.एस.	एच.एस.	4.5
64.	49	जी.एच.एस.	एच.एस.	3.32
65.	कालोनी नं. 5	जी.पी.एस.	पी.एस.	0.9
66.	बुरेल	जी.पी.एस.	पी.एस.	0.3
67.	कझेरी (एनसी)	जी.पी.एस.	पी.एस.	0.64
68.	कझेरी	जी.एच.एस.	एच.एस.	1.69
69.	पलसौरा	जी.पी.एस.	पी.एस.	0.22
70.	पलसौरा कालोनी	जी.पी.एस.	पी.एस.	3.5
71.	मलोया	जी.एस.एस.एस.	एस.एस.	1.6
72.	मलोया कालोनी	जी.पी.एस.	पी.एस.	2.8
73.	दादीमांजरा	जी.एच.एस.	एच.एस.	3.09
74.	धनास	जी.एस.एस.एस.	एस.एस.	3.15
75.	धनास	जी.पी.एस.	पी.एस.	0.93
76.	सारंगपुर	जी.एम.एच.एस.	एच.एस.	0.61
77.	सारंगपुर	जी.एच.एस.	एच.एस.	1.36

1	2	3	4	5
78.	खुदा अलीशेर	जी.एच.एस.	एच.एस.	0.65
79.	के. लाहौरा	जी.एच.एस.	एच.एस.	1.47
80.	कैम्बवाला	जी.एच.एस.	एच.एस.	1.02
81.	किशनगढ़	जी.पी.एस.	पी.एस.	0.24
82.	मणि माजरा	जी.एम.एस.एस.एस.	एस.एस.	1.0
83.	मणि माजरा	जी.एम.एच.एस.	एच.एस.	5.4
84.	मणि माजरा टाउन	जी.एस.एस.एस.	एस.एस.	2.31
85.	मणि माजरा-I	जी.पी.एस.	पी.एस.	1.30
86.	मणि माजरा-II	जी.पी.एस.	पी.एस.	0.27
87.	इंदिरा कालोनी	जी.पी.एस.	पी.एस	0.88
88.	मोली जागरण कोम्पलैक्स	जी.एच.एस.	एच.एस.	0.85
89.	मोली जागरण कोम्पलैक्स	जी.पी.एस.	पी.एस.	0.8
90.	मोली जागरण कोम्पलैक्स	जी.एच.एस.	एच.एस.	0.8
91.	दरिया	जी.एच.एस.	एच.एस.	0.74
92.	कालोनी नं. 4	जी.एच.एस.	एच.एस.	0.87
93.	रायपुर कलां	जी.एच.एस.	एच.एस.	0.18
94.	मक्खन माजरा	जी.पी.एस.	पी.एस.	0.20
95.	रायपुर खुर्द	जी.एच.एस.	एच.एस.	0.95
96.	हल्लो माजरा	जी.एच.एस.	एच.एस.	0.27
97.	करसन कालोनी	जी.एस.एस.एस.	एस.एस.	3.43
98.	करसन	जी.एच.एस.	एच.एस.	2.69
99.	बेहलाना	जी.एच.एस.	एच.एस.	0.2
100.	रेलवे कालोनी	जी.पी.एस.	पी.एस.	0.4
101.	बुटेरला	जी.पी.एस.	पी.एस.	0.09
102.	बधेरी	जी.पी.एस.	पी.एस.	0.5
103.	खुदा जस्सु	जी.पी.एस.	पी.एस.	0.86
104.	56	जी.पी.एस.	पी.एस.	5.39

विवरण III

30.9.2004 की स्थिति के अनुसार विद्यालयवार कुल नामांकन

क्र.सं.	स्कूल का नाम	कुल नामांकन
1	2	3
1.	जी.एम.एस.एस.एस.-8	1482
2.	जी.एम.एस.एस.एस.-10	1764
3.	जी.एम.एस.एस.एस.-16	2414
4.	जी.एम.एस.एस.एस.-18	1663
5.	जी.एम.एस.एस.एस.-19	2427
6.	जी.एम.एस.एस.एस.-20	1149
7.	जी.एम.एस.एस.एस.-21	1283
8.	जी.एम.एस.एस.एस.-22	1438
9.	जी.एम.एस.एस.एस.-23	1231
10.	जी.एम.एस.एस.एस.-32	1387
11.	जी.एम.एस.एस.एस.-33	1613
12.	जी.एम.एस.एस.एस.-35	2169
13.	जी.एम.एस.एस.एस.-37	2047
14.	जी.एम.एस.एस.एस.-40	2013
15.	जी.एम.एस.एस.एस.-44	1126
16.	जी.एम.एस.एस.एस.-46	2917
17.	जी.एम.एस.एस.एस.-47	1282
18.	जी.एम.एस.एस.एस.-एम.सी.-एम.एम.	1380
19.	जी.एम.एस.एस.एस.-करसन	1212
20.	जी.एस.एस.एस.-15	1037
21.	जी.जी.एस.एस.एस.-20 बी	1271
22.	जी.जी.एस.एस.एस.-23	482
23.	जी.एस.एस.एस.-27	936
24.	जी.एस.एस.एस.-37 सी	1042
25.	जी.एस.एस.एस.-45	2144
26.	जी.एस.एस.एस.-धनास	1128
27.	जी.एस.एस.एस.-38 (डब्ल्यू)	1742
28.	जी.एस.एस.एस.-मणिमाजरा	1408
I.	कुल	43187
29.	जी.एम.एस.एस.-12	507
30.	जी.एम.एस.एस.-20	497
31.	जी.एम.एस.एस.-22 सी	531
32.	जी.एम.एस.एस.-25	532
33.	जी.एम.एस.एस.-26 (पी)	1292
34.	जी.एम.एस.एस.-28 (सी)	832
35.	जी.एम.एस.एस.-28 डी	854
36.	जी.एम.एस.एस.-29	1205
37.	जी.एम.एस.एस.-31	390
38.	जी.एम.एस.एस.-34	519
39.	जी.एम.एस.एस.-36	797
40.	जी.एम.एस.एस.-37	507
41.	जी.एम.एस.एस.-38	1232
42.	जी.एम.एस.एस.-39	1433
43.	जी.एम.एस.एस.-41	894
44.	जी.एम.एस.एस.-42	625
45.	जी.एम.एस.एस.-43	645
46.	जी.एम.एस.एस.-सारंगपुर	344
47.	जी.एम.एस.एस.-मणिमाजरा	842
48.	जी.एच.एस.-7	691
49.	जी.एच.एस.-11	1236
50.	जी.एच.एस.-24	1245
51.	जी.एच.एस.-25	2264
52.	जी.एच.एस.-26 (बी.डी.)	1112

1	2	3
53.	जी.एच.एस.-26	1704
54.	जी.एच.एस.-29	595
55.	जी.एच.एस.-30 ए	654
56.	जी.एच.एस.-32 डी	1002
57.	जी.एच.एस.-35	848
58.	जी.एच.एस.-38 बी	893
59.	जी.एच.एस.-40	1696
60.	जी.एच.एस.-41 ए	994
61.	जी.एच.एस.-46 सी	790
62.	जी.एच.एस.-47 ए	727
63.	जी.एच.एस.-केंबवाला	570
64.	जी.एच.एस.-के. अलीशेर	627
65.	जी.एच.एस.-के.लाहोरा	748
66.	जी.एच.एस.-सारंगपुर	586
67.	जी.एच.एस.-दादुमाजरा	492
68.	जी.एच.एस.-कजेरी	1302
69.	जी.एच.एस.-करसन	1594
70.	जी.एच.एस.-हलोमाजरा	715
71.	जी.एच.एस.-बहलाना	601
72.	जी.एच.एस.-रायपुर खुर्द	554
73.	जी.एच.एस.-मौली	1185
74.	जी.एच.एस.-मौली कालोनी	2193
75.	जी.एच.एस.-दरिया	658
76.	जी.एच.एस.-कालोनी नं. 4	1043
77.	जी.एच.एस.-मलोया	1015
II.	कुल	44772
78.	जी.एम.एम.एस.-18	272
79.	जी.एम.एम.एस.-46	823
80.	जी.एम.एम.एस.-के. जस्सु	427
81.	जी.एम.एम.एस.-धनास	515
III.	कुल	2037
82.	जी.एम.पी.एस.-18	90
83.	जी.एम.पी.एस.-45	601
84.	जी.एम.पी.एस.-पलसोरा	482
85.	जी.पी.एस.-12	195
86.	जी.पी.एस.-26 टी.एन.	713
87.	जी.पी.एस.-33	391
88.	जी.पी.एस.-मलोया कालोनी	939
89.	जी.पी.एस.-पलसोरा कालोनी	964
90.	जी.पी.एस.-बघेरी	327
91.	जी.पी.एस.-बटेरला	288
92.	जी.पी.एस.-कझेरी	685
93.	जी.पी.एस.-कालोनी नं. 5 बुरेल	479
94.	जी.पी.एस.-बुरेल	801
95.	जी.पी.एस.-माखनमाजरा	220
96.	जी.पी.एस.-रायपुर कलां	201
97.	जी.पी.एस.-रेलवे कालोनी	245
98.	जी.पी.एस.-मौली काम्प्लेक्स	391
99.	जी.पी.एस.-एम.एम. I	573
100.	जी.पी.एस.-एम.एम. II	285
101.	जी.पी.एस.-इंदिरा कालोनी	770
102.	जी.पी.एस.-किशनगढ़	301
IV.	कुल	9941
	कुल I, II, III और IV	99937
	व्यावसायिक धारा	1827
	कुल नामांकन	101764

विवरण IV

सत्र 2003-2003 के दौरान शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों की विद्यालयवार संख्या

स्कूल का नाम	शिक्षकों की संख्या	अन्य कर्मचारियों की संख्या	कुल योग
1	2	3	4
*जी.एम.एस.एस.एस.-10	77	12	89
जी.एम.एस.एस.एस.-16	104	22	126
जी.एम.एस.एस.एस.-18	76	15	91
जी.एम.एस.एस.एस.-19	100	22	122
जी.एम.एस.एस.एस.-20डी	58	12	70
जी.एम.एस.एस.एस.-21	56	12	68
जी.एम.एस.एस.एस.-22	64	15	79
जी.एम.एस.एस.एस.-23	52	14	66
जी.एम.एस.एस.एस.-32	57	10	67
जी.एम.एस.एस.एस.-33	68	13	81
जी.एम.एस.एस.एस.-35	83	15	98
जी.एम.एस.एस.एस.-37बी	78	16	94
जी.एम.एस.एस.एस.-40	67	10	77
जी.एम.एस.एस.एस.-44	47	6	53
जी.एम.एस.एस.एस.-46	96	10	106
जी.एम.एस.एस.एस.-47	56	8	64
जी.एम.एस.एस.एस.-एम.सी.एम.	53	6	59
*जी.जी.एस.एस.एस.-8	58	15	74
जी.एस.एस.एस.-15	43	9	52
जी.जी.एस.एस.एस.-20बी	60	11	71
जी.एस.एस.एस.-23	30	8	38
जी.एस.एस.एस.-27	41	13	54
जी.एस.एस.एस.-37सी	46	7	53
जी.एस.एस.एस.-38डब्ल्यू	65	9	74

1	2	3	4
जी.एस.एस.एस.-45	66	13	79
जी.एस.एस.एस.-धनास	46	9	55
*जी.एस.एस.एस.-करसन	47	8	55
जी.एस.एस.एस.-एम.एम. टाउन	54	13	67
जी.एम.एच.एस.-12	28	4	32
जी.एम.एच.एस.-20 डी	28	11	39
*जी.एम.एच.एस.-25	21	2	23
जी.एम.एच.एस.-26	51	9	60
जी.एम.एच.एस.-28	40	6	46
जी.एम.एच.एस.-29	46	8	54
जी.एम.एच.एस.-34	28	7	35
जी.एम.एच.एस.-36	39	4	43
जी.एम.एच.एस.-37 डी	26	5	31
जी.एम.एच.एस.-38	44	7	51
*जी.एम.एच.एस.-39 सी	42	6	48
जी.एम.एच.एस.-41	36	5	41
जी.एम.एच.एस.-42	28	4	32
जी.एम.एच.एस.-43	29	6	35
जी.एम.एच.एस.-सारंगपुर	19	4	23
जी.एच.एस.-7	28	8	36
*जी.एच.एस.-11	49	8	57
जी.एच.एस.-22	30	10	40
जी.एच.एस.-24	40	6	46
*जी.एच.एस.-25	63	7	70
जी.एच.एस.-26	58	7	65
जी.एच.एस.-26 बी.डी.	30	4	34
जी.एच.एस.-28	33	6	39

1	2	3	4
जी.एच.एस.-29 बी	27	7	34
जी.एच.एस.-30	25	7	32
जी.एच.एस.-31	19	7	26
जी.एच.एस.-32 डी	42	6	48
जी.एच.एस.-35 डी	31	6	37
जी.एच.एस.-38	32	8	40
*जी.एच.एस.-40	61	5	66
जी.एच.एस.-41	50	8	58
जी.एच.एस.-46	32	4	36
जी.एच.एस.-47	28	5	33
जी.एच.एस.-के. अलीशेर	28	4	32
जी.एच.एस.-लाहोरा	36	5	41
जी.एच.एस.-सारंगपुर	30	6	36
*जी.एच.एस.-दादुमाजरा	26	5	31
जी.एच.एस.-मलोया	39	6	45
जी.एच.एस.-कझेरी	42	5	47
जी.एच.एस.-करसन	49	3	52
जी.एच.एस.-हलोमाजरा	29	4	33
जी.एच.एस.-बहलाना	27	5	32
जी.एच.एस.-रायपुर खुर्द	20	3	23
जी.एच.एस.-मौली	42	6	48
*जी.एच.एस.-मौली°	61	5	66
जी.एच.एस.-मणिमाजरा	36	8	44
जी.एच.एस.-दरिया	27	3	30
*जी.एच.एस.-कालोनी नं. 4	30	7	37
जी.एच.एस.-केंबवाला	22	3	25

1	2	3	4
जी.एम.एम.एस.-के. जस्सु	18	3	21
जी.एम.एम.एस.-धनास	11	1	12
जी.एम.पी.एस.-एस. 45	15	4	19
जी.पी.एस.-12	7	2	9
जी.पी.एस.-18	5	2	7
जी.पी.एस.-23	18	5	23
जी.पी.एस.-26 टी.एम.	19	2	21
जी.पी.एस.-33	14	2	16
जी.पी.एस.-46	25	2	27
जी.पी.एस.-बधेरी	0	0	0
जी.पी.एस.-बटेरला	9	2	11
जी.पी.एस.-बुरेल	20	2	22
जी.पी.एस.-कालोनी नं. 5	13	3	16
*जी.पी.एस.-एन.सी. कझेरी	15	2	17
जी.पी.एस.-किशनगढ़	8	2	10
जी.पी.एस.-माखनमाझरा	8	2	10
जी.पी.एस.-मलोया कालोनी	24	3	27
जी.पी.एस,-मणिमाजरा-1	18	2	20
जी.पी.एस.-मणिमाजरा-2	10	2	12
जी.पी.एस.-मौली काम्पलेक्स	10	2	12
जी.पी.एस.-इंदिरा कालोनी	19	2	21
*जी.पी.एस.-पलसोरा	17	2	19
*जी.पी.एस.-पलसोरा कालोनी	26	3	29
जी.पी.एस.-रेलवे कालोनी	7	2	9
जी.पी.एस.-रायपुर कलां	6	1	7
बी.ई.ओ.	0	4	4
कुल	3818	677	4495

नोट: तारांकित स्कूल दो पारियों में चल रहे हैं।

विवरण V

सब डिवीजन नं. 3, सेक्टर-35 (स्कूल), चंडीगढ़ (ई.ई.सी.पी.-3) के रख-रखाव के तहत आने वाले स्कूलों (सेक्टरों/गांवों/कालोनियों) की सूची

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	सेक्टर	गांव/कालोनी	स्कूलों की कुल संख्या	स्कूल ग्राउंड की स्थिति	स्कूल प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली खेल-कूद अवसंरचना की स्थिति	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
राजकीय नर्सरी स्कूल							
1.	राजकीय नर्सरी स्कूल	7-ए			1	उपलब्ध	
2.	राजकीय नर्सरी स्कूल	16			1	उपलब्ध	
3.	राजकीय नर्सरी स्कूल	22-बी			1	उपलब्ध	
4.	राजकीय नर्सरी स्कूल	22-डी			1	उपलब्ध	
5.	राजकीय नर्सरी स्कूल	23-बी			1	उपलब्ध	
6.	राजकीय नर्सरी स्कूल	23-सी			1	उपलब्ध	
7.	राजकीय नर्सरी स्कूल	19			1	उपलब्ध	
					कुल 7		
राजकीय प्राथमिक स्कूल							
1.	राजकीय प्राथमिक स्कूल	19			1	उपलब्ध	
2.	राजकीय प्राथमिक स्कूल	33			1	उपलब्ध	
3.	राजकीय प्राथमिक स्कूल	46			1	उपलब्ध	
4.	राजकीय प्राथमिक स्कूल	–	कालोनी नं.-5		1	उपलब्ध नहीं	
5.	राजकीय प्राथमिक स्कूल	–	बापूधाम कालोनी		1	उपलब्ध	
6.	राजकीय प्राथमिक स्कूल	–	मणिमाजरा सं.-1		1	उपलब्ध	
7.	राजकीय प्राथमिक स्कूल	–	मणिमाजरा सं.-2		1	उपलब्ध	
8.	राजकीय प्राथमिक स्कूल	–	पलसोरा		1	उपलब्ध नहीं	
9.	राजकीय प्राथमिक स्कूल	–	मौलीजागरण	1	उपलब्ध नहीं		
10.	राजकीय प्राथमिक स्कूल	–	मलोया कालोनी	1	उपलब्ध		
11.	राजकीय प्राथमिक स्कूल	–	बटेरला	1	उपलब्ध		
12.	राजकीय प्राथमिक स्कूल	–	बधेरी	1	उपलब्ध		

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	राजकीय प्राथमिक स्कूल	–	किशनगढ़	1	उपलब्ध		
14.	राजकीय प्राथमिक स्कूल	–	रायपुरकलां	1	उपलब्ध		
15.	राजकीय प्राथमिक स्कूल	–	माखनमाजरा	1	उपलब्ध		
16.	राजकीय प्राथमिक स्कूल	–	रायपुर खुर्द	1	उपलब्ध		
17.	राजकीय प्राथमिक स्कूल	–	बुरेल	1	उपलब्ध		
18.	राजकीय प्राथमिक स्कूल	–	नेहरू कालोनी कझेरी	1	उपलब्ध		
19.	राजकीय प्राथमिक स्कूल	52	–	1	उपलब्ध		
				कुल 19			
राजकीय माडल प्राथमिक स्कूल							
1.	राजकीय महिला प्राथमिक स्कूल, हाउसिंग काम्प्लेक्स	45		1	उपलब्ध		
				कुल 1			
राजकीय माडल मिडिल स्कूल							
1.	राजकीय महिला मिडिल स्कूल	23-डी	–	1	उपलब्ध		
2.	राजकीय महिला मिडिल स्कूल	–	खुडाजस्सु	1	उपलब्ध		
3.	राजकीय महिला मिडिल स्कूल	–	परसोरा कालोनी	1	उपलब्ध		
				कुल 3			
राजकीय हाई स्कूल							
1.	राजकीय हाई स्कूल	7	–	1	उपलब्ध		
2.	राजकीय हाई स्कूल	11	–	1	उपलब्ध		
3.	राजकीय हाई स्कूल	24	–	1	उपलब्ध		
4.	राजकीय हाई स्कूल	26	–	1	उपलब्ध		
5.	राजकीय हाई स्कूल	28	–	1	उपलब्ध		
6.	राजकीय हाई स्कूल	29	–	1	उपलब्ध		
7.	राजकीय उच्च विद्यालय	30	–	1	उपलब्ध		
8.	राजकीय उच्च विद्यालय	31	–	1	उपलब्ध	(मैदान निचले स्तर के क्षेत्र में है जिसे विकसित किया जा रहा है उससे संबंधित अनुमानित व्यय तैयार किया गया है।	

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	राजकीय उच्च विद्यालय	32	–	1	उपलब्ध		
10.	राजकीय उच्च विद्यालय	35-डी	–	1	उपलब्ध		
11.	राजकीय उच्च विद्यालय	37-डी	–	1	उपलब्ध		
12.	राजकीय उच्च विद्यालय	38-बी	–	1	उपलब्ध		
13.	राजकीय उच्च विद्यालय	40-ए	–	1	उपलब्ध		
14.	राजकीय उच्च विद्यालय	41-ए	–	1	उपलब्ध		
15.	राजकीय उच्च विद्यालय	46	–	1	उपलब्ध		
16.	राजकीय उच्च विद्यालय	47	–	1	उपलब्ध		
17.	राजकीय उच्च विद्यालय	–	कालोनी सं. 4	1	उपलब्ध		
18.	राजकीय उच्च विद्यालय	–	बापू धाम कालोनी	1	उपलब्ध		
19.	राजकीय उच्च विद्यालय	–	मनीमाजरा	1	उपलब्ध		
20.	राजकीय उच्च विद्यालय	–	सारंगपुर	1	उपलब्ध		
21.	राजकीय उच्च विद्यालय	–	इन्दिरा कालोनी, मनीमाजरा	1	उपलब्ध		
22.	राजकीय उच्च विद्यालय	–	मौली जागरण	1	उपलब्ध		
23.	राजकीय उच्च विद्यालय	–	मौली	1	उपलब्ध		
24.	राजकीय उच्च विद्यालय	–	खुद्दा लाहोरा	1	उपलब्ध		
25.	राजकीय उच्च विद्यालय	–	मनीमाजरा	1	उपलब्ध		
26.	राजकीय उच्च विद्यालय	–	काझेरी	1	उपलब्ध		
27.	राजकीय उच्च विद्यालय	–	खुद्दा अली शेर	1	उपलब्ध		
28.	राजकीय उच्च विद्यालय	–	कैम्बाला	1	उपलब्ध	(खेल परिसर हेतु विस्तार किया गया है)	
29.	राजकीय उच्च विद्यालय	–	बेहलाना	1	उपलब्ध		
30.	राजकीय उच्च विद्यालय	–	हाल्लौमाजरा	1	उपलब्ध		
31.	राजकीय उच्च विद्यालय	–	दरिया	1	उपलब्ध		
32.	राजकीय उच्च विद्यालय	–	करसन	1	उपलब्ध		
	राजकीय माडल उच्च विद्यालय						
1.	राजकीय माडल उच्च विद्यालय	22-सी	–	1	उपलब्ध		
2.	राजकीय माडल उच्च विद्यालय	25	–	1	उपलब्ध		
3.	राजकीय माडल उच्च विद्यालय	26 (टीएम)	–	1	उपलब्ध		
4.	राजकीय माडल उच्च विद्यालय	28	–	1	उपलब्ध		
5.	राजकीय माडल उच्च विद्यालय	29	–	1	उपलब्ध		

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	राजकीय माडल उच्च विद्यालय	34	–	1	उपलब्ध		
7.	राजकीय माडल उच्च विद्यालय	36	–	1	उपलब्ध		
8.	राजकीय माडल उच्च विद्यालय	36-डी	–	1	उपलब्ध		
9.	राजकीय माडल उच्च विद्यालय	39	–	1	उपलब्ध		
10.	राजकीय माडल उच्च विद्यालय	41	–	1	उपलब्ध		
11.	राजकीय माडल उच्च विद्यालय	42	–	1	उपलब्ध		
12.	राजकीय माडल उच्च विद्यालय	43-ए	–	1	उपलब्ध		
13.	राजकीय माडल उच्च विद्यालय	–	सारंगपुर	1	उपलब्ध		
				कुल 13			
	राजकीय माडल उच्च माध्यमिक विद्यालय						
1.	राजकीय बालिका माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	8	–	1	उपलब्ध		
2.	राजकीय माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	10	–	1	उपलब्ध		
3.	राजकीय माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	16	–	1	उपलब्ध		
4.	राजकीय माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	16	–	1	उपलब्ध		
5.	राजकीय माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	18	–	1	उपलब्ध		
6.	राजकीय माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	19	–	1	उपलब्ध		
7.	राजकीय माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	20-डी	–	1	उपलब्ध		
8.	राजकीय माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	21	–	1	उपलब्ध		
9.	राजकीय माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	22-ए	–	1	उपलब्ध		
10.	राजकीय माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	23-ए	–	1	उपलब्ध		
11.	राजकीय माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	32	–	1	उपलब्ध		
12.	राजकीय माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	33	–	1	उपलब्ध		
13.	राजकीय माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	35	–	1	उपलब्ध		
14.	राजकीय माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	37-बी	–	1	उपलब्ध		

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	राजकीय माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	40-बी	–	1	उपलब्ध		
16.	राजकीय माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	44	–	1	उपलब्ध		
17.	राजकीय माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	46	–	1	उपलब्ध		
18.	राजकीय माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	47	–	1	उपलब्ध		
19.	राजकीय माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	–	कर्सन	1	उपलब्ध		
	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल						
1.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल	15	–	1	उपलब्ध		
2.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल	20-बी	–	1	उपलब्ध		
3.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल	20-डी	–	1	उपलब्ध		
4.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल	23-ए	–	1	उपलब्ध		
5.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल	25	–	1	उपलब्ध		
6.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल	27	–	1	उपलब्ध		
7.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल	37-सी	–	1	उपलब्ध		
8.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल	45	–	1	उपलब्ध		
9.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल	–	मनीमाजरा (शहर)	1	उपलब्ध		
10.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल	–	धानस	1	उपलब्ध		
11.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल	–	38(पश्चिम कालोनी)	1	उपलब्ध		
12.	राजकीय माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	–	मालोदा	1	उपलब्ध		
				कुल 12			
	वाटिका स्कूल						
1.	वाटिका मूक और बधिर विद्यालय	19		1	उपलब्ध		
				कुल 1			
किया गया कुल व्यय							
1.	01.04.2004 से 15.02.2005 तक की अवधि के लिए भवन रखरखाव		–	91,71,870.00 रु.			
2.	01.04.2004 से 15.02.2005 तक की अवधि के लिए बागवानी का रखरखाव		–	79,500.00 रु.			
				कुल 92,51,370.00 रु.			

विवरण VI

1.4.2004 से 20.2.2005 तक चंडीगढ़ में स्कूलों पर व्यय के संबंध में सूचना

क्र.सं.	स्कूल का नाम	व्यय (रु. में)
1	2	3
1.	राजकीय उच्च विद्यालय, सेक्टर-7, चंडीगढ़	4139
2.	राजकीय नर्सरी विद्यालय, सेक्टर-7, चंडीगढ़	1990
3.	राजकीय बालिका माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर-8, चंडीगढ़	11065
4.	राजकीय उच्च विद्यालय सेक्टर-10, चंडीगढ़	9680
5.	राजकीय उच्च विद्यालय सेक्टर-11, चंडीगढ़	129452
6.	राजकीय उच्च माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-15, चंडीगढ़	6457
7.	राजकीय उच्च विद्यालय, सेक्टर-15, चंडीगढ़	1760
8.	राजकीय माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-15, चंडीगढ़	15421
9.	राजकीय जूनियर विंग, सेन विद्यालय, सेक्टर-15, चंडीगढ़	7543
10.	राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-18, चंडीगढ़	1085
11.	साई छात्रावास, सेक्टर-18, चंडीगढ़	3889
12.	राजकीय माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-19, चंडीगढ़	75828
13.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-19, चंडीगढ़	112679
14.	ओ/ओ डी.ई.ओ. प्राथमिक विद्यालय, सेक्टर-19, चंडीगढ़	5184
15.	राजकीय माडल उच्च विद्यालय, सेक्टर-19, चंडीगढ़	4390
16.	जी बालिका माडल विद्यालय, सेक्टर-20-बी, चंडीगढ़	1919
17.	बी एड कालेज सेक्टर-20, चंडीगढ़	85
18.	राजकीय उच्च विद्यालय बेसिक स्कूल, सेक्टर-20, चंडीगढ़	145794
19.	राजकीय माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर-20-डी, चंडीगढ़	5977
20.	राजकीय माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर-21, चंडीगढ़	46109
21.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर-22, चंडीगढ़	9220
22.	राजकीय माडल उच्च विद्यालय, सेक्टर-22, चंडीगढ़	17042
23.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर-23, चंडीगढ़ (बालक)	62834
24.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर-23, चंडीगढ़ (बालिका)	15120
25.	राजकीय माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-23, चंडीगढ़ (बालिका)	1975

1	2	3
26.	राजकीय उच्च विद्यालय सेक्टर-24, चंडीगढ़	45291
27.	राजकीय उच्च विद्यालय सेक्टर-25, चंडीगढ़	86633
28.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-25, चंडीगढ़	1575
29.	राजकीय माडल उच्च विद्यालय सेक्टर-25, पुलिस लाईन	9550
30.	राजकीय उच्च विद्यालय, सेक्टर-25, चंडीगढ़, बापूधाम कालोनी	17816
31.	राजकीय उच्च विद्यालय सेक्टर-25, चंडीगढ़, टिम्बर मार्केट	7777
32.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय सेक्टर-26, चंडीगढ़, बापूधाम कालोनी	–
33.	राजकीय माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर-27-सी, चंडीगढ़	75055
34.	राजकीय माडल विद्यालय, सेक्टर-28-सी, चंडीगढ़	3173
35.	राजकीय माडल उच्च विद्यालय सेक्टर-28-डी, चंडीगढ़	1469
36.	राजकीय उच्च विद्यालय सेक्टर-28, चंडीगढ़	22335
37.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय सेक्टर-28, चंडीगढ़	1170
38.	राजकीय उच्च विद्यालय, सेक्टर-29, चंडीगढ़	6450
39.	राजकीय माडल उच्च विद्यालय, सेक्टर-29, चंडीगढ़	2372
40.	राजकीय माडल उच्च विद्यालय, सेक्टर-30-बी, चंडीगढ़	2159
41.	राजकीय माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-31, चंडीगढ़	23103
42.	राजकीय उच्च विद्यालय, सेक्टर-31, चंडीगढ़	3890
43.	राजकीय उच्च विद्यालय, सेक्टर-32, चंडीगढ़	7690
44.	राजकीय माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-32, चंडीगढ़	24042
45.	राजकीय माडल उच्च विद्यालय, सेक्टर-32, चंडीगढ़	20782
46.	राजकीय माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-33, चंडीगढ़	32569
47.	राजकीय माडल उच्च विद्यालय, सेक्टर-34, चंडीगढ़	4869
48.	राजकीय माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-35, चंडीगढ़	236316
49.	राजकीय उच्च विद्यालय, सेक्टर-35, चंडीगढ़	6605
50.	राजकीय माडल उच्च विद्यालय, सेक्टर-36, चंडीगढ़	2265
51.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर-37, चंडीगढ़	151198
52.	राजकीय माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-37-बी, चंडीगढ़	163329
53.	राजकीय उच्च विद्यालय, सेक्टर-37-डी, चंडीगढ़	298670

1	2	3
54.	राजकीय माडल उच्च विद्यालय, सेक्टर-38-ए, चंडीगढ़	24393
55.	राजकीय उच्च विद्यालय, सेक्टर-38-बी, चंडीगढ़	28700
56.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेक्टर-38, चंडीगढ़	4264
57.	राजकीय माडल उच्च विद्यालय, सेक्टर-36-वेस्ट, चंडीगढ़	3200
58.	राजकीय उच्च विद्यालय, सेक्टर-39, चंडीगढ़	88928
59.	राजकीय माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-40, चंडीगढ़	84676
60.	राजकीय उच्च विद्यालय, सेक्टर-40, चंडीगढ़	2600
61.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-40, चंडीगढ़	5929
62.	राजकीय उच्च विद्यालय, सेक्टर-41, चंडीगढ़	11898
63.	राजकीय माडल उच्च विद्यालय, सेक्टर-41-डी, चंडीगढ़	62872
64.	राजकीय उच्च विद्यालय, सेक्टर-42, चंडीगढ़	7375
65.	राजकीय माडल उच्च विद्यालय, सेक्टर-43, चंडीगढ़	34473
66.	राजकीय माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-44, चंडीगढ़	101768
67.	राजकीय उच्च विद्यालय, सेक्टर-44, चंडीगढ़	5667
68.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सेक्टर-45, चंडीगढ़	12974
69.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-45, चंडीगढ़	79725
70.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-45, चंडीगढ़	6350
71.	राजकीय माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-46, चंडीगढ़	44013
72.	राजकीय उच्च विद्यालय, सेक्टर-45, चंडीगढ़	29937
73.	राजकीय मिडिल विद्यालय, सेक्टर-46, चंडीगढ़	23803
74.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-46, चंडीगढ़	6652
75.	राजकीय उच्च विद्यालय, सेक्टर-46, चंडीगढ़	93959
76.	राजकीय माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-47, चंडीगढ़	45677
77.	राजकीय उच्च विद्यालय, धनास, चंडीगढ़	4593
78.	राजीकय माडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, यू.एम.सी., चंडीगढ़	118759
79.	राजकीय उच्च विद्यालय, दादूमाजरा	4138
80.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, इन्द्रा कालोनी, एम.एम.	24818
81.	राजकीय उच्च विद्यालय/माडल स्कूल, खुदाअलीशेर, चंडीगढ़	8350

1	2	3
82.	राजकीय उच्च विद्यालय/माडल स्कूल, केम्बवाला चंडीगढ़	9526
83.	राजकीय उच्च विद्यालय/माडल स्कूल, खुदाजस्सू चंडीगढ़	2600
84.	राजकीय उच्च विद्यालय/माडल स्कूल, कझेरी चंडीगढ़	2100
85.	राजकीय उच्च विद्यालय/माडल स्कूल, लाहौरा चंडीगढ़	7613
86.	राजकीय उच्च विद्यालय/माडल स्कूल, मलुया, चंडीगढ़	14800
87.	राजकीय उच्च विद्यालय, मौली जागरण चंडीगढ़	7920
88.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मनीमाजरा टाउन, चंडीगढ़	16270
89.	राजकीय उच्च विद्यालय/माडल स्कूल, पलसोरा चंडीगढ़	2900
90.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पलसोरा कालोनी चंडीगढ़	34020
91.	राजकीय उच्च विद्यालय, रामदरबार, चंडीगढ़	61621
92.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, रामदरबार चंडीगढ़	43087
93.	राजकीय वरिष्ठ उच्च माध्यमिक विद्यालय, चंडीगढ़	10349
94.	राजकीय उच्च विद्यालय/माडल स्कूल, सारंगपुर, चंडीगढ़	21453
95.	राजकीय उच्च विद्यालय, कालोनी सं. 4, इंस्टीट्यूट एरिया फेस-1, चंडीगढ़	30260
96.	राजकीय माडल उच्च विद्यालय, कालोनी सं.-4, चंडीगढ़	15000
	कुल व्यय	3205320

कब्जे के वारन्ट तामील करना

177. **श्री रघुनाथ झा:** क्या **शहरी विकास मंत्री** 28.4.2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3828 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) यह सूचना कब तक प्राप्त कर लिये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) जी, नहीं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से सूचना अभी भी अपेक्षित है। मामले पर ध्यान दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

हस्तशिल्प के लिए विशेष आर्थिक जोन

178. **प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
श्री मो. ताहिर:
श्री मुन्शी राम:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हस्तशिल्प और अन्य संबंधित उत्पादों के निर्यात के लिए विशेष आर्थिक जोन (एस ई जेड) स्थापित करने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2003-04 के दौरान और आज की तिथि तक हस्तशिल्प और अन्य संबंधित उत्पादों का कितने मूल्य का निर्यात किया गया;

(घ) क्या चालू वर्ष के दौरान उक्त उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं;

(ङ) क्या उक्त निर्यात गत वर्ष की तुलना में कम मूल्य पर किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) विशेष आर्थिक जोन (एस ई जेड) स्कीम में सार्वजनिक, निजी, संयुक्त क्षेत्र में अथवा राज्य सरकारों द्वारा बहु-उत्पाद अथवा वस्तु क्षेत्र-विशिष्ट एस ई जेडों की स्थापना हेतु प्रावधान है। प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर हस्तशिल्प के निर्यात हेतु निम्नलिखित तीन एस ई जेडों को अनुमोदित किया गया है, जिनका कार्यान्वयन किया जा रहा है:-

स्थान	विकासकर्त्ता का नाम
मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
जोधपुर (राजस्थान)	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड
गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)	हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद

(ग) से (च) वर्ष 2003-04 के दौरान हस्तशिल्प का निर्यात 10,465.14 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया है जिसमें रुपए के रूप में 25.43 प्रतिशत और डालर के रूप में 34.67 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित होती है। वर्ष 2004-05 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान निर्यात 10,303.88 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया है जिसमें रुपए के रूप में 29.01 प्रतिशत और डालर के रूप में 33.73 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित होती है। चालू वर्ष के दौरान हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा हस्तशिल्प निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए विशेष प्रयासों में शामिल हैं: चौबीसों घंटे अंतर्राष्ट्रीय विपणन हेतु ग्रेटर नोएडा में भारत प्रदर्शनी अनुभाग की स्थापना (जिसका कार्यान्वयन किया जा रहा है), पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आक्रामक अंतर्राष्ट्रीय विपणन परियोजना तथा त्रिपुरा के लिए एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय बाजार परियोजना और सहारनपुर तथा जोधपुर में राष्ट्रीय फोटो एवं पिक्चर निर्माण प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना शामिल है। हस्तशिल्प के निर्यातों को बढ़ाने के लिए यू एस ए और यूरोपीय संघ में शो रूम और भांडागार खोलने की परिकल्पना की गयी है।

[अनुवाद]

सरकारी और निजी क्षेत्र में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) की तैनाती

179. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सरकारी और निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों विशेषकर तमिलनाडु में कुल कितनी औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा दी जा रही है;

(ग) क्या सी.आई.एस.एफ. द्वारा प्रदान किये जा रहे सुरक्षा कवर के बदले राज्य सरकारों और निजी औद्योगिक इकाइयों से कोई प्रभारों की वसूली की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार सी.आई.एस.एफ. द्वारा कुल कितनी धनराशि एकत्र की गयी तथा राज्य सरकारों और निजी औद्योगिक इकाइयों पर राज्यवार कितनी धनराशि बकाया है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी धनराशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (ङ) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ), सार्वजनिक क्षेत्र के 175 उपक्रमों (पी एस यू) (तमिलनाडु में सार्वजनिक क्षेत्र के 9 उपक्रमों सहित) और निजी क्षेत्र की यूनिटों (माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार) को लागत की प्रतिपूर्ति के आधार पर सुरक्षा प्रदान कर रहा है। वसूल की गई और बकाया राशि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और गृह मंत्रालय, बकाया राशि की वसूली के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ इन मामलों को प्रभावी ढंग से उठाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अग्रिम भुगतान किए जाने और चूक हो जाने की सूरत में उन पर दण्ड ब्याज लगाने की प्रणाली भी लागू की गई है।

विवरण

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	संगठन	2002-2003		2003-2004		2004-2005	
		वसूल की गई राशि	वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया राशि	वसूल की गई राशि	वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया राशि	वसूल की गई राशि	31.1.2005 के अंत तक बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक उपक्रम	616.43	567.49	814.10	407.79	607.94	371.59
2.	निजी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रम	0.00	3.39	0.00	5.14	0.00	6.89
3.	राज्य सरकार	78.21	17.98	80.69	22.81	56.23	23.64
	कुल योग	694.64	588.86	894.79	435.74	664.17	402.12

उपर्युक्त के अनुसार गत तीन वर्षों में वसूल की गई राशि का कुल योग 2253.60

उपर्युक्त के अनुसार गत तीन वर्षों में बकाया राशि का कुल योग (31.01.2005 की स्थिति के अनुसार) 402.12

31.01.2005 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा देय बकाया राशियां 7.72

सुनामी प्रभावित राज्यों में पुनर्निर्माण कार्य

180. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री खीरेन रिजीजू:
श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुनामी प्रभावित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्य की समीक्षा करने के लिए शहरी विकास सचिव की अध्यक्षता में गठित की गयी समिति ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में सुनामी प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु उनके लिए आवास इकाइयों का निर्माण करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों में निर्माण के लिए कम लागत वाले और आपदा रोधी आवासों का ब्यौरा क्या है जिन्हें डिजायन किया गया है और जिनका प्रस्ताव किया गया है;

(ङ) सरकार द्वारा उक्त योजना के कार्यान्वयन पर कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है; और

(च) सरकार ने इन क्षेत्रों के प्रभावित लोगों के लिए आसान और शीघ्र आवास ऋण हेतु क्या कदम उठाये हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (च) सूनामी प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण, प्रबंधन और निगरानी के लिए योजना आयोग में एक कोर दल का गठन किया गया है। कोर दल सूनामी प्रभावित क्षेत्रों के दीर्घावधि पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए कार्य योजना तैयार करेगा। कोर दल द्वारा तैयार की जा रही पुनर्वास योजना में अन्य बातों के साथ-साथ आवास घटक शामिल है।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) में शीर्ष समूह

181. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत विश्व व्यापार संगठन के भीतर विकसित देशों के बढ़ते दबाव से मुकाबला करने हेतु एक शीर्ष समूह बनाने के लिए 22 विकासशील देशों के साथ संबंध स्थापित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने वर्ष 2005 में विश्व व्यापार संगठन की महापरिषद में मार्केट एक्सेस संबंधी वार्ता की संशोधित पेशकश प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो मार्किट एक्सेस संबंधी वार्ता की संशोधित पेशकश का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के कानकुन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की तैयारी के रूप में भारत ने दोहा कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि संबंधी वार्ताओं में विकासशील देशों की खाद्य एवं आजीविका की सुरक्षा और उनकी ग्रामीण विकास की चिंताओं का समाधान हासिल करने के साथ-साथ मूलत: यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यापार विकृतिकारी घरेलू सहायता में पर्याप्त कमी करने, निर्यात सब्सिडी को समाप्त करने और बाजार पहुंच में अत्यधिक वृद्धि करने के बारे में दोहा मंत्रिस्तरीय घोषणापत्र में उल्लिखित दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाते हैं, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अन्य विकासशील देशों के साथ एक गठबंधन बनाया था जिसे अब जी-20 कहा जाता है।

(ख) और (ग) दोहा कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही सेवा वार्ताओं के अनुरोध-प्रस्ताव के चरण में भारत के आरंभिक प्रस्ताव को 12 जनवरी, 2004 को डब्ल्यू.टी.ओ. सदस्यों में परिचालित किया गया था।

दिनांक 1 अगस्त, 2004 को महापरिषद द्वारा पारित निर्णय में दोहा कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ताओं को दिसम्बर, 2005 में आयोजन हेतु निर्धारित डब्ल्यू टी ओ के छठे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन तक चलाए जाने के लिए कार्यढांचे का प्रावधान है। इस निर्णय के अनुसार कृषि समिति (विशेष सत्र) और गैर कृषि मदों के लिए बाजार पहुंच संबंधी वार्ताकारी दल सहित सभी वार्ताकारी निकाय दोहा कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ताएं जारी रखे हुए हैं। कृषि एवं गैर-कृषि उत्पादों के संबंध में रूपरेखाओं को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है जबकि सेवाओं के बारे में यह उल्लेख किया गया था कि संशोधित प्रस्ताव 31 मई, 2005 तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

182. श्री अधीर चौधरी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 और आज की तिथि तक पश्चिम बंगाल का विशेष उल्लेख करते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तुत प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन सभी प्रस्तावों पर सहमति प्रकट की है; और

(ग) यदि नहीं, तो आज की स्थिति के अनुसार प्रत्येक प्रस्ताव की स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) सरकार ने एक उदार और पारदर्शी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति लागू की है, जिसके तहत अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में स्वत: मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति प्रदान की गई है। स्वत: मार्ग के तहत आने वाले क्षेत्रों/कार्यकलापों के लिए एफ.डी.आई. के मामलों में सरकार के पूर्वानुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं होती। जिन प्रस्तावों के लिए सरकार के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होती है, उन पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की सिफारिश पर मौजूदा एफ.डी.आई. नीति के तहत विचार किया जाता है। 2001-02 से 2004-05 (दिसम्बर तक) प्रदान किए गए अनुमोदनों/संशोधनों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न *विवरण* में दिया गया है। पश्चिम बंगाल के संबंध में कोई भी एफ.डी.आई. प्रस्ताव एफ.आई.पी.बी. के पास विचारार्थ लंबित नहीं है।

विवरण

अप्रैल, 2001 से दिसंबर, 2004 के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) हेतु राज्यवार/वित्तीय वर्षवार ब्यौरे

(राशि करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	2001-02 अप्रैल-मार्च		2002-03 अप्रैल-मार्च		2003-04 अप्रैल-मार्च		2004-05 अप्रैल-दिसंबर		कुल	
		वित्तीय	रुपयों में एफ.डी.आई.	वित्तीय	रुपयों में एफ.डी.आई.	वित्तीय	रुपयों में एफ.डी.आई.	वित्तीय	रुपयों में एफ.डी.आई.	वित्तीय	रुपयों में एफ.डी.आई.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	104	358.54	114	465.57	107	526.66	69	674.15	394	2024.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	बिहार	1	0.00	1	0.18	1	0.00	0	0.00	3	0.18
3.	गुजरात	64	2042.35	64	414.53	52	148.04	31	1425.37	211	4030.28
4.	हरियाणा	42	491.35	35	103.54	26	248.29	13	6.06	116	849.24
5.	हिमाचल प्रदेश	2	0.54	1	810.38	1	0.10	2	52.63	6	863.65
6.	कर्नाटक	296	799.31	269	2260.54	257	449.41	181	993.91	1003	4503.16
7.	केरल	44	178.06	27	5.99	31	21.22	10	229.83	112	435.10
8.	मध्य प्रदेश	14	85.64	7	43.55	7	0.44	1	0.05	29	129.69
9.	महाराष्ट्र	560	3818.00	429	1178.65	361	1527.34	263	1511.29	1613	8035.29
10.	मणिपुर	0	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	1	0.00
11.	मेघालय	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00
12.	उड़ीसा	3	4.01	1	0.21	2	0.10	1	0.00	7	4.32
13.	पंजाब	7	16.46	2	0.03	9	465.50	7	607.20	25	1089.18
14.	राजस्थान	14	413.05	4	0.51	15	28.03	4	4.14	37	445.74
15.	तमिलनाडु	289	1123.55	194	446.55	223	815.18	87	167.05	793	2552.32
16.	त्रिपुरा	0	0.00	0	0.00	2	2.41	0	0.00	2	2.41
17.	उत्तर प्रदेश	38	659.62	29	24.45	25	102.32	14	16.80	106	803.20
18.	पश्चिम बंगाल	49	314.37	42	283.01	36	303.45	25	59.08	152	959.92
19.	छत्तीसगढ़	2	16.05	1	0.03	0	0.00	1	3.53	4	19.61
20.	झारखंड	0	0.00	1	0.50	1	0.20	1	2.00	3	2.70
21.	उत्तरांचल	2	0.00	1	0.00	1	0.00	0	0.00	4	0.00
22.	चंडीगढ़	7	4.22	20	43.13	10	5.75	9	127.99	46	181.09
23.	दादर और नगर हवेली	1	0.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.04
24.	दिल्ली	352	1115.26	358	617.73	328	1163.36	187	802.09	1225	3698.43
25.	गोवा	18	317.02	26	90.80	39	19.13	38	9.06	121	436.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	पांडिचेरी	13	845.21	8	2.52	8	42.61	1	0.07	30	890.41
27.	दमन और दीव	0	0.00	0	0.00	3	0.24	1	3.57	4	3.81
28.	नहीं दर्शाये गये राज्य	137	1862.54	121	111.85	82	353.73	66	446.28	406	3774.40
	कुल जोड़	2059	144065.18	1756	7904.25	1628	6223.52	1012	7142.15	6455	35735.11

लौह-स्क्रैप का आयात

183. श्री सुग्रीव सिंह: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में लौह-स्क्रैप के आयात के लिए अधिक संख्या में कंटेनर डिपो की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने लौह-स्क्रैप के आयात के लिए अधिक संख्या में आयात कंटेनर डिपो की अनुमति देने से पूर्व सभी आवश्यक प्रबंध कर लिये हैं ताकि देश में स्क्रैप के रूप में जीवित गोलों को आने से रोका जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) स्क्रैप के आयातों के लिए शामिल किए गए नए अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आई सी डी) में आई सी डी, लुधियाना, आई सी डी, दादरी, ग्रेटर नोएडा और आई सी डी, नागपुर शामिल हैं।

(ग) और (घ) एक अंतर-मंत्रालयी समिति संबंधित अभिकरणों और विभागों से प्राप्त निविष्टियों के आधार पर किसी आई सी डी को मैटल स्क्रैप के आयात के लिए एक पत्तन के रूप में निर्दिष्ट करने की व्यवहारिकता की जांच करती है।

समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यातक

184. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सुनामी द्वारा दक्षिणी तट पर श्रिम्प फार्म नष्ट होने के पश्चात् समुद्री खाद्य पदार्थों के बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है;

(ख) यदि हां, तो सुनामी के पश्चात् महाराष्ट्र से निर्यात किए गए विभिन्न समुद्री खाद्य पदार्थों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा राज्य के निर्यातकों के लिए किए गए प्रबंधों और सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या समुद्री खाद्य पदार्थ निर्यातकों ने सरकार को कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन मांगों का ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) महाराष्ट्र राज्य सहित भारत से समुद्री उत्पादों के निर्यातों में वृद्धि करने हेतु सरकार अनेक उपाय करती आ रही है जिनमें शामिल हैं-समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्कीमें, स्वच्छता एवं गुणवत्ता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए प्रसंस्करण सुविधाओं के उन्नयन हेतु उपाय; जल कृषि का विस्तार; रोगों के प्रकोप की रोकथाम हेतु ठोस प्रबंधन पद्धतियां अपनाने के लिए जल कृषकों को प्रशिक्षण देना; निर्यात हेतु मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन में सहायता प्रदान करना; विपणन सहायता इत्यादि।

(घ) और (ङ) भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातक एसोसिएशन (एस ई ए आई), समय-समय पर सरकार को अभ्यावेदन प्रस्तुत करती रही है। समुद्री खाद्य क्षेत्र में रुग्णता के मुद्दे को हल करने के लिए समुद्री खाद्य निर्यात उद्योग ने मोटे तौर पर निम्नलिखित का प्रस्ताव किया है:

(1) समापन का विकल्प चुनने वाली इकाइयों के लिए एक बारगी व्यवस्थापन;

(2) संभावित रूप से व्यवहार्य पाई गई इकाइयों के लिए पुनरुद्धार पैकेज; तथा

(3) बड़े पैमाने पर किफायतें प्राप्त करने के लिए 2 या अधिक इकाइयों का एकीकरण अथवा विलयन।

समुद्री खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रूग्ण उद्योगों हेतु पुनरुद्धार पैकेज तैयार करने के लिए इस मामले को भारतीय बैंक एसोसिएशन (आई बी ए) के साथ उठाया गया था। बैंक मामला दर मामला आधार पर संभावित रूप से व्यवहार्य सभी इकाइयों के पुनरुद्धार/पुनर्गठन पर विचार करने के लिए तैयार हैं। अव्यवहार्य रुग्ण इकाइयों के प्रवर्तकों के लिए समापन पद्धति हेतु अलग-अलग बैंक व्यवस्थापन संबंधी समझौते क लिए अपने नीतिगत ढांचे के भीतर इसकी जांच करने के लिए तैयार हैं।

[हिन्दी]

सती प्रथा

185. श्री रामदास आठवले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान सती की राज्यवार कितनी घटनाएं प्रकाश में आयी है;

(ख) क्या इन घटनाओं के लिए उत्तरदायी लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक मामले में दिये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार सती प्रथा की कुप्रथा को रोकने हेतु कानून बनाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, सती (निवारण) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत 1999 से 2003 तक पांच वर्षों की अवधि के दौरान देश के किसी भी भाग में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। वर्ष 2004 के संबंध में राज्यों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) सती होने के मामलों को रोकने के लिए सती (निवारण) अधिनियम, 1987 (1988 का अधिनियम सं. 3) देश में पहले से ही लागू है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में लाल डोरा क्षेत्र

186. श्री सज्जन कुमार: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में कृषि भूमि के दुरूपयोग और अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों को विकास क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गांवों के लाल डोरा क्षेत्र/विस्तारित लाल डोरा क्षेत्रों को और जनसंख्या में हुई स्वाभाविक वृद्धि के कारण यह क्षेत्र विकास क्षेत्र की शर्तों से मुक्त है;

(घ) यदि हां, तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने गांवों के लाल डोरा क्षेत्र/विस्तारित लाल डोरा क्षेत्र के विकास क्षेत्र की शर्तों से मुक्त रखने की दिल्ली विकास प्राधिकरण/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली/केन्द्र सरकार से मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 12 के प्रावधानों के अंतर्गत, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ रोहिणी उप-नगर, नरेला उप-नगर, द्वारका इत्यादि में आने वाले क्षेत्रों सहित दिल्ली में कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(ग) से (ङ) मास्टर प्लान-2021 के प्रसंग में लाल डोरा से संबंधित मामलों की जांच के लिए केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को परामर्श दिया है।

क्षमता बढ़ाना

187. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन-कौन से राज्यों में केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए क्षमता बढ़ाने की योजना चलाई जा रही है और इस योजना को प्राप्त करने का आधार क्या है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान इस योजना द्वारा अनुसूचित जनजातियों के राज्यवार कितने विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) प्रतिभा उन्नयन योजना सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में चलाई जा रही है। संबंधित राज्यों की जनजातीय आबादी के आधार पर उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं प्रत्येक के लिए 370 एवार्ड वितरित किए गए हैं।

(ख) मंत्रालय के उपलब्ध सूचना के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान (आज तक) इस योजना का लाभ उठाने वाले विद्यार्थियों की राज्य-वार संख्या नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1.	सिक्किम	15
2.	त्रिपुरा	16
3.	छत्तीसगढ़	140

(ग) इस योजना के अधीन निधियों का कोई राज्यवार आबंटन नहीं है। इस योजना के अधीन वर्ष 2004-05 के लिए 99.00 लाख रुपए का एकमुश्त आबंटन है।

[अनुवाद]

आमों का निर्यात

188. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार विभिन्न देशों में आमों का देशवार कितना निर्यात कर रही है;

(ख) आम निर्यात करने के लिए क्या मूल्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) इससे किसान किस सीमा तक लाभान्वित हो रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) आमों का निर्यात निर्यातकों द्वारा किया जाता है न कि सरकार द्वारा। वर्ष 2003-04 के दौरान प्रमुख आयातक देशों को निर्यातित आमों की मात्रा निम्नानुसार है:-

(मात्रा मीट्रिक टन में)

देश	मात्रा
1	2
अल्जीरिया	38.40
बहरीन	635.65
कनाडा	116.80
फ्रांस	245.05
हांगकांग	79.11
जापान	51.60
यमन गणराज्य	80.30
नेपाल	2930.11
कोरिया लोकतांत्रिक गणराज्य	19.01
रियूनियन	34
सऊदी अरब	3845.72
स्विटजरलैंड	76.91
बेल्जियम	105.88
ब्रुनेई	12.75
चीन	41.85
जर्मनी	101.14
ईरान	71.20
कोरिया गणराज्य	16
मलेशिया	294.23
ओमान	556.73
पुर्तगाल	81
रूस	1930.80
सूडान	251
यू ए ई	21056.16

1	2
बंगलादेश	23797.13
भूटान	28
फिनलैंड	21
यू के	1511.63
जार्डन	22.91
कुवैत	438.30
नीदरलैंड	855.94
फिलीपिन्स	37
कतर	232.23
दक्षिण अफ्रीका	14.54
सिंगापुर	238.84
यू एस ए	632.61

स्रोत: एपीडा

(ख) सरकार द्वारा आमों के निर्यात के लिए कोई दर निर्धारित नहीं की जाती है।

(ग) किसानों को आमों के निर्यात से कितना लाभ प्रात होता है, इसके आकलन का कोई प्रत्यक्ष पैमाना नहीं है। तथापि, निर्यातों से बाजार में उछाल आता है जिससे किसानों को आय में वृद्धि होती है।

यूरोपीय संघ को समुद्री उत्पाद का निर्यात

189. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2004-05 में यूरोपीय संघ को समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य अब तक प्राप्त कर लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नए निर्यातकों को प्रस्तुत किए गए प्रोत्साहनों, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाने के क्या कारण हैं और इसके लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) सरकार ने वर्ष 2004-05 के दौरान समुद्री उत्पाद के निर्यात हेतु 1300 मिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस संबंध में देशवार लक्ष्य निर्धारित करने की कोई प्रणाली नहीं है।

नए निर्यातकों को उपलब्ध प्रोत्साहनों में से कुछेक प्रोत्साहन हैं- (1) नए प्रसंस्करण संबंधी संयंत्र/प्रसंस्करण, पूर्व संयंत्र स्थापित; (2) आटोमैटिक फ्लेक/चिप ट्यूब आइस मेकिंग मशीनरी स्थापित करने; (3) जेनरेटर सेट की खरीद करने; (4) मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन हेतु सभी प्रकार की प्रसंस्करण मशीनें और उपस्कर प्राप्त करने; (5) प्रसंस्करण संयंत्रों में चिल रूम सुविधा स्थापित करने; (6) जलशोधन प्रणाली, निस्सारण अभिक्रिया संयंत्र लगाने; (7) रेफ्रिजरेटेड ट्रक/कंटेनर प्राप्त करने; और (8) नए बड़े शीतागारों आदि का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता।

[हिन्दी]

भारतीय हाकी टीम का खराब प्रदर्शन

190. श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्री राजेन गोहेन:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओलम्पिक के बाद भारतीय हाकी टीम के प्रदर्शन में लगातार गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय हाकी फेडरेशन (आई.एच.एफ.) द्वारा प्रशिक्षकों को प्राय: बदलते रहना भारतीय हाकी टीम के खराब प्रदर्शन का प्रमुख कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान भारतीय हाकी फेडरेशन द्वारा कितने प्रशिक्षक बदले गये; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में भारतीय हाकी के सम्मान को बचाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं उठाए जा रहे हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) और (ख) हाकी के खेल का संवर्धन, प्रदर्शन का मूल्यांकन तथा सुधारात्मक उपाय करना मुख्यत: भारतीय हाकी परिसंघ (आई.एच.एफ.) की जिम्मेवारी है जो सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त समिति है। आई.एच.एफ. से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ओलंपिक के बाद इसके प्रदर्शन में कोई कमी नहीं आई है।

(ग) आई.एच.एफ. से प्राप्त सूचना के अनुसार, इसने वर्ष 2000 से अब तक भारतीय हाकी टीम के लिए 4 राष्ट्रीय कोच नियुक्त किए हैं।

(घ) इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विदेश में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रशिक्षण और सहभागिता, भारत में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन सब-जूनियर, जूनियर और सीनियर स्तरों पर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के आयोजन, भारतीय और विदेशी कोचों के तहत राष्ट्रीय टीमों का प्रशिक्षण/कोचिंग देने, उपस्करों को मुहैया कराने तथा अपेक्षित तकनीकी और वैज्ञानिक समर्थन प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके सरकार आई.एच.एफ. सहित राष्ट्रीय खेल परिसंघों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

[अनुवाद]

स्वायत्तशासी महाविद्यालय

191. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार राजस्थान में स्थानवार कितने स्वायत्तशासी महाविद्यालय कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार के पास चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में कुछ और महाविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) स्वायत्त महाविद्यालयों से संबंधित योजना एक सतत् योजना है और महाविद्यालयों को समय-समय पर, उनकी शैक्षणिक ख्याति, संकाय की उपलब्धियों, वास्तविक सुविधाओं, संस्थागत प्रबन्ध, वित्तीय संसाधनों, प्रशासनिक तंत्र की तत्परता तथा संकाय की भागीदारी आदि को ध्यान में रखकर स्वायत्त दर्जा प्रदान किया जाता है। यद्यपि देश में 205 स्वायत्त महाविद्यालय हैं, जिनमें से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान 73 महाविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान की गई है, अब तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान राज्य में कोई स्वायत्तत महाविद्यालय नहीं है।

[हिन्दी]

वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वैम्बे) का विस्तार

192. श्री देविदास पिंगले: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से महानगरों में मलिन बस्तियों में रहने वालों को उनकी आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के लाभ प्रदान करने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार प्रत्येक महानगर में क्या उपाय कर रही है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) शहरी स्लमवासियों के लिए रिहायशी यूनिटों के निर्माण तथा उन्नयन को आसान बनाने और सामुदायिक शौचालयों के जरिए स्वास्थ्य और अनुकूल शहरी पर्यावरण मुहैया कराने के लिए महाराष्ट्र राज्य और इसके महानगरों सहित सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना नामक एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के तहत, राज्य सरकारें अपनी नोडल कार्यान्वयन एजेंसियां नामित करती हैं जो आवास एवं नगर विकास निगम लि. (हडको) के जरिए शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय के विचारार्थ परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। अभी तक महाराष्ट्र में 38 स्कीमों के लिए केन्द्रीय सब्सिडी जारी की गयी है जिसमें मुबंई, पुणे, नासिक एवं नागपुर महानगर शामिल हैं।

[अनुवाद]

खेलकूद को बढ़ावा देने में लगे हुए गैर-सरकारी संगठन

193. श्री अनंत कुमार: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन-कौन से विषय क्षेत्रों में सरकार कार्यों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान प्रदान करती है;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार इन विषय क्षेत्रों में कितने गैर-सरकारी संगठन कार्यरत हैं;

(ग) जनजातीय क्षेत्रों में खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कितने गैर-सरकारी संगठन कार्यरत हैं; और

(घ) उन गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है जिनसे उपयोग प्रमाण पत्र आना अभी शेष है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) भारत सरकार खेलों की विभिन्न विधाओं के संवर्धन के लिए उनके प्रयासों को पूरा करने के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता प्रदान करती है। गैर-सरकारी संगठनों को जो खेलों के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं, विभिन्न खेल सुविधाओं जैसे-स्टेडियमों, तरणताल, खेल मैदान, स्केटिंग रिंक, जल खेल अवस्थापना आदि

के सृजन के लिए अनुमोदित पैटर्न के अनुसार केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, 1.4.2004 से प्रभावी ग्रामीण खेल कार्यक्रम की संशोधित योजना के अंतर्गत, जिला स्तर पर स्थानीय ग्रामीण टूर्नामेंटों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता हेतु गैर-सरकारी संगठन पात्र हैं।

(ख) राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के क्षेत्र में कार्यरत मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघ 63 हैं।

(ग) इसका रिकार्ड नहीं रखा गया है।

(घ) उन गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा जिनसे उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) लंबित है तथा जिनको "खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों" की योजना के अंतर्गत अनुदान जारी किया गया था जो विवरण के रूप में संलग्न है। इसके अलावा, पहले जारी किए गए अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारतीय शरीर सौष्ठव परिसंघ से लंबित है।

विवरण

22.2.2005 तक खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत जारी किए गए अनुदान के संबंध में गैर-सरकारी संगठनों के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र का अद्यतन ब्यौरा

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	कार्यान्वयन एजेंसी के साथ परियोजना/योजना स्थान का नाम	तिथि से सिद्धांत रूप में अनुमोदित राशि	तिथि से जारी की गई राशि	शेष देय
1	2	3	4	5
	असम			
1.	अध्यक्ष सरवंदा सिंह स्टेडियम समिति (एन.जी.ओ.) द्वारा तिनसुकिया में आउटडोर स्टेडियम सरवंदा सिंह नगर मि. सं. 6-2/94-खेल-I	18.00 (28.11.94)	16.20 (19.5.95)	1.80
2.	शिशु मंदिर सिलचर (एन.जी.ओ.) में खेल मैदान का विकास मि. सं. 6-3-/94-खेल-I	2.61 (30.11.94)	1.30,875 (24.5.99)	1.30,875
3.	शिवसागर खेल संघ (एन.जी.ओ.) द्वारा शिवसागर में आउटडोर स्टेडियम मि. सं. 6-145/87-खेल-I	5.00 31.3.97	2.5 19.12.86	2.50
4.	गोहपुर क्रीड़ा संस्था गोहपुर (एन.जी.ओ.) द्वारा गोहपुर में आउटडोर स्टेडियम मि. सं. 6-3-/97-खेल-I	31.41 (18.2.99)	23.55 (25.9.2000)	7.86
5.	दक्षिण-पश्चिम रंगा कृषक विकास समिति (एन.जी.ओ.) द्वारा रंगीया में खेल मैदान मि. सं. 6-3-/98-खेल-I	1.95 (7.7.99)	1.75 (20.6.2000)	0.195
6.	खानपारा खेल एवं सांस्कृतिक संगठन, गौहाटी (एन.जी.ओ.) द्वारा गणेश मंदिर इनडोर स्टेडियम खानपारा मि.सं. 6-5-/97-खेल-I	67.50 (1.1.2000)	30.00 14.12.2001 30.00 (18.9.2002)	7.50

1	2	3	4	5
7.	तेजपुर जिला खेल संघ (एन.जी.ओ.) द्वारा इनडोर स्टेडियम तेजपुर मि.सं. 6-2/97-खेल-I	30.00 (28.3.2000)	20.00 (31.3.2002) 7.00 6.6.2003	3.00
8.	लखिमपुर जिला खेल संघ (एन.जी.ओ.) द्वारा उत्तर लखिमपुर में इनडोर स्टेडियम श्रेणी-2 मि.सं. 6-4/97-खेल-I	67.50 (8.9.2000)	30.00 (18.7.2002)	37.50
9.	विश्वनाथ चरैली मधुपुर जिला सोनीतपुर में आउटडोर स्टेडियम श्रेणी-1 मि.सं. 6-4-/2000-खेल-I	27.00 (5.2.2001)	13.50 (18.9.2002)	13.50
10.	जिला खेल संघ हैलकंडी (एन.जी.ओ.) द्वारा हैलकंडी में इनडोर स्टेडियम श्रेणी-3 मि.सं. 6-3/2001-खेल-I (एन.जी.ओ.)	30.00 (31.3.2002)	15.00 6.9.2004	15.00
11.	शैक्षिक फाउण्डेशन (एन.जी.ओ.) द्वारा कोलांगपार, जिला नागौन, असम में इनडोर स्टेडियम श्रेणी-3 का निर्माण मि.सं. 6-3/2002-खेल-I	30.00 27.11.2002	10.00 20.10.03 13.00 24.9.2004	7.00
12.	छाया गांव जिला कामरूप (एन.जी.ओ.) द्वारा छाया खेल संघ द्वारा छाया गांव में इनडोर स्टेडियम श्रेणी-2 मि.सं. 6-5-/2002-खेल-I	67.50 14.5.2003	30.00 30.9.2004	37.50
	हरियाणा			
13.	लाला दिवान चंद मार्डन कुश्ती एवं योगा केन्द्र द्वारा छारा जिला झझर में इनडोर स्टेडियम मि.सं. 10-4/2001-खेल-I	44.08 21.8.2001	22.00 20.3.2002 17.67 13.5.2003	4.41
14.	महाराज अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट सिरसा द्वारा सिरसा में इनडोर स्टेडियम श्रेणी-2 मि.सं. 10-15/2001-खेल-I	45.00 22.3.2002	22.50 12.5.2003	22.50
15.	चौधरी भरत मैमोरियल शिक्षा समिति द्वारा निदानी जिला जिंद में इनडोर स्टेडियम श्रेणी-1 मि.सं. 10-47/2002-खेल-I	60.00 29.9.2003	30.00 24.9.2004	30.00
	कर्नाटक			
16.	मणिक प्रभु शिक्षा समिति, जिला बीदर द्वारा मणिक नगर में तरणताल श्रेणी-2 मि.सं. 13-3/2000-खेल-I	25.00 22.3.2002	12.50 24.5.2004	12.50

1	2	3	4	5
17.	मालनाद प्रगति शिक्षा समिति होनावार जिला उत्तर कन्नड द्वारा होनावार में इनडोर स्टेडियम श्रेणी-2 मि.सं. 13-10/2000-खेल-I	67.50 23.9.2002	33.50 8.10.2004	34.00
	मध्य प्रदेश			
18.	हनुमान व्यायामशाला लाल बाग (एन.जी.ओ.) द्वारा ब्रहमपुर खाण्डा जिला पूर्वी निमार में इनडोर स्टेडियम मि.सं. 15-66/91-खेल-I	19.975	17.97 8.10.99	2.005
19.	इंदौर टेबल टेनिस ट्रस्ट द्वारा इंडोर में खेल छात्रावास मि.सं. 15-7/2003-खेल-I	30.00 5.12.2003	15.00 10.6.2004	15.00
	महाराष्ट्र			
20.	अध्यक्ष, इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्ट संघ द्वारा गुलमोहर कालोनी संगली महाराष्ट्र में बहुउद्देश्यीय खेल हाल मि.सं. 16-2-/92-खेल-I	5.00 9.11.92	4.50 16.6.93	0.50
21.	रायत शिक्षण समिथास महात्मा गांधी विद्यालय मंचार, पुणे द्वारा महात्मा गांधी विद्यालय मंचार पुणे में बहुउद्देश्यीय हाल मि.सं. 16-33/90-खेल-I	3.31 16.12.93	2.98 22.5.95	0.33
22.	चिलपुन ताल्लुक मराठा शिक्षण परिषद द्वारा चिपलुन रतनगिरि में इनडोर स्टेडियम मि.सं. 16-25/95-खेल-I	30.00 22.11.95	15.00 22.3.99	15.00
23.	शिव स्मारक समिति पुणे द्वारा इनडोर बैडमिंटन स्टेडियम मि.सं. 16-8/94-खेल-I	15.65 10.3.95	14.00 21.9.95	1.65
24.	सवारदा चिपलून जिला रतनगिरि सहादरी शिक्षण संस्था सवारडे में इनडोर स्टेडियम मि.सं. 16-3-/95-खेल-I	30.00 11.7.95	27.00 21.11.95	3.00
25.	सत चिकित्सा प्रसारक मंडल द्वारा बाधेपुर यवतमाल में तरणताल मि.सं. 16-5-/95-खेल-I	36.90 7.2.2001	25.00 31.10.02	11.90
26.	शिवाजी प्रतिष्ठान पुणे द्वारा अकोला में तरणताल श्रेणी-2 मि.सं. 16-12/99-खेल-I	25.00 30.10.2000	20.00 27.3.2002	5.00

1	2	3	4	5
27.	आर.एल. तावणे फाउण्डेशन कोल्हापुर द्वारा कारवीर में तरणताल मि.सं. 16-22-/2000-खेल-I	24.54 12.10.2001	20.00 8.8.2003	4.54
28.	केन्द्रीय हिन्दू मिलिट्री शिक्षा समिति नागपुर द्वारा चक्कीखपा में तरणताल श्रेणी-1 मि.सं. 16-25/2001-खेल-I	60.00 20.3.02	15.00 31.3.2003	45.00
29.	रचना ट्रस्ट द्वारा नासिक में इनडोर स्टेडियम श्रेणी-2 मि.सं. 16-16/99-खेल-I	45.00 5.7.2002	22.50 2.11.2004	22.50
30.	राजाराम बापू पाटिल एडोमेंट ट्रस्ट द्वारा राजाराम नगर संगली में इनडोर स्टेडियम श्रेणी-1 मि.सं. 16-11/99-खेल-I	58.23 23.9.2002	25.00 1.11.2004	33.23
31.	सदाशिव पाटिल शिक्षण संस्था द्वारा कांपटे नागपुर में तरणताल श्रेणी-1 मि.सं. 16-7/2001-खेल-I	60.00 11.2.03	30.00 3.6.2004	30.00
	मणिपुर			
32.	वेंजिंग तेंथा फार्मर विकास संघ तेंथा जिला थाउवाल द्वारा तेंथा में तरणताल मि.सं. 17-2/91-खेल-I	30.00 9.11.95	27.00 17.11.99	3.00
33.	युवा समाज कल्याण संघ विष्णुपुर द्वारा उतलोउ में आउटडोर श्रेणी-1 मि.सं. 17-4/2000-खेल-I	27.00 7.2.2001	15.00 19.12.01	12.00
34.	समाज विकास एवं शिक्षा संगठन द्वारा होउखा में आउटडोर स्टेडियम श्रेणी-2 मि.सं. 17-5/2000-खेल-I	22.50 5.1.2001	10.00 29.3.2003	12.50
35.	अंगथा वेस्टर्न पंथोउवी क्लब द्वारा अंगथा गांव में आउटडोर स्टेडियम श्रेणी-1 मि.सं. 17-10/2002-खेल-I	27.00 7.2.2001	13.50 29.3.2003	13.50
36.	इंटिग्रेटिड रूरल अपलिफ्टमेंट सेवा थाउबाल मणिपुर द्वारा क्रिकेट मैदान का निर्माण मि.सं. 17-13/2000-खेल-I	3.38 1.6.2001	3.042 13.12.2001	0.338
37.	संयुक्त ग्रामीण विकास सेवा द्वारा हैरोक में आउटडोर स्टेडियम श्रेणी-2 मि.सं. 17-8/2000-खेल-I	24.72 14.12.2001	12.00 29.3.2003	12.72
38.	इंटिग्रेटिड जनजाति विकास समिति द्वारा खुपुम में इनडोर स्टेडियम श्रेणी-3 मि.सं. 17-3/2001-खेल-I	30.00 14.12.2001	15.00 29.3.2003	15.00

1	2	3	4	5
	नागालैण्ड			
39.	नागालैण्ड ताईक्वांडो संघ लेहरी कोहिमा में इनडोर स्टेडियम मि.सं. 20-2/98-खेल-I	90.00 31.3.99	30.00 5.10.99	60.00
40.	पिफुटशेरों में खेजाथाडे महिला कल्याण समिति द्वारा इनडोर स्टेडियम मि.सं. 20-12/98-खेल-I	30.00 9.7.99	20.00 5.10.99	10.00
41.	टींस क्लब, जिला बोखा द्वारा आउटडोर खेल सुविधाओं का सृजन मि.सं. 20-16/99-खेल-I	6.2001 1.6.2001	4.79 20.8.2001	1.41
42.	हिल्स पायनियर्स द्वारा चेथापेक में इनडोर स्टेडियम मि.सं. 20-17/99-खेल-I	30.00 18.12.2001	15.00 19.7.02	15.00
43.	सियाकुव सोसायटी फेक द्वारा चिजामी जिला फेक में इनडोर स्टेडियम मि.सं. 20-6/2000-खेल-I	29.85 12.7.2001	15.00 12.7.2001	14.85
44.	रायनो क्लब द्वारा जुनेबोटो में इनडोर स्टेडियम श्रेणी-3 मि.सं. 20-27/2001-खेल-I	30.00 5.7.02	10.00 26.12.03	20.00
	राजस्थान			
45.	डालमिया शिक्षा समिति चिरावा, झुंझूनू द्वारा चिरावा में जिम्नेजियम हाल मि.सं. 23-4/91-खेल-I	5.00 7.10.92	4.50 10.3.99	0.50
46.	नाथद्वारा मंदिर बोर्ड द्वारा मंदिर बोर्ड उदयपुर में इनडोर और ओपन स्टेडियम मि.सं. 6-120/87-खेल-I	10.00 22.6.87	5.00 22.6.87 4.00 10.1.2000	1.00
	तमिलनाडु			
47.	विष्णु लक्ष्मी ट्रस्ट धर्मपुरम द्वारा धर्मपुरम पेरियार जिले में इनडोर स्टेडियम मि.सं. 25-3-/95-खेल-I	52.50 8.5.95	47.25 क्रमश: (23.8.95): और 16.7.97 में दो किस्तों में	5.25
	पश्चिम बंगाल			
48.	गैर-सरकारी संगठन द्वारा युगेर प्रतीक डाकघर श्याम नगर 24 परगना (उत्तर) में खेल मैदान मि.सं. 28-31/89-खेल-I	0.50 8.10.92	0.40 8.10.92	0.10
49.	गैर-सरकारी संगठन द्वारा नंदन मिनल वीथी हरि नवी, 24 परगना (दक्षिण) में जिम्नेजियम हाल मि.सं. 28-4/92-खेल-I	5.50 7.9.93	4.95 28.6.94	0.55

विश्वविद्यालयों में संथाली विभाग खोला जाना

194. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पृथक संथाली विभाग हैं;

(ख) क्या सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में संथाली विभाग खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) इस समय किसी भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में अलग से कोई संथाली विभाग नहीं है।

(ख) से (घ) किसी भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में अलग से संथाली विभाग स्थापित करने हेतु इस संबंध में सांविधिक उपबंधों के अनुरूप विजिटर का अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के निमित्त उनसे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

मूल्यांकन प्रणाली

195. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न स्थानों से कक्षा दसवीं और बारहवीं की परीक्षा को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मूल्यांकन प्रणाली से संबंधित अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) जी, हां। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मूल्यांकन प्रणाली के संबंध में माता-पिता तथा छात्रों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। कक्षा X तथा XII की परीक्षाओं के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मूल्यांकन प्रणाली पहले से ही सरल तथा पारदर्शी बना दी गई है तथा इसे और अधिक विश्वसनीय तथा वस्तुनिष्ठ बनाने का सतत् प्रयास है।

अग्नि शमन उपकरण

196. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री उदय सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजधानी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों की कई ऊंची इमारतों में कोई अग्नि शमन उपकरण नहीं लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी असुरक्षित ऊंची इमारतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन इमारतों में अग्नि उपकरण का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (घ) जी हां, श्रीमान। स्थिति नीचे दर्शाई है:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली–दिल्ली अग्निशमन निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अधिनियम के समय किए गए सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली में 220 गगनचुम्बी इमारतें थीं जिनमें अग्नि से बचने के अपेक्षित उपाय नहीं किए गए थे। बाद में इनमें से 217 भवनों में अग्नि सुरक्षा उपकरण लगाए गए थे। शेष 3 भवनों में से एक भवन को सील कर दिया गया था और बाकी दो भवनों की बिजली और पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई थी।

डाक्टर बी.एल. बढेरा बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और अन्य नामक शीर्षक से सी डब्ल्यू पी सं. 2710/1998 में सी एम सं. 6904/2004 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 23 अक्तूबर, 2003 को पारित आदेशों के अनुसरण में मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने एक और सर्वेक्षण किया था जिसमें यह पाया गया कि लाल डोरा, विस्तृत लाल डोरा और गैर-लाल क्षेत्रों में 1983 के बाद निर्मित 2506 गगन चुम्बी इमारतों में अग्नि से बचने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। 17/18 सितम्बर, 2004 को समाचार पत्रों में प्रकाशित नोटिसों के माध्यम से इन भवनों के मालिकों को सलाह दी गई थी कि वे 90 दिनों के अन्दर इन भवनों में अग्नि से बचने के उपाय कर दें।

यदि इन सुरक्षा अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया तो इन भवनों को सील करने सहित दंड लगाने और बिजली तथा पानी की आपूर्ति बंद करने की कार्रवाई की जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हरियाणा उप क्षेत्र: हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के हरियाणा उप-क्षेत्र में ऐसी कोई अनुमोदित गगन चुम्बी इमारत नहीं है जिसमें अग्नि से बचने के उपकरण न लगाए गए हों। हरियाणा सरकार ने भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 1983 (भाग-IV अग्नि संरक्षण) में किए गए अग्नि संरक्षण प्रबंधों के प्रावधानों को अपनाया है और तदनुसार भवन उप नियमों में संशोधन किया है। ऐसे भवन मालिकों के लिए यह आवश्यक है कि वे सक्षम प्राधिकारी से अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से योजनायें अनुमोदित करा लें और कब्जा प्रमाण पत्र जारी किये जाने से पहले भवन में अग्नि सुरक्षा उपकरण स्थापित करने संबंधी एक प्रमाणपत्र भी प्राप्त कर लें।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का राजस्थान उप क्षेत्र: राजस्थान सरकार ने सूचित किया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राजस्थान उप-क्षेत्र में कोई गगनचुम्बी इमारत नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र: उत्तर प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समन्वय कक्ष के मुख्य समन्वयक योजनाकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उत्तर प्रदेश उप क्षेत्र के कस्बों में गगन-चुम्बी इमारतों से संबंधित स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

(1) मेरठ: यहां पर कोई गगनचुम्बी इमारत नहीं है।

(2) बुलंदशहर: यहां पर कोई गगनचुम्बी इमारत नहीं है।

(3) बागपत: यहां पर कोई गगनचुम्बी इमारत नहीं है।

(4) गाजियाबाद: गाजियाबाद शहरी क्षेत्र में 36 गगनचुम्बी इमारते हैं जिनमें अग्नि सुरक्षा उपकरण नहीं है। इन भवनों के मालिकों के साथ यह मामला उठाया जा रहा है।

(5) गौतमबुद्ध नगर: 20 प्रतिशत गगनचुम्बी इमारतों में सुरक्षा उपकरण नहीं हैं। इन गगनचुम्बी इमारतों में सुरक्षा उपाय करने के लिए स्पेशल बीट/अग्नि सुरक्षा योजनाएं लागू की जा रही हैं।

लीज होल्ड का फ्री-होल्ड में परिवर्तन

197. श्री पवन कुमार बंसल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चण्डीगढ़ में अब तक लीज होल्ड को फ्री होल्ड में परिवर्तित करने के लिए कितने आवेदन किए गए हैं;

(ख) कितने मामलों को वास्तव में मंजूरी दी गई है और उनमें परिवर्तन किया गया है;

(ग) क्या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने वार्षिक भूमि किराए के पांच गुना के बराबर न्यूनतम परिवर्तन प्रभार/शुल्क का निर्धारण संबंधी आदेश प्रख्यापित किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या जनरल पावर आफ अटार्नी धारक आज भी लीज होल्ड टेन्यूर को फ्री होल्ड में परिवर्तित करने के अधिकार से वंचित है;

(च) यदि हां, तो क्या ये प्रभार परिवर्तन योजना के प्रतिकूल हैं; और

(छ) यदि हां, तो वाणिज्यिक सम्पत्ति के लिए लीज होल्ड प्रणाली को फिर शुरू करने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) चंडीगढ़ प्रशासन ने यह सूचित किया है कि लीज होल्ड अधिकारों को फ्री-होल्ड अधिकारों में परिवर्तित करने के लिए 4393 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से 4313 मामलों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा परिवर्तन कर दिया गया है.

(ग) और (घ) परिवर्तन शुल्क प्रति वर्गमीटर 1710 रुपए या वार्षिक लीज राशि का 4.5 गुणा, जो भी अधिक हो, की दर से निकाला गया है।

(ङ) और (च) जी नहीं। जनरल पावर आफ अटार्नी धारक भी लीज होल्ड रिहायशी स्थलों को फ्री-होल्ड में परिवर्तित करने हेतु आवेदन कर सकते हैं।

(छ) चंडीगढ़ प्रशासन ने यह सूचित किया है कि संघ राज्य क्षेत्र का अपना कोई समेकित कोष नहीं है तथा वर्तमान व्यय का वित्तपोषण करने के लिए भूमि की बिक्री से राजस्व प्राप्त करना आवश्यक है। यह लंबे समय तक कायम नहीं रह सकता क्योंकि भूमि की आपूर्ति शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए, नागरिक सेवाओं की कोटि बनाए रखने हेतु राजस्व के बारहमासी स्रोत की आवश्यकता है तथा प्रशासन ने संस्थानों को लीज होल्ड आधार पर ही व्यवसायिक संपदा और भूमि बेचने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु विशेष योजना

198. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए कोई विशेष योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना में कौन-कौन से कृषि उत्पाद शामिल किए गए हैं और निर्यातकों को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(ग) वर्ष 2003-04 के दौरान आज तक कुल कितने मूल्य के कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया है और नई योजना शुरू करने से निर्यात में कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कृषि उत्पादों के निर्यात में लगातार गिरावट आई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां। 31 अगस्त, 2004 को घोषित विदेश व्यापार नीति 2004-09 में फलों, सब्जियों, पुष्पों, लघु वन उत्पाद और उनके मूल्य वर्धित उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष कृषि उपज योजना शुरू की गयी है।

(ख) विदेश व्यापार नीति 2004-09 के पैरा 3.8.2.1 में दी गयी मदों के निर्यात उनकी 5 प्रतिशत एफ ओ बी मूल्य के बराबर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स के लिए पात्र हैं।

(ग) डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2003-04 के दौरान निर्यातित कृषि उत्पादों (चाय, काफी, समुद्री उत्पादों कपास और अरण्डी तेल को छोड़कर) का कुल मूल्य 23,839/- करोड़ रुपए है। तथापि प्रत्याशित वृद्धि का पूर्वानुमान करना संभव नहीं होगा क्योंकि यह मांग और आपूर्ति की स्थिति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, उपभोक्ता की पंसद, इत्यादि समेत विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

(घ) और (ङ) डी जी सी आई एंड एस के निर्यात आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि उत्पादों के निर्यात में कोई गिरावट नहीं आई है।

[अनुवाद]

निर्यात लक्ष्य 2005-2006

199. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वार्षिक निर्यात लक्ष्य निर्धारित करने की प्रथा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के क्या परिणाम निकले और उन मामलों में क्या कार्रवाई की गयी है जहां लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके हैं;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2005-2006 के लिए 88 बिलियन डालर का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या ठोस कदम और उपाय करने पर विचार कर रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 के लिए डालर के रूप में क्रमश: 3 प्रतिशत 12 प्रतिशत और 12 प्रतिशत का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इन लक्ष्यों की तुलना में निर्यात वृद्धि क्रमश: (-)1.65 प्रतिशत, 20.3 प्रतिशत और 21.10 प्रतिशत रही थी। 11 सितंबर, 2001 की घटना जो कि अप्रत्याशित थी, के बाद केवल वर्ष 2001-02 में ही निर्यात लक्ष्य से कम हुए थे और जिसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) अगले पांच वर्ष के भीतर वैश्विक पण्य वस्तु व्यापार में भारत के हिस्से को दोगुना करने के उद्देश्य से अगस्त, 2004 में एक नई विदेश व्यापार नीति (एफ टी पी) घोषित की गयी थी। एफ टी पी में अपनाई गई कुछेक कार्यनीतियों में शामिल हैं: प्रक्रियाओं का सरलीकरण, सौदा लागत में कमी, निर्यात हेतु प्रयुक्त विनिष्टियों पर सभी लेवियों और शुल्कों के प्रभाव का निष्प्रभावीकरण तथा आगे और संवर्धन हेतु कृषि, हथकरघा, हस्तशिल्प, रत्न एवं आभूषण, चर्म एवं फुटवियर जैसे विशेष फोकस क्षेत्रों को अभिज्ञात करना। इसके अलावा, निर्यात वृद्धि को तेज करने के लिए ''विशेष कृषि उपज योजना'' और ''टारगेट प्लस'' जैसी निर्यात संवर्धन स्कीमें शुरू की गई हैं।

चाय उद्योग के लिए विशेष पैकेज

200. श्री सुग्रीव सिंह: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में रुग्ण चाय उद्योग के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दार्जिलिंग के किसानों को कृषि निर्यात जोन के रूप में घोषित करने का भी है;

(घ) यदि हां, तो दार्जिलिंग के किसानों को कृषि निर्यात जोन योजना के अंतर्गत दिए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे जोन के लिए अवसंरचना को कब तक विकसित किया जाएगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) चाय बोर्ड ने देशभर में विभिन्न चाय बागानों में चाय की पुरानी झाड़ियों के पुनर्रोपण तथा नवीकरण हेतु एक कार्यक्रम का प्रस्ताव किया है। इस प्रकार के किसी बड़े कार्यक्रम के वित्त पोषण की विस्तृत लागत निर्धारण तथा रूपरेखाओं की जांच की जा रही है।

(ग) कृषि निर्यात जोन (ए ई जेड) को सहायता प्रदान करने के बारे में राज्य सरकार की लिखित वचनबद्धता के अधीन कृषि निर्यात जोन संबंधी संचालन समिति द्वारा दार्जिलिंग चाय के लिए एक कृषि निर्यात जोन की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित कर दिया गया था। यह भी निर्णय लिया गया था कि चाय बोर्ड इस ए ई जेड के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। पश्चिम बंगाल की सरकार ने दार्जिलिंग चाय के लिए ए ई जेड की स्थापना में सहायता प्रदान करने हेतु अब वचनबद्धता प्रदान कर दी है।

(घ) चाय उत्पादकों के लिए लाभ राज्य एवं केन्द्र सरकारों की मौजूदा स्कीमों के कार्यढांचे के भीतर प्राप्त होंगे।

(ङ) यह प्रस्ताव अपने प्रारंभिक चरण में हैं तथा ए ई जेड हेतु बुनियादी सुविधाओं के विकास के संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

[हिन्दी]

सामाजिक और शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान

201. श्री रामदास आठवले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कुछ सामाजिक और शैक्षिक संस्थाओं को राज्यवार कोई प्रत्यक्ष केंद्रीय अनुदान दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ये अनुदान किस प्रयोजनार्थ दिए गए हैं;

(ग) क्या कोई एजेंसी इन संस्थाओं के द्वारा अनुदानों के उपयोग की निगरानी कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या किसी संस्था के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत शैक्षिक गतिविधियों के लिए देशभर के गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एक लाख रु. और उससे अधिक के ऐसे अनुदानों का ब्यौरा सामान्यत: प्रत्येक वर्ष मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों में दिया जाता है। संस्वीकृति के पश्चात् मानीटरन और समीक्षा हेतु सामान्यत: इन योजनाओं में अंत:निर्मित तंत्र होता है। आवंटित निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दौरे भी किए जाते हैं। ऐसे संगठनों द्वारा निधियों के दुरूपयोग के संबंध में खास शिकायतें प्राप्त होने पर मामले की जांच की जाती है और यदि ये शिकायतों की पुष्टि होती हैं तो उस गैर-सरकारी संगठन के खिलाफ आगामी अनुदान रोकने/काली सूची में उसका नाम लिखने जैसी उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सुविधाएं बढ़ाया जाना

202. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) सरकार को स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने हेतु विभिन व्यक्तियों/मंचों से निरंतर प्रतिवेदन प्राप्त होते रहे हैं। मुख्य मांगों में, अन्य बातों के साथ-साथ पेंशन, और महंगाई राहत की राशि बढ़ाना, पुत्रों को आश्रित पेंशन प्रदान करना,

आश्रितों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में मुक्त शिक्षा/नौकरियों में आरक्षण, आवास/प्लाट के आबंटन में कोटा, राज्य विधान सभाओं/स्थानीय निकायों में आरक्षण, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को ''राष्ट्रीय परिवारों'' के रूप में घोषित करना इत्यादि शामिल हैं।

(ग) पेंशन और महंगाई राहत की वर्तमान राशि और स्वतंत्रता सेनानियों को उपलब्ध सुविधाएं संलग्न विवरण में दी गई है। पेंशन या महंगाई राहत की राशि बढ़ाने या स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

1. पेंशन और महंगाई राहत की राशिः

क्र.सं.	श्रेणी	मासिक पेंशन (रु.)	1 अगस्त, 2004 से मासिक पेंशन के 44% की दर पर महंगाई राहत (रु.)
1(क)	पूर्व-अण्डमान राजनैतिक कैदी	4,000/-	1760/-
(ख)	स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के बाहर यातना भोगी [आजाद हिंद फौज (आई एन ए) को छोड़कर]	3,500/-	1,540/-
2.	आजाद हिंद फौज (आई एन ए) समेत अन्य स्वतंत्रता सेनानी	3,000/-	1320/-
3.	उपर्युक्त श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानियों की विधवा/विधुर	3,000/-	1320/-
4.	अविवाहित/बेरोजगार पुत्रियां (एक ही समय में ऐसी अधिकतम तीन पुत्रियां की शर्त पर)	प्रत्येक को 1500/-	प्रत्योक को 660/-
5.	माता और पिता	प्रत्येक को 1000/-	प्रत्येक को 440/-

नोटः अविवाहित और बेरोजगार पुत्रियों की पेंशन की राशि, सबसे बड़ी पुत्री को 600/- रु. प्रति माह और अन्य दो पुत्रियों, प्रत्येक को 350/- रु. प्रति माह को बढ़ाकर सरकार ने फरवरी, 2005 में सभी तीनों पुत्रियों के लिए प्रत्येक को 1500/- रु. प्रतिमाह कर दिया है।

2. सुविधाएं

(क) पेंशन के अलावा, स्वतंत्रता सेनानियों को केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं:-

(1) स्वतंत्रता सेनानी और विधवा/विधुर के लिए एक परिचर समेत आजीवन निःशुल्क रेलवे पास (प्रथम श्रेणी/एस.सी. 2 टायर स्लीपर)।

(2) केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों और सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों द्वारा ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टरप्राईजिज के अधीन चलाए जा रहे अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं। स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को सी.जी.एच.एस. की सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं।

(3) यदि व्यवहार्य हो, तो स्थापित करने के प्रभार के बिना और किराए की आधी राशि के भुगतान पर टेलीफोन की सुविधा।

(4) दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानियों को जनरल पूल की रिहायशी आवास (समग्र रूप से 5% विवेकाधिकार कोटा के भीतर) स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के बाद उनकी विधवा/विधुर भी छह मास तक इस आवास को रख सकते हैं।

(5) जिन स्वतंत्रता सेनानियों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उन्हें बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली में बनाए गए स्वतंत्रता सेनानी गृह में आवास।

(6) पैट्रोलियम उत्पादों की 2% डीलरशिप/डिस्ट्रीयब्यूटरशिप का आबंटन, डीलर सैलेक्शन बोर्ड के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आरक्षित है।

(ख) उपर्युक्त सुविधाओं के अलावा, पूर्व-अण्डमान राजनैतिक कैदी और उनकी विधवाएं निम्नलिखित सुविधाओं की भी पात्र हैं:

(1) वर्ष में एक बार एक साथी सहित पोर्ट ब्लेयर की नि:शुल्क समुन्द्री यात्रा सुविधा।

(2) वर्ष में एक बार एक साथी समेत चेन्नै/कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर की नि:शुल्क हवाई यात्रा सुविधा।

(3) एक साथी समेत शताब्दी/राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा।

महिलाओं पर अत्याचार

203. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रकाश में आए विभिन्न मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) महिलाओं पर अत्याचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार देश में महिलाओं के प्रति हुए अपराधों की घटनाओं की संख्या वर्ष 2001, 2002 तथा 2003 के लिए क्रमश: 143795, 143034 तथा 139490 बताई गई है जिसके राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ग) "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। तथापि, भारत सरकार, राज्य सरकारों को, समय-समय पर यह सलाह देती रही है कि महिलाओं एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के प्रति अपराधों की रोकथाम के लिए यथा आवश्यक उपाय किए जाएं। राज्य सरकारों को 5 मई, 2004 को भेजी गई सलाह में, अन्य बातों के साथ-साथ, महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने हेतु निम्नलिखित उपाय करने का अनुरोध किया गया है:-

(1) अपराध की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान करना और छात्राओं की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों/कालेजों में कानून के उल्लंघन के मामलों की मानिटरिंग करने हेतु एक तंत्र स्थापित करना।

(2) महिलाओं के प्रति अपराधों के सभी मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्टों को दर्ज करना;

(3) सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठों के हेल्पलाइन नम्बरों का प्रमुखता से प्रदर्शन करना;

(4) थानों में महिला पुलिस प्रकोष्ठों, और जहां-कहीं आवश्यक हो, महिला पुलिस थानों की स्थापना करना;

(5) महिलाओं के प्रति अपराधों से निपटने संबंधी काम देखने वाले पुलिस कार्मिकों को विशेष कानूनों में समुचित रूप से प्रशिक्षित करना।

विवरण

वर्ष 2001 के दौरान महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों की घटनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	दहेज संबंधी मृत्यु	पति, और उसके संबंधियों द्वारा क्रूरता	छेड़छाड़	यौन उत्पीड़न	लड़कियों का आयात	सती निवारण अधिनियम	आईटीपी अधिनियम	महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन (निषेध अधिनियम)	दहेज निषेध अधिनियम	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	871	765	420	5791	3544	2271	7	0	1332	925	551	16477
2.	अरुणाचल प्रदेश	33	55	0	11	78	3	0	0	0	0	0	180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	असम	817	1070	59	1248	850	4	0	0	6	10	179	4243
4.	बिहार	888	518	859	1558	562	21	83	0	29	3	835	5356
5.	छत्तीसगढ़	959	171	70	840	1763	161	0	0	12	0	13	3989
6.	गोवा	12	6	2	11	17	7	0	0	28	0	0	83
7.	गुजरात	286	857	67	3667	756	111	0	0	61	0	0	5805
8.	हरियाणा	398	297	285	1513	478	401	0	0	21	0	0	3393
9.	हिमाचल प्रदेश	124	105	10	317	310	14	0	0	1	0	9	890
10.	जम्मू और कश्मीर	169	504	13	50	622	288	0	0	7	0	3	1656
11.	झारखंड	567	279	217	484	297	5	2	0	3	0	375	2229
12.	कर्नाटक	293	271	220	1755	1665	81	0	0	1356	0	361	6002
13.	केरल	562	97	27	2561	1942	81	0	0	132	42	6	5490
14.	मध्य प्रदेश	2851	668	609	2562	7063	751	0	0	15	0	30	14549
15.	महाराष्ट्र	1302	611	308	6090	2823	1120	1	0	233	9	27	12524
16.	मणिपुर	20	62	0	5	21	0	0	0	4	0	0	112
17.	मेघालय	26	11	0	4	25	0	0	0	0	0	0	66
18.	मिजोरम	52	1	0	16	52	0	3	0	2	0	0	126
19.	नागालैण्ड	17	6	0	0	6	0	0	0	1	0	0	30
20.	उड़ीसा	790	434	294	1266	1655	458	0	0	24	0	436	5357
21.	पंजाब	298	324	159	1128	372	47	0	0	32	1	0	2361
22.	राजस्थान	1049	2165	376	5532	2878	56	1	0	68	46	4	12175
23.	सिक्किम	8	2	0	0	0	14	0	0	0	0	0	24
24.	तमिलनाडु	423	607	191	815	1773	1012	14	0	5232	11	33	10111
25.	त्रिपुरा	102	35	16	227	58	0	0	0	0	0	0	438
26.	उत्तर प्रदेश	74	126	56	301	103	84	0	0	0	0	5	749
27.	उत्तरांचल	1958	2879	2211	7365	2870	2575	0	0	26	3	340	20227
28.	पश्चिम बंगाल	709	695	265	3859	954	48	3	0	31	0	6	6570
	कुल (राज्य)	15658	13621	6724	48976	33537	9613	114	0	8656	1050	3213	141172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	अंडमान एवं निकबार द्वीप समूह	3	2	0	9	19	1	0	0	0	0	0	34
30.	चंडीगढ़	18	50	3	36	24	15	0	0	3	1	0	150
31.	दादरा एवं नगर हवेली	6	2	0	4	7	0	0	0	0	0	0	19
32.	दमन एवं दीव	0	3	0	4	0	0	0	0	3	0	0	10
33.	दिल्ली	381	964	113	138	502	90	0	0	95	1	7	2291
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	9	3	1	3	35	27	0	0	39	0	2	119
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	417	1024	117	194	587	133	0	0	140	2	9	2623
	योग (अखिल भारत)	16075	14645	6851	49170	34124	9746	114	0	8796	1052	3222	143795

वर्ष 2002 के दौरान महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों की घटनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	दहेज संबंधी मृत्यु	पति, और उसके संबंधियों द्वारा क्रूरता	छेड़छाड़	यौन उत्पीड़न	लड़कियों का अवैध	सती निवारण अधिनियम	आईटीपी अधिनियम	महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन (निषेध अधिनियम)	दहेज निषेध अधिनियम	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1002	854	449	7018	3799	2024	0	0	871	2403	460	18880
2.	अरुणाचल प्रदेश	38	38	0	13	68	2	0	0	0	0	0	159
3.	असम	970	1276	70	1694	984	7	0	0	24	3	64	5092
4.	बिहार	1040	744	927	1577	621	6	38	0	10	1	779	5743
5.	छत्तीसगढ़	992	154	85	653	1483	147	0	0	12	0	12	3538
6.	गोवा	12	5	2	8	18	6	0	0	25	0	0	76
7.	गुजरात	267	807	62	3321	750	104	0	0	57	4	1	5373
8.	हरियाणा	361	290	256	1565	454	1424	0	0	32	0	3	4385
9.	हिमाचल प्रदेश	137	116	6	234	326	12	0	0	2	0	5	838
10.	जम्मू और कश्मीर	192	596	18	54	785	368	0	0	3	0	0	2016
11.	झारखंड	797	178	275	588	411	3	36	0	3	0	199	2490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	कर्नाटक	292	300	233	1826	1648	100	0	0	1388	0	383	6170
13.	केरल	499	91	17	2836	2123	102	0	0	132	26	3	5829
14.	मध्य प्रदेश	2891	639	674	3117	7118	783	0	0	14	0	24	15260
15.	महाराष्ट्र	1352	650	303	5353	2686	769	0	0	182	4	23	11322
16.	मणिपुर	14	82	0	10	58	0	0	0	6	0	0	170
17.	मेघालय	38	10	0	0	23	0	0	0	0	0	0	71
18.	मिजोरम	76	2	0	3	73	0	0	0	0	0	0	154
19.	नागालैण्ड	17	4	0	0	1	0	0	0	4	0	0	26
20.	उड़ीसा	691	432	248	1167	1605	188	0	0	24	0	424	4779
21.	पंजाब	299	354	166	944	341	145	0	0	38	8	0	2295
22.	राजस्थान	1051	2019	399	5691	2730	44	0	0	55	54	6	12049
23.	सिक्किम	6	2	0	3	17	0	0	0	0	0	0	28
24.	तमिलनाडु	534	714	243	1052	1877	1718	0	0	3530	5	125	9798
25.	त्रिपुरा	108	48	16	236	128	0	0	0	0	0	0	536
26.	उत्तर प्रदेश	1415	2298	1893	5679	2145	1887	0	0	42	0	288	15647
27.	उत्तरांचल	89	155	66	316	145	97	1	0	0	0	1	870
28.	पश्चिम बंगाल	759	694	273	4069	964	34	1	0	42	0	6	6842
	कुल (राज्य)	15939	13552	6681	49027	33381	9970	76	0	6496	2508	2806	140436
29.	अंडमान एवं निकबार द्वीप समूह	2	1	0	4	17	3	0	0	0	0	0	27
30.	चंडीगढ़	18	47	1	56	36	28	0	0	3	0	0	189
31.	दादरा एवं नगर हवेली	4	5	0	3	3	0	0	0	0	0	0	15
32.	दमन एवं दीव	0	2	0	3	0	0	0	0	3	0	0	8
33.	दिल्ली	403	893	135	135	446	128	0	0	69	0	7	2216
34.	लक्षद्वीप	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
35.	पांडिचेरी	6	6	5	9	59	26	0	0	27	0	3	141
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	434	954	141	210	562	185	0	0	102	0	10	2598
	योग (अखिल भारत)	16373	14506	6822	49237	33943	10155	76	0	6598	2508	2816	143034

वर्ष 2003 के दौरान महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों की घटनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बलात्कार	अपहरण और व्यपहरण	दहेज संबंधी मृत्यु	पति, और उसके संबंधियों द्वारा क्रूरता	छेड़छाड़	यौन उत्पीड़न	लड़कियों का आयात	सती निवारण अधिनियम	आईटीपी अधिनियम	महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन (निषेध अधिनियम)	दहेज निषेध अधिनियम	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	946	931	466	8167	4128	2286	5	0	349	909	195	18382
2.	अरुणाचल प्रदेश	31	51	0	14	43	0	0	0	0	0	0	139
3.	असम	1095	1351	60	1808	878	6	0	0	22	0	92	5312
4.	बिहार	985	674	909	1880	688	11	37	0	9	1	706	5900
5.	छत्तीसगढ़	898	149	79	601	1481	105	0	0	7	0	16	3336
6.	गोवा	31	13	2	24	19	7	0	0	25	0	0	121
7.	गुजरात	236	859	54	3684	722	92	0	0	74	14	0	5735
8.	हरियाणा	353	271	222	1618	344	1302	0	0	57	0	3	4170
9.	हिमाचल प्रदेश	126	96	6	221	250	18	0	0	5	0	7	729
10.	जम्मू और कश्मीर	211	615	10	71	875	376	0	0	2	0	4	2164
11.	झारखंड	712	262	262	559	424	2	0	0	6	0	261	2488
12.	कर्नाटक	321	244	194	1704	1585	84	0	0	1361	0	341	5834
13.	केरल	394	102	33	2930	1947	68	0	0	159	16	4	5653
14.	मध्य प्रदेश	2738	608	648	2938	6848	705	0	0	33	0	29	14547
15.	महाराष्ट्र	1268	626	368	5452	2661	682	0	0	179	8	29	11273
16.	मणिपुर	18	71	0	4	44	0	0	0	0	0	0	137
17.	मेघालय	40	10	0	4	13	1	0	0	1	0	0	69
18.	मिजोरम	54	2	0	3	88	0	0	0	0	0	0	147
19.	नागालैण्ड	14	3	0	0	4	2	1	0	1	0	0	25
20.	उड़ीसा	725	373	279	1289	1669	188	0	0	11	0	412	4946
21.	पंजाब	380	295	110	987	346	199	0	0	54	1	3	2375
22.	राजस्थान	1050	1750	389	5733	2715	33	1	0	51	87	3	11812
23.	सिक्किम	10	0	0	1	25	0	0	0	1	0	0	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24.	तमिलनाडु	557	632	220	1555	2022	881	1	0	2839	6	175	8888
25.	त्रिपुरा	114	29	20	247	127	0	0	0	0	0	0	537
26.	उत्तर प्रदेश.	911	1499	1322	2626	1098	4970	0	0	47	0	367	12840
27.	उत्तरांचल	107	134	93	317	136	98	0	0	0	0	1	886
28.	पश्चिम बंगाल	1002	801	329	4948	1186	71	1	0	152	1	17	8508
	कुल (राज्य)	15327	12451	6075	49385	32366	12187	46	0	5445	1043	2665	136990
29.	अंडमान एवं निकबार द्वीप समूह	2	2	0	7	9	2	0	0	0	0	0	22
30.	चंडीगढ़	18	28	1	93	11	4	0	0	4	0	0	159
31.	दादरा एवं नगर हवेली	1	4	0	2	4	0	0	0	2	0	0	13
32.	दमन एवं दीव	5	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	10
33.	दिल्ली	490	797	130	100	489	105	0	0	46	0	14	2171
34.	लक्षद्वीप	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4
35.	पांडिचेरी	2	13	1	4	56	27	0	0	13	0	5	121
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	520	845	133	207	573	138	0	0	65	0	19	2500
	योग (अखिल भारत)	15847	13296	6208	49592	32939	12325	46	0	5510	1043	2684	139490

स्रोत: भारत में आपराध

अपराध जगत के साथ गुटका विनिर्माताओं के संबंध

204. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री उदय सिंह:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुटका विनिर्माताओं और फिल्मी सितारों/नायिकाओं सहित कुछ व्यवसायियों के अपराध जगत से निकट संबंध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या परिणाम निकले; और

(ङ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (ङ) भारतीय दंड संहिता की धारा 384, 387 और 34 के साथ पठित धारा 120-ख, शस्त्र अधिनियम की धारा 3 और 25 तथा महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण (एम सी ओ सी) अधिनियम, 1999 की धारा 3(1) (ii), 3(2) और 3(4) के तहत मुम्बई पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले की जांच-पड़ताल के दौरान एक अभियुक्त ने बयान दिया था कि दो गुटका विनिर्माताओं नामत: माणिकचंद ग्रुप आफ कंपनीज के श्री रसिकलाल धारीवाल और गोवा गुटका के श्री जे.एम. जोशी की अपने वित्तीय विवाद निपटाने के सिलसिले में गैंगस्टर अनीस इब्राहिम कस्कर (दाऊद इब्राहीम का भाई) के साथ बैठक हुई थी। श्री धारीवाल और श्री जोशी के विरुद्ध एम सी ओ सी अदालत से गैर-जमानती वारंट प्राप्त किए गए थे। महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर आगे जांच

पड़ताल करने के लिए सी बी आई ने 9.2.2005 को यह मामला अपने हाथ में लिया है। इसी बीच, गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों जमीरूद्दीन और राजेश पंचारिया और वांछित अभियुक्त अनीस इब्राहीम और फारूख मोहम्मद मंसूरी के विरुद्ध महाराष्ट्र पुलिस द्वारा 24.1.2005 को एम सी ओ सी विशेष अदालत में एक अंतरिम आरोप पत्र दायर कर दिया गया है।

फल और सब्जियों का निर्यात

205. **श्री दुष्यंत सिंह:**
श्री गिरिधारी यादव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान संबंधित राज्यों से फल और सब्जियों के निर्यात का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने संबंधित राज्यों से फल और सब्जियों के निर्यात को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं;

(ग) क्या उत्पादन की तुलना में संबंधित राज्यों से फल और सब्जियों के निर्यात का प्रतिशत संतोषजनक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या संतुलनकारी उपाय किए गए हैं; और

(ङ) उन देशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें फल और सब्जियों का निर्यात किया जाता है और यह कितनी मात्रा में किया जाता है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) फलों एवं सब्जियों के निर्यात का राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान ताजे फलों एवं सब्जियों के निर्यात का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

2001-2002		2002-2003		2004-2005	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
781495.61	869.63	926023.59	865.52	1284888.99	1355.83

स्रोत: एपीडा

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) फलों एवं सब्जियों का राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ङ) प्रमुख आयात देशों को ताजे फलों और सब्जियों के निर्यातों से संबंधित उपलब्ध सूचना निम्नानुसार है:-

(मात्रा: मीट्रिक टनों में)

देश	मात्रा
1	2
सब्जियां	
आस्ट्रेलिया	2596.84
बेल्जियम	1840.24
बंगलादेश	343997.95
बहरीन	31476.54
ब्रुनेई	1227.13
कनाडा	2450.17
ग्रीस	5204.5
गुवैत	7571.98
स्पेन	2836.19
यू.एस.ए.	11199.18
एस्तोनिया	1102.53
फ्रांस	4754.93
जर्मनी	2697.92
यू.के.	5596.79
इजराइल	1408.05

1	2
श्रीलंका	113126.05
मालदीव	5027.57
मारीशस	14327.31
मलेशिया	177325.76
नेपाल	102969.07
नीदरलैंड	2382.11
ओमान	3793.3
कतर	4379.79
रियुनियन	3499.58
रूस	2507.54
सऊदी अरब	24325.64
सिंगापुर	18742.08
यू ए ई	132695.79
फल	
बेल्जियम	791.53
बंग्लादेश	112140.77
बहरीन	2402.36
नीदरलैंड	6337.81
यू ए ई	46320.4
यू एस ए	1348.43
नेपाल	25039.1
जर्मनी	2381.01
यू के	9733.67
श्रीलंका	1732.21
मालदीव	572.42
ओमान	3662.71
पाकिस्तान	3063.44
कतर	664.5
रूस	1930.8
सऊदी अरब	8862.35

स्रोत: वाणिज्य

वस्त्र और भेषज क्षेत्र

206. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई पेटेंट व्यवस्था और मल्टी फाइबर एग्रीमेंट की समाप्ति के परिणामस्वरूप वैश्विक चरण में वस्त्र और भेषज क्षेत्र प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभरेगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन दो क्षेत्रों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) सामान्यत: यह महसूस किया जाता है कि भारतीय भेषज क्षेत्र उत्पाद पेटेंट प्रणाली लागू करने से लाभान्वित होगा क्योंकि इससे अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। इससे बौद्धिक संपदा को संरक्षित करने की भारतीय प्रणाली की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। भारतीय भेषज उद्योग ने हाल ही के वर्षों में बदलाव का अनुभव किया है और आशा है कि वह ज्ञान आधारित इस क्षेत्र में विश्व का अग्रणी क्षेत्र बनने के लिए इस अवसर का भरपूर उपयोग करेगा।

यह भी महसूस किया जाता है कि वस्त्र कोटा प्रणाली की समाप्ति के परिणामस्वरूप भारत के वस्त्र एवं कपड़ा निर्यात में पर्याप्त वृद्धि होगी क्योंकि अब ये सीमाएं हटा दी गई हैं।

(ख) वस्त्र उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं: प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम (टी यू एफ एस) को चलाना; बुनाई, प्रसंस्करण तथा परिधान हेतु मशीनरी पर 50 प्रतिशत की दर से संवर्धित मूल्यह्रास की सुविधा लागू करना; शटल रहित करघों पर सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना; कपास की उत्पादकता तथा गुणवत्ता सुधारने के लिए कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन (टी एम सी) शुरू करना; ''निर्यात स्कीम के लिए परिधान पार्क'' नामक केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम की शुरूआत; प्रमुख वस्त्र केन्द्रों पर बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन के लिए ''वस्त्र केन्द्र बुनियादी सुविधा विकास स्कीम'' (टी सी आई डी एस) को शुरू करना।

भेषज क्षेत्र के लिए वैश्विक संभावनाओं का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं: भेषज क्षेत्र में अपर्याप्त अथवा कोई विनिर्माण क्षमता नहीं रखने वाले किसी देश को पेटेंट शुदा भेषज उत्पादों के विपणन हेतु प्रावधान लागू करना; पेटेंट कार्यालयों का आधुनिकीकरण; [illegible] तथा क्लिनिकल आउटसोर्सिंग परियोजनाओं में निवेशों को आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से विश्वसनीय कानूनी ढांचा लागू करना।

शिशु मृत्यु दर

207. श्री रघुनाथ झा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समेकित बाल विकास योजनाओं के अंतर्गत आबंटित धनराशि के पूर्ण उपयोग के बावजूद कुपोषण के कारण भारत में प्रति माह पांच वर्ष से कम आयु के अनेक बच्चों की मृत्यु हो जाती है;

(ख) क्या समेकित बाल विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य शिशु मृत्यु दर को कम करने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने योजना की पूर्ण असफलता हेतु उत्तरदायी कारणों का पता लगाया है; और

(घ) शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए उठाए गए/उठाए जाने हेतु प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) से (ग) समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम का उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। इस स्कीम का एक उद्देश्य मृत्यु-दर, रुग्णता, कुपोषण तथा स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ देने के मामलों में कमी लाना है। 1975 में देश के 33 ब्लाकों में शुरू की गयी इस स्कीम में अब 5652 ब्लाक शामिल हैं। शिशु मृत्यु दर 1981 में प्रति एक हजार जीवित जन्मों पर 110 से घटकर 2002 में 63 रह गयी है। इसी प्रकार, पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु-दर 1983 में 161 से घटकर 2003 में 87 हो गयी है। इसके अलावा, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा किये गए आई.सी.डी.एस. स्कीम के मूल्यांकन से पता चला है कि शिशु मृत्यु दर को कम करने में इस स्कीम का काफी प्रभाव पड़ा है। अत:, यह कहना सही नहीं है कि यह स्कीम बिल्कुल विफल रही है।

(घ) आई.सी.डी.एस. स्कीम में अब तक शामिल न की जा सकी बस्तियों को इसमें शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, देश में शिशुओं और बच्चों की उच्च मृत्यु-दर को कम करने के लिए भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी कई कार्यक्रम/स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है, जैसे राष्ट्रीय अतिसार नियंत्रण कार्यक्रम; राष्ट्रीय गम्भीर श्वसन संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम; विटामिन 'ए' की पूरक खुराक; लौह तत्व एवं फालिक एसिड की पूरक खुराक; स्तनपान संवर्धन; छ: माह की आयु से ही शिशु को पूरक आहार; नवजाति एवं बाल्यावस्था रोगों का समेकित प्रबन्धन।

उल्फा के साथ शांति वार्ता

208. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी संगठन विशेषकर उल्फा ने शांति वार्ता हेतु केन्द्र सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) शांति वार्ता को पुन: आरंभ करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) उल्फा के साथ "शांति वार्ता" करने के लिए प्रो. इंदिरा गोस्वामी से एक अपील प्राप्त हुई है।

(ख) अपील में बिना किसी पूर्व-शर्त के भारत सरकार के साथ वार्ता करने की उल्फा की इच्छा प्रकट की गई है और संप्रभुता की उनकी 'कोर डिमांड' का भी विशिष्ट उल्लेख किया गया है।

(ग) भारत सरकार ने निरंतर ही उन सभी ग्रुपों के साथ वार्ता करने की इच्छा प्रकट की है जो हिंसा का मार्ग त्यागने के लिए तैयार हैं।

20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत भूखंडों का आवंटन

209. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत पालम गांव, नई दिल्ली में भूखंड आवंटित किए है;

(ख) यदि हां, तो वहां कुल कितने भूखंड हैं और उनमें से कितने भूखंड आवंटित किए गए हैं;

(ग) क्या वास्तविक रूप से आवंटित अनेक भूखंडों से कुछ अतिरिक्त भूखंड हरित क्षेत्र और पार्कों आदि के लिए निर्धारित भूमि पर दिए गए हैं;

(घ) यदि हां तो अतिक्रमण को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इन अतिक्रमणों को कब तक हटाए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह सूचित किया है कि उस स्थान पर कुल 1172 प्लाट हैं तथा इनमें से 1125 प्लाट आबंटित किए गए हैं।

(ग) पालम गांव के खसरा नं. 28-3/2, 4/2, 5/2 में अतिरिक्त प्लाट दिए गए हैं।

(घ) संबंधित खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) द्वारा झूठे दस्तावेजों के आधार पर भूमि के अवैध अतिक्रमण के मामले की सूचना द्वारका थाने के थाना अधिकारी (एसएचओ) को दिनांक 1.8.2001 को अतिक्रमणकर्त्ताओं के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के लिए दी गई थी। एसएचओ की इस सलाह पर कि ऐसे मामलों पर दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा "विशेष कार्य बल" द्वारा कार्रवाई की जाती है, मामला दिनांक 18.10.2001 को विशेष कार्य बल को भेज दिया गया है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए मामले में समय सीमा देना मुश्किल है।

पुनर्वास कालोनियों में टीनेमेन्ट्स का आवंटन

210. श्री पवन कुमार बंसल: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों का 8 दिसंबर, 1996 की स्थिति के अनुसार मतदाता के रूप में नामांकन किया गया है और वे पुनर्वास कालोनियों में टीनेमेन्ट्स के आवंटन हेतु पात्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पात्र व्यक्तियों का पुनर्वास किए बिना हाल ही में मकानों को गिरा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या कुछ समय पूर्व संबंधित योजनाओं के अंतर्गत पुनर्वास की शर्तों में परिवर्तन किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या मतदाता सूची में नामांकन से संबंधित शर्त से लम्बे समय से चंडीगढ़ में बसे कई मलिन बस्ती वासियों को योजना के अंतर्गत टीनेमेन्ट्स के आवंटन के अधिकार से वंचित किया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या मतदाता सूची में से नाम हटाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं जबकि संबंधित व्यक्तियों को संबंधित संख्या पर्चियां दी गई थी और उस तिथि से वर्षों मतदाता रहे थे; और

(झ) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों का निवारण के लिए व्यवस्था यदि कोई है, का ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, समय-समय पर संशोधित पुनर्वास स्कीम, 1979 के अनुसार स्लम वासी, जिनका 8.12.1996 को मतदाता के रूप में नामांकन किया गया था, टेनेमेन्ट्स के आवंटन के लिए पात्र थे/हैं। जब कभी ऐसे लोगों को हटाया जाता है उनकी पात्रता के लिए सर्वेक्षण/जांच की जाती है और पुनर्वास प्रदान किया जाता है तथा जब कभी आवंटन के लिए स्थल/टेनेमेन्ट्स उपलब्ध होते हैं, आवंटित किए जाते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) इन स्कीमों में समय-समय पर मामूली परिवर्तन किए गए हैं।

(ङ) 1. चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा दिनांक 9.12.1997 की अधिसूचना के तहत स्लम वासियों के आय मानदण्ड को निकाल दिया गया है।

2. कट आफ तारीख में समय-समय पर परिवर्तन किया गया है तथा दिनांक 22.6.1998 की अधिसूचना के अनुसार अब कट आफ तारीख 8.12.1996 है।

3. ये परिवर्तन यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए थे कि श्रमिक कालोनियों में रह रहे वास्तविक और जरूरतमंद लोगों को ही पुनर्वास के लाभ प्राप्त हो सकें।

(च) और (छ) पुनर्वास स्कीम के अनुसार अपेक्षित मतदाता सूची में जिन प्रवासियों के नाम मौजूद नहीं थे, वे टेनेमेन्ट्स/स्थलों के आवंटन हेतु पात्र नहीं थे।

(ज) निर्वाचन विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(झ) यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन सेल में अपना नाम रजिस्टर्ड नहीं पाता है, ऐसा व्यक्ति लोक पुनर्वास अधिनियम, 1950 की धारा 23 के अंतर्गत नामांकन के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों/शैक्षिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण

211. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले सरकारी क्षेत्र के बैंकों और शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण नीति को लागू करने पर विचार कर रही है जैसा कि 11 जनवरी, 2005 के "हिन्दुस्तान" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त आरक्षण कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या उक्त आरक्षण प्रदान करने वाली सूची में अल्पसंख्यक आदिवासियों को शामिल करने पर भी विचार किया जा रहा है;

(घ) क्या आज की स्थिति के अनुसार सरकारी ठेके देने में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को कोई आरक्षण प्रदान किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त आरक्षण का प्रतिशत क्या है;

(च) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आरक्षण को लागू करने के लिए कानून बनाने के संबंध में कोई सिफारिशें की हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (ङ) सरकार की आरक्षण नीति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की नौकरियों/पदों में भर्ती सहित विभिन्न क्षेत्रों में पहले से ही लागू है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अनुसूचित जनजातियां संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन अधिसूचित हैं। अनुसूचित जनजातियों को उनके धर्म का विचार किए बिना निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अधिसूचित किया जाता है।

(च) भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग ने आरक्षण लागू करने के लिए कानून बनाने की अनुशंसा की है।

(छ) भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिशों के ब्यौरे चौथी रिपोर्ट (1996-1997) एवं (1997-1998) (खंड-1), पांचवीं रिपोर्ट (1998-1999) (खंड-1) एवं छठी रिपोर्ट (1999-2000) एवं (2000-2001) में निहित हैं, जिन्हें सदन में पेश किया जा चुका है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सेवाओं में आरक्षण के संबंध में राज्य सभा में एक विधेयक पेश किया है।

[अनुवाद]

वर्ष 2005-2006 हेतु वार्षिक विदेश व्यापार नीति

212. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2005-2006 के लिए वार्षिक विदेश व्यापार नीति तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उद्योग एसोसिएशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों और कोमोडिटी बोर्डों से मार्च/अप्रैल, 2005 में जारी करने के लिए देय विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं और आयात-निर्यात प्रक्रियाओं के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इन संगठनों द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) विदेश व्यापार नीति 2004-09 की वार्षिक समीक्षा के एक भाग के रूप में विभिन्न उद्योग संघों, निर्यात संवर्धन परिषदों और अन्य पणधारकों से भी सुझाव आमंत्रित किए गए थे और उनके साथ विचार-विमर्श किए गए थे। उनसे प्राप्त सुझावों में वर्तमान निर्यात संवर्धन स्कीमों को जारी रखना, उन्हें युक्तिसंगत बनना और प्रक्रियाओं को और सरल बनाना शामिल था। उनकी निविष्टियों पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके उचित रूप से शामिल किए जाने के लिए विचार-विमर्श किया जा रहा है। प्रक्रियाओं को सरल बनाने, सौदा लागतों को कम करने, विनियामक कार्य ढांचे को उदार बनाने से संबंधित मुद्दों पर सभी अग्रणी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिए अन्य पणधारकों से भी निविष्टियां आमंत्रित की गयी हैं।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.33 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 2 मार्च, 2005/11 फाल्गुन, 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री अवतार सिंह भडाना श्री ब्रजेश पाठक	1
2.	श्री सुनिल कुमार महतो श्री मनसुखभाई डी. वसावा	2
3.	श्री प्रबोध पाण्डा श्री सुग्रीव सिंह	3
4.	श्री प्रभुनाथ सिंह श्री बाडिगा रामकृष्णा	4
5.	श्री रामजीलाल सुमन डा. चिन्ता मोहन	5
6.	श्रीमती सुमित्रा महाजन श्री वाई.जी. महाजन	6
7.	डा. के.एस. मनोज	7
8.	श्री पवन कुमार बंसल	8
9.	श्री कैलाश मेघवाल श्री सर्वानन्द सोनोवाल	9
10.	प्रो. महादेवराव शिवनकर श्रीमती अनुराधा चौधरी	10
11.	श्री गुरूदास दासगुप्त श्री रायापति सांबासिवा राव	11
12.	श्री एस.के. खारवेनथन श्री सुरेश कुलमाडी	12
13.	श्री मोहन रावले	13
14.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल श्री के.एस. राव	14
15.	श्री रतिलाल कालीदास वर्मा प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	15
16.	श्री इकबाल अहमद सरडगी	16
17.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	17
18.	श्री बी. विनोद कुमार श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई	18
19.	श्री एन.एन. कृष्णदास श्री अर्जुन सेठी	19
20.	श्री सज्जन कुमार	20

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बुसदेव	39,115, 133
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	115, 124, 180, 206
3.	अहमद, श्री अतीक	4, 140
4.	अहीर, श्री हंसराज जी.	8, 118, 129
5.	अनंत कुमार, श्री	86, 165, 193
6.	अप्पादुरई, श्री एम.	45, 61
7.	आठवले, श्री रामदास	41, 135, 155, 185, 201
8.	बंसल, श्री पवन कुमार	100, 176, 197, 210
9.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	47, 139, 188, 202
10.	बर्मन, श्री हितेन	30
11.	बखला, श्री जोवाकिम	30
12.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	40, 55, 143
13.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	21
14.	बोस, श्री सुव्रत	30
15.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	1, 115, 145, 180
16.	चक्रवर्ती, श्री अजय	72, 115, 156
17.	चन्देल, श्री सुरेश	29, 104
18.	चन्द्र कुमार, प्रो.	69, 151
19.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	116
20.	चौरे, श्री बापू हरी	11, 104
21.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	38, 70, 152
22.	चिन्ता मोहन, डा.	34, 116, 174
23.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	52
24.	चौधरी, श्रीमती अनुराधा	31, 35, 118, 122

1	2	3
25.	चौधरी, श्री निखिल कुमार	29, 74
26.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	154, 190
27.	चौधरी, श्री पंकज	56, 68, 150
28.	चौधरी, श्री अधीर	7, 102, 182, 204
29.	डांगावास, श्री भंवर सिंह	66
30.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	34, 156
31.	फैन्थम, श्री फ्रान्सिस	17
32.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	46, 59
33.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	37, 46, 71, 112, 138
34.	गमांग, श्री गिरिधर	85
35.	गांधी, श्री मेनका	60
36.	गांधी, श्री प्रदीप	82
37.	गंगवार, श्री संतोष	53, 132
38.	गाव, श्री तापिर	81, 118
39.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	123
40.	गोहेन, श्री राजेन	190
41.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	99, 118, 171
42.	जगन्नाथ, डा. एम.	33, 44, 121
43.	जय प्रकाश, श्री	118
44.	जटिया, डा. सत्यनारायण	65
45.	जयाप्रदा, श्रीमती	28
46.	झा, श्री रघुनाथ	6, 119, 162, 177, 207
47.	जोगी, श्री अजीत	66, 98, 170
48.	कलमाडी, श्री सुरेश	45, 103
49.	करूणाकरन, श्री पी.	16, 108
50.	कौर, श्रीमती परनीत	94
51.	खैरे, श्री चंद्रकांत	46, 95
52.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	83, 161
53.	खन्ना, श्री अविनाश राय	50
54.	खारवेनथन, श्री एस.के.	123, 163, 179
55.	कोली, श्री रामस्वरूप	118
56.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	23, 95, 111
57.	कृष्ण, श्री विजय	37
58.	कुप्पुसामी, श्री सी.	58
59.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	35
60.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	34
61.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	89
62.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	117, 175
63.	महाजन, श्री वाई.जी.	70, 115, 145, 152
64.	महतो, श्री बीर सिंह	19
65.	महतो, श्री सुनिल कुमार	114
66.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	2, 31, 125, 152
67.	महताब, श्री भर्तृहरि	43
68.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	33, 38, 119, 132
69.	मंडल, श्री सनत कुमार	63, 148, 189, 203
70.	मंडलिक, श्री सदाशिराव दादोबा	37, 112, 131, 204
71.	माने, श्रीमती निवेदिता	71, 118, 131, 204
72.	मिडियम, डा. बाबू राव	27, 115
73.	मेघवाल, श्री कैलाश	118
74.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	80, 161
75.	मोहन, श्री पी.	62, 147
76.	मुकीम, मो.	96
77.	मो. ताहिर, श्री	31, 35, 118, 122, 178

1	2	3
78.	मोल्लाह, श्री हन्नान	25
79.	मुन्शी राम, श्री	31, 64, 118, 122, 178
80.	मुर्मू, श्री हेमलाल	67, 118, 119, 149
81.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	77, 159, 194
82.	नायर, श्री पी.के. वासुदेवन	34, 116
83.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	10
84.	ओराम, श्री जुएल	115, 118
85.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	34, 76
86.	पलनिसामी, श्री के.सी.	20, 110, 173
87.	पाण्डा, श्री प्रबोध	115
88.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	53
89.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	12, 153
90.	पटेल, श्री दाह्याभाई वल्लभभाई	91, 166
91.	पाठक, श्री ब्रजेश	118, 167
92.	पाठक, श्री हरिन	32
93.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	57, 146
94.	पाटिल, श्री प्रकाशबापू वी.	131
95.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	75, 146, 158
96.	पिंगले, श्री देविदास	84, 164, 192
97.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	51, 142
98.	प्रसाद श्री हरिकेवल	36
99.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	79
100.	रामदास, प्रो. एम.	26, 113, 144
101.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	169
102.	राणा, श्री काशीराम	3
103.	राव, श्री के.एस.	37, 112, 116, 118
104.	राव, श्री रायापाति सांबासिवा	39, 116, 181
105.	राव, श्री डी. विट्टल	97, 174
106.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	31, 38, 115
107.	रावत, श्री धनसिंह	54
108.	रावत, श्री कमला प्रसाद	24
109.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	144
110.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	49, 163
111.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	90
112.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	35
113.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	38, 114
114.	रिजीजू, श्री खीरेन	180
115.	साई प्रताप, श्री ए.	9, 15
116.	सज्जन कुमार, श्री	136, 186
117.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	126, 181, 199, 212
118.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	93
119.	सेठी, श्री अर्जुन	141
120.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	18, 29, 109
121.	शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम	13, 106
122.	शर्मा, श्री मदन लाल	73, 157
123.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	124, 131, 180, 184
124.	शिवन्ना, श्री एम.	42
125.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	122, 178, 198, 211
126.	शुक्ला, श्रीमती करुणा	125
127.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	88
128.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	92, 146, 168, 195, 208
129.	सिंह, श्री चन्द्रभान	87

1	2	3
130.	सिंह, श्री दुष्यंत	70, 78, 160, 191, 205
131.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	37, 118, 128
132.	सिंह, श्री मोहन	35, 48, 115
133.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	105, 172, 196, 209
134.	सिंह, श्री सुग्रीव	29, 130, 183, 200
135.	सिंह, श्री उदय	196, 204
136.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	45, 118, 137, 187
137.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	120
138.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	5, 101
139.	सुमन, श्री रामजीलाल	116, 174
140.	ठुम्मर, श्री वी.के.	3, 38
141.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	40, 125, 134
142.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	115, 124, 169, 180
143.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	2, 125
144.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	22
145.	विनोद कुमार, श्री बी.	127
146.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	9
147.	यादव, श्री बालेश्वर	14 107
148.	यादव, श्री गिरिधारी	36, 205
149.	यास्खी, श्री मधु गौड	37, 112, 116, 118, 128
150.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	29
151.	जाहेदी, श्री महबूब	133

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	5, 7, 19
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
गृह	:	1, 8, 12, 13, 14, 15, 17
मानव संसाधन विकास	:	3, 4, 10, 11
संसदीय कार्य	:	
जनजातीय कार्य	:	2, 9
शहरी विकास	:	20
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	:	16, 18
युवक कार्यक्रम और खेल	:	6

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वाणिज्य और उद्योग	:	2, 3, 5, 7, 8, 14, 18, 26, 34, 36, 37, 43, 55, 57, 64, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 90, 94, 96, 100, 102, 108, 109, 111, 120, 122, 126, 130, 141, 143, 148, 157, 170, 174, 178, 181, 182, 183, 184, 188, 189, 198, 199, 202, 205, 206, 212
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
गृह	:	12, 21, 29, 30, 31, 41, 42, 45, 47, 56, 60, 62, 81, 82, 89, 92, 97, 101, 107, 112, 118, 123, 125, 127, 132, 138, 145, 149, 150, 151, 154, 156, 158, 159, 168, 171, 175, 179, 196, 202, 203, 204, 208
मानव संसाधन विकास	:	1, 10, 15, 16, 24, 25, 28, 32, 40, 44, 48, 49, 51, 52, 66, 67, 73, 75, 80, 83, 91, 95, 103, 110, 116, 117, 121, 124, 129, 135, 137, 146, 152, 153, 161, 162, 166, 169, 173, 176, 185, 191, 194, 195, 201, 207
संसदीय कार्य	:	
जनजातीय कार्य	:	11, 20, 22, 27, 54, 59, 63, 85, 93, 113, 115, 140, 160, 187, 211
शहरी विकास	:	6, 9, 33, 38, 39, 53, 58, 88, 98, 105, 114, 119, 128, 133, 134, 136, 155, 163, 164, 172, 177, 180, 186, 197, 209
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	:	23, 46, 77, 131, 139, 142, 192, 210
युवक कार्यक्रम और खेल	:	4, 13, 17, 19, 35, 50, 61, 65, 68, 79, 84, 86, 87, 89, 104, 106, 147, 165, 167, 190, 193.

पी.एल.एस.–48/7/4/2005 (एन०)
251

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स धनराज एसोसिएट्स प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।